राष्ट्र की ऊर्जा आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध



वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

2022-23





संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना



लक्ष्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना



विषय-सूची

1.	प्रबंधन/बैंकर/लेखा परीक्षक	0-02
2	सूचना	08-12
3.	अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	13-15
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	16-73
5.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट	75-152
6.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	153-157
7.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	158-160
8.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र	161-168
9.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	169-173
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	174-179
11.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	180-208
12.	31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट	210-211
13.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	212-216
14.	नकदी प्रवाह विवरण	217-218
15.	बैलेंस शीट तथा लाभ और हानि विवरण की आंशिक टिप्पणियाँ	219-286
16.	एमसीएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के समेकित खाते	287-374

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
केनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
ऐक्सिस बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इंडियन बैंक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स लालदाश एंड कंपनी, (पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही और वार्षिक के लिए)
C/O- पी.के. प्रधान, वरुण रेसिडेंसी के पास
प्रधानपाड़ा, बुढ़ाराजा
संबलपुर – 768004, ओड़िशा

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स बी एन मिश्र एंड कंपनी (पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही और वार्षिक के लिए)
एस-29, मैत्री विहार, फेज़-2
टेक महिंद्रा के सामने

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स असुतोष एण्ड एसोशिएट्स,
प्लॉट सं. -N4/232, प्रथम तल्ला, आईआरसी विलेज नयापाली,
रिलाएन्स फ्रेश के पास, भुवनेश्वर – 751015

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स राय नायक एण्ड एसोशिएट्स,
एमआईजी -26, मानरमा इस्टेट , रसुलगढ़
भुवनेश्वर, ओड़िशा -751010

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जे. के. दास एण्ड एसोशिएट्स,
कंपनी सचिव,
भुवनेश्वर, ओड़िशा

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट: जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर- 768020, ओडिशा
वेबसाइट: www.mahanadicoal.in

वर्तमान प्रबंधन(03.06.2023 के अनुसार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक



श्री ओ. पी. सिंह

कार्यकारी निदेशकगण



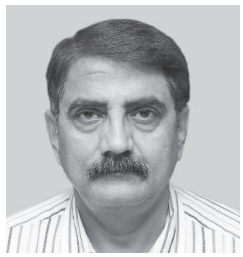
श्री केशव राव
निदेशक (कार्मिक)



श्री जुगल कुमार बोरा
निदेशक (तकनीकी/संचालन)



श्री ए.के. बेहुरा
निदेशक (वित्त)



श्री ए.एस. बापट
निदेशक (तकनीकी/परि. एवं योजना)

आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण



श्री एस. के. कस्सी
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली



श्री मुकेश चौधरी
निदेशक (विपणन),
सीआईएल, कोलकाता

स्थायी आमंत्रित



श्री वाई. नागेंद्र बाबू
मुख्य संचालन प्रबन्धक,
पूर्व तट रेलवे, भूबनेश्वर

गैर- आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण



डॉ. आशा लाकरा



श्री डी. सी. तिवारी



डॉ. आर. के. वर्मा

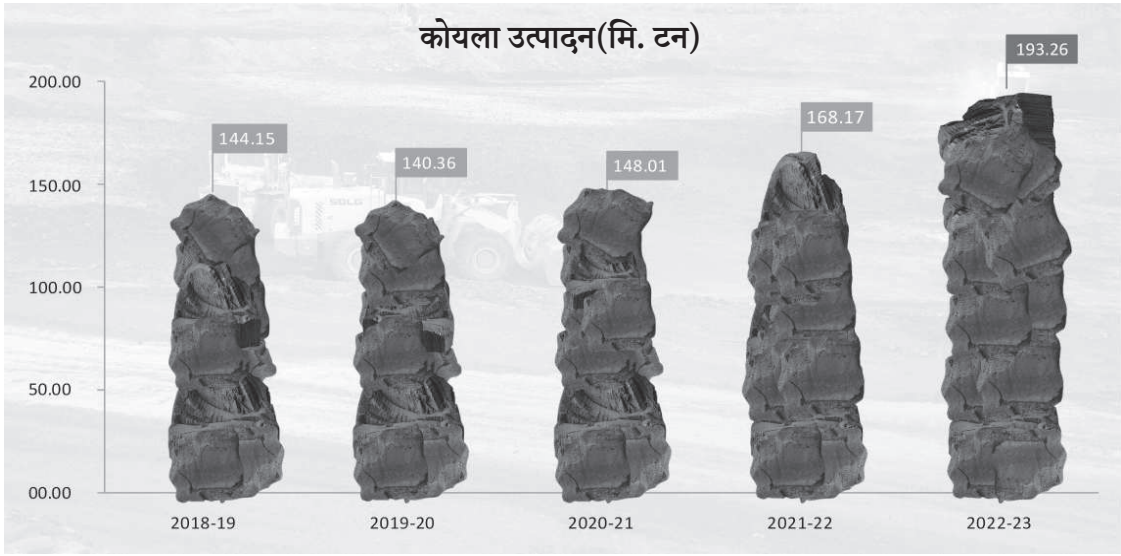
कंपनी सचीय

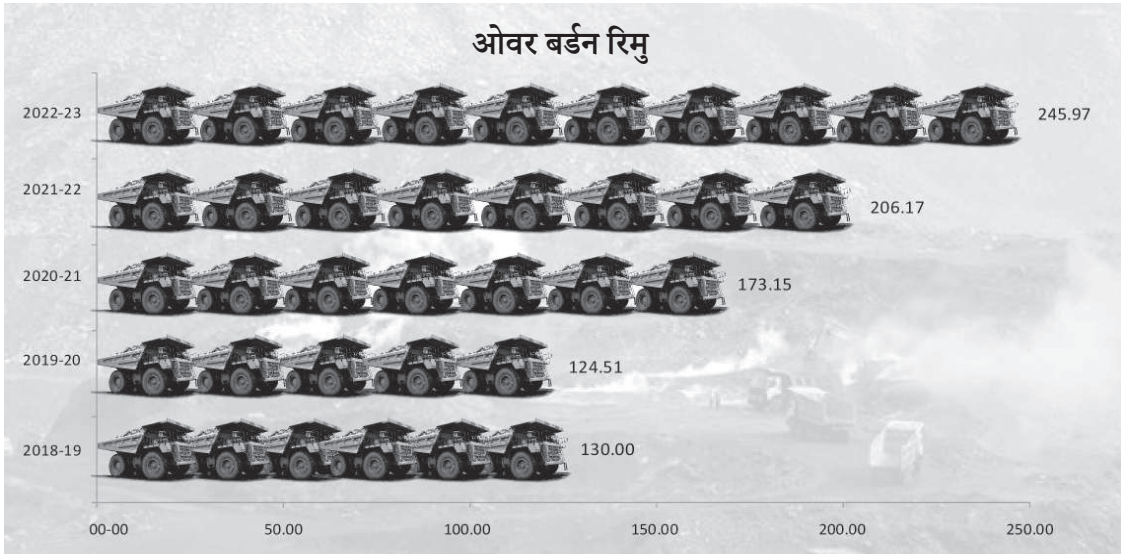


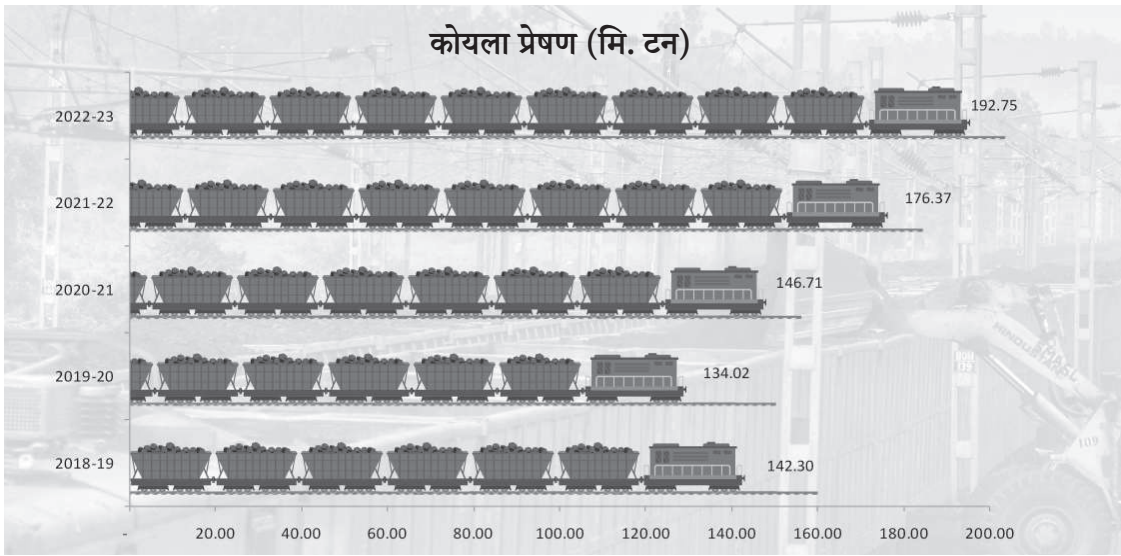
श्री सौभाग्य परिडा

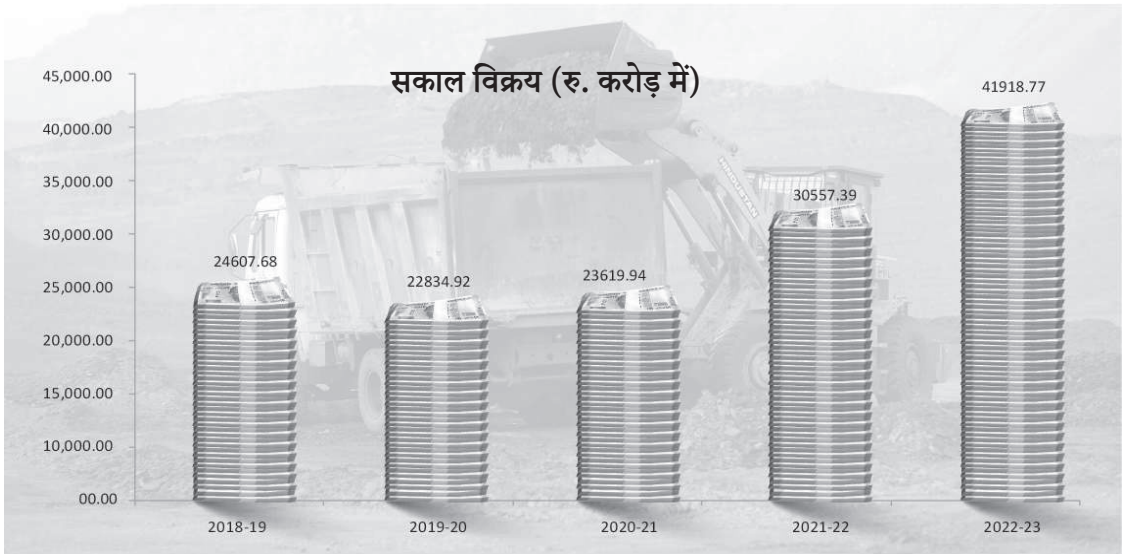
2022-23 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री ओ. पी. सिंह
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ओ. पी. सिंह निदेशक (तक/संचालन) (दिनांक 22.08.2022 तक)
		श्री केशव राव निदेशक (कार्मिक)
		श्री एस.के. पाल निदेशक (तक./परियोजनाएवं योजना) (दिनांक 19.04.2022 तक)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./परियोजनाएवं योजना) (दिनांक 19.04.2022 से प्रभावी)
		श्री जुगल कुमार बोरा निदेशक (तक./संचालन) (दिनांक 23.11.2022 से प्रभावी)
		श्री के. आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त) (दिनांक 31.07.2022 तक)
		श्री ए. के. बेहुरा निदेशक (वित्त) (दिनांक 01.08.2022 से प्रभावी)
आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण	:	श्री नागराजू महिराला अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (दिनांक 22.02.2023 तक)
		श्री एस. के. कस्सी संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (दिनांक 22.02.2023 से प्रभावी)
		श्री एस. एन. तिवारी निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता (दिनांक 30.04.2022 तक)
		श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक और औ. सं.) सीआईएल, कोलकाता (दिनांक 23.08.2022 तक)
		श्री देबाशीष नन्द निदेशक (व्यवसाय विकास), सीआईएल, कोलकाता (दिनांक 27.01.2023 तक)
		श्री मुकेश चौधरी निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता (दिनांक 27.01.2023 से प्रभावी)
गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	श्री एस. मोहन (दिनांक 09.07.2022 तक)
		डॉ. आशा लाकरा
स्थायी आमंत्रित व्यक्ति	:	श्री वाई. नागेंद्र बाबू मुख्य संचालन प्रबन्धक, पूर्व तट रेलवे, भूबनेश्वर
कंपनी सचीय	:	श्री सौभाग्य परिडा


कोयला उत्पादन(मि. टन)
200.00
150.00
100.00
50.00
00.00
144.15
140.36
148.01
168.17
193.26
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23


ओवर बर्डन रिमु
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
245.97
206.17
173.15
124.51
130.00
00-00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00


कोयला प्रेषण (मि. टन)
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
192.75
176.37
146.71
134.02
142.30
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00


सकाल विक्रय (रु. करोड़ में)
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
00.00
24607.68
22834.92
23619.94
30557.39
41918.77
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23


कर पूर्व लाभ (रु. करोड़ में)
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
9281.08
8645.47
9316.79
11462.42
18493.02
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23


कर पश्चात लाभ (रु. करोड़ में)
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
00.00
6039.54
6427.39
6872.35
8480.50
13475.21
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

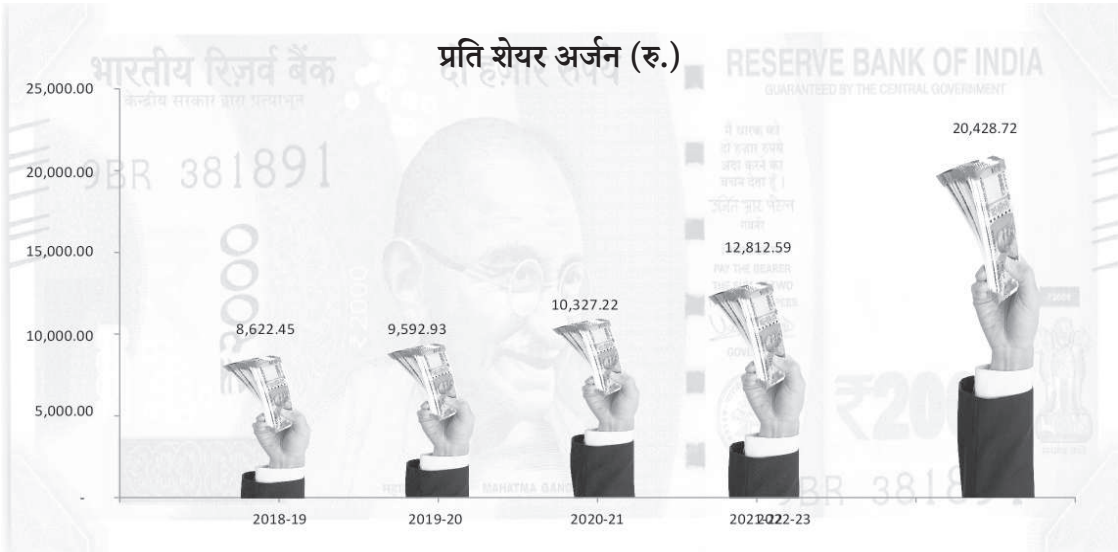
कुल संपत्ति (रु. करोड़ में)

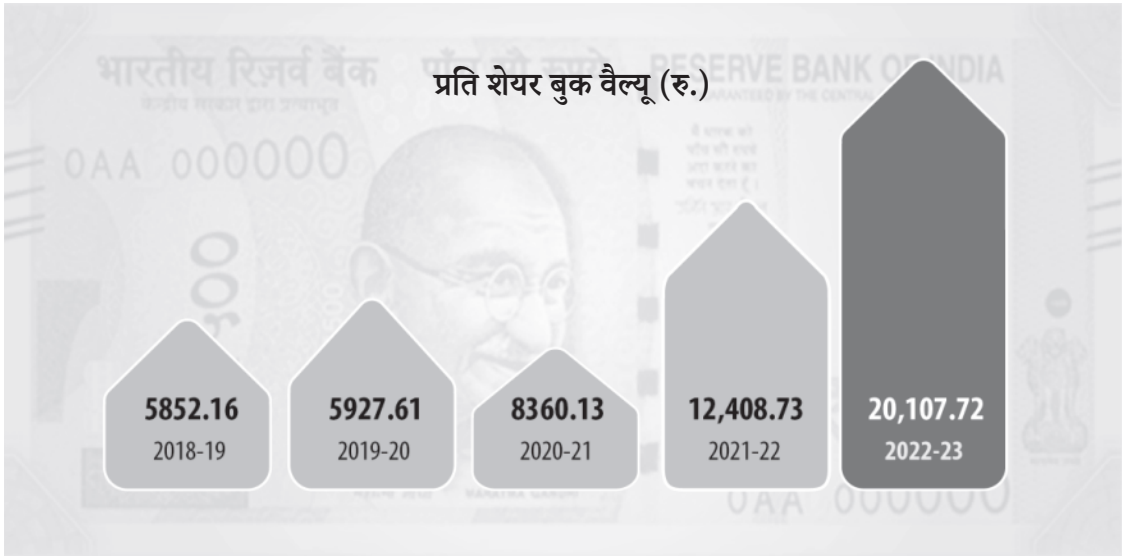


लाभांश (रु. करोड़ में)

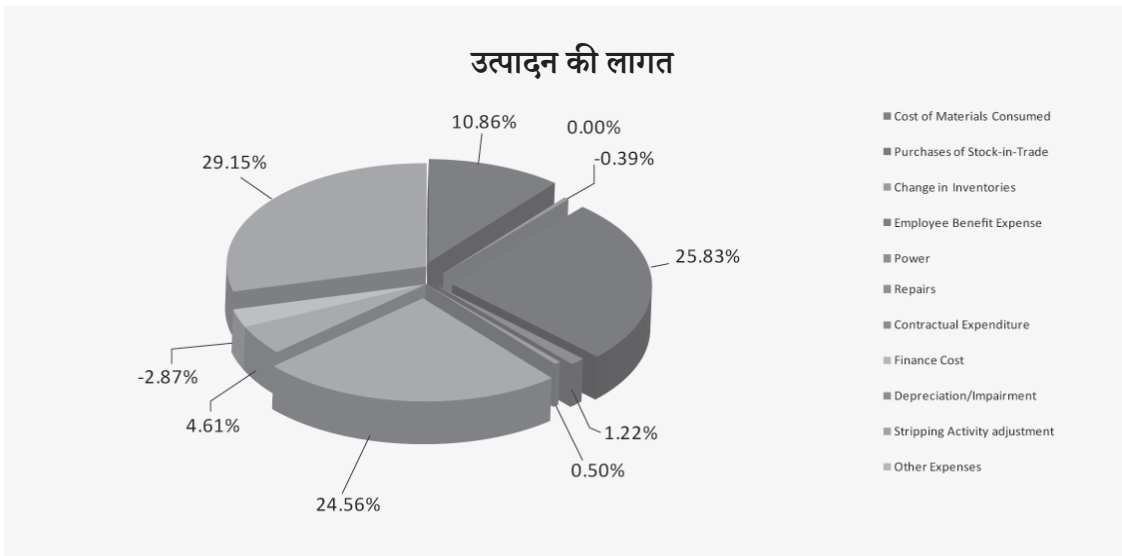


प्रति शेयर अर्जन (रु.)




प्रति शेयर बुक वैल्यू (रु.)
5852.16
2018-19
5927.61
2019-20
8360.13
2020-21
12,408.73
2021-22
20,107.72
2022-23


प्रति शेयर लाभांश (रु.)
14,000.00
12,000.00
10000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
5854.92
7894.7
7894.7
8,763.50
13,447.43
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23


उत्पादन की लागत
10.86%
0.00%
-0.39%
29.15%
25.83%
-2.87%
4.61%
1.22%
0.50%
24.56%
Cost of Materials Consumed
Purchases of Stock-in-Trade
Change in Inventories
Employee Benefit Expense
Power
Repairs
Contractual Expenditure
Finance Cost
Depreciation/Impairment
Stripping Activity adjustment
Other Expenses

गत 10 वर्षों हेतु प्रमुख वित्तीय आंकड़ें

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कोयले का उत्पादन	एमटी(मिलियन टन.)	110.44	121.38	137.90	139.21	143.01	144.15	140.36	148.01	168.17	193.26
2	कोयले का प्रेषण	एमटी(मिलियन टन.)	114.34	123.00	140.22	143.01	138.26	142.30	134.02	146.71	176.37	192.75
3	कोयले की बिक्री (सकल)	रू. करोड़	13,165.61	14989.05	19829.58	23450.72	22379.91	24607.68	22834.92	23619.94	30557.39	41918.77
4	पीबीटी	रू. करोड़	5,429.08	5,314.24	6260.43	6854.72	7339.66	9281.08	8645.47	9316.79	11462.42	18493.02
5	पीएटी	रू. करोड़	3,624.30	3,554.10	4184.74	4492.01	4761.29	6039.54	6427.39	6872.35	8480.50	13475.21
6	लाभांश	रू. करोड़	5,983.16	3,841.82	3608.45	2982.00	4350.00	3875.00	5225.00	5225.00	5800.00	8425.00
7	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	रू. करोड़	2,788.58	3,087.48	3252.55	3943.29	4534.24	6433.84	7248.57	8232.15	9944.72	11197.57
8	नेट वर्थ	रू. करोड़	5,563.42	4,477.57	4319.26	3385.38	2943.12	3873.17	3923.11	5533.04	8212.55	13308.02
9	दीर्घ अवधि ऋण	रू. करोड़	9.14	6.90	7.21	6.64	7.09	6.29	6.10	5.67	4.93	4.58
10	नियोजित पूंजी (पुनर्वर्णित)	रू. करोड़	16252.95	17553.76	19961.90	20544.53	21095.03	23346.84	24602.08	25309.74	28758.09	33669.63
11	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	22%	20%	21%	22%	23%	26%	26%	27%	29%	40%
12	मूल्य संवर्धन (पुनर्वर्णित)	रू. करोड़	7537.20	7609.89	8629.48	9638.58	10787.19	12836.41	12375.37	13176.55	15867.11	23948.26
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रू.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14	प्रति शेयर पर बही मूल्य	रू.	29,846.53	24,021.18	23171.89	23971.26	4167.94	5852.16	5927.61	8360.13	12,408.73	20107.72
15	प्रति शेयर लाभांश	रू.	32,098.34	20,610.52	19358.54	21,115.00	6160.31	5854.92	7894.70	7894.70	8,763.50	12729.73
16	प्रति शेयर अर्जन	रू.	19,443.58	19,066.97	22450.21	31800.60	32419.32	8622.45	9592.93	10327.22	12,812.10	20428.72
17	इक्विटी शेयर सं.	सदस्य	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1412266	7061330	6618363	6618363	6618363	6618363	6618363

एकत्तीसवीं सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 25 जूलाई, 2023 को शाम 4.15 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजूअल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित कार्यों के प्रबंधन के लिए आयोजित की जाएगी।

I. सामान्य कार्य:

1. विचार करने और स्वीकार करने हेतु:

a) 31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

b) 31 मार्च, 2023 को समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा उस पर सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 7400 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश को मंजूरी देने और 1500 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश अर्थात 2266.42 प्रति इक्विटी शेयर रुपये की घोषणा करने के लिए। अत: वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश रु. 8900 करोड़ हुआ। (अर्थात् रु.13447.43 प्रति इक्विटी शेयर)।

3. श्री जुगल किशोर बोरह, निदेशक (डीआईएन: 09632444) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होगे, और पात्र होने पर पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे।

4. श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (डीआईएन: 09712877) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होगे, पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे।

II. विशेष कार्य :

मद संख्या. 1

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स आसुतोष एंड एसोसिएट्स और मैसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को क्रमशः केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक और शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तद्नुसार निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित है:-

सामान्य संकल्प :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और यदि योग्य साबित हो, तो संशोधन के अथवा बिना संशोधन के पारित होने के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्न संकल्प किया जाता है :

"संकल्प किया जाता है कि मेसर्स आसुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी मुख्यालय और उसकी इकाइयों, ईब वैली कोलफील्ड्स क्षेत्र , बसुंधरा एवं केंद्रीय कर्मशाला (ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 4,40,000.00 तथा ऊपरी व्यय लागू जीएसटी ₹ 2,20,000.00 (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) के साथ लेखापरीक्षा शुल्क पर एतद द्वारा केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

"संकल्प किया जाता है कि मैसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए सीडबल्यूएस (तालचेर), तथा कनिहा सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 2,92, 000.00, तथा ऊपरी व्यय लागू जीएसटी 1,46,000.00 (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) के साथ लेखापरीक्षा शुल्क पर एतद द्वारा शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

दिनांक: 21.07.2023
पंजीकृत कार्यालय
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा -768020

टिप्पणी :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 ; सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022; सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं ताकि वे बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति ई-मेल cs.mcl@coalindia पर व्यक्त कर सके। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों द्वारा अधिकृत मेल आईडी से पहले ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के पश्चात 15 मिनट बाद इसे बंद नहीं किया जाएगा।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय में वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रासंगिक विवरण भी इसके साथ संलग्न है।
4. सूचना और उसके अनुलग्नक में उल्लिखित सभी दस्तावेज अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से पहले, सभी कार्य दिवसों पर कार्य घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखे जाने वाले रजिस्टर, निरंतरता के दौरान किसी भी व्यक्ति को जिन्हें बैठक में भाग लेने का अधिकार है, के लिए सुलभ रहेंगे।
6. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक के तहत आवश्यक, नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित निदेशकों के बारे में संक्षिप्त प्रोफ़ाइल और अन्य आवश्यक जानकारी इस नोटिस के साथ संलग्न है।

सदस्यगण

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर नं 04, प्लॉट नं एफ –III, एक्शन एरिया-1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156.

   (कृपया ध्यान दें: श्री बी. पी. दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परिसर नं 04, प्लॉट नं एफ –III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156)
2. श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड कोल भवन, परिसर नं 04, प्लॉट नं एफ –III, एक्शन एरिया-1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156.
3. श्री ओम प्रकाश सिंह, अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल जागृति विहार, बुरला, संबलपुर, ओड़िशा – 768020
4. श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड कोल भवन, परिसर नं 04, प्लॉट नं एफ –III, एक्शन एरिया-1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156. (कृपया ध्यान दें: श्री बी. पी. दुबे, कंपनी सचिव, सीआईएल)

लेखा परिक्षकगण

1. प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य का कार्यालय, ऑडिट बोर्ड-II, ओल्ड निजाम पेलेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता- 700020
2. मेसर्स लालदाश एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, संबलपुर (सांविधिक लेखा परीक्षक)
3. मेसर्स जे. के. दास एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, कंपनी सचिव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

निदेशकगण, एमसीएल

1. श्री संजीव कुमार कस्सी, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115.
2. डॉ आशा लाकरा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल, गाँव : चुहरु, पोस्ट- कोटम, जिला : गुमला, झारखंड, पिन – 834000

3. श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल जागृति विहार, बुरला, संबलपुर, ओड़िशा – 768020.
4. श्री जुगल किशोर बोरा , निदेशक (तकनीकी/संचालन),एमसीएल जागृति विहार, बुरला, संबलपुर, ओड़िशा – 768020
5. श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुरला, संबलपुर, ओड़िशा – 768020
6. श्री अक्षय श्रीकांत बापट, निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना), एमसीएल जागृति विहार, बुरला, संबलपुर, ओड़िशा – 768020
7. श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल
8. डॉ राजेश कुमार वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

मद संख्या. 1

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या G.S.R. 430 (ई)

दिनांक 3 जून, 2011 तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के लागत लेखा परीक्षक शाखा, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश F. No. 52/26 / CAB-2010 दिनांक 24 जनवरी, 2011 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 52/26 / CAB- 2010 दिनांक 24 जनवरी, 2012 को कोयला उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य बनाने हेतु ।

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने दिनांक 23. सितम्बर, 2022 को आयोजित अपनी 253 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2023-24 एवं 2024-25 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों / लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क की संरचना निम्नानुसार है:

1. "संकल्प किया जाता है कि मेसर्स आसुतोष एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी मुख्यालय और उसकी इकाइयों, ईब वैली कोलफील्ड्स क्षेत्र , बसुंधरा एवं केंद्रीय कर्मशाला (ईब वैली) के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 4,40,000.00 तथा ऊपरी व्यय लागू जीएसटी ₹ 2,20,000.00 (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) के साथ लेखापरीक्षा शुल्क पर एतद द्वारा केंद्रीय लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

2. "संकल्प किया जाता है कि मैसर्स रे नायक एंड एसोसिएट्स को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए सीडबल्यूएस (तालचेर), तथा कनिहा सहित तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्रों के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 2,92, 000.00, तथा ऊपरी व्यय लागू जीएसटी 1,46,000.00 (कुल शुल्क का अधिकतम 50%) के साथ लेखापरीक्षा शुल्क पर एतद द्वारा शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

कंपनी नियमावली (लेखा परीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 14 जिसे कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 148 (3) के साथ पढ़ा जाएँ, कंपनी अधिनियम के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा, संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने आपकी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

S. Parida

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 21.07.2023

रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले और एजीएम में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक सामान्य बैठक में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

निदेशक का नाम और पदनाम	**श्री जुगल किशोर बोरह, निदेशक (तकनीकी – संचालन)**	**श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त)**
डीआईएन	08651284	09712877
जन्मतिथि	01.10.1965	21.06.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	19.04.2022	01.08.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक और अंतिम बार निकाले गए पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार।
योग्यता एवं अनुभव	एनआईटी नागपुर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (माइनिंग) में स्नातक। भूमिगत और खुली खदानों की परियोजनाओं में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है।	स्नातकोत्तर (एम.कॉम) और आईसीएमए से पेशेवर सीएमए। एनएचपीसी और सीआईएल में लेखा और वित्त के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें शामिल हुए	11	05
अन्य कंपनियों में निदेशक पद की सूची	1. एमएनएच शक्ति लिमिटेड	1. एमजेएसजे कोल लिमिटेड
एमसीएल में अन्य समिति की अध्यक्ष/सदस्यता	1. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 2. लेखा परीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. एमसीएल के भू-विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति	5. सीएसआर और सतत विकास उप-समिति 6. जोखिम प्रबंधन समिति 7. एमसीएल के भू-विस्थापित मामलों के लिए उप-समिति

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य



साथियो,

मेरे साथी बोर्ड सदस्यों की ओर से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2022-23 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ ही साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट एवं समीक्षा, पहले ही आप तक परिचालित कर दी गई है। आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप एमसीएल, उत्पादन बढ़ाने, निरंतर विकास के साथ उत्पादकता और समाज के समावेशी विकास के साथ स्वच्छ कोयले की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोयला उत्पादन और उत्पादकता पर जोर दे रहा है। आपकी कंपनी राष्ट्र को पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने, बढ़ती जरूरतो और चुनौतियों को पूरा करने हेतु दिन-रात 24X7 कड़ी मेहनत कर रही है और महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपकी कंपनी राष्ट्र-निर्माण में अपने योगदान की नई परिभाषा गढ़ रही है।

आपकी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है और यह अब कोयला उत्पादन, ओबीआर और प्रेषण के सभी मानकों को पूरा करते हुए सीआईएल की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में उभरी है। आपकी कंपनी ने कोयला उत्पादन, ऑफटेक, ओबीआर, पॉवर ऑफटेक, कैपेक्स और सीएसआर व्यय के सभी क्षेत्रों में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। यह आपके सतत सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। आपके सतत विश्वास और सद्भावना ने हमें सदैव प्रेरित किया है तथा यह हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों का निर्माण करने और कोयला क्षेत्र के लिए नए मानक बनाने में हमारी सभी गतिविधियों में मार्गदर्शक शक्ति रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। सभी विषमताओं के बावजूद, एमसीएल अपने सर्वोत्तम कार्यों और उत्कृष्ट परिचालन क्षमता के कारण सीआईएल की सर्वश्रेष्ठ अनुषंगी कंपनी के रूप में उभरी है। एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अपने उच्चतम कोयला उत्पादन 168.17 मिलियन टन के मुकाबले 25 मिलियन टन अर्थात 15% की वृद्धि के साथ इस वर्ष 193.26 मिलियन टन का उत्पादन करके कोयला उत्पादन में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कोयला उत्पादन में वृद्धि 21 मिलियन टन से अधिक थी। एमसीएल ने लगातार दो वित्तीय वर्षों में 45 मिलियन टन से अधिक की आश्चर्यजनक वृद्धि हासिल की है। एमसीएल ने गत वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज करते हुए चालू वर्ष में 245.975 मिलियन क्यूबिक मीटर का अब तक का उच्चतम ओबीआर हासिल किया है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज करते हुए इस वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक 192.75 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया है। एमसीएल ने पर्यावरण अनुकूल माध्यमों जैसे रेल और एमजीआर के माध्यम से उच्चतम ऑफ-टेक (129.8 मिलियन टन, जो कुल का लगभग 67% है) दर्ज किया है।

हमें यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि एमसीएल ने सीआईएल में अब तक का सबसे अधिक कर पश्चात लाभ (पीएटी) 13,475.21 करोड़ रुपये अर्जित किया है।

1. कोयला – भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में कुल बिजली उत्पादन 1624.16 बिलियन यूनिट (बीयू) था, जिसमें से कोयले के माध्यम से बिजली उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में 1041.5 बिलियन यूनिट के मुकाबले इस वर्ष 1145.68 बिलियन यूनिट था, जिसके परिणामस्वरूप 10% की वृद्धि हुई।

भारतीय कोयला अगली सदी और उससे आगे के लिए भी घरेलू ऊर्जा बाजार के लिए एक अद्वितीय पर्यावरण अनुकूल ईंधन स्रोत प्रदान करता है। 27 प्रमुख कोयलांचलो में व्याप्त कठोर कोयले के भंडार मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों तक ही सीमित हैं। हमारे देश में कोयला, जीवाश्म संसाधनों का 97% है। राष्ट्रीय कोयला सूची के अनुसार 69 कोयलांचलों में 1200 मीटर की गहराई तक 361.411 बिलियन टन (बीटी) कठोर कोयला संसाधन है।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स तापीय श्रेणी के नॉन – कोकिंग कोयले का विशाल भंडार है। भारत में कोयला भंडार में ओड़िशा का झारखंड के बाद पहला स्थान है। 1 अप्रैल, 2022 के अनुसार ओड़िशा में कुल कोयले भंडार का 88.105 बिलियन टन का अनुमान लगाया गया है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.38% है। ओड़िशा के दो कोलफील्ड्स, तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तालचेर, भारत का सबसे बड़ा कोलफ़ील्ड्स (54.122 बिलियन टन) तथा ईब-वैली कोलफील्ड्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा (33.982 बिलियन टन) कोलफील्ड्स है। ओडिशा में कुल कोयला भंडार का लगभग 61.42% तालचेर कोलफील्डस में और शेष 38.58% ईब-वैली कोलफील्डस में है।

2. परिचालन उत्कृष्टता:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी सीआईएल के कुल 703.2 मिलियन टन के उत्पादन में से 193.26 मिलियन टन (14.9% की वृद्धि) का उत्पादन कर देश में नंबर 1 कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है, जो कि सीआईएल के उत्पादन का 27.48% था। कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का सर्वाधिक 192.72 मिलियन टन कोयला ऑफटेक दर्ज किया है। आपकी कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में 39.09 मिलियन क्यूबिक मीटर (19%) की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का उच्चतम ओबी रिमुवल का लक्ष्य 245.97 मिलियन क्यूबिक मीटर तथा गत वर्ष की तुलना में 1.17% (45.54 करोड़) करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का उच्चतम कैपेक्स रु. 3929.94 करोड़ हासिल किया है।

3. वित्तीय कार्य निष्पादन:

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक सकल बिक्री, शुद्ध बिक्री, पीबीटी और पीएटी हासिल किया है। वर्ष के लिए सकल विक्रय बिक्री 41,918.77 करोड़, शुद्ध बिक्री रु. 27,824.55 करोड़, पीबीटी रु. 18,493.02 करोड़ (61.34% की वृद्धि) और पीएटी रु.13,475.21 करोड़ (58.90%% की वृद्धि) था। वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश के रूप में रु. 7400/- करोड़ की घोषणा की गई थी और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में आपके अनुमोदन के लिए रु.1500 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई है। आपकी कंपनी सरकारी राजकोष के लिए भी सबसे अधिक योगदानकर्ता है। एमसीएल ने रॉयल्टी, उपकर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, एनएमईटी, डीएमएफ और अन्य लेवी के लिए 18,546.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

4. विकास हेतु कार्यनीतियाँ :

आपकी कंपनी आने वाले वर्ष में चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना करने जा रही है। भविष्य में अपनी उत्पादन गति और ऑफ-टेक में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने निम्नलिखित बहु-आयामी कार्यनीतियाँ तैयार की हैं:-

- पर्यावरण-अनुकूल सरफेस माइनर का उपयोग बढ़ा, जिसने कुल ओपनकास्ट उत्पादन में 98% का योगदान दिया।
- सर्वे-ऑफ उपकरणों के बदले प्रतिस्थापन और अतिरिक्त एचईएमएम की खरीद।
- आंतरिक चयन के साथ-साथ बाहरी भर्ती द्वारा एचईएमएम के लिए ऑपरेटरों की नियुक्ति।
- ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर की खरीद।
- उपभोक्ताओं के साथ नियमित बातचीत द्वारा उपभोक्ता के विश्वास को और बढ़ाना।
- सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता और आकार के कोयले का प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा सभी रेलवे साइडिंग की निरंतर निगरानी।
- कार्य के सुचारू संचालन के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन।
- ग्रेड सुधार के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण, विविधीकरण पहल, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, वाशरी।

5. हरित पहल:

आपकी कंपनी ने पूरे सीआईएल में 50% से कम की औसत उपलब्धि की तुलना में 98% के बराबर पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर द्वारा सर्वोच्च मात्रा में कोयले का उत्पादन किया है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने पर्यावरण हितैषी रेल मोड के माध्यम से 67% कोयले का प्रेषण किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर अलग कोल कॉरीडोर के निर्माण हेतु आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाएं हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु आपकी कंपनी ने आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 02 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यह 22 लाख इकाई प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन कर रहा है। एमसीएल ₹314 करोड़ की लागत से ओडिशा के बलांगीर जिले में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर रहा है। मानव उपयोग हेतु खदान जल के बेहतर उपयोग के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अप्रयुक्त खदानों/खान संपों में संग्रहित ओसीपी के अधिशेष जल का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, अग्निशमन और जलभृतों के पुनर्भरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अतिरिक्त भूमिगत खान के जल का उपयोग समुदाय के पीने, कृषि, वानिकी, तालाबों के पुनर्भरण आदि के लिए आपूर्ति हेतु किया जा रहा है।

एमसीएल ने वित्त वर्ष 22-23 में 180 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 238.63 हेक्टेयर का वृक्षारोपण और 12 हेक्टेयर घास का रोपण हासिल किया है।

02 इको पार्क अर्थात् चन्द्रशेखर आज़ाद ओरिएंट इको पार्क और लिलारी इको पार्क विकसित किए गए हैं और अनंता औषधीय उद्यान के रूप में 01 औषधीय इकोपार्क की योजना चरण में है।

6. सुरक्षा:

एमसीएल कार्यसूची में खानों और खनिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उच्च उत्पादन की दौड़ में सुरक्षा पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाता है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के लिए आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार रहती है, योजना बनाती है और स्वयं को सुसज्जित करती है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास और सुरक्षा संबंधी अनुपालनों की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती है। इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना को दूर करने के लिए आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मचारियों को तैनात किया है।

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता है। निदेशक की रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से में "सुरक्षा और बचाव" शीर्षक के तहत विस्तृत आँकड़े प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी उत्पादकता से समझौता किए बिना कंपनी के शून्य हानि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कामगारों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

7. निगमित प्रशासन:

एमसीएल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में निगमित प्रशासन पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है। बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा शुरू की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

8. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी:

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कॉर्पोरेट होने के नाते, आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखा है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के अधिनियमन में अंतर्निहित सिद्धांत है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 195.68 करोड़ रुपए के बजटीय आंकड़े के मुक़ाबले 207.97 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएसआर शीर्ष के तहत कंपनी का प्रमुख व्यय स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और पाइप जलापूर्ति आदि पर किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ सीएसआर की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

9. अपेक्षा:

हमें आशा है कि जिस तरह से कंपनी ने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण किया है; उससे निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में और अधिक सफलता मिलेगी और इस निरंतरता से आपकी कंपनी भविष्य में सम्पूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा सहित हमारे कई हितधारकों की अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी।

10. अभिस्वीकृति:

मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधि, स्थानीय गांव, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों तथा उनके संघों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और मीडिया के प्रति उनके सहयोग एवं सहकारिता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-

(ओ.पी.सिंह)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 07627471)



निदेशकों के प्रतिवेदन

सेवा में

शेयरधारको,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारको,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से कंपनी की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कोयला के उत्पादन, ओबी और प्रेषण के मामले में यह वर्ष भी सफल रहा।

1. संगठन

आपकी कंपनी के संगठनात्मक संरचना में 2 कोलफील्ड्स अर्थात तालचेर कोलफील्ड्स तथा ईब-वैली कोलफील्ड्स शामिल हैं, जिसमें 12 खनन क्षेत्र के साथ 3 संचालित भूमिगत खदानें एवं 16 खुली खदान है। यहाँ दो केंद्रीय कार्यशालाएं, दो केंद्रीय अस्पताल एवं कंपनी के दो कार्यालय है जो भुवनेश्वर के साथ, बुर्ला, संबलपुर मुख्यालय में स्थित है। दो कोयला क्षेत्रों के खनन क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

क	तालचेर कोलफील्ड्स	ख	ईब-वैली कोलफील्ड्स
(i)	जगन्नाथ क्षेत्र	(i)	लखनपुर क्षेत्र
(ii)	भरतपुर क्षेत्र	(ii)	ईब-वैली क्षेत्र
(iii)	हिंगुला क्षेत्र	(iii)	बसुंधरा क्षेत्र
(iv)	लिंगराज क्षेत्र	(iv)	महालक्ष्मी क्षेत्र
(v)	कनिहा क्षेत्र	(v)	ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)
(vi)	सुभद्रा क्षेत्र		
(vii)	तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)		

2. एमसीएल की सहायक कंपनियां :

एमसीएल की 04 सहायक/ सहयोगी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों का विवरण नीचे दिया गया है:

2.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

कोयला मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2005 के पत्र द्वारा उत्कल-ए और गोपालप्रसाद वेस्ट कोल ब्लॉक (15 एमटीवाई) को क्रमशः संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसएल स्टेनल्स लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड को 60:11:11:09:09 के अनुपात में आवंटित किया गया था।

आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार, कोयला ब्लॉक और खनन के विकास के उद्देश्य से, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एमजेएसजे कोल लिमिटेड को शामिल किया गया था। संयुक्त उद्यम के गठन को कोयला मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी में, निदेशकों को एमसीएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसएल स्टेनल्स लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड और कोयला मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था।

कंपनी ने समय-समय पर इक्विटी के लिए अपने शेयरधारकों से 60:11:11:09:09 के अनुपात में 95.10 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है, जो निम्नानुसार है:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	57.06 करोड़
जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड	-	10.461 करोड़
जेएसडबल्यू एनर्जि लिमिटेड	-	10.461 करोड़
जेएसएल स्टैनलेस लिमिटेड	-	8.559 करोड़
श्याम मेटालिक एण्ड एनर्जि लिमिटेड	-	8.559 करोड़

24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। 204 कोयला ब्लॉकों का हिस्सा होने के कारण उत्कल-ए-गोपाल प्रसाद कोयला ब्लॉक के आवंटन को भी रद्द कर दिया गया ।

नामित प्राधिकारी ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को उत्कल-ए-गोपाल प्रसाद कोयला ब्लॉक आवंटित करने के निर्णय की सूचना दी और पूर्व आबंटित को देय मुआवजे का मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप में करने के लिए कुछ जानकारी मांगी, पूर्व आवंटी द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई थी।

कम्पनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से नये आवंटी से उसके द्वारा भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति तथा अमूर्त सम्पत्तियों पर व्यय की गई राशि का मुआवजा प्राप्त करने की हकदार है। मुआवजा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।

बैंक गारंटी स्थिति :

कंपनी ने आवंटन पत्र के अनुसार कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 22.248 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा की है। सरकार से द्वारा प्राप्त एक पत्र। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त F.No-47011/7(6)/93-CPAM/CA दिनांक: 09 जुलाई, 2013 के माध्यम से 20% बैंक गारंटी (अर्थात रु. 22.248 करोड़) की कटौती के संबंध में, जिसके विरुद्ध कंपनी के निजी शेयरधारकों की दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील चल रही है और 4 न्यायिक मामले दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में चल रहे हैं जो लंबित है।

(1) डबल्यू.पी. (C) No. 8090 of 2015 (श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम सीआईएल और अन्य।);

(2) डबल्यू.पी. (C) No. 8002 of 2015 (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य);

(3) डबल्यू.पी. (C) No. 7871 of 2015 (जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनामयूओआई और अन्य);

(4) डबल्यू.पी. (C) No. 7992 of 2015 (जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य)

यह कटौती कंपनी द्वारा निर्दिष्ट/विस्तारित समय सीमा तक लक्षित उत्पादन को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के कारण की गई थी।

आईएमजी की 44वीं बैठक ने सिफारिश की कि बैंक गारंटी की कटौती नहीं की जानी चाहिए और उसे वापस किया जाना चाहिए। तदनुसार कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को 10 अगस्त, 2021 को एमजेएसजे कोल लिमिटेड को बीजी जारी करने और मंत्रालय, सीसीओ कार्यालय, कोलकाता को सूचित करने का निर्देश दिया था । तदनुसार कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता द्वारा बीजी जारी की गई थी।

2.2 एमएनएच शक्ति लिमिटेड

एमएनएच शक्ति लिमिटेड को 16 जुलाई, 2008 को तलाबीरा-II और III ओसीपी के लिए एमसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल किया गया। संयुक्त उद्यम कंपनी में, एमसीएल की इक्विटी हिस्सेदारी 70% है, जबकि शेष 30% इक्विटी मैसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड और मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास समान रूप से यानी प्रत्येक की 15% होगी ।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2014 को भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर एक निर्णय दिया है, साथ ही यह भी बताया कि सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से किया गया आवंटन मनमाना और अवैध हैं। निजी पार्टियों या सरकारी कंपनी, जिनका निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम है, को आवंटित कोयला ब्लॉक,को दिनांक 1993 से प्रभावी रूप में रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, तालाबीरा - II और III कोयला ब्लॉक भी दिनांक 24.09.2014 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।

नामित प्राधिकारी ने पत्र सं. 103/1/2016/एनए, दिनांक: 17 फरवरी, 2016 द्वारा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार तालाबीरा - II और III कोयला खदानों को एनएलसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित करने के निर्णय की सूचना दी तथा और निर्धारित प्रारूप में पूर्व आबंटिती को देय मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए कुछ जानकारी मांगी, सूचना 29 फरवरी, 2016 को ईमेल द्वारा पूर्व आवंटी यानी एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

नामित प्राधिकारी ने फरवरी, 2017 में तालाबीरा - II और III कोयला खदान के लिए मुआवजे की राशि को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की लागत और लागत सहमति राशि के 15,88,94,332/ रुपये तथा खान अवसंरचना की लागत रु. 2,66,56,000 / - में स्थानांतरित कर दिया है।

कंपनी, राज्य सरकार से गैर वन सरकारी भूमि के लिए रु. 26.58 करोड़ के भुगतान के लिए मुआवजा पाने की हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि प्राप्त नहीं हुई है। राशि का भुगतान पूर्व आवंटी को यथासमय कर दिया जाएगा।

15 नवंबर, 2017 को संबलपुर में आयोजित एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 42वीं बोर्ड बैठक में विशेष संकल्प और जेवी भागीदारों की सहमति के माध्यम से आम बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन प्रत्येक 10 रुपये (केवल दस रुपये) ("इक्विटी शेयर") (कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75% का प्रतिनिधित्व करते हुए) के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 50,0000,000 (रुपये पचास करोड़) इक्विटी शेयर को रद्द करते हुए, एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी को 85.10 करोड़ से घटाकर 35.10 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एनसीएलटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद, नवंबर, 2021 महीने में उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग अनुपात के साथ जेवी पार्टनर के बीच 50 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

कंपनी गैर वन सरकारी भूमि हेतु राज्य सरकार से 26.58 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए मुआवजा पाने की हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि प्राप्त नहीं हुई है। राशि का भुगतान पूर्व आवंटी को यथासमय कर दिया जाएगा।

2.3 महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

एक अन्य कंपनी "महानदी बेसिन पावर लिमिटेड" को 2 दिसंबर, 2011 को शामिल किया गया और इसे दिनांक 06-02-2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया। एमबीपीएल का गठन एसपीवी के 100% हिस्सेदारी के साथ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसके नामांकित बसुंधरा कोलफील्ड्स में पिट हेड पावर प्लांट के माध्यम से 2X800 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ किया गया है। दिनांक 31.03.2023 को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी केवल 5 लाख रुपये है।

2.4 महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

ओडिशा राज्य में रेल कॉरिडोर विकसित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार, 31 अगस्त, 2015 को 64:26:10 के इक्विटी भागीदारी अनुपात के साथ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम से एक अलग कंपनी बनाने का विचार किया गया। इस तरह का उद्यम केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता प्राप्त करके तालमेल बैठाता है। कोयला खदानों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे रेलवे से तकनीकी सहायता और एमसीएल से वाणिज्यिक समर्थन मिलता है। इसकी अवधारणा रेल बुनियादी ढाँचे में निवेश करके और रेल कॉरिडोर से बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने के लिए की गई है। एमसीआरएल परिसंपत्तियों की छुट, संचालन और रखरखाव के लिए रेल मंत्रालय के साथ अलग-अलग समझौते करेगा।

एमसीआरएल की परियोजना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 11.09.2015 को आयोजित अपनी पहली बोर्ड बैठक के दौरान एमसीआरएल द्वारा अंगुल-बलराम-पुटुगड़िया-जरापड़ा और टेंटुलोई (68 किमी) खंड के एक चरण को अपनी पहली परियोजना के रूप में पहचाना गया है। परियोजना में मुख्य रूप से 3 चरण हैं, (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुतगड़िया और (3) जरपाड़ा-पुतगड़िया-तेंतुलोई। कॉरिडोर के अंगुल-बलराम चरण के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत बलराम-पुटगड़िया और जरापाड़ा-पुटगड़िया-टेंटुलोई चरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है क्योंकि पूरी परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

अंगुल-बलराम-पुटगड़िया-जरापाड़ा की डीपीआर और तेंतुलोई तक एक चरण (लगभग 68 किमी) को रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 27.10.2017 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा डीपीआर की अंतिम स्वीकृति दिनांक 31.01.2018 को प्रदान की गई है। 60% के बढ़े हुए माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए रेलवे से मंजूरी मिल गई है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज परियोजना की कुल लागत 1,700 करोड़ रुपये है।

अंगुल-बलराम खंड का निर्माण

निदेशक मण्डल की 6 वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अंगुल-बलराम खंड के बीच का काम वित्तीय समापन के बाद किया जाएगा। परियोजना के इस हिस्से के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रूप में की जाएगी। तदनुसार, मैसर्स इरकॉन ने 16.11.2018 को 64.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 09 महीने की पूर्णता अवधि के साथ अंगुल-बलराम खंड के लिए मेसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, झारखंड को काम सौपा है।

एमसीआरएल ने उपरोक्त खंड के निर्माण के लिए 145 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था के लिए एमसीएल से अनुरोध किया और 100,00,00,000 रुपये (सौ करोड़ रुपये) की 10 रुपये प्रत्येक के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित कर अधिकृत और भुगतान की गई शेयर पूंजी को विभाजित करने पर भी सहमति व्यक्त की।

अंगुल-बलराम लिंक का उद्घाटन 29 दिसंबर को माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री की उपस्थिति में किया गया था। यह तालचेर सर्किट में रेकों के एकदिशीय प्रवाह की सुविधा प्रदान कर रहा है।

भूमि

आईडीसीओ ने रेलवे, सड़क और पानी की पाइपलाइन को समायोजित करने के लिए व्यापक कॉरिडोर के लिए मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड (बीआरएल) के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया था। ओडिशा सरकार ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / आईडीसीओ की भूमि आवश्यकता के लिए एलए अधिनियम, 1894 के तहत मई, 2015 को 6 (1) अधिसूचना प्रकाशित की है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21.03.2016 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केवल रेल लाइन और रखरखाव/पहुंच सड़क के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए भूमि की चौड़ाई को कम किया जाए । तदनुसार, नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है और संशोधित भूमि अनुसूची तैयार की गई है।

एमसीआरएल कॉरिडोर का पूरा संरेखण, मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर रणनीतिक रूप से रखा गया है। अब चूंकि पूरी परियोजना को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 4171 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के तहत रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है, भूमि अधिग्रहण रेलवे अधिनियम (आरएए-2008) के तहत किया जा रहा है।

सक्षम प्राधिकारी को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 0709 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के माध्यम से धारा 7(ए) के तहत नामित किया गया है। 20क की राजपत्र अधिसूचना ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के माध्यम से दिनांक 09.06.2022 को जारी की गई है। 20ई अधिसूचना प्रकाशन के लिए प्रक्रियाधीन है।

बाहरी कॉरीडोर के लिए सर्वेक्षण

दिनांक 11.09.2015 को एमसीआरएल की पहली बीओडी बैठक में, कंपनी द्वारा 'बाहरी कॉरिडोर' नाम से एक और कॉरिडोर अर्थात तिरिबिरा, चंद्रबिला, सखीगोपाल के माध्यम से तेंतुलोई- बुधापंक तक लगभग 98 किलोमीटर को चिन्हित किया गया है। इस कॉरिडोर का प्रारंभिक कार्य अंगुल-बलराम-पुटगड़िया-तेंतुलोई-जारापाड़ा रेल कॉरिडोर के शुरू होने और परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद शुरू होने की आशा है।

दिनांक 30.09.21 को मुख्य सचिव/ओडिशा सरकार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ने आउटर कॉरिडोर के निर्माण का काम एमसीआरएल से राज्य नेतृत्व वाले जेवी ओआरआईडीएल को सौंपने का निर्णय लिया।

वित्तीय समापन

वित्तीय अध्ययन के अनुसार, अंगुल-बलराम-पुटगड़िया-तेंतुलोई जरापाड़ा रेल कॉरिडोर के विकास के लिए कुल खर्च लगभग 1,700 करोड़ रुपये होगा। प्रमोटर से इक्विटी के रूप में 30% लेने के बाद वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1,190 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। एमसीआरएल के इनर कॉरिडोर के वित्तीय समापन के लिए यानी 1,190 करोड़ रुपये के सावधि ऋण की व्यवस्था हेतु दिनांक 26.11.2019 को निविदा जारी की गई है। वित्तीय समापन की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

प्रमुख विशेषताएं / उपलब्धियां 2022-23:

- गत वर्ष की तुलना में 25 मिलियन टन (15 %) की वृद्धि दर्ज करते हुए = अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन 193.26 मिलियन टन का ।
- गत वर्ष की तुलना में 39 एमटी (19%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 245.975 मिलियन क्यूबिक मीटर का अब तक का सर्वाधिक ओबी रिमूवल।
- गत वर्ष की तुलना 16 मिलियन टन (9%) की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का सर्वाधिक कोयला उठाव 192.75 मिलियन टन ।
- सरफेस माइनर्स (97.60%) के माध्यम से लगभग 188 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल कोयला उत्पादन।
- एक दिन में अब तक का सर्वाधिक यानि दिनांक 23.11.2022 को ओबी रिमूवल 10.99 लाख क्यूबिक मीटर।
- एक दिन में अब तक का सर्वाधिक कोयले का प्रेषण यानि दिनांक 31.01.2023 को 6.07 लाख टन।
- एक ही दिन में सड़क मार्ग से अब तक का सर्वाधिक यानि दिनांक 27.03.2023 को 2.38 लाख टन कोयले का प्रेषण।
- विद्युत क्षेत्र में कोयले का प्रेषण वित्त वर्ष 2021-22 में 127.12 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 148.8 मिलियन टन हो गया है, जिसमें 17% की सकारात्मक वृद्धि हुई है।
- इस वित्त वर्ष के दौरान एक ही दिन में यानि दिनांक 22.03.2023 को 7.24 लाख टन का सबसे अधिक कोयले का उत्पादन ।
- इस वित्त वर्ष के दौरान एक दिन में यानि दिनांक 15.05.2022 को 103 रेक का सर्वाधिक रेक लोडिंग।
- रेल और एमजीआर के माध्यम से 129.8 मिलियन टन (67%) का उच्चतम पर्यावरण अनुकूल प्रेषण ।
- 3929.84 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले करोड़ 3808 रुपये का कैपेक्स।
- सुभद्रा एमडीओ (25 एमटीवाई) को मार्च '22 में कार्य दिया गया है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। 2025-26 से उत्पादन के शुरू होने की उम्मीद है।
- रु.195.86 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सीएसआर व्यय रु. 207.97 करोड़।
- सीएसआर पहल के तहत 66 सरकारी स्कूलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए ओडिशा सरकार के मो स्कूल अभियान परिचालन संगठन और एमसीएल के बीच दिसंबर 22 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एमसीएल की सीएसआर पहल के रूप में संबलपुर जिले के ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपीडब्ल्यू) और तीव्र कुपोषण (एसएएम) के शिकार बच्चों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप के विकास हेतु एमसीएल और जिला प्रशासन, संबलपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीन साल की प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना का उद्देश्य एचआरपीडब्ल्यू की वास्तविक समय पर नज़र रखने के साथ जिले की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करना है।
- एमसीएल ने स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करने और संबलपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र के सौंदर्य दृश्य में सुधार के लिए कंपनी की सीएसआर पहल के तहत 3.57 करोड़ रुपये पर जिला प्रशासन, संबलपुर के साथ 03 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 47 आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य संस्थानों और सौर जल आपूर्ति तथा प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए एमसीएल और जिला प्रशासन, कंधमाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एमसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में झारसुगुडा जिला प्रशासन के साथ 100 बेडेड "एमसीएल कार्डियक सेंटर" के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी अनुमानित लागत रु. 103 करोड़ है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 180 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 250.68 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है (पट्टे के भीतर: 73.89 हेक्टेयर, पट्टे के बाहर: 164.74 हेक्टेयर, कुल पौधे लगाए गए: 4.11 लाख)।

- स्थापना के बाद से किया गया वृक्षारोपण: मियावाकी के (सीआईएल में पहली बार बसुंधरा क्षेत्र में किया गया) 5 हेक्टेयर सहित 3213.86 हेक्टेयर में 69.81 लाख।
- अंगुल-बलराम लिंक का उद्घाटन 29 दिसंबर को माननीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री की उपस्थिति में किया गया था। यह तालचेर सर्किट में रेकों को एकदिशीय प्रवाह की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- सीआईएल में पहली बार, एमसीएल ने सरफेस माइनर्स (322 करोड़ रुपये) को किराए पर लेने के लिए जीईएम के माध्यम से निविदा जारी की है।
- जीईएम खरीद [वस्तु : 315.04 करोड़ रुपये; सेवाएं: 128.98 करोड़; कुल: रु.444.02 करोड़]: समग्र रैंकिंग प्रणाली में एमसीएल को शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है। साथ ही 'समय पर भुगतान' की श्रेणी में इसने दूसरा स्थान हासिल किया।
- अप्रैल 22 से मार्च 23 के दौरान रोजगार (372)/एकमुश्त नकद मुआवजा (123): कुल 495 (परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ), पुनर्वास लाभ (प्लॉट के बदले नकद मुआवजा) स्वीकृत : 726 परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ), मुआवजा अवॉर्ड स्वीकृत : रु. 34 करोड़ : अधिकृत भूमि की मात्रा : 110 हेक्टेयर।
- बकेट क्रशर (मॉडल: एचडी 3200, वॉल्यूम क्षमता : 6.5 क्यूबिक मीटर, क्रशिंग क्षमता : 200 टन/घंटा, लागत : बलराम ओसीपी के लिए कोल फेस/पारंपरिक कोल स्टॉक में -100 मिमी आकार के कोयले की क्रशिंग के लिए 2 करोड़ (लगभग) खरीदा गया है ताकि सीधे प्रेषण योग्य कोयले को रेलवे साइडिंग में भेजा जा सके।

3. उत्पादन कार्य निष्पादन

पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन	2022-23		2021-22		लक्ष्य के तुलना में % प्राप्ति	पिछले वर्ष की तुलना में %वृद्धि
i) कोयला (मिलियन टन)	एमओयू/एएपी लक्ष्य	वास्तविक	एमओयू/एएपी लक्ष्य	वास्तविक		
खुली खदानें	175.560	192.821	162.500	167.667	109.8	15.0
भूमिगत खदानें	0.440	0.441	0.500	0.500	100.3	-11.8
कुल (खुली+भूमिगत)	**176.000**	**193.262**	**163.000**	**168.168**	**109.8**	**14.9**
ii) ओबीआर (मिलियन क्यूबिक)	**208.000**	**245.975**	**200.000**	**206.173**	**118.3**	**19.3**

सर्फ़ेस माईनर द्वारा कोयला उत्पादन (विभागीय +संविदात्मक) **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्तीय वर्ष	विभागीय एवं संविदात्मक एसएमएस की उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		कुल उत्पादन की तुलना में सर्फ़ेस माईनर द्वारा उत्पादन % शेयर
		निवल	प्रतिशत	
2018-19	133.804	2.912	2.2	92.8
2019-20	129.096	-4.707	-3.5	92.0
2020-21	139.138	10.041	7.8	94.0
2021-22	161.355	22.217	16.0	95.9
2022-23	**188.623**	**27.268**	**16.9**	**97.6**

कोयला उत्पादन **(आंकड़े मिलियन टन में)**

वित्तीय वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		प्राप्ति %.
			निवल	प्रतिशत	
2018-19	151.500	144.151	1.09	0.8	95.1
2019-20	160.000	140.358	-3.79	-2.6	87.7
2020-21	160.000	148.013	7.66	5.5	92.5
2021-22	**163.000**	**168.168**	**20.15**	**13.6**	**103.2**
2022-23	**176.000**	**193.262**	**25.09**	**14.9**	**109.8**

ओबी हटाना (आंकड़े मिलियन क्यूबिक मीटर)

वित्तीय वर्ष	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		प्राप्ति %.
			निवल	प्रतिशत	
2018-19	157.000	130.002	-8.18	-5.9	82.8
2019-20	160.000	124.514	-5.49	-4.2	77.8
2020-21	203.000	173.150	48.64	39.1	85.3
2021-22	200.000	206.173	33.02	19.1	103.1
2022-23	208.000	245.975	39.80	19.3	118.3

4. उत्पादकता

4.1 आपकी कंपनी द्वारा आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) के अनुसार प्राप्त उत्पादकता नीचे दी गई है :

(टन प्रति मैनशिफ्ट में आंकड़ें)

	2022-23		2021-22	लक्ष्य की तुलना में % उपलब्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि
	एएपी लक्ष्य (बजटीय)	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	36.37	40.84	39.41	112.29	3.63
भूमिगत	0.57	0.6	0.57	105.26	5.26
समग्र	31.4	35.41	32.76	112.77	8.09

4.2 वर्ष 2022-23 के दौरान ओएमएस 35.41 टन /मैनशिफ्ट

क्र.		2022-23	2021-22	पिछले वर्ष से % वृद्धि
1	ओसी पीएमएस	40.84	39.41	3.63
2	भूमिगत पीएमएस	0.6	0.57	5.26
3	ओसी का एम/एस समायोजित (लाख)	47.214	42.54	10.99
4	भूमिगत का मैनशिफ्ट (लाख)	7.365	8.79	-16.21
A	**समग्र ओएमएस के लिए कुल मैनशिफ्ट**	**54.579**	**51.33**	**6.33**
6	खुली खदान कोयला (लाख टन)	1928.203	1676.672	15.00
7	भूमिगत कोयला (लाख टन)	4.412	5.005	-11.85
B	**कुल कोयला (लाख टन)**	**1932.615**	**1681.677**	**14.92**
8	**समग्र ओएमएस (बी/ए)**	**35.41**	**32.76**	**8.09**
9	फॉर्मूला ओएमएस			
	भूमिगत =	कोयला उत्पादन / वास्तविक मैनशिफ्ट		
	खुली खदान =	कोयला उत्पादन + (1.4 x OB Production)		
		वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4xSt. अनुपात)		
	समग्र =	भूमिगत खदान का कोयला उत्पादन + खिली खदान का कोयला उत्पादन		
		भूमिगत खदान का मैनशिफ्ट + ओसी का समायोजित मैन शिफ्ट		
10	समायोजित मैनशिफ्ट(ओसी के लिए ज्खदन वार) =	कोयला उत्पादन /ओएमएस		
	समग्र ओएमएस की गणना =	1928.203+4.412	1676.672+5.005	
		47.214+7.365	42.54+8.79	
		1932.615	1681.677	
		54.579	51.33	
		35.41	**32.76**	

5. एचईएमएम की संख्या तथा कार्यनिष्पादन

5.1 सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दर्शाते हुए फ्लीट की संख्या के साथ एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग का विवरण तथा उपलब्धि नीचे दी जा रही है:

A. एचईएमएम की संख्या और कार्यनिष्पादनः

I. प्रमुख एचईएमएम की संख्या और उपलब्धता तथा उपयोग (आंकड़े पूर्णांक में):

क्र.	उपकरण	दिनांक को संख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.23	31.03.22	अप्रैल, 22 से मार्च,23	अप्रैल'21 से मार्च '22	सीएमपीडीआईएल मानदंड	अप्रैल, 22 से मार्च,23	अप्रैल'21 से मार्च'22	सीएमपीडीआईएल मानदंड
1	ड्रैगलाइन	00	00	00	81	85	00	0	73
2	शौवेल	76	79	79	81	80	20	27	58
3	सरफेस/ माइनर	17	21	79	81	--	43	44	--
4	डंपर	327	310	83	77	67	15	22	50
5	डोजर	140	140	74	77	70	20	20	45
6	ड्रिल	65	63	89	84	78	9	16	40
कुल	**625**	**613**							

नोट: 31 मार्च 2023 तक एमसीएल के रोल में कोई ड्रैगलाइन नहीं है।

II. प्रमुख एचईएमएम का कार्य समय:

क्र.	उपकरण	कार्य समय	
		2022-23	2021-22
1	ड्रैगलाइन	0	14
2	शौवेल	133917	144555
3	सरफेस/माइनर	68162	74670
4	डंपर	369828	383423
5	डोजर	184953	187432
6	ड्रिल	30765	47408

III. क. वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त डम्पर और ड्रिल की उपलब्धता सीएमपीडीआई के मानदंडों से अधिक है तथा पिछले वर्ष की तुलना में भी अधिक है। डोजर की उपलब्धता पिछले वर्ष से अधिक है। सरफेस माइनर्स पुराने होने के कारण उनकी उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है।

ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एचईएमएम के उपयोग का प्रतिशत कम है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार चरम गर्मी के मौसम में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक कार्य अवधि में प्रतिबंधित है जो एचईएमएम के उपयोग को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव लगभग 2% है।

- **उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण:**

1. प्रमुख एचईएमएम के संचालकों की कमी:

   ऑपरेटरों की कमी ने सरफेस माइनर, शॉवेल और डम्पर जैसे प्रमुख उत्पादन उपकरणों के उपयोग को प्रभावित किया है।

2. भूमि की कमी:
   - बेलपहाड़ ओसीपी, समलेश्वरी ओसीपी और भरतपुर ओसीपी में अवरोध रहित कार्यक्षत्र की कमी और बालाराम, हिंगुला और अनंत ओसीपी में आस-पास के निकटतम गांवों होने की वजह से प्रतिबंधित ब्लास्टिंग से एचईएमएम का उपयोग प्रभावित हुआ है।
   - बेलपहाड़ ओसीपी में भीड़भाड़ और संकीर्ण कार्य क्षेत्र से एचईएमएम का संचालन प्रभावित हुआ है ।

     बलराम ओसीपी में, विभागीय पैच संकरा और भीड़भाड़ वाला है। इसने आगे की प्रगति को रोकते हुए, ईसी सीमा रेखा तक पहुंचा है।
   - अनंत ओसीपी में, उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि हिलोई गांव स्थानांतरण की प्रक्रिया में है।
3. वर्ष 2022-23 के दौरान विस्तारित वर्षा ऋतु और गैर-मौसमी वर्षा।
4. मैसर्स एचईसी के खराब प्रदर्शन ने 10.0 सीयूएम शॉवेल्स की आपूर्ति ।

IV. उपयोग में सुधार के लिए की गई कार्रवाई:

1. ऑपरेटरों के लिए विभागीय उम्मीदवारों की आंतरिक भर्ती की गई है। ऑपरेटरों के चयन/भर्ती के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
2. प्रत्येक परियोजना की निगरानी दैनिक आधार पर की जा रही है।

3. उन सभी उपकरणों जिन्होंने उनके रेटेड जीवन को कवर किया है को सर्वे ऑफ किया गया है।
4. पीआर प्रावधान के अनुसार प्रतिस्थापन और अतिरिक्त एचईएमएम की खरीद।
5. परियोजनाओं को सहायक उपकरण के रूप में पर्याप्त संख्या में सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में कुछ उपकरण खरीद के अंतिम चरण में हैं।
6. ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए दो सिमुलेटर (एक बीटीआई, लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा एमईईटीआई, सीडब्ल्यूएस, तालचेर में) खरीदे गए हैं और उनकी शुरुआत की गई हैं।
7. भूमि अधिग्रहण के लिए गांवों का स्थानांतरण एमसीएल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।
8. एमसीएल को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस), आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001:2018 प्रमाणित किया गया है।

V. एचईएमएमके खराब हो जाने की स्थितिः

उपकरण	संख्या		3 माह से अधिक ब्रेकडाउन	
	As on 31.03.23	As on 31.03.22	As on 31.03.23	As on 31.03.22
ड्रैगलाइन	00	00	00	00
शोवेल	76	79	00	04
सरफेसमाइनर	17	21	00	00
डंपर	327	310	20	19
डोजर	140	140	09	15
ड्रिल	65	63	07	08
एमसीएलकुल	**625**	**613**	**36**	**46**

- **03 महीने से अधिक ब्रेकडाउन में हुई कमीः21.74%**

B. क्षमता उपयोगिता(खुलीखदान परियोजनाएं)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22	गत वर्ष से वृद्धि
1	विभागीयक्षमता(मि. क्यूबमी) (1 अप्रैल के आधार पर)	105.65	89.97	17.42%
2	प्रणालीक्षमता(मि. क्यूबमी) (1 अप्रैल के आधार पर)	522.56	354.08	47.58%
3	विभागीय उत्पादन (संयुक्त मि. क्यूबमी)	43.053	42.908	0.34%
4	कुल उत्पादन (संयुक्त मि. क्यूबमी)	361.714	307.524	17.62%
5	विभागीय क्षमता उपयोगिता (रीहैंडलिंग सहित)	40.75%	47.69%	-6.94%
6	प्रणाली क्षमता उपयोगिता	69.22%	86.85%	-17.63%

7. ऊर्जा

i) तालचेर कोलफील्ड्स : 36.0 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ टाटा पावर सेंट्रल ओड़िशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीसीओडीएल) के कमांड क्षेत्र पूर्व में सीईएसयू, ओपीटीसीएल अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लंबे 132 केवी डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नंदिरा कोलियरी 100 एमवीए (2x40 एमवीए + 1X20 एमवीए) 132/33 केवी, ग्रिड सब –स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

ii) ईब-वैली कोलफील्ड्स : 22.25 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ टाटा पावर वेस्टर्न ओड़िशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल) पूर्व में वेस्को के कमांड क्षेत्र के ओपीटीसीएल बुधिपाड़ा सब-स्टेशन से 19 कि.मी. लंबे 132 केवी डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोराबगा, 40 एमवीए (2x20 एमवीए) 132/133 केवी, ग्रिड सब–स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स : 6 एमवीए की अनुबंध की मांग के साथ 220 केवी पर टाटा पावर वेस्टर्न ओड़िशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडब्ल्यूओडीएल) पूर्व में वेस्को के कमांड क्षेत्र के ओपीटीसीएल बुधिपाड़ा सब-स्टेशन से 10 कि.मी. लंबा 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 40 एमवीए (2x20 एमवीए), 220/33 केवी, सब-स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

iv) ऊर्जा की उपलब्धता और उपयोग

पैरामीटर	2022-23	2021-22
अनुबंध मांग (एमवीए)	67.891	67.775
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्तीय वर्ष के दौरान महीने में उच्चतम)	64.858	64.616
ऊर्जा की खपत (मिलि। किलोवाट)	342.66	340.05
कुल राशि (रु. करोड़)	227.23	224.12
यूनिट मूल्य (रु. किलोवाट)	6.63	6.59
विशिष्ट ऊर्जा (किलोवाट/टन)	1.77	2.02
बिजली की विशिष्ट खपत समग्र उत्पादन के लिए (कोयला+ओबी रिमुवल) किलोवाट/क्यूबिक मीटर	0.95	1.10
छूट की तारीख से पहले यानी हर महीने के 4थे या 5वें दिन के पहले बिजली के भुगतान पर लाख रु की छूट।	215.60	211.08

1. एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और कार्य-निष्पादन क्षमता:-

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और उनकी उपलब्धता नीचे दी गई है:

क्र	उपकरण का नाम	कार्यरत उपकरणों की संख्या		2022-23		2021-22	
		2022-23	2021-22	% उपलब्धता	% उपयोगिता	% उपलब्धता	% उपयोगिता
1	एसडीएल*	6	8	71.93	21.78	84.40	18.84
2	एलएचडी*	15	18	73.14	27.90	71.47	26.58

यूजी उत्पादन	2022-23	2021-22
वास्तविक (एमटी)	0.44	0.50
लक्ष्य (एमटी)	0.44	0.50

एसडीएल और एलएचडी के लिए सूत्र सीआईएल मानदंड के अनुसार है

$$* \% \text{ उपलब्धता } = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$$

जहां,
Hw = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
Hi = निष्क्रिय घंटे / वर्ष
Hs = शिफ्ट घंटे / वर्ष

$$* \% \text{ उपयोगिता } = \frac{H_w}{H_s} \times 100$$

जहां,
Hw = वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,
Hs = शिफ्ट घंटे / वर्ष

2. कोल हैंडलिंग संयन्त्रों, वेब्रिजों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र आदि

2021-22 के दौरान सीएचपी और फीडर ब्रेकरों से 6.24 मिलियन टन कोयले की तुलना में 2022-23 के दौरान 6.17 मिलियन टन कोयले को क्रश किया गया।

वर्ष	2022-23		2021-22	
	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किया गया कोयला (एमटी)	क्रशिंग क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किया गया कोयला (एमटी)
क्षमता बनाम क्रश्ड कोयला	10.50	6.17	10.50	6.24
% संयंत्र की क्रशिंग क्षमता का उपयोग	58.76		59.43	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर की शुरुआत के बाद क्रशर / सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया और इस प्रकार इसे अतिरिक्त के रूप में उपयोग किया जाता है और जहाँ भी न्यून गुणवत्ता का कोयला उत्पादन पारंपरिक रूप से किया जाता है, केवल उस मात्रा को क्रश किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान कुल उत्पादन का 97% सरफेस माइनर द्वारा किया गया। पे लोडर से लोडिंग न करने के लिए सड़क द्वारा बिक्री वाले ट्रकों में ट्रक लोडिंग सिस्टम की शुरुआत तथा सीएचपी के नवीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है और स्टॉकपाइल पर मोबाइल क्रशर परिनियोजित की जा रही है।

3.1 सीएचपी के कार्यात्मक बिंदु इस प्रकार हैं :-

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	3.0
	अनंता ओसीपी	1.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
	न्यू साइलो	15.0
लिंगराज	न्यू सीएचपी (साइलो I & II)	16.0
ईब-वैली	लजकुरा ओसीपी	1.0
कुल		**39.5**

3.2 कोयला प्रेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीएल की सभी प्रमुख खुली खदानों में सीएचपी/ साइलो का निर्माण कार्य निष्पादन/निविदा/ योजना को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल में पूर्ण/जारी सीएचपी/साइलो परियोजनाएँ

क्र.सं.	सीएचपी /साइलो विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई	एमसीएल द्वारा दिनांक 09.10.2018 को संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया गया है। कार्य निष्पादन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और संयंत्र दिसंबर 2018 से परिचालन में है।
2	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और साइलो लोडिंग व्यवस्था	16 एमटीवाई	प्लांट का ट्रायल रन 25.04.2020 को पूरा हो चुका है। संयंत्र शुरू हो चुका है है और परिचालन में है।
3	भुवनेश्वरी ओसीपी से साइलो तक स्पर साईडिंग –III के पास जगन्नाथ वाशरी के पास कच्चे कोयले का परिवहन	10 एमटीवाई	संयंत्र का निर्माण पूरा हो गया है और यह परीक्षण के अधीन है। इस परियोजना के मई, 2023 तक चालू होने की उम्मीद है।
4	हिंगुला ओसीपी से पाइप कन्वेयर द्वारा बलराम साइडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साइलो व्यवस्था के लिए कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई	संयंत्र के 31.03.2023 तक चालू होने की उम्मीद है।
5	ईब वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट और रैपिड लोडिंग सिस्टम।	10 एमटीवाई	कार्य की प्रगति 88% है। ईब-वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति दिनांक 30.04.2023 तक चालू की जानी है। साइलो का निर्माण दिनांक 31.10.2023 तक कर दिया जाएगा

3.3 वेब्रिजों का विवरण

क्र.सं.	वेब्रिज का प्रकार	2022-23	2021-22
1	इलेक्ट्रोनिक रोड वेब्रीज (स्टेटिक)	108	116
2	इलेक्ट्रोनिक रोड वेब्रीज (इन-मोशन)	40	40
3	रेल वेब्रीज(इलेक्ट्रोनिक)	38	36

दोनों सिरों (स्टॉक यार्ड और साईडिंग) पर 100% वजन सुनिश्चित करने के लिए 100 टन के 34 इनमोशन रोड बे-ब्रिज दो आपूर्ति आदेश दिये गए हैं। जिसमें से 11 की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। साइलों के 08 प्री-वेट प्रणाली को एफओआईएस के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा एफओआईएस के साथ 37 इनमोशन बे-ब्रिजों को एकीकृत किया गया है।

3.4 आंकड़ा स्थानांतरण

एमजीआर रेल (कनिहा-एनटीपीसी, आरएलएस भरतपुर-नालको, लखनपुर चेरला साइडिंग से ओपीजीसीएल) के रेक वेमेंट का रियल टाइम आंकड़ा अंतरण एसएपी सर्वर पर शुरू कर दिया गया है।

8. पूंजीगत संरचना

31.03.2023 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹980.00 करोड़ है, जिसे ₹1000/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के 77,58,200 शेयरों में तथा ₹1,000/- प्रत्येक के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर के 20,41,800 शेयरों में विभाजित किया गया है।

शेयर पूंजी

31.03.2023 के अनुसार को कंपनी की जारी/प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 661.84 करोड़ है, जिसे ₹ 1,000/- प्रत्येक के 66,18,363 शेयरों में विभाजित किया गया है। ।

11. वित्तीय समीक्षा

कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹30,557.39 करोड़ की तुलना में ₹41,918.77 करोड़ का सकल विक्रय मूल्य दर्ज किया है। पिछले वर्ष के 11,462.42 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 18,493.02 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष के 8,480.50 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में 2022-23 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) रु. 13,475.21 करोड़ रुपये है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

[₹ करोड़ में]

	2022-23	**2021-22**
सकल लाभ (मूल्यह्रास और ब्याज से पहले)	19,435.07	12,247.41
कम: मूल्यह्रास/परिशोधन/ह्रानि	860.93	723.86
वित्तीय लागत	81.12	61.13
टैक्स से पहले शुद्ध लाभ	**18.493.02**	**11,462.42**
कम: आयकर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान	5.017.81	2,981.92
कर पश्चात शुद्ध लाभ	**13,475.21**	**8,480.50**
ओपी प्रतिधारित आय में उपलब्ध शेष राशि	4,568.59	2,312.12
कम: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	673.76	424.03
कम: इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश	7,400.00	5,000.00
घटाएँ: पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	1025.00	800.00
उपरोक्त विनियोजन के बाद लाभ/हानि	**8,945.04**	**4,568.59**
टैक्स से पहले अन्य व्यापक आय (ओसीआई)।	60.48	(1.32)
कम: ओसीआई पर आयकर का प्रावधान	15.22	(0.33)
कर पश्चात अन्य व्यापक आय (ओसीआई)।	**45.26**	**(0.99)**
कर पश्चात कुल व्यापक आय	13,520.47	8,479.51

9.1 रिजर्व में स्थानांतरण

वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का 5% होने के कारण ₹ 673.76 करोड़ की राशि को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

9.2 लाभांश

निदेशकों ने अंतरिम लाभांश के रूप में ₹ 7,400.00 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा की है और बोर्ड द्वारा ₹ 1,500.00 करोड़ के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की गई है, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में ₹ 661.84 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन घोषित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 8,900 करोड़ अर्थात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 1,344.74% (पिछले वर्ष 910.34%) अनुमोदन के लिए परिकलित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुशंसित पिछले वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1,025 करोड़ का अंतिम लाभांश एजीएम में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया गया है और शेयरधारकों को भुगतान किया गया है।

9.3 प्रदत्त ऋण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को कोई ऋण नहीं दिया गया है और 31.03.2023 को कोई ऋण बकाया नहीं है।

10. निवेश:

10.1 एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, एमसीएल की सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयरों में गैर-वर्तमान निवेश क्रमश: ₹24.57 करोड़, ₹57.06 करोड़, ₹0.05 करोड़ और ₹64.00 करोड़ हैं।

10.2 31.03.2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 7.22% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बांड में गैर-वर्तमान निवेश क्रमशः ₹ 499.95 करोड़ और ₹ 150.00 करोड़ के सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर मुक्त बांड को पूरी तरह से भुनाया गया है।

10.3 31.03.2023 के अनुसार म्यूचुअल फंड में ₹1,069.88 करोड़ (पिछले साल ₹2,826.78 करोड़) का निवेश किया गया था।

11. पूंजीगत व्यय:

वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के ₹3,793.80 करोड़ के व्यय की तुलना में ₹3,783.44 करोड़ था।

12. उधार:

31.03.2023 के अनुसार मैसर्स लीभेर फ्रांस एसए, फ्रांस को आस्थगित क्रेडिट पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल्स की आपूर्ति के लिए ₹4.58 करोड़ की राशि देय है।

13. विक्रय वसूली:

2022-23 के दौरान एमसीएल के अन्य परिचालन राजस्व सहित सकल बिक्री 2021-22 में 33,136.11 करोड़ रुपये की तुलना में रु. 45,463.97 करोड़ थी। 2022-23 के दौरान कुल वसूली ₹44,720.02 करोड़ थी, जो कुल शुरुआती देनदारों और चालू वर्ष की सकल बिक्री का 96.34% है।

14. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्र और राज्य के राजकोष में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है। पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर तथा आयकर के कारण कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार है:

[₹ करोड़ में]

	2022-23	**2021-22**
रॉयल्टी	3,607.86	2,390.46
एनएमईटी	71.68	47.62
डीएमएफ	1,086.25	716.54
माल और सेवा कर	855.28	582.44
जीएसटी मुआवजा उपकर	7,675.51	6,924.34
आय कर	5,250.00	2,800.00
कुल	**18,546.58**	**13,461.39**

15. विज्ञापन और प्रचार पर व्यय:

वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय पिछले वर्ष के ₹ 4.85 करोड़ के व्यय की तुलना में ₹ 7.95 करोड़ है।

16. ऋणग्रस्तता:

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

विवरण	**जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण**	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	4.93	-	4.93
ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	4.93	-	4.93
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़ना	-	0.00	-	0.00
* कमी	-	0.35	-	0.35
शुद्ध परिवर्तन	-	(0.35)	-	(0.35)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	4.58	-	4.58
ii) अप्रदत्त देय ब्याज	-	-	-	-
iii) अदेय उपार्जित ब्याज	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	**4.58**	-	**4.58**

अतिरिक्त सामग्री की जानकारी -

1. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹1.76 करोड़ की राशि की पुरानी देनदारियों को दर्ज किया है और ₹0.69 करोड़ की राशि के पुराने अग्रिमों और प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाला है ।

2. 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए, गैर-कार्यकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (NCWA-XI) को अंतिम रूप देने के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) ₹19,100/- प्रति माह की दर से ₹ 804.60 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है।

3. कंपनी ने चक्रवात 'फनी' और चोरी के कारण मिनरेम भवन को हुए नुकसान के लिए ₹ 12.72 करोड़ की हानि प्रावधान किया है ।

4. कार्यपालक निदेशक (इन्फ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी के पत्र सं. 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार रेलवे बोर्ड ने झारसुगुड़ा-बरपाली-सरदेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। हालांकि दर अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और इसलिए न तो बढ़ा हुआ माइलेज प्राप्त हुआ है और न ही लेखा पुस्तकों में इसको चिन्हित किया गया है।

17. परियोजना निर्माण / पूंजीगत परियोजनाएं:

17.1 अन्वेषण:

सीएमपीडीआईएल द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान अन्वेषण एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित अन्वेषण का विवरण इस प्रकार है।

क्र . सं.	ब्लॉक	क्षेत्र	कोलफील्ड	2022-23 (एम) के दौरान ड्रिलिंग	प्रस्तावित ड्रिलिंग 2023-24 (एम)	जीआर अनुसूची
1	बेलपहाड़ और डिप साइड (लखनपुर का डिप साइड)	13.32	ईब वैली	432	6000	2023-24
2	ओरिएंट पश्चिम (गौतमधारा)	4.14	ईब वैली	2802		2025-26
3	हेमागिरी क्षेत्र-I	25.51	ईब वैली	811.5	20000	2024-25
4	हेमागिरी क्षेत्र-II	22.98	ईब वैली			
5	ब्लॉक IV का डिपसाइड		ईब वैली	616		
ईब वैली कुल				**4661.5**	**26000**	
6	लिबिरा	12.91	तालचेर		2000	2024-25
7	सुभद्रा पश्चिम	5.99	तालचेर	797		
8	रबीपुर	14.53	तालचेर		20000	
	तालचेर कुल			**797**	**22000**	
	कुल एमसीएल			**5458.5**	**48000**	

17.2 परियोजना निर्माण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीएल बोर्ड द्वारा सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए चार परियोजना रिपोर्ट की सिफारिश की गई थी:

1.हिंगुला आरपीआर -15 एमटीवाई

2.कुलदा गर्जनबहाल इंटीग्रेटेड ओसीपी- 40 एमटीवाई

3.भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी (एमडीओ संस्करण) – 50 एमटीवाई

4.बलभद्र ओसीपी-यूसीई-10 एमटीवाई

17.3 परियोजना कार्यान्वयन:

2022-23 के दौरान कंपनी का कुल पूंजीगत व्यय 3800.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 3929.94 करोड़ रूपये हें।

17.4 कोयला परियोजनाएं:-

एमसीएल में अब तक कुल 52 (3 समाप्त परियोजनाओं सहित) स्वीकृत कुल कोयला खनन परियोजनाएं हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की उत्पादन दर क्षमता 327.78 एमटीवाई थी, जिसमें स्वीकृत पूंजी लागत(आरसीई सहित) 34985.19 करोड़ रुपये थी। कुल 52 परियोजनाओं में से 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 13 परियोजनाएं चालू परियोजनाएं हैं। 52 परियोजनाओं की पूंजी व्यय क्षमता निम्नानुसार है:

परियोजना वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				समाप्त	पूर्ण	चालू
100 और उससे अधिक	23	276.40	34287.89	01	09	13
50 से 100	09	16.00	427.58	00	09	00
20 से 50	13	28.10	225.93	01	12	00
20 से कम	07	7.28	64.52	01	06	00
कुल	**52**	**320.78**	**35005.92**	**03**	**36**	**13**

17.5 पूर्ण परियोजनाएं: - 39

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़ में)	पूर्ण करने का लक्ष्य/ वास्तविक तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00#	338.44	मार्च 2008
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-I	5.50#		
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-II	12.00		
4.	बालंदा ओ/सी एंड आर पीआर (समाप्त)	1.00	33.20	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी	8.00#	344.63	मार्च 2000
6	भरतपुर ओ/सी	3.50#	158.97 (आरसीई)#	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-I	5.00#	48.02#	मार्च 1998
8.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-II	11.00#	95.87#	मार्च 2007
9.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-III	20.00#	131.39#	मार्च 2010
10.	छेंदिपड़ा ओ/सी (समाप्त)	0.35	19.75	मार्च 2007
11.	हिंगुला-II ओ/सी	2.00#	47.93	मार्च 2002
12.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-I	4.00#	89.78	मार्च 2009
13.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-II	8.00	35.67	मार्च 2009
14.	जगन्नाथ ओ/सी / जगन्नाथ विस्तार	4.00#	66.71 / 4.71	मार्च 1991
15.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार चरण-II	6.00#	4.95	मार्च 2008
16.	जगन्नाथ पुन: संगठन ओसी	6.00	437.011	अक्टूबर 2020
17.	लिंगराज ओ/सी	5.00#	229.84	मार्च 1998
18.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-I	10.00#	98.89	मार्च 2007
19.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-II	13.00#	2.18	मार्च 2008
20.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-III	16.00	306.18	मार्च 2014
21.	नंदिरा यू/जी (वृद्धि)	0.33	17.96	मार्च 1995
उप कुल (क्षमता समाप्त खानों सहित)		**43.68**	**2077.831**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
22.	बसुंधरा (पू.) ओ/सी (समाप्त)	0.60	19.70	मार्च 1998
23.	बसुंधरा (प.) ओ/सी	2.40#	68.74 (आरसीई)	मार्च 2007
24.	बसुंधरा (प.) विस्तार चरण-I	7.00	46.52	मार्च 2011
25.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00#	246.93	मार्च 2015
26.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-I	3.50#		
27.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-II	8.00#		
28.	कुलदा ओसीपी	10.00	487.06	फरवरी-2020
29.	लजकुरा ओ/सी / लजकुरा विस्तार	1.00#	38.98 (आरसीई) /3.22	मार्च 1991
30.	लजकुरा ओ/सी विस्तार चरण-I	2.50	194.99	मार्च 2013
31.	लखनपुर ओ/सी	5.00#	215.02	मार्च 2000
32.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण-I	10.00#	98.74	मार्च 2010
33.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण-II	15.00#	116.54	मार्च 2011
34.	लिलारी ओ/सी / लिलारी विस्तार	0.80#	19.78 / 0.63	मार्च 1992
35.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00#	636.24	मार्च 2013
36.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-I	4.00#		
37.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-II	5.00#		
38.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-III	7.00#		
39.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -IV.	12.00		
उप कुल (क्षमता समाप्त खानों सहित)		**32.10**	**2193.09**	
कुल (पूर्ण परियोजनाएँ)		**75.78**	**4270.92**	

(#)विस्तार/प्रसार/पुनर्गठन/सामूहिक परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद इन खानों की क्षमता और/या पूंजी को बाहर रखा गया है।

17.6 चालू परियोजनाएं: -13

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रू. करोड़ में)	परियोजना अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	अनंता ओसी विस्तार चरण -III	15.00# (3 करोड़ में.)	207.28	31.08.2008
2	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	3504.21	04.08.2020
3	भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी	40.00	3145.45	25.08.2020
4	गोपालजी-कनिहा ओसीपी	30.00	6107.87	25.04.2022
5	हिंगुला-II ओसी की आरपीआर विस्तार चरण-III	15.00# (7 करोड़ में)	2264.68	08.11.2008
6	भरतपुर पुनर्संगठन ओसी	20.00	2838.87	12.11.2018
7	सुभद्रा ओसीपी	25.00	1693.81	25.03.2021
8	बलभद्र ओसीपी	10.00	978.44	24.01.2022
	उप कुल	150.00	20740.61	
ईब वैली कोलफील्ड				
9	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00	620.42	07.05.2014
10	कुलदा विस्तार ओसीपी	15.00# (5 करोड़ में)	348.16	25.06.2014
11	सियारमल ओसीपी	50.00	5194.95	02.02.2021
12	गर्जनबहाल ओसीपी	10.00	1375.38	03.05.2016
13.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	2434.75	22.05.2018
उप कुल		**102.00**	**9973.66**	
कुल (चालू परियोजनाएँ)		**252.00**	**30714.27**	
कुलयोग (समाप्त खदानों की क्षमता सहित)		**327.78**	**34985.19**	

(#)विस्तार/प्रसार/पुनर्गठन/सामूहिक परियोजना रिपोर्ट के लिए क्षमता में कोई वृद्धि/आंशिक वृद्धि नहीं।

17.7 भावी परियोजनाएँ: - 01

क्र.	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	टिप्पणियां
1.	एकीकृत कुलदा-गर्जनबहाल ओसीपी	40.0 (अतिरिक्त-15 एमटीवाई)	कुलदा-गर्जनबहाल ओसीपी (40 एमटीवाई) के पीआर को एमसीएल बोर्ड द्वारा 05.07.2022 को अनुमोदित किया गया था, जिसे 23 अप्रैल को सीआईएल बोर्ड में रखे जाने की संभावना है।
कुल		**कुल अतिरिक्त क्षमता - 15.00 एमटीवाई**	

17.8 मौजूदा पुरानी भूमिगत खदानें:- 05

क्र.	परियोजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	हीराखंड बुंदिया खान	0.612	0.505	0.551	0.366	0.428	0.468	0.3501	0.3501
2.	ओरिएंट खान 1एवं2	0.367	0.352	0.398	0.397	0.328	0.321	0.247	0.247
3.	ओरिएंट खान 3	0.000	0.122	0.122	0.122	0.040	0.000	-	
4.	ओरिएंट खान 4	0.122	0.061	-	-	-	-	-	
5.	तालचेर भूमिगत	0.272	0.173	0.107	-	-	-	-	
	कुल	**1.373**	**1.213**	**1.178**	**0.885**	**0.796**	**0.788**	**0.597**	**0.597**

17.9 एमसीएल की भूमिगत परिकल्पित योजना :

नई/विस्तारित खान का नाम	निकालने योग्य रिजर्व(एमटी)	उत्पादन चरणबद्ध (एमटी)				
		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28
तालचेर पश्चिम भूमिगत	17.84(वर्जिन)	0.00	0.00	0.00	0.33	0.83
जगन्नाथ भूमिगत	25.51((वर्जिन)	0.00	0.00	0.00	0.33	0.83

अनंता भूमिगत (तालचेर भूमिगत+ जगन्नाथ भूमिगत)	.....				0.66	3
तालचेर भूमिगत	1.89((वर्जिन)+9.11(खंभे पर)=11.00	0.00	0.10	0.20	0.27	0.36
नंदिरा	4.27(खंभे पर)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
ओरिएंट खान नं 1 और 2	38.68(वर्जिन)+ 27.45 (खंभे पर)= 66.13	0.22	0.30	0.30	0.30	0.30
ओरिएंट खान नं. 3	27.85(वर्जिन)+36.59 (खंभे)= 64.44	0	0.52	0.72	0.69	0.69
ओरिएंट खान नं. 4	3.12 खंभे पर	0	0.48	0.48	0.48	0.48
एचबीएम	5.529(वर्जिन) +18.56 (खंभे पर)= 24.09	0.22	0.69	0.69	0.69	0.69
कुल भूमिगत कोयला उत्पादन	0.50	2.15	2.45	3.15	5.58	

1. तालचेर भूमिगत, ओरिएंट माइन नं. 03 और ओरिएंट माइन नं. 04 एमडीओ के माध्यम से राजस्व साझाकरण के आधार पर प्रस्तावित हैं, जो निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

2. तालचेर (पश्चिम) भूमिगत और जगन्नाथ भूमिगत को एमसीएल बोर्ड में 19.11.2021 को वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, सीएमपीडीआई को 21.02.2023 को एक नए अनंता भूमिगत के लिए पीआर तैयार करने के लिए एक कार्यादेश जारी किया गया है, जिसमें तालचेर पश्चिम भूमिगत और जगन्नाथ भूमिगत को क्षमता बढ़ाने के साथ जोड़ा गया है।

17.10 गैर-खनन परियोजनाएं

17.10.1 एमसीएल में चल रही प्रमुख गैर-खनन परियोजनाओं की लागत>रु.20 करोड़:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजी लागत (रु. करोड़)
1	बेलपहाड़ बाइपास, लखनपुर क्षेत्र में 4-लेन कैरेज वे रोड का निर्माण	65.26
2.	सुंदरगढ़ जिले में एसएच-10 पर बांकीबहाल से भेड़ाबहाल तक डेडीकेटेड कोल कॉरिडोर सड़क का निर्माण। लंबाई-31 किमी	671.19
3.	लिंगराज ओसीपी, लिंगराज क्षेत्र के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी तरफ मौजूदा कोल कॉरिडोर सड़क का स्थानांतरण।	51.01
4.	जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत अनंता ओसीपी के विभिन्न स्थानों पर स्थायी कोयला परिवहन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	49.75
5.	अनंता सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई)	278.48
6.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण-II) (15 मिलियन टन)	247.69
7.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस (10 एमटीवाई)	268.05
8.	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 एमटीवाई)	285.05
9.	सरडेगा सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई)	311.68
10.	हिंगुला नया सीएचपी लिंक	218.30
11.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण-I) (10 एमटीवाई)	334.81
12.	हिंगुला साइलो (10 मिलियन टन)	168.95
13.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण -I) के लिए इनपुट कोल भरण व्यवस्था	40.52
14.	लखनपुर साइलो (10 एमटीवाई) चरण -I	164.38
15.	ईब वैली वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-एम आधार पर	333.00
16.	अनंता सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई) तक रेल संयोजकता 19.0 कि.मी	260.00
17.	भुवनेश्वरी साइलो (चरण -II) (15 एमटीवाई) के लिए रेल संयोजकता 13.40 कि.मी.	265.70
18.	कनिहा सीएचपी-आरएलएस (10 एमटीवाई) तक रेल संयोजकता 2.50 कि.मी	19.17
19.	लजकुरा सीएचपी-आरएलएस (15 एमटीवाई) तक रेल संयोजकता 9.0 कि.मी	89.92
20.	सरडेगा सीएचपी-आरएलएस (20 एमटीवाई) तक रेल संयोजकता 14.70 कि.मी	224.78
21.	लखनपुर साइलो चरण -I के लिए रेल संयोजकता (8.32 कि.मी.)	146.77
22.	लखनपुर साइलो चरण -II के लिए रेल संयोजकता	230.0*
23.	लखनपुर क्षेत्र में वाई-कर्व साइडिंग का स्थानांतरण (17.20 किमी)	360.00
24.	तालचेर कोलफील्ड्स के मौजूदा रेल साइडिंग पर स्वचालित सिग्नलिंग का प्रावधान।	58.00
25.	50 मेगावॉट के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।	301.91
26.	झारसुगुड़ा-बरपाली-सरदेगा रेल लाइन फेज-II कार्य (52 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण, बरपाली में 47.70 किलोमीटर पर लोडिंग बल्ब और झारसुगुड़ा में 26.00 किलोमीटर दोहरी लाइन फ्लाईओवर शामिल है)	3198.12
27.	आंतरिक मार्ग चरण- II: बलराम- पुटुगड़िया-जरपाड़ा- तेन्तुलोई रेल लिंक (54 कि.मी.)	1555.00
28.	सरडेगा साइडिंग में प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण।	51.60
29.	तालचेर में मेडिकल कॉलेज (एमआईएमएसआर) का निर्माण	49.26
30.	झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाला हृदय रोग संस्थान	75.00
31.	ओडिशा के 232 रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में पूर्वनिर्मित शौचालयों की स्थापना	57.55
32.	अंगुल जिले के तालचेर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए 2 पाइप जलापूर्ति योजनाएं।	55.07
33.	घंटापड़ा गांव के समीप समपार पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण	39.45
34.	झारसुगुड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में जनोपयोगी सुविधाओं (78 संख्या) का निर्माण।	27.30
35.	जिला स्टेडियम, झारसुगुड़ा का निर्माण	25.41

36.	बुर्ला में खेल परिसर का निर्माण	25.00
37.	अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी-उथान)	20.29
38.	नई वाई कर्व साइडिंग के लिए सीटी रोड लखनपुर ओसीपी	26.22
39.	लखनपुर ओसीपी, लखनपुर क्षेत्र के डब्ल्यूबीएम सीटी रोड का निर्माण	29.24
40.	रेल अवसंरचना परियोजनाओं का विकास क) 06 आरओबी का निर्माण ख) तालचेर कोलफील्ड में रेलवे साइडिंग/एमसीएल के रेल नेटवर्क में 4 स्थानों/खिंचावों पर रेल लाइनों का दोहरीकरण ग) पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर द्वारा जमा आधार पर तालचेर स्टेशन से एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड में स्पर नंबर 7-8 तक अलग नई रेल लाइन।	662.43
41.	तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल के रेलवे साइडिंग के विभिन्न स्थानों पर 14.626 किलोमीटर ट्रैक लंबाई का पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण (सीटीआर) और 7.5 किलोमीटर के माध्यम से रेल नवीनीकरण (टीआरआर) सहित रेलवे ट्रैक का उन्नयन, अर्थात देउलबेरा-1 साइडिंग यार्ड, स्पर- अनंता साइडिंग का 5, बलराम साइडिंग का स्पर-9, भरतपुर साइडिंग 7 व 8 से बलराम साइडिंग 9 व 10 (ब्लॉक सेक्शन), जगन्नाथ साइडिंग नं. 3 व 4 से भरतपुर साइडिंग नं. 7 व 8 (ब्लॉक सेक्शन), भरतपुर साइडिंग 7 व 8 यार्ड आई/सी ई/आर लाइन, टीएलएसबी केबिन से दक्षिण बलंदा साइडिंग नं. 1 और 2 आई/सी ई/आर लाइन और टीआरआर जैसे स्थानों पर जगन्नाथ के स्पर-4, तालचेर यार्ड से टीएलएसबी केबिन ब्लॉक सेक्शन, साउथ बलंदा साइडिंग नं. 1 और 2 से भरतपुर साइडिंग 7 और 8 ब्लॉक सेक्शन, पूर्व तट रेलवे द्वारा जमा आधार पर किया गया।	42.82
42.	i) ड्रेनेज सिस्टम में प्रस्तावित नवीनीकरण/सुधार, ii) लोडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर कोयले के गिरने को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रावधान एवं प्रस्तावित विविध सुरक्षा संबंधी कार्य जैसे टो वॉल, रिटेनिंग वॉल, साइड ड्रेन, स्टोन पिचिंग, सेस रिपेयर आदि को तालचेर में एमसीएल साइडिंग के डीप कटिंग और हाई एम्बैंकमेंट लोकेशन पर पूर्व तट रेलवे द्वारा निष्पादित किया गया।	31.18
	कुल	10624.95

17.10.2 एमसीएल की पूर्ण गैर-खनन परियोजनाओं की लागत > रु.20 करोड़:

क्र.	**परियोजना का नाम**	**पूंजी लागत (रु. करोड़)**
1.	बी-जी क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक सभी सीटी सड़कों का कंक्रीट युक्त निर्माण	22.96
2.	बांकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक 2 लेन से 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण-27 कि.मी	256.68
3.	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण	26.92
4.	बसुंधरा पश्चिम विस्तार चेक पोस्ट से सरडेगा रेलवे साइडिंग तक 2-लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	30.39
5.	तालचेर कोलफील्ड में नए कोल कॉरिडोर का निर्माण। लंबाई 20.99 कि.मी	243.42
(a)	हिंगुला-बलराम भाग (चरण-I और II) – 7.06 कि.मी.	
(b)	भरतपुर भाग (चरण –I और II) – 2.3 कि.मी.	
(c)	जगन्नाथ भाग (चरण-I और II) – 1.26 कि.मी.	
(d)	अनंता भाग (चरण-I और II) – 2.34 कि.मी.	
(e)	भुवनेश्वरी भाग (चरण-I और II) – 1.82 कि.मी.	
(f)	लिंगराज भाग (चरण-I और II) – 6.21 कि.मी.	
6.	झारसुगुडा - बरपाली – सरडेगा रेलवे लाइन (सिंगल लाइन 50 कि.मी.)	**1129.39**
7.	लिंगराज साइलो (16.0 एमटीवाई) और इसकी रेल संयोजकता	495.01
8.	भरतपुर सीएचपी/साइलो (15.0 एमटीवाई)	174.95
9.	तालचेर में भुवनेश्वरी ओसीपी की सेवा के लिए तालचेर यार्ड के टी.एल.एस.बी. केबिन से तीसरी लाइन का निर्माण	48.80
10	आंतरिक मार्ग चरण- I: अंगुल-बलराम रेल लिंक (14.25 कि.मी.)	145.00
11	भुवनेश्वरी साइलो चरण-I (10 एमटीवाई) 2.20कि.मी. के लिए रेल संयोजकता	87.48
12	ईब वैली क्षेत्र के समलेश्वरी ओसीपी (कंक्रीट फुटपाथ), लजकुरा ओसीपी (कंक्रीट फुटपाथ) में कोयला परिवहन सड़क का निर्माण और एमसीएल के ईब कोलफील्ड्स के ओरिएंट क्षेत्र में एचबीएम से एसओसीपी जंक्शन तक बिटुमिनस सड़क का सुदृढ़ीकरण	134.58
13.	05 वर्ष से अधिक आयु वाले तालचेर कोयला क्षेत्र में आंतरिक खान कोयला परिवहन सड़कों का निर्माण -35.28 कि.मी.	241.69
(a)	**हिंगुला ओ.सी.पी.– 4.91 कि.मी.**	
(b)	बलराम ओ.सी.पी.- 7.00 कि.मी.	
(c)	भरतपुर ओ.सी.पी.– 5.46 कि.मी.	
(d)	जगन्नाथ ओ.सी.पी.– 6.23 कि.मी.	
(e)	अनंता ओ.सी.पी.- 2.15 कि.मी.	
(f)	भुवनेश्वरी ओ.सी.पी.– 5.73 कि.मी.	
(g)	लिंगराज ओ.सी.पी.- 3.80 कि.मी.	
कुल		**3037.27**

17.11 विदेशी सहभागिता: शून्य

17.12 आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेश:

- एमसीएल सतह खनिक प्रौद्योगिकी द्वारा खुली खदान में कोयला प्राप्ति के लिए विस्फोट रहित तकनीक शुरू करने में पथ प्रदर्शक है।
- एमसीएल ने विस्फोट रहित ओबी रिमूवल के लिए वर्टिकल रिपर्स भी पेश किया है।
- एमसीएल की प्रमुख ओपनकास्ट परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो/सीएचपी की शुरुआत की जा रही है।
- धुले हुए कोयले के प्रेषण के लिए लखनपुर परियोजना में एक कोल वाशरी अर्थात ईब वैली वाशरी निर्माणाधीन है।



कोयला स्टॉक पर रिपर डोजर



खनन संचालन में फॉग कैनन



कार्य में लगी एचईएमएम

- एमसीएल ने 13.10.2014 से अपना पहला (सीआईएल का पहला) ग्रिड से जुड़ा 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है और 10 विभिन्न स्थानों पर 1.21 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया है। एमसीएल नवीकरणीय ऊर्जा के एक भाग के रूप में ग्राउंड माउंटेड 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी निर्माण करने जा रहा है।
- ओसी खानों की लघु और मध्यम अवधि की योजना के लिए 'माइनेक्स जियोविया प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर' की शुरूआत।
- खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय हवाई वीडियो प्रसारण के लिए 'विहंगम' पोर्टल की शुरूआत।
- प्रभावी धूल दमन के लिए फॉग कैनन और रोबोटिक नोजल का शुरूआत।
- सरफेस माइनर, ड्रिल, डम्पर, डोजर और एक्सकेवेटर के ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए तालचेर कोलफील्ड्स और ईब वैली कोलफील्ड्स के लिए एक-एक सिम्युलेटर प्रदान करके प्रशिक्षण की शुरुआत।
- बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल रोशनी के लिए विभिन्न एचईएमएम में एलईडी लाइट लगाना।
- लखनपुर ओसीपी में 100 टन के 2 डंपरों में एलएनजी के साथ डुअल फ्यूल मोड की शुरुआत।
- डीजल चोरी को रोकने के लिए निगरानी उपाय के रूप में एचईएमएम में फ्यूल लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम (एफएलएमएस) की स्थापना।

17.13 सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित परियोजनाएं: शून्य

18. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण और अधिकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2022-23 के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं कब्जे की स्थिति (हेक्टेयर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	टेनेन्सी		गैर-वन सरकारी		वन भूमि		कुल अधिग्रहीत	कुल अधिग्रह	टिप्पणियां
		अधिग्रहीत	अधिग्रहण	अधिग्रहीत	अधिग्रहण	अधिग्रहीत	अधिग्रहण			
1	जगन्नाथ		38.70		0		0	0	38.34	
2	हिंगुला		11.94						11.94	
3	सुभद्रा	56.87		37.49		32.22		126.58		Left out acquisition
4	भरतपुर		6.15						6.15	
5	लिंगराज		0						0	
6	कनिहा		4.86						4.86	
7	ईब- वैली		8.57						8.57	
8	लखनपुर		22.39						22.39	
9	बी-जी क्षेत्र		2.98						2.98	
10	महालक्ष्मी		16.93						16.93	
	Total	**56.87**	**112.52**	**37.49**		**32.22**		**126.58**	**112.52**	

19. निर्माण-संचालन-अनुरक्षण (BOM) के आधार पर वाशरी निर्माण की स्थिति

निर्माण-संचालन-अनुरक्षण के आधार पर उच्च राख़ वाले कोयले की सस्ती धुलाई के लिए कोयला वाशरियों की स्थापना हेतु सीआईएल के निर्णय के अनुरूप एमसीएल, लखनपुर क्षेत्र में बीओएम अवधारणा पर 10.0 एमटीपीए क्षमता की ईब वैली वाशरी की स्थापना कर रहा है।

लखनपुर में ईब वैली वाशरी(10.0 एमटीपीए क्षमता):

- लखनपुर क्षेत्र में ईब वैली वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 14.03.2018 को आश्वासन पत्र जारी किया गया था।
- लखनपुर क्षेत्र में ईब वैली वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 15.10.2018 को मेसर्स जीसीएमपीएल के साथ अननुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- निर्माण विकासाधीन है। (मार्च 2023तक 98% पूर्ण)
- पत्र सं. MCL/LKPA/PO/BOCM/2022/299 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा लखनपुर क्षेत्र में ईब वैली वाशरी के निर्माण कार्य के लिए मेसर्स जीसीएमपीएल को दिनांक 01.11.2022 से 31.03.2023 तक 6वां अनंतिम विस्तार समय दिया गया है।
- लखनपुर क्षेत्र में ईब वैली वाशरी के संचालन की सहमति (सीटीओ) के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओड़िशा को दिनांक 06.01.2023 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो प्रक्रियाधीन है।
- दिनांक 03.03.2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स जीसीएमपीएल ने ईब वैली वाशरी की स्थापना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए समय विस्तार हेतु ईआईसी ईब वैली कोल वाशरी को पुन: अनुरोध किया है जो प्रक्रियाधीन है।
- 3 मार्च, 2023 से ईब वैली वाशरी की शुरुआत की उम्मीद है ।

20. पर्यावरण प्रबंधन

20.1 सांविधिक मंजूरी और अनुपालन

20.1.1 मंजूरी:

20.1.1.1 पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार, किसी भी खदान, वाशरी के संचालन/निर्माण या किसी खान के वृद्धि/विस्तार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल सभी खानों (नए और विस्तार) के लिए नियमित रूप से आवेदन कर रहा है और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर रहा है। वित्तीय वर्ष, 2022-23 के दौरान प्राप्त टीओआर और पर्यावरण मंजूरी नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

a) 2022-23 के दौरान प्राप्त टीओआर

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पत्र संख्या और तिथि
1.	भरतपुर ओसीपी विस्तार	20	जे-11015/630/2007-आईए-II(एम) दिनांक 28.06.2022
2.	लालमा वन सहित कुलदा ओसीपी	21	जे-11015/10/1995-आईए-II(एम) दिनांक 13.12.2022

b) 2022-23 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**पत्र संख्या और तिथि**
1.	सियारमल	50	जे-11015/230/2014-आईए-II (एम) दिनांक 05.05.2022
2.	कुलदा	21	जे-11015/10/1995-आईए। II(एम) दिनांक 24.05.2022
3.	लखनपुर	22.5	जे-11015/391/2012-आईए-II(एम) दिनांक 30.05.2022
4.	भुवनेश्वरी	30	जे-11015/280/2013/- आईए-II(एम) पीटी दिनांक 25.07.2022
5.	गर्जनबहाल	18.2	जे-11015/159/2015-आईए-II(एम) दिनांक: 09.03.2023

2022-23 में, खानों की निरंतरता के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त पर्यावरण मंजूरी संशोधन/विस्तार प्रदान किए गए:

1.**बेलपहाड़ ओसीपी** (9 एम.टी.पी.ए.) ने पत्र संख्या- जे-11015/189/2008-आईए.II द्वारा विस्तार हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया।

(एम) दिनांक 06.02.2023

2.पत्र संख्या जे-11015/10/1995-आईए. II(एम) दिनांक 09.01.2023 द्वारा **कुलदा** के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी शर्तों में संशोधन किया गया।

3.पत्र संख्या जे-11015/159/2015-आईए.II(एम) दिनांक 12.01.2023 द्वारा **गर्जनबहाल** के लिए पर्यावरण मंजूरी शर्तों में संशोधन किया गया।

4.पत्र संख्या-एसआईए/ओआर/सीएमआईएन/294782/2022, दिनांक: 18.01.2023 द्वारा **नंदिरा** यूजी के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी शर्तों में संशोधन किया गया।

5.पत्र संख्या जे-11015/280/2015-आईए II (एम) दिनांक: 02.05.2022 द्वारा **भुवनेश्वरी ओ.सी.पी.** के ओबी रीहैंडलिंग के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी शर्तों में संशोधन किया गया।

वित्तीय वर्ष **2022-23** के दौरान, एकीकृत एल-बी-एल और बलराम ओ.सी.पी. की पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्यावरण मंजूरी के अनुदान हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

c) एमसीएल खानों के लिए कुल उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी

क्रमांक	**विवरण**	**तालचेर कोलफील्ड**	**ईब-वैली कोलफील्ड**	**कुल**
1	01.04.2023 तक उपलब्ध कुल पर्यावरण मंजूरी	134.83 एमटीवाई	150.02 एमटीवाई	284.85 एमटीवाई

20.2.1.2: वन मंजूरी (वित्तीय सहमति) 2022-23 प्राप्त करना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके संशोधनों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु आवश्यक वन मंजूरी प्रदान करता है।

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**वन क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**पत्र सं. और तारीख**
1.	सियारमल	349.709	चरण I पत्र संख्या एफ.सं. 8-25/2021-एफसी, दि. 21.04.2022 चरण II पत्र संख्या एफ.सं. 8-25/2021-एफसी, दिनांक-03.11.2022

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एकीकृत एल-बी-एल और सुभद्रा ओसीपी वन प्रस्ताव चरण I अनुमोदन के अनुदान हेतु वित्तीय सहमति पर विचार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया गया।

20.2.1.3 भू-जल मंजूरी प्राप्त करना:

राजपत्र अधिसूचना, 20 सितंबर 2020 के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर के तहत, सभी नए / मौजूदा उद्योगों के लिए, विस्तार चाहने वाले उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भू-जल को अमूर्त करने वाली खनन परियोजनाओं को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सी.

जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की है:

क्रमांक	परियोजना	नवीनीकरण के लिए आवेदन	क्रमांक	परियोजना	नवीनीकरण के लिए आवेदन
1	समलेश्वरी ओ.सी.पी.	24.11.2022	8	भुवनेश्वरी ओसीपी	21.12.2022
2	बेलपहाड़ ओसीपी	16.11.2022	9	तालचेर कॉलियरी यूजी	02.12.2022
3	लखनपुर ओसीपी	02.12.2022	10	नंदिरा कॉलियरी यूजी	02.12.2022
4	कुलदा ओसीपी	03.12.2022	11	लिंगराज ओसीपी	13.12.2022
5	सियारमल ओसीपी	14.02.2023	12	देउलबेरा कॉलियरी	02.12.2022
6	बसुंधरा (पश्चिम) ओसीपी विस्तार	14.02.2023	13	भरतपुर ओसीपी	01.03.2023
7	जगन्नाथ ओसीपी	29.01.2022			

20.2.1.4 सांविधिक अनुपालन:

- जल और वायु अधिनियमों के तहत एमसीएल के सभी परिचालन खानों के "संचालन की सहमति (सीटीओ)" राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओडिशा सरकार से प्राप्त की गई है।
- एमसीएल के सभी परिचालन खानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओडिशा सरकार से संकटजनक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रान्सबाउंडरी मूवमेंट) नियमावली, 2016 के तहत "प्राधिकरण" भी प्राप्त किया गया है। इस्तेमाल की गई बैटरी और पुनर्प्राप्त जले हुए तेल और ग्रीस अधिकृत पुनः प्रक्रमक के लिए नीलाम किए जाते हैं। विधि के अनुसार बैटरी के लिए अर्ध-वार्षिक विवरणी और अन्य संकटजनक अपशिष्ट के लिए वार्षिक विवरणी एसपीसीबी, ओड़िशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था।



लिंगराज साइलों

- ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी वाली सभी परिचालन खानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के दौरान एम.ओ.ई.एफ.एंड सी.सी., पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, भुवनेश्वर और एम.ओ.ई.एफ.एंड सी.सी., नई दिल्ली को समय पर प्रस्तुत की गई थी।
- वर्ष 2021-22 के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम-14 के तहत फॉर्म-V में पर्यावरणीय विवरण तैयार करने के लिए 22 खानों, 01 रेलवे साईडिंग और 01 वाशरी प्रत्येक के लिए अधिकारियों की बहु-अनुशासनात्मक दल द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। पत्रांक दिनांक-16.09.2021 के अनुसार उक्त रिपोर्ट समयानुसार एस.पी.सी.बी. को प्रस्तुत की गई थी।
- भूजल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और खनन संचालन के कारण होने वाले उतार-चढ़ाव की नियमित निगरानी 37 पीजोमीटर के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य बोर/खुले कुओं के माध्यम से की जाती है।
- कुल 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) यथाः तालचेर कोलफील्ड्स में 07, ईब कोलफील्ड्स में 04 और बसुंधरा क्षेत्र में 03 स्थापित किये गए हैं, जिनमें से 2 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.ए.एक्यू.एम.एस.) वर्ष 2022-23 में चालू की गई हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार सियारमल ओसीपी की वन मंजूरी के अनुपालन में मृदा एवं नमी संरक्षण योजना और बसुंधरा नदी संरक्षण योजना तैयार की गई है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सियारमल ओसीपी में और उसके आसपास वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक स्थल-विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना भी तैयार की गई है।

20.2 पर्यावरण सुरक्षा और सुधार हेतु किये गए उपाय

20.2.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

कंपनी की पर्यावरण के प्रति चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे कार्यों को उचित संख्या में किया जा रहा है, जिनमें से कुछ पर यहां प्रकाश डाला गया है।

- एमसीएल ने पर्यावरण के अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक (1999-2000 में 4.2% से 2022-23 में 97.6%) के माध्यम से कोयला उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरफेस माइनर के माध्यम से कोयला उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है।

कुल कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	खुले खदान द्वारा उत्पादन(एमटीवाई)	सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन	
		एमटीवाई	%
193.262	192.821	188.623	97.6%

यह एक गैर-विस्फोटक खनन तकनीक है जो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्यों को पानी के छिड़काव के साथ पूरी तरह से समाप्त कर देती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर तक परिवहन-अनलोडिंग और री-लोडिंग और इन कार्यों में डीजल खपत की परिणामी मात्रा जैसे बुनियादी इकाई संचालन के उन्मूलन के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में भी कमी आई है। (यदि पारंपरिक विधि से कोयला उत्पादन किया गया हो)

- 2022-23 के दौरान लगभग 73% कोयला परिवहन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल अंतर्देशीय जन परिवहन प्रणाली यानी रेल, बेल्ट और एमजीआर के माध्यम से किया जाता है और सड़क के माध्यम से मात्र 27% कोयले का प्रेषण किया जाता है।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल आधारभूत संरचना को बढ़ाया/बेहतर और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में कोयले का प्रेषण 23 रेलवे साइडिंग, 02 एमजीआर एवं 01 एमजीआर आरएलएस सहित तथा 02 साइलों के माध्यम से किया जाता है।
- 31.03.2023 तक साइलो/सर्ज बिन के साथ 15 रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस) पूर्ण/निर्माणाधीन हैं:-
  - भरतपुर साइलो (2X10 एमटीवाई) 173.20 करोड़ रुपये की लागत से- 9 अक्टूबर 2018 से पूरा हो चुका है।
  - लिंगराज साइलो (16 एमटीवाई, पीक-2X10 एमटीवाई) 230.82 करोड़ रुपये की लागत से- 25 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया।
  - 168.95 करोड़ रुपये की लागत से हिंगुला साइलो (10 एमटीवाई)- 99.5% पूरा हो चुका है।
  - 247.01 करोड़ रुपये की लागत से भुवनेश्वरी साइलो (10 एमटीवाई)- 100% पूरा हो चुका है।
  - 164.38 करोड़ रुपये की लागत से लखनपुर (10 एमटीवाई)- 74.35% पूरा हो चुका है।
  - साइलो सहित भुवनेश्वरी आरएलएस - (15 एमटीवाई) 247.69 करोड़ रुपये की लागत से 90% पूरा हो चुका है।
  - लजकुरा आरएलएस साइडिंग (15 एमटीवाई) - 285.05 करोड़ रुपये की लागत से 90% पूरा हो चुका है।
  - कनिहा - (10 एमटीवाई) 268.05 करोड़ रुपये की लागत से 25% पूरा हो गया है।
  - सरडेगा आरएलएस साइडिंग (20 एमटीवाई) - 311.69 करोड़ रुपये की लागत से 70% पूरा हो चुका है।
  - अनंत (20 एमटीवाई) - 278.48 करोड़ रुपये की लागत से - 40% पूरा हो चुका है।
  - साइलो के साथ आगामी 1 आरएलएस - लखनपुर (20 एमटीवाई)-फाइनल एनआईटी तैयार किया जा रहा है।

- ⏩ बरपल्ली-बल्ब में कुलदा-गर्जनबहाल के लिए आगामी तीन साइलो (40एमटीवाई)-अंतिम एनआईटी तैयार किया जा रहा है।
- ⏩ आगामी 1 साइलो (12.5 एमटीवाई) -बलराम सीएचपी - एमसीएल और सीएमपीडीआई, आरआई-VII द्वारा प्रारंभिक स्थल का दौरा पूरा किया गया।

- खनन गतिविधियों के कारण होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 28 कि.ली. के 65 विभागीय मोबाइल पानी के टैंकर और विभिन्न क्षमताओं (4 कि.ली. से 34 कि.ली. तक) के 109 अनुबंधित मोबाइल पानी के टैंकर तैनात किए गए हैं।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को दरकिनार करते हुए पृथक समर्पित कोयला परिवहन

  गलियारे का निर्माण:

  - ▶ समर्पित कोयला परिवहन मार्ग की लंबाई तालचेर कोलफील्ड्स में 20.99 कि.मी., ईब कोलफील्ड्स में 17.03 कि.मी. और बसुंधरा क्षेत्र में 30.811 कि.मी. है।
  - ▶ तालचेर एवं ईब-वैली कोलफील्ड्स:

    चरण I और चरण II - कार्य पूर्ण हो चुका है।

  बसुंधरा क्षेत्र:

  भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी का कार्य पूरा हो गया है। पेड़ों की कटाई पूरी हो चुकी है। परियोजना की समग्र प्रगति -60% है।

- धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोयला परिवहन सड़कों के साथ-साथ ट्रक माउंटेड फॉग कैनन 40 मीटर थ्रो, मोबाइल वाटर टैंकर और फिक्स्ड मिस्ट स्प्रिंकलर अनुबंध के आधार पर तैनात किए गए हैं।
- प्रभावी धूल दमन के लिए सभी रेलवे साइडिंग में फिक्स्ड स्प्रिंकलर, 100 मीटर थ्रो के फॉग कैनन और मोबाइल वाटर टैंकर प्रदान किए गए हैं।
- रेलवे साइडिंग, कोयला परिवहन सड़कों पर कुल 615 स्थिर पानी के छिड़काव स्थापित किए गए हैं और संचालन में हैं।
- धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स में मिस्ट्स, फिक्स्ड स्प्रिंकलर और रेन गन उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि, नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन (केवल 2.4%) ने सी.एच.पी. में क्रशिंग संचालन को सीमित कर दिया है, जिसके कारण सीएचपी से धूल का उत्पादन काफी कम हो गया है।
- वर्ष के दौरान स्थायी और अर्ध-स्थायी सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को बनाए रखा गया है और इसे और मजबूत किया गया है।
- खदान परिसर से निकलने से पहले सभी सड़क बिक्री ट्रकों को तिरपाल से ढ़क दिया जाता है।
- कोयले की ढुलाई वाले सड़कों के किनारे छलकते कोयले और धूल की नियमित सफाई की जाती है।
- 11 हैवी-ड्यूटी ट्रक-माउंटेड वैक्यूम-संचालित मैकेनिकल खरीद के आधार पर तालचेर कोलफील्ड्स में पक्की कोयला परिवहन सड़कों और अन्य सार्वजनिक सड़कों पर कोयले के रिसाव और धूल को साफ करने और इकट्ठा करने के लिए सड़क सफाईकर्ता काम कर रहे हैं।
- जगन्नाथ ओसीपी, लखनपुर ओसीपी, कुलदा ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, समलेश्वरी ओसीपी, गर्जनबहाल ओसीपी और बलराम ओसीपी में 10 व्हील वॉशिंग सिस्टम चालू किए गए हैं।
- सभी ड्रिल में डस्ट एक्सट्रैक्टर सिस्टम और वेट ड्रिलिंग सिस्टम लगा हुआ है।
- सड़कों पर धूल के प्रभावी दमन के लिए कुल 22 ट्रक माउंटेड मिस्ट ब्लोअर फॉग कैनन 40 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- रेलवे साइडिंग, कोयला परिवहन सड़कों, कोयला और ओबी फेस, कोयला स्टॉक में प्रभावी धूल दमन के लिए परियोजनाओं द्वारा 100 मीटर थ्रो की 84 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन स्थापित की गई हैं।
- कोयला परिवहन ट्रकों के कारण पैदा होने वाली धूल को दबाने के लिए 15 तत्काल शावर प्रणाली लगाए गए हैं।
- समलेश्वरी ओसीपी में 600 मीटर लंबा विंड बैरियर सिस्टम लगाया गया है।
- कुलदा ओसीपी, बलराम ओसीपी और भरतपुर ओसीपी में 03 वर्टिकल ग्रीनरी प्रणाली स्थापित हैं।
- हरित पट्टियां आवासीय और खनन क्षेत्रों के बीच विकसित की जाती हैं।

20.2.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्यनीति:

- 37 पीजोमीटर के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य मौजूदा बोरवेलों के माध्यम से भूजल की गुणवत्ता और खनन कार्यों के कारण होने वाले उतार-चढ़ाव की नियमित निगरानी की जा रही है।
- सतही जल की गुणवत्ता और बहिस्राव की नियमित निगरानी की जा रही है।
- मृदा एवं जल संरक्षण के लिए चैक डैम का निर्माण किया गया है।
- सतह के प्रवाह के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का निर्माण किया गया है।
- डी-कोल्ड वॉयड्स का उपयोग अपवाह जल के भंडारण और जलभृत के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। खदान से साल भर औद्योगिक उपयोग जैसे अग्निशमन, धूल दमन, कर्मशालाओं में वाहन धोने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि के लिए जल की आपूर्ति की जाती है।
- खदान सम्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बारिश के मौसम के दौरान सतह अपवाह पानी के लिए निपटान माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।



तालचेर क्षेत्र में सामुदायिक आपूर्ति के लिए जल पाइपलाइन

- खान के जल का उपयोग :
  - खानों में संग्रहित अधिशेष ओसी खान के जल का उपयोग एच.ई.एम.एम. की धुलाई, धूल दमन, वृक्षारोपण, अग्निशमन, जलभृतों के पुनर्भरण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  - भूमिगत खान के अतिरिक्त जल का उपयोग समुदाय को घरेलू/पीने, सिंचाई आदि की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
  - उपचार के बाद कॉलोनियों और परिधीय गांवों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है।
  - ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी.) से उचित अनुमति के साथ, कुछ खुली खदान के उपचारित पानी को बाहरी स्रोतों में छोड़ दिया गया है जिसका उपयोग घरेलू/पीने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के लिए समुदायों को उपचारित खान जल आपूर्ति आपूर्ति							
लक्ष्य			उपलब्धि				
आंतरिक/ ड्रिंकिंग (एलकेएल)	सिंचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	आंतरिक/ ड्रिंकिंग (एलकेएल)	सिंचाई (एलकेएल)	कुल (एलकेएल)	सृजित संभावित सिंचाई क्षेत्र (एकड़)	आंतरिक के लाभार्थी/ पेय जल (सं.)
188.2	53.8	242.00	188.81	53.8	242.61 (100%)	53.65	147696

- भूजल के पुनर्भरण के लिए एमसीएल में कुल 83 रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाएं और 8 भूजल पुनर्भरण गड्ढे मौजूद हैं।
- एच.ई.एम.एम. कर्मशाला से निकलने वाले पानी को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई.टी.पी.)/ऑयल एंड ग्रीस(ओ. एंड जी.टी.) में व्यवहार किया जाता है और व्यवहार किये गए पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। कुल 13 ई.टी.पी. का निर्माण किया गया है।
- स्थानीय अपवाह के उपचार के लिए अवसादन तालाब/माइन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट (एम.डी.टी.पी.) प्रदान किए गए हैं।
- सभी बड़ी कॉलोनियों के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) प्रदान किए गए हैं। अन्य कॉलोनियों में सीवेज निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक की व्यवस्था मौजूद है। लिंगराज ओसीपी में एक नया एसटीपी मार्च 2023 में चालू किया गया है। नंदिरा कॉलोनी में 01 एसटीपी (0.5 एमएलडी क्षमता) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

20.2.3 शोर और जमीनी कंपन नियंत्रण के उपाय:

- कुल कोयला उत्पादन का 97.6% विस्फोट रहित पर्यावरण के अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक के माध्यम से किया जाता है; इससे पारंपरिक खनन की तुलना में शोर और जमीनी कंपन में काफी कमी आती है, जिसमें निर्धारित आकार के कोयले के उत्पादन के लिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सीएचपी संचालन की आवश्यकता होती है।
- उच्च ध्वनि वाले कार्यस्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को इयर मफ और ईयर प्लग प्रदान किए गए हैं।
- शोर और जमीनी कंपन को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोटन तकनीक अपनाई जाती है। विस्फोटन के लिए आवश्यक होने पर इलेक्ट्रॉनिक विस्फोटक का भी उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप शोर और जमीन में कंपन कम होता है।
- सभी एच.ई.एम.एम. में पर्याप्त शोर स्तर कम करने वाली तकनीकें उपलब्ध कराई गई हैं।
- विकसित हरित पट्टी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साधन के रूप में कार्य करती है।



खनाद के सुंदर दृश्य पर एक सरफेस माइनर

20.2.4 भूमि सुधार और वृक्षारोपण:

- कोयला रिक्ति क्षेत्र को अधिभार सामग्री से भर दिया जाता है और उसके बाद जैविक सुधार के रूप में वृक्षारोपण किया जाता है।
- वैकल्पिक रूप से, एमसीएल ने पाइपलाइनों में स्लरी मोड के माध्यम से परिवहन किए गए फ्लाई-ऐश के साथ कोयला रिक्त खालीपन को भरना अपनाया है। जगन्नाथ, भरतपुर और बालंदा खदानों में फ्लाई-ऐश भरने के लिए टी.एस.टी.पी.एस. (एनटीपीसी)-कनिहा, नाल्को और एनबीवीएल के साथ एमओयू किए गए हैं। मार्च 2023 तक, दक्षिण बालंदा ओसीपी खदान-I में 0.642 मिलियन घन मीटर, जगन्नाथ ओसीपी में 1.215 मिलियन घन मीटर और भरतपुर ओसीपी में 2.289 मिलियन घन मीटर भरा जा चुका है।
- पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए, एमसीएल ने खानों में बाहरी डंप और भरे हुए आंतरिक डंप (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) के साथ-साथ अन्य भूमि और रास्ते के खाली हिस्सों में भी मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। जैविक सुधार और वृक्षारोपण का विवरण नीचे दिया गया है:

#	प्रकार	अवधि	कुल
1	वृक्षारोपण	2022-23	396825 नग 250.68 हेक्टेयर (12 हेक्टेयर घास के साथ)
2			69,81,215 नग 3288.85 हेक्टेयर
3	वितरण	2022-23	45150 नग
4		Since Inception	1,06,327 नग

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 45,150 पौधे वितरित किए गए।
- कार्बन पृथक्करण: जैविक पुनर्ग्रहण के कारण निर्मित कार्बन सिंक स्थापना के बाद से 1,62,433 टन CO2 eq है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बनाया गया कार्बन सिंक 12774 te CO2 eq है।
- आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में विशेष रूप से फल देने वाले, फूल देने वाले और औषधीय पौधों और पेड़ों के साथ वृक्षारोपण भी किया जाता है।
- नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा जनरेट किए गए रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि सुधार/पुनर्स्थापन की निगरानी 16 ओपनकास्ट खदानों > 5 मिलियन घन मीटर/वर्ष और 01 ओपनकास्ट कोयला खदानों <5 मिलियन घन मीटर/वर्ष वित्तीय वर्ष, 2022-23 के दौरान सी.एम.पी.डी. आई.एल. के माध्यम से ईब-वैली और तालचेर कोलफील्ड्स दोनों में की गई है।

20.2.5 अपशिष्ट प्रबंधन:

- संकटजनक अपशिष्ट (एच.ई.एम.एम. से जले हुए तेल और प्रयुक्त बैटरी) को पंजीकृत पुनर्चक्रण की नीलामी पर बेचा गया है।
- 2022-23 के दौरान संकटजनक अपशिष्ट जैसे 637 कि.ली. जला हुआ तेल 2,90,01,034.00 रुपये, 21,87,630.00 रुपये मूल्य की 970 बैटरी, 32,05,383.00 रूपये मूल्य की 362 अपशिष्ट टायर और 39,61,507.00 रुपये मूल्य की 27 मीट्रिक टन अपशिष्ट(सीयू) के साथ अन्य संकटजनक अपशिष्ट को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा गया।
- चिकित्सा इकाइयों से जैव चिकित्सा और अन्य संकटजनक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
- कॉलोनियों में कूड़ा उठाने के लिए अलग-अलग कूड़ेदान रखे गए हैं।.



भरतपुर एफ़एमपी परियोजना का हवाई दृश्य

20.2.6 पर्यावरणीय निगरानी:

- वर्ष 2022-23 के दौरान सी.एम.पी.डी.आई., आर.आई.-VII के माध्यम से वायु, जल और शोर की नियमित पर्यावरण निगरानी की गई है जिसमें परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, जिसकी अनुमानित लागत 24,27,78,333.22 करोड़ रूपये हैं। आर.ई.एम. कार्य जीएसआर.742(ई), ई.सी./सी.टी.ओ./सी.टी.ई. शर्तों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या किसी अन्य वैधानिक निकाय के निर्देशों के अनुपालन में किए जाते हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यप्रणाली, आवृत्ति आदि को सख्ती से बनाए रखा गया था।
- निगरानी के परिणाम कानून के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. को प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी परिणाम मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।
- ईब नदी और ब्राह्मणी नदी के इन-टेक कुएं और कनिहा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी के निर्वहन बिंदु पर चार निरंतर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.)कार्य कर रहे हैं।
- वर्ष 2022-23 में हिंगुला और बलराम ओसीपी में दो सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) चालू किए गए हैं। ये मौजूदा 12 सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) के अतिरिक्त हैं जो एमसीएल में परिचालित हैं।

20.3 वेब साइट प्रकाशन:

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर नियमित रूप से निम्नलिखित पर्यावरण सूचना प्रकाशित और अद्यतन कर रहा है।

- पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अर्ध-वार्षिक अनुपालन द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परिवर्तन परियोजना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परियोजना के एसपीसीबी द्वारा जारी की जाने वाली स्थापना और संचालन के लिए सहमति।
- एस.पी.सी.बी द्वारा जारी प्रत्येक परियोजना का संकटजनक अपशिष्ट प्राधिकरण।
- एमसीएल के सभी संचालित खानों का पर्यावरणीय विवरण।
- वार्षिक और मासिक नियमित पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट।
- सेटलाइट डेटा पर आधारित भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट।
- भूमि पुनरुद्धार।
- खान जल का उपयोग।
- एमसीएल की खानों में पर्यावरण और स्थिरता के सर्वोत्तम प्रक्रिया।

20.4 वर्ष 2022-23 के लिए खदान बंद करने की गतिविधियां:

एमसीएल में, हमारे पास खदान बंद करने की लागत जमा करने के लिए 19 ओ.सी.पी. और 9 यू.जी. के साथ 28 एस्क्रो खाते हैं। वर्ष 2022-23 में 103,82,76,884.00 रूपये की धनराशि जमा करायी गयी है और 31.03.2023 तक एस्क्रो खातों में शेष राशि ब्याज सहित 1409.6956 करोड़ रुपये है।

20.4.1 एम.पी. और एम.सी.पी. में परिवर्तन के कारण सी.सी.ओ. के साथ एस्क्रो करारों का निष्पादन:

एम.पी. और एम.सी.पी. के संशोधन के साथ विभिन्न खानों के एस्क्रो खातों में संशोधित खदान बंद करने की लागत जमा करना अनिवार्य हो गया है, इसलिए एमसीएल ने निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में सी.सी.ओ. मुख्यालय, दिल्ली के साथ संशोधित एस्क्रो समझौते निष्पादित किए गए हैं।

क्रमांक	परियोजना का नाम	संशोधित एस्क्रो करारों पर हस्ताक्षर करने की तिथि	संशोधन के कारण
1	भुवनेश्वरी ओसीपी(30 एमटीवाई(	02-08-2022	खदान उत्खनन क्षेत्र, खनन योग्य रिजर्व और परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन और उत्पादन क्षमता में 28 एम.टी.वाई. से 30 एम.टी.वाई. में परिवर्तन।
2	भरतपुर ओसीपी (20 एमटीवाई)	02-08-2022	कोयला भंडार और उत्पादन क्षमता में 26 एमटीवाई से 20 एमटीवाई में परिवर्तन।
3	कुलदा ओसीपी (21 एमटीवाई)	20-10-2022	उत्पादन समय-सारणी में 19.6 एमटीवाई से 21 एमटीवाई और खान की आयु 4 वर्ष से 11 वर्ष में परिवर्तन।
4	भुवनेश्वरी ओसीपी (30 एमटीवाई)	08-12-2022	परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन, उत्पादन लक्ष्य में परिवर्तन, निर्मित क्षेत्र और अनुसूची, शेष आरक्षित, खान का जीवन और स्ट्रिपिंग अनुपात।

उपरोक्त खानों के संबंध में संशोधित खदान बंद करने की लागत भी उनके संबंधित एस्क्रो खातों में जमा कर दी गई है।

20.4.2 एस्क्रो खातों से खदान बंद करने की गतिविधियों की प्रतिपूर्ति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, एमसीएल को मई-2022 में सीसीओ मुख्यालय, दिल्ली से निम्नलिखित 2 परियोजनाओं के लिए 1156.56 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति सूचना दिनांक 15.03.2022 को सीसीओ वेबसाइट में प्रकाशित किया गया था।

क्रमांक	**खान का नाम**	***प्रगतिशील एमसीपी गतिविधियों का चरण**	**सीसीओ द्वारा सहमत प्रतिपूर्ति योग्य राशि लाख रुपये में**
1	अनंता ओसीपी	चरण-1	632.31
2	लखनपुर ओसीपी	चरण-1	524.25
	कुल		**1156.56**

* चरण पांच वर्ष की अवधि को इंगित करता है।

20.4.3 खदान बंद करने की प्रतिपूर्ति फाइलें तैयार की गईं और लेखा परीक्षा एजेंसी, सी.एम.पी.डी.आई.-आर.आई.-VII को प्रस्तुत की गईं।

खदान बंद करने की प्रतिपूर्ति फाइलें तैयार की गई और निम्नलिखित विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा –से लेखा परीक्षा एजेंसी सी.एम.पी.डी.आई.-आर.आई.-VII को प्रस्तुत की गई।

चरण- I:

- ओरिएंट 1&2 भूमिगत
- ओरिएंट -3 भूमिगत
- ओरिएंट -4 भूमिगत
- एचबीएम भूमिगत
- एचआरसी- भूमिगत
- लिंगराजओसीपी
- बसुंधरा(पश्चिम) ओसीपी
- कनिहा ओसीपी
- लजकुराओसीपी
- जगन्नाथ ओसीपी
- बलराम ओसीपी

चरण-II:

- तालचेर यूजी
- अनंता ओसीपी (संशोधित)
- नंदिरा यूजी

20.4.4 खदान बंदी प्रतिपूर्ति फाइलों का लेखा परीक्षा किया गया और सी.सी.ओ को जमा किया गया।

सी.एम.पी.डी.आई. से लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, खदान बंद करने की प्रतिपूर्ति फाइलें सीसीओ मुख्यालय को प्रस्तुत की गई हैं। दिल्ली से एस्क्रो खाते के प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार हैः-

चरण - I:

- बलराम ओसीपी
- तालचेर भूमिगत
- कुलड़ा ओसीपी
- लजकुरा ओसीपी
- कनिहा ओसीपी
- लिंगराज ओसीपी

चरण - II:

- आननता ओसीपी (संशोधित)
- हिंगुला ओसीपी
- तालचेर भूमिगत
- समलेश्वरी ओसी

20.4.5. ईसी एंड एफसी अनुपालन की निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन

- 11.06.2019 को कोयला खदानों में ईसी और एफसी की स्थिति के अनुपालन की निगरानी के लिए एमओसी स्तर पर एक शीर्ष समिति का गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक 03.07.2019 को आयोजित की गई थी।
- एमओसी द्वारा जारी परामर्श के अनुसार 19.12.2022 को मुख्यालय स्तर पर और उसके बाद सभी क्षेत्रों में ईसी और एफसी शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्षेत्र स्तर पर तिमाही आधार पर और मुख्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक आधार पर नई बहु-विषयक समितियों का गठन किया गया है।
- अक्टूबर-दिसंबर 2022 और जनवरी-मार्च 2023 की तिमाहियों के लिए सभी क्षेत्र स्तरीय समितियों ने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया है।
- 1 बीटी उत्पादन योजना में शामिल मेगा परियोजनाओं की ईसी और एफसी स्थिति को ईआरपी के पीएस मॉड्यूल में नियमित रूप से अपलोड और मॉनिटर किया गया है।

20.4.6. पर्यावरण जागरूकता:

- विश्व पर्यावरण दिवस समारोह:

  विश्व पर्यावरण दिवस "केवल एक पृथ्वी" की थीम पर मनाया गया जहां चित्रकारी, अपशिष्ट कच्चा माल जैसी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और मुख्यालय में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसी तरह कर्मचारियों और आस-पास के गांवों के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतियोगिताएं भी कराई गईं।

- **कार्यशाला**

  एमसीएल में 30-07-2022 को "खान बंदी और सतत खनन, परिधीय गांवों को शामिल करके खाद्य वन और सामाजिक वानिकी का विकास, खनन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमता और आईओटी का उपयोग" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

20.4.7 इको पार्क

2 माइन इको-पार्क का पहला चरण पूरा हुआ - (ओरिएंट माइन नंबर 4 में चंद्र शेखर आज़ाद @

₹2.11 करोड़, और लिलारी ओसीपी में उत्कल उपावन @ ₹1.68 करोड़)

20.4.8 पर्यावरण पुरस्कार:

- गुवाहाटी में 24 अगस्त 2022 को आयोजित 22वें ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार समारोह में समलेश्वरी ओसीपी और भुवनेश्वरी ओसीपी ने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार जीता है।

20.4.9 आईएमएस/आईएसओ प्रमाणन:

एमसीएल को 09.11.2022 से एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आई.एम.एस.) प्रमाणीकरण के साथ प्रमाणित किया गया है जो तीन अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली मानकों का अनुपालन करता है, अर्थात् गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आई.एस.ओ. 9001:2015), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आई.एस.ओ. 14001:2015), व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली(ओ.एच.एस.ए.एस. 45001:2018), जो तीन साल यानी 08.11.2025 तक वैध है।

21. विक्रय और विपणन कार्य निष्पादन

एमसीएल ने हड़ताल, बंद और रेलवे द्वारा रेक की कम आपूर्ति के बावजूद 2022-23 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 192.75 मिलियन टन का ऑफ -टेक हासिल किया है।

21.1. मांग और ऑफ-टेक

2022-23 के दौरान 176 मिलियन टन ऑफ–टेक लक्ष्य की तुलना में 192.75 मिलियन टन था जो लक्ष्य का 109.52% है।
वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	2022-23			2021-22
	लक्ष्य	वास्तविक	% प्राप्ति	वास्तविक
ऊर्जा	146.2	149.028	102	127.12
सीमेंट	0.053	0.12	217	0.087
सीपीपी, अन्य और व्यापारी	29.747	43.65	147	49.16
सामूहिक उपभोग	0.00	0.0006	0	0.002
कुल	176.0	192.75	110	176.37

2022-23 के दौरान विभिन्न कारणों से कोयले की निकासी में कमी का कारण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र का नाम	2022-23		वास्तविक हानि	टिप्पणियां
	एमओयू लक्ष्य	वास्तविक		
बसुंधरा पश्चिम (महालक्ष्मी)	3.89	0.98	2.91	सियारमल खदान के गैर-परिचालन के कारण खानों से शून्य उत्पादन के कारण ऑफ टेक का नुकसान।
लखनपुर	28.50	28.07	0.43	रेलवे द्वारा कम रेक आपूर्ति के कारण रेल मोड के माध्यम से कम प्रेषण के कारण ऑफ टेक का नुकसान

ऊपर उल्लिखित विभिन्न कारणों से ऑफ-टेक में कुल नुकसान 3.34 मिलियन टन है लेकिन प्रभावी नुकसान शून्य था क्योंकि अन्य खानों ने 2022-23 के दौरान लक्ष्य से अधिक प्रेषण किया गया है।

21.2 वैगन लोडिंग

एमसीएल में 2022-23 के दौरान दैनिक औसत वैगन लोडिंग 87.5 रेक/दिन थी, जबकि 2021-22 के दौरान 86.5 रेक/दिन की तुलना में 1 रेक/दिन की वृद्धि हुई। लक्ष्या और आपूर्ति के विरुद्ध क्षेत्र-वार लोडिंग नीचे दी गई है:

(आंकडें रेक/दिन में)

कोलफील्ड्स	2022-23		2021-22	
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	वास्तविक
ईब-वैली	42.6	36.3	36.3	35.3
तालचेर	56.8	51.3	51.3	51.2
कुल	99.4	87.5	87.5	86.5

21.3. ई-नीलामी:

2022-23 के दौरान एमसीएल ने स्पॉट ई-नीलामी योजना के तहत 17.474 मिलियन टन की पेशकश की थी, जिसके मुकाबले विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक 6462.28 करोड़ रुपये का प्रीमियम दर्ज करते हुए 17.472 मिलियन टन बुक किया गया था।

21.4. ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और समझौता ज्ञापन

2022-23 के दौरान एमसीएल ने 31.34 मि.टन की कुल वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु उपभोक्ता के साथ 473 संख्या में एफएसए/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

22. कोयले की गुणवत्ता में सुधारः

एमसीएल ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पूरा करने के लिए विभिन्न बिजली घरों के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं को उचित आकार और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नमूना मात्रा के आधार पर ग्रेड अनुरूपता लगभग 82% और प्रेषण मात्रा आधार 86% है।
- एमसीएल ने अप्रैल-2022 एवं जनवरी-2023 के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के भारित औसत घोषित ग्रेड और भारित औसत विश्लेषित ग्रेड के बीच शून्य ग्रेड अंतर (+139 जीसीव्ही अंतर) हासिल किया है। इसके अलावा, 100% से अधिक समझौता ज्ञापन उपलब्धि(एमओयू), पुनः यह साबित करती है कि एमसीएल किसी से पीछे नहीं है, जिसका अर्थ है कि वर्ष भर उपभोक्ताओं को आपूर्त किए जाने वाले कोयले की समग्र गुणवत्ता कोयले के सुनिश्चित ग्रेड से बेहतर है।
- पारादीप बंदरगाह पर पिछले वर्ष की तुलना में बड़े आकार के मामलों की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।(पिछले वित्तीय वर्ष: 3.28%, वर्तमान वित्तीय वर्ष: 2.13%)
- एमसीएल 9 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का प्रचालन करता है और एनएबीएल प्रत्यायन के समय-समय पर नवीकरण से भी गुजरता है, जो एनएबीएल प्रत्यायन बोर्ड के विशेषज्ञों की टीम से महत्वपूर्ण जांच से गुजरता है।
- अगस्त 2022 में, कोयला कंपनियों के लिए गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उपभोक्ता संतुष्टि हासिल करने और उसे प्रबल करने के लिए उपभोक्ताओं के साथ लगातार बातचीत की जा रही है।
- उपभोक्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों के साइडिंग में कोयला लदान प्रणाली व्यवस्था के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया। पारदर्शिता के उद्देश्य से और गुणवत्ता के मोर्चे पर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए, सभी साइडिंग/लोडिंग पॉइंट पर रजिस्टर रखे गए हैं, जिनमें लोडिंग के समय उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित क्षेत्रों द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, जिससे उपभोक्ता का विश्वास प्रबल होता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा नियमित रूप से गुणवत्ता के मोर्चे पर खानों, साइडिंग और कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति या दोष पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए सूचित किया जाता है।
- बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने के लिए, मित्रा एसके प्राइवेट लिमिटेड को कोयला प्रेषण के नमूने के लिए सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। टीपीएस एजेंसी का विकल्प नहीं चुनने वालों के लिए भी संयुक्त नमूनाकरण का विकल्प भी है।
- वर्ष 2022-2023 के दौरान, 78% कोयला प्रेषण को तीसरे पक्ष के नमूने के रूप में कवर किया गया और बाकी उपभोक्ताओं को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- एमसीएल में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन कोयला राख, नमी और जीसीवी विश्लेषक, लिंगराज क्षेत्र, एमसीएल में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और इसके संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से 25.02.2023 को सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त किया गया था। यह दोहरी ऊर्जा संचरण तकनीक (एएम241 और सीएस137 रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करके) और माइक्रोवेव तकनीक को प्रसारित करता है।
- एसएपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को गुणवत्ता संबंधी डेटा को कैप्चर करने और घोषित ग्रेड से तीसरे पक्ष/ रेफरी ग्रेड के अंतर के मामले में वित्तीय निपटान के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीएल में लगभग 96% कोयले का उत्पादन सरफेस माइनर्स के माध्यम से किया गया । इससे 82% ग्रेड की अनुरूपता को बनाए रखने में मदद मिली है और वृहदाकार के मामले कम हुए है।
- भरतपुर ओसीपी ने बड़े आकार के कोयले की क्रशिंग के लिए एक मोबाइल इन-पिट क्रशर लगाया है और यह 28.05.2022 से कार्य कर रहा है, जिसे वर्तमान में जगन्नाथ ओसीपी में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को -100 मिमी कोयले की आपूर्ति में सुविधा होगी और हॉपर से कोयले को उतारने में आसान हो जाएगी। इसकी क्षमता 3000 टीपीडी है।
- हिंगुला ओसीपी में, मोबाइल क्रशर चालू हो गया है और 15.09.2022 से परिचालन में है।
- कोयला गुणवत्ता पर नियमित "गुणवत्ता संवेदीकरण" बैठकें सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर से प्रारंभ होने वाले कर्मचारियों, जैसे विभागीय/संविदात्मक पे लोडर ऑपरेटरों, भूतल माइनर ऑपरेटरों, कोल फेस पर्यवेक्षकों, कोल लोडिंग पर्यवेक्षकों, कोल फेस ओवर मेन और माइनिंग सरदारों, कोयला प्रभारी, प्रेषण प्रभारी, साइडिंग प्रभारी, परियोजना एवं क्षेत्र के कोयला उत्पादन के शिफ्ट प्रभारी एवं उपभोक्ता प्रतिनिधि, कोयला उत्पादन एवं प्रेषण में शामिल सभी कर्मियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जा रही हैं।
- कोयले के उत्पादन और प्रेषण के लिए, सभी साइडिंग/प्रेषण बिंदुओं में प्रत्येक तिमाही में त्रैमासिक गुणवत्ता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रेषण में शामिल कर्मचारियों के बीच कोयले की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए परियोजनाओं, खानों, रेलवे साइडिंग आदि के गुणवत्ता कर्मियों/लोडिंग कर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है।
- वर्ष 2022-2023 में कोयले की गुणवत्ता के महत्व, कंपनी के व्यवसाय पर इसके प्रभाव और प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तकनीकी निरीक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- कोयले के नमूने तैयार करने के लिए मौजूदा स्थितियों के सेट में नए क्रशर और पल्वराइज़र जोड़े गए, जिससे नमूनों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या को पूरा करने में मदद मिली।

23. सुरक्षा और बचाव

कई अंतर्निहित, परिचालन और व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखिमों की उपस्थिति के कारण कोयला खनन अत्यधिक विनियमित उद्योग है। "सुरक्षित खनन" हमारी कंपनी का मुख्य लक्ष्य है। शून्य दुर्घटना लक्ष्य के साथ कंपनी की खानों को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन और संचालित किया जाता है। व्यावसायिक खतरों और संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न संसाधन प्रदान किए गए हैं और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

1. एमसीएल की सुरक्षा नीति को लागू करना:

एमसीएल के "मिशन स्टेटमेंट" में सन्निहित एमसीएल के संचालन में सुरक्षा को हमेशा प्रमुख महत्व दिया जाता है। एमसीएल सीआईएल की सुरक्षा नीति का पालन करता है। सुरक्षा नीति को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं:

- सभी खानों कीवैज्ञानिक डिजाइन और योजना।
- सभी खनन कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की नियुक्ति ।
- खान सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन और आधारभूत संरचना का प्रावधान।
- सक्षम पर्यवेक्षी कर्मचारियों और खान अधिकारियों के माध्यम से पर्याप्त पर्यवेक्षण का प्रावधान।
- खदान सुरक्षा की निगरानी के लिए बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ)।
- खनन संचालन के लिए तकनीकी आयामों में निरंतर और सतत सुधार।
- खानों में सुरक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक फोरम में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना।

2. दुर्घटना सांख्यिकी

क्र.	विवरण	2022-23	2021-22
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	2	1
2	मृतकों की संख्या	2	1
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	3	4
4	गंभीर क्षति की संख्या	3	4
5	मृत्यु दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.010	0.006
	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.066	0.033
6	गंभीर क्षति की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.016	0.024
	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.100	0.133
7	स्थान-वार मृत्यु		
	भूमिगत	0	0
	ओपन कास्ट	2	0
	एजी	0	1

3. सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम :

एमसीएल ने वर्ष 2022 -2023 में खानों में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा वर्तमान कार्यरत सुरक्षा संबंधी पहलों के साथ-साथ कई उपायों का सख्ती से पालन किया है, जो नीचे दिए गए हैं-

क. वैज्ञानिक अध्ययन -

सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञता के माध्यम से और अन्य वैज्ञानिक एजेंसियों और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से उपलब्ध कराई गई वैज्ञानिक योजना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन।

(i) सीआईएमएफआर, सीएमपीडीआईएल जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा एमसीएल में सभी ओपनकास्ट खानों की कार्यप्रणाली, अल्टिमेट पीट स्लोप , डंप ढलान और ढलान स्थिरता की निगरानी की योजना और बनाई गई है और काम किया गया है।

(ii) भू-तकनीकी डेटा, जिसमें एक समर्थन योजना भी शामिल है, पर विचार करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर भूमिगत कार्यस्थलों की छत और किनारों को सुरक्षित करने के लिए सभी भूमिगत खानों के लिए स्ट्रैटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान (एससीएएमपी) तैयार किया गया है।

ख. सुरक्षा प्रबंधन योजना

(i) सुरक्षा प्रबंधन योजना आधारित जोखिम मूल्यांकन की सभी खानों के लिए अद्यतन और समीक्षा की गई है।

(ii) प्रत्येक खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना को उपयुक्त संसाधनों और जोखिम की तीव्रता को कम करने/उन्मूलन करने के लिए नियंत्रण उपायों के साथ पीएचएमपी- प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना विकसित करने पर पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है।

(iii) सुरक्षा प्रबंधन योजना में आपातकालीन निकासी और पुन: प्रवेश प्रोटोकॉल के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश भी शामिल हैं, जो ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) के आधार पर सभी प्रमुख खतरों के लिए संभावित हैं, जिनमें कई घातक घटनाएँ हैं।

(iv) साइट विशिष्ट, जोखिम मूल्यांकन आधारित सभी परिचालनों की एसओपी मानक संचालन प्रक्रियाएं विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर तैयार, परिचालित और प्रदर्शित की गई हैं।

ग. पर्याप्त सुरक्षा कोष और सुरक्षा उपकरणों की खरीद का प्रावधान:-

सुरक्षा मदों की खरीद के लिए पर्याप्त सुरक्षा राशि प्रदान की गई है। माल की खरीद और उपक्रम कार्यों के लिए जल्द से जल्द क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन(डीओपी) दिया गया है और पूंजी और राजस्व प्रकृति की सेवाओं को पूरा किया जा सकता है । तदनुसार, मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर विभिन्न सुरक्षा मदों की खरीद की जाती है:

(i) सभी कर्मचारियों को अस्वस्थता और चोटों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट, सुरक्षा फुटवियर, एलईडी कैप लैंप आदि, पीपीई प्रदान किए जाते हैं:

क. 23025 जोड़ी कैनवास शूज और 8030 जोड़ी गम बूट्स की खरीदारी की गई।

ख. 5054 नग खनिकों की सुरक्षा हेलमेट की खरीद की गई है।

(ii) एक्सकेवेटर, डम्पर, डोजर, सरफेस माइनर्स और ड्रिल के संचालन के लिए दो सिमुलेटर खरीदे गए।

(iii) वर्ष 2022-23 में खरीदे गए अन्य सुरक्षा मदें:

- सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर-1250 ।
- अग्निशामक - 732 ।
- पर्सनल डस्ट सैम्पलर -22
- लोड सेल-35 ।
- मल्टी गैस डिटेक्टर -19 ।
- डिजिटल वेइंग बैलेंस-07 ।
- एयर-कंडीशनर - 07 ।
- फायर- प्रॉक्सिमिटी सूट - 06
- इलेक्ट्रिक सायरन - 06 ।
- वीओडी मीटर–05
- वेन एनीमोमीटर–05 ।
- विस्फोटक-04 ।
- शोर स्तर मीटर-04 ।
- स्मार्ट बोर्ड-04 ।
- मल्टी गैस डिटेक्टर-04
- लक्समीटर-03 नग
- एलसीडी प्रोजेक्टर-03 नग
- एर्गोमीटर (साइकिल) - 03 नग
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम-02 नग
- मेथेनोमीटर कम टॉक्सिमीटर-02 नग
- रेस्क्यू वैन-01नग
- रेन गेज-01 नग
- वेन एनीमोमीटर–01 नग
- वाईब्रोमीटर-01 नग
- मल्टी जिम - 01 नग
- ट्रेडमिल -01 नग
- स्टेशन वैगन - 01 नग

- 62.5 केवीए डीजी सेट - 01 नग
- वाटर कूलर कम प्यूरीफायर - 01नग
- श्वसन तंत्र के लिए अतिरिक्त पुर्जे (बायोपैक-240R)

घ. प्रशिक्षण और लगातार सुरक्षा जागरूकता अभियान द्वारा कार्यबल के ज्ञान, कौशल और जवाबदेही में निरंतर सुधार-

a. प्रशिक्षण -

(i) कंपनी में सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षित प्रथाओं से पूरी तरह परिचित कराने और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को नौकरी से संबंधित पूरा प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दिनांक 26/09/2022 से 29/09/2022 तक टाटा हिताची ट्रेनिंग सेंटर, खड़गपुर प्लांट में 8 एचईएमएम ऑपरेटरों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) 56 लोगों ने ओडिशा फायर एंड डिजास्टर रिस्पांस एकेडमी (ओएफडीआरए), भुवनेश्वर में "अग्निशमन और बचाव अभियान प्रशिक्षण" पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

(iii) दिनांक 19/08/2022 से 20/08/2022 तक माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया में फायर टेंडर के संचालन और सुरक्षा विशेषताओं के साथ एक "बुनियादी अग्निशमन प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 10 संविदा कर्मचारियों और 17 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया था।

(iv) "शट डाउन प्रक्रिया और विद्युत सुरक्षा" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जून 2022 को मीटी तालचेर में संपन्न हुआ जिसमें 46 व्यक्तियों (कक्षा + सबस्टेशन में प्रयोगिक) ने भाग लिया। "शट" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(v) जगन्नाथ क्षेत्र में दिनांक 06/07/2022 को सुरक्षा एवं बचाव विभाग, सीआईएल के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा एसएमपी अपडेशन, एसओपी की तैयारी और मूल कारण विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सुरक्षा एवं बचाव विभाग, एमसीएल और तालचेर कोलफील्ड्स के अन्य खानों/क्षेत्रों के अधिकारियों ने भाग लिया।

(vi) दिनांक 29/07/2022 को एमईईटीआई, के. कर्मशाला (उत्खनन), तालचेर में आयोजित "एमसीएल कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 44 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(vii) इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), हैदराबाद में 22 से 25 नवंबर, 2022 तक "विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाएं और दुर्घटना रोकथाम" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 08 विद्युत अधिकारियों ने भाग लिया।

(viii) एमआरएस, ओरिएंट एरिया, एमसीएल में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 11 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच 21 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 07/10/2022 से 19/10/2012 तक आयोजित किया गया।

(ix) दिनांक 30/01/2023 से 10/02/2023 तक ओरिएंट क्षेत्र, एमसीएल में आयोजित 11 दिनों के प्रमाणन पाठ्यक्रम के साथ 34 प्रतिभागियों के लिए दूसरा बैच के किए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

ख. जागरूकता

(i) खानों में विशिष्ट विषय खान कर्मचारियों में सुरक्षा जागरूकता विस्तार पर नियमित रूप से खानों में विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी खानों में विभिन्न विषयों पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया जो इस प्रकार है:

क्र.	विशेष सुरक्षा अभियान की तिथियाँ	विषय
1.	04/05/2022 to 10/05/2022	यातायात प्रबंधन और यातायात सड़क का रखरखाव
2.	23/05/2022 to 28/05/2022	मानसून की तैयारी
3.	14/06/2022 to 16/06/2022	विद्युत कार्य, शट डाउन प्रक्रिया/लोटो प्रणाली
4.	19/07/2022 to 21/07/2022	ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग
5.	23/08/2022 to 27/08/2022	वैज्ञानिक अध्ययन, बेंच ज्यामिति, कोयला/ओबी डंप प्रबंधन
6.	07/10/2022 to 12/10/2022	प्रकाश व्यवस्था का मानक
7.	23/11/2022 to 30/11/2022	एसएम, डोजर, ग्रेडर, ओबी रिपर, क्रेन का संचालन और रखरखाव
8.	27/01/2023 to 31/01/2023	विद्युत स्थापना, ट्रांसमिशन लाइन, अर्थिंग आदि का संचालन और रखरखाव।
9.	23/02/2023 to 28/02/2023	वर्कशॉप, वर्कशेड, एम/सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस शॉप
10.	16/03/2023 to 22/03/2023	सभी प्रकार के कोयले, ओबी परिवहन के लिए खदान से डंपिंग स्थान तक यातायात प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (विभाग और संविदात्मक) में सुरक्षा प्रणाली

(ii) काम करने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए, खान पर्यवेक्षकों, अधिकारियों(विभाग और अनुबंध) द्वारा उनके अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को टूल बॉक्स सुरक्षा सुरक्षा जागरूकता दी जाती है।

(iii) एमसीएल की सभी खानों में खान कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा विषयों पर आधारित मासिक "सुरक्षा दिवस" मनाया जाता है जिसमें पीएससी सदस्य और आईएसओ, एमसीएल के अधिकारी भी भाग लेते हैं। एक खदान को विशेष रूप से चुना जाता है और कॉर्पोरेट सुरक्षा सदस्यों द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है।

(iv) 06 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक सभी खानों/कार्यशालाओं/सबस्टेशनों/जीवीटीसी/एमसीएल के संविदात्मक प्रतिष्ठानों में वार्षिक सुरक्षा पखवाड़ा 2022-23 के उत्सव के माध्यम से एक भव्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2022-23 के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया:

क. व्यापार परीक्षण जिसमें सभी क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल।

ख. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सभी क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल ।

ग. सुरक्षा जागरूकता के आभासी प्रचार और प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग।

(v) एमसीएल और सीआईएल के सुरक्षा वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से खान कर्मचारियों के बीच साझा किए गए हैं और जहां साझा करना संभव नहीं था वहां खदान कर्मचारियों के बीच स्क्रीनिंग की गई।

ग. संगोष्ठी और कार्यशाला

(i) काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ के विश्व दिवस के अवसर पर दिनांक 28/04/2022 को एमसीएल मुख्यालय में "एक सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण - चलो एक साथ काम करें" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ii) 15 जुलाई 2022 को भुवनेश्वर में डीजीएमएस कार्यालय में खानों में कार्यरत कामगार निरीक्षकों के लिए एक दिवसीय इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें दो क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों और आईएसओ अधिकारियों के अलावा विभिन्न खानों के कामगार निरीक्षकों ने भाग लिया।

(iii) दिनांक 03/08/2022 को लखनपुर ओसीपी में "यातायात नियम और गति सीमा" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

(iv) क्षेत्रीय स्तर के खनन अधिकारी के लाभ के लिए 11 नवंबर, 2022 को डीजीएमएस कार्यालय, भुवनेश्वर में "विनियमों और विधानों के अनुपालन की दृष्टि से रॉक ब्रेकिंग और ब्लास्टिंग के यांत्रिकी को समझने में सुधार" पर एक दिवसीय इंटरैक्टिव तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई।

(v) एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर में 26 नवंबर 2022 को " राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला खनन में चुनौतियां और उद्योग 4.0 की कार्ययोजना में परिवर्तन" पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था।

(vi) डीएमएस, भुवनेश्वर क्षेत्र द्वारा त्रिवेणी सम्मेलन हॉल, लखनपुर क्षेत्र में 18/06/2022 को खान अधिकारियों, सुरक्षा समिति के सदस्यों और लखनपुर ओसीपी और बेलपहाड़ ओसीएम के ठेकेदार प्रतिनिधियों के साथ एक लघु संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।

(vii) जगन्नाथ क्षेत्र द्वारा 08/09/2022 को "खानों में यांत्रिक और विद्युत रखरखाव में सर्वोत्तम अभ्यास" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें डीजीएमएस, एसईजेड, रांची के डीएमएस (मैकेनिकल) और डीएमएस (इलेक्ट्रिकल) ने अन्य लोगों के साथ भाग लिया।

(viii) दिनांक 12/12/2022 को लखनपुर ओसीपी में यातायात नियम एवं परिवहन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

घ. सूचना प्रोद्योगिकी पहल

(i) खान सुरक्षा ऐप- एमसीएल ने सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा संबंधी जानकारी को आसानी से साझा करने के लिए सुरक्षा ऐप का विकास और अनुरक्षण किया है। सुरक्षा संबंधी सभी जानकारी जैसे डीजीएमएस परिपत्र, दुर्घटना आंकड़े, महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठकों के कार्यवृत्त, आईएसओ परिपत्र आदि एप में अपलोड किए जाते हैं। ऐप को "माइन सेफ्टी इंफो" टैग के तहत गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

(ii) संबंधित खानों को 15 दिनों के अंतराल पर एसएमएस और ईमेल के रूप में स्वचालित सुरक्षा चेतावनी भेजने की एक प्रणाली मैगज़ीन लाइसेंस/अधिष्ठाता परिवर्तन/विस्फोटक वैन की वैधता समाप्त होने से छह महीने पहले मौजूद है।

ङ. 2022-23 के दौरान एमसीएल की सभी ओपनकास्ट और भूमिगत खानों में एमसीएल की अंतर-क्षेत्रीय बहु-विषयक टीमों द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा (सेफ़्टी ऑडिट) को पूरा किया गया।

च. खानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए सभी क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों, विद्युत सुरक्षा अधिकारियों और क्षेत्र के भू-तकनीकी सेल और स्तर नियंत्रण कक्ष के प्रमुख के साथ नियमित समन्वय बैठक आयोजित की गई।

छ. बीमारी का पता लगाने के लिए कामगारों और पर्यवेक्षकों की नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि समय पर उनका इलाज किया जा सके। वर्ष 2022-23 के दौरान, एमसीएल के पीएमई केंद्रों में 5590 विभागीय कर्मचारियों और 1440 संविदा कर्मियों की आवधिक चिकित्सा जांच की गई।

4. **ङ. पुरस्कार/इनाम:**

- 2021-22 में सुरक्षा में कोयला मंत्री पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार - दिनांक 18/08/2022 को आयोजित एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोहनई दिल्ली में एमसीएल के सभी कार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति में माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को प्रदान किया गया। ।
- 2021-22 में सुरक्षा में कॉर्पोरेट पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार दिनांक 01/11/2022 को कोलकाता में 48वें सीआईएल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा सचिव (कोयला), अतिरिक्त सचिव कोयला और अध्यक्ष, सीआईएल की उपस्थिति में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को प्रदान किया गया। ।
- एमसीएल बचाव दल ने दिनांक 14.11.2022 से 18.11.2022 तक मैसर्स एचज़ेडएल धारीबा, राजस्थान में आयोजित अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया। और पांच पुरस्कार जीते।



नई दिल्ली में कोयला मंत्री के पुरस्कार 2022-23 में कार्यात्मक निदेशकों और सीवीओ के साथ एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

5. **माइन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और रेस्क्यू सर्विसेज**

- प्रत्येक खदान में कानून के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाई गई है और आपात स्थिति से निपटने के लिए संगठन भी बनाया गया है।
- डंप विफलता, आग, बाढ़, बड़े पैमाने पर छत गिरने जैसे विभिन्न विषयों पर आपातकालीन कार्य योजना की प्रभावशीलता की जांच के लिए नियमित मॉक रिहर्सल आयोजित की गई है।
- सभी यूजी खानों में पलायन मार्गों का सीमांकन किया गया है।
- इसके अलावा एमसीएल के पास खानों में आपात स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईब वैली कोलफील्ड्स में एक अच्छी तरह से सुसज्जित माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया और तालचेर कोलफील्ड्स में एक आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र है। यह रेस्क्यू स्टेशन न केवल एमसीएल की खदानों बल्कि पड़ोसी निजी भूमिगत खानों की भी सेवा प्रदान करता है।

एमसीएल की बचाव सेवाओं द्वारा पूरी की गई विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार हैं:

माइंस रेस्क्यू स्टेशन और आरआरआरटी ने 2022-23 के दौरान कुल 23 आपातकालीन/अग्रिशमन कार्यों में भाग लिया, 01 खदान परिसर में और 22 किसी भी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं थे, बल्कि पास के समाज/सिविल टाउनशिप में उत्पन्न आपातकाल थे ।

1. 20 लोगों को बचाव और रिकवरी कार्य का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया
2. 231 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में बचाव और रिकवरी ऑपरेशन में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया।
3. एमसीएल के 231 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उन्हें स्वस्थ पाया गया।
4. 2022-23 के दौरान तीन निजी भूमिगत खानों मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायगढ़ की गैयर पाल्मा IV/5, मैसर्स अंबुजा सीमेंट, रायगढ़ क्षेत्र की गैयर पाल्मा IV/8 और मैसर्स आईएमएफए की क्रोमाइट खानों को इस दौरान प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई॥

5. माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर में आयोजित अग्निशमन के संबंध में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 104 व्यक्तियों ने भाग लिया।
6. आस-पास के स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को आग के संभावित खतरों और संबंधित सुरक्षा संबंधी जागरूकता प्रदान करने के लिए अग्नि सुरक्षा पर प्रदर्शन दिया गया।
7. खानों और एमआरएस में नियमित अंतराल पर सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और आत्म बचाव प्रदर्शन का आयोजन क्यी गया ।
8. एमआरएस, ओरिएंट एरिया में दिनांक 19.04.2022 से 20.04.2022 तक जोनल रेस्क्यू प्रतियोगिता आयोजित की गई।

24. कंप्यूटरिकरण

एमसीएल का प्रणाली विभाग कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। वर्ष 2022-2023 के दौरान एमसीएल में की गई कम्प्यूटरीकरण गतिविधियों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

1. **ईआरपीआई कार्यान्वयन** – निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करने के लिए संगठन में उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) एप्लिकेशन लागू किया गया है: -
   - माल और सेवाओं के लिए सामग्री प्रबंधन (एमएम)
   - संयंत्र रखरखाव (पीएम)
   - उत्पादन योजना (पीपी)
   - मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम)
   - परियोजना प्रणाली (पीएस)
   - वित्त और नियंत्रण (एफआईसीओ)
   - बिक्री और वितरण (एसडी)

   वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तीन तिमाही लेखा बही को ईआरपी के माध्यम से बंद कर दिया गया है। एसएपी ईआरपी को निम्नलिखित बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है:-
   - जीईएम पोर्टल के माध्यम से एसएपी में खरीद आदेश (पीओ) के लिए जीईएम पोर्टल
   - ई-खरीद के लिए जीईपी एनआईसी पोर्टल
   - कई बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि ऑनलाइन भुगतान/प्राप्तियों के संग्रह को सक्षम करने के लिए।
   - कोयले की ई-नीलामी के लिए एम-जंक्शन
   - एफओआईएस पोर्टल से एसएपी सर्वर तक रेल बिक्री डेटा (आरआर विवरण आदि) के प्रवाह के लिए एफओआईएस
   - i3MS पोर्टल और एसएपी सिस्टम के बीच डेटा के प्रवाह (बिक्री आदेश और प्रेषण विवरण आदि) के लिए i3MS पोर्टल
   - एमजीआर वेब्रीज आंकड़े एकीकरण

2. **अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) का कार्यान्वयन** - गैर-ईआरपी आधारित एप्लिकेशन- अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली को आईबी वैली क्षेत्र में अपने केंद्रीय अस्पताल में लागू किया गया है, जिसमें रोगी पंजीकरण, बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का प्रबंधन, आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) का प्रबंधन, सिक-फिट सर्टिफिकेट, फार्मेसी का प्रबंधन, पैथोलॉजी शामिल है। रेडियोलॉजी, मेडिकल स्टोर, शेड्यूलिंग डॉक्टर / नर्स, आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) / प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई), ऑपरेशन थिएटर (ओटी) प्रबंधन, रोगी बिलिंग, टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर), बीमा प्रबंधन, चित्र अभिलेखीय और संचार व्यवस्था (पीएसीएस) आदि सुविधाएं। अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) साप ईआरपी के साथ एकीकृत है।

3. **वेब और ईमेल सेवाएं**- एमसीएल की वेबसाइट **"www.mahanadicoal.in"** को फिर से डिजाइन किया गया है और पूरी तरह से नई वेबसाइट चालू कर दी गई है। वेबसाइट कॉर्पोरेट मुख्यालय में स्थापित वेब सर्वर पर होस्ट की गई है। वेबसाइट को एसएसएल प्रमाणपत्र के उपयोग के माध्यम से सुरक्षित बनाया गया है। पोर्टल ईमेल सर्वर "mail.mahanadicoal.in" को एसएपी ईआरपी सिस्टम से सीधे उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को ईमेल के माध्यम से डिलीवरी ऑर्डर, बिक्री चालान और भुगतान जानकारी भेजने के लिए एसएपी ईआरपी सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर और एकीकृत किया गया था।

4. **लाख रुपये से कम की निविदा**- 2 लाख रुपये से कम की निविदाओं का विवरण दर्ज करने के लिए एक पोर्टल आधारित एप्लिकेशन सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा संबंधी दस्तावेज अपलोड करने और इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार्य समय अवधि के भीतर इसे डाउनलोड करने की सुविधा है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ी है।

5. **एमसीएल इंट्रानेट**- एमसीएल इंट्रानेट सर्कुलर/मैनुअल/निर्देशों को साझा करने के लिए एक आंतरिक पोर्टल है और इसे आंतरिक कर्मचारियों द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इंट्रानेट कहीं से भी और कभी भी वर्तमान, अतीत की जानकारी प्रदान करता है, और कंपनी के अधिकारियों के बीच सूचना अंतर को समाप्त करने के लिए है और साथ ही बाहरी लोगों को अवांछित जानकारी के प्रसार से बचने के लिए है।

6. **इंटरनेट लीज्ड लाइन** - लीज्ड लाइन-हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अतिरेक के साथ प्रदान की गई है। क्षेत्रों और परियोजनाओं के कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर अपनी अलग इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन कॉर्पोरेट लैन के माध्यम से मुख्यालय में उपलब्ध हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा तक भी पहुंच सकते हैं।

7. **ई-ऑफिस**- दस्तावेजों के प्रेषण/प्राप्ति, और फाइलों के निर्माण/स्थानांतरण के लिए पूरे संगठन में ई-ऑफिस पूरी तरह से कार्य कर रहा है। ई-ऑफिस का समर्थन एमसीएल के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, जब भी आवश्यक हो, फाइलों के तेजी से निपटान के लिए, घर से बढ़ाया गया है। और कार्यालय। सभी स्थानों पर ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप फाइलों का तेजी से संचलन और त्वरित निपटान हुआ है। वर्ष के दौरान ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू की गई नई ई-फाइलों की कुल संख्या 35642 है, और कार्यालय के माध्यम से संचालित ई-फाइलों की कुल संख्या 35642है। वर्ष के दौरान दर्ज की गई कुल प्राप्तियां 13914 हैं।

8. **आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण** – वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण के साथ-साथ अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध नए 526 कंप्यूटर (पीसी) खरीदे गए और ईआरपी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रों में स्थापित किए गए।

9. **आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना** – वित्त वर्ष 2022-2023 में समग्र एमसीएल में 49 नेटवर्क उपकरणों और 8 सर्वरों का एक सुरक्षा ऑडिट (VAPT और PENTEST) आयोजित किया गया था, और STQC, MEITY और भारत सरकार से सुरक्षा अनुपालन प्रमाणन प्राप्त किया गया था। एमसीएल ने अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता (जागरूकता) दिवस मनाया है, और निम्नलिखित कुछ प्रमुख गतिविधियां पालन किया गया हैं:

   - वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान प्रत्येक माह पहले बुधवार को पोस्टर/बैनर/स्टैंडी लगवाए गए और व्हाट्सएप समूहों और एसएमएस संदेशों के माध्यम से साइबर जागरूकता के बारे में जानकारी दी की गई।
   - साइबर जागरूकता कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है।
   - दैनिक सूचना तकनीकी गतिविधियों से संबंधित क्या करें और क्या न करें की पुस्तिका एमसीएल के सभी कर्मचारियों को वितरित की गई है।
   - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारत सरकार के विशेष सचिव से प्राप्त अनुपालन के एक भाग के रूप में साइबर जागरूकता माह, अक्टूबर 2022 में एक लीफलेट का विमोचन किया गया, जिसमें छह प्रमुख मापदंडों पर प्रकाश डाला गया है।

10. **एमसीएल में ई-प्रोक्योरमेंट** - एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली, जो 15.08.2009 को शुरू की गई थी, सफलतापूर्वक चल रही है और अब तक इस मोड के माध्यम से 156248 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान को लागू करने से एमसीएल को अत्यधिक लाभ हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने के चक्र के समय में उल्लेखनीय कमी आई है, और इसने निविदा प्रबंधन प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की है। विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की जा रही बयाना जमा (ईएमडी) का प्रबंधन स्वचालित कर दिया गया है, और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद असफल बोलीदाताओं को अस्वीकृति के अगले दिन स्वचालित रूप से ईएमडी वापस कर दी जाती है। बेहतर पारदर्शिता और बोलीदाताओं की सुविधा के कारण संगठन की साख में वृद्धि हुई है। एसएपी के कार्यान्वयन के बाद, खरीद प्रक्रिया की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम को एसएपी के साथ एकीकृत किया गया है। कंपनी में आईटी का और अधिक लाभ उठाने के लिए कई गैर-ईआरपी अनुप्रयोग प्रचालन में हैं ।

   i) **उत्पादकता सुधार योजना**- एमसीएल की विभिन्न खुली खदानों में उत्पादकता सुधार योजना का सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक चल रहा है। विभागीय सरफेस माइनर ऑपरेटरों के लिए प्रोत्साहन गणना का ध्यान रखने और समय-समय पर एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना में बदलावों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर में नियमित संशोधन किया जा रहा है। एसएपी-ईआरपी में पीआईएस-ओसीपी का स्थानांतरण प्रगति पर है।

   ii) **इलेक्ट्रॉनिक पूंजी निधि प्रबंधन** - पुनर्विनियोग सहित पूंजीगत निधि आवंटन पर नज़र रखने के लिए मॉड्यूल चालू है। आवश्यकतानुसार प्रक्रियात्मक परिवर्तन समय-समय पर मॉड्यूल में शामिल किए जा रहे हैं।

   iii) **ऑनलाइन अनुबंध प्रबंधन प्रणाली** - अनुबंध प्रबंधन निगरानी प्रणाली मॉड्यूल का उपयोग सभी कोयला और ओबी संबंधित अनुबंधों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से अनुबंध विवरण, काम की शुरुआत, मुख्यालय / क्षेत्र / परियोजना में दैनिक कार्यनिष्पादन को शामिल करने के लिए किया जाता है। मॉड्यूल में विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध हैं। इसने अनुबंधों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

भावी योजना/अन्य चालू गतिविधियाँ

आंतरिक परिवहन से संबंधित वेब्रिज का एसएपी के साथ एकीकरण - आंतरिक परिवहन से संबंधित कोयला उत्पादन के संबंध में वेब्रिज से एसएपी तक डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए वेब्रिज को एसएपी के साथ एकीकृत किया जाएगा। विद्युत एवं यान्त्रिकी विभाग, मुख्यालय द्वारा संबंधित नाप-तौल विक्रेताओं के साथ इसका कठोरता से पालन किया जा रहा है।

25. दूरसंचार

- **ईआरपी और कोलनेट के लिए निरर्थक डेटा संचार नेटवर्क:**

ईआरपी और कोलनेट के लिए एमपीएलएस नेटवर्क एमसीएल के 284 स्थानों पर स्थापित किया गया है, जिसमें मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग करके सभी डेटा उत्पादन बिंदुओं जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, एमटीके, वे-ब्रिज आदि शामिल किया गया है। इसके अतिरेक में, आपकी कंपनी में 116 डेटा उत्पादन बिंदुओं को कवर करने वाला बीएसएनएल का एमपीएलएस नेटवर्क भी स्थापित किया गया है।

पूरे एमसीएल में सभी लिंकों की निगरानी के लिए एमसीएल मुख्यालय में एक 24x7 नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) भी स्थापित किया गया है, साथ ही लिंक में किसी भी व्यवधान की स्थिति में त्वरित मरम्मत भी की गई है।

आपकी कंपनी ने बीएसएनएल से सभी 284 स्थानों के लिए उन्नत बैंडविड्थ के साथ अनावश्यक कनेक्टिविटी की स्थापना के लिए भी एक पहल की है।

- **क्षेत्रों में ई-ऑफिस का विस्तार:**

आपकी कंपनी ने उपरोक्त नेटवर्क आधारिक संरचना का उपयोग करके ई-ऑफिस की सुविधा को सभी क्षेत्रों और खानों तक विस्तारित किया है। इसके परिणामस्वरूप फाइलों का तेजी से संचलन एवं कंपनी के सभी कार्यों का शीघ्र कार्यान्वयन हुआ है।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम:**

आपकी कंपनी ने त्वरित और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा सहयोगी निर्णय लेने के लिए एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट (सार्वजनिक नेटवर्क) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के लिए एक उद्यम ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है। यह सिस्टम एमसीएल के लाइसेंस्ड एंटरप्राइज ग्रेड मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट और क्लाइंट सर्वर पर चलता है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी द्वारा क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवाएं भी प्राप्त की गई हैं, जिनका उपयोग घर या कार्यालय से स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ-साथ वीसी एंड पॉइंट्स के द्वारा किया जा रहा है। आपकी कंपनी द्वारा 2022-23 में इन संसाधनों का उपयोग करके हजारों वीडियो कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, बैठकें, प्रशिक्षण, वेबिनार, कार्यक्रम आदि निष्पादित किए गए हैं।

इन संसाधनों ने कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की यात्रा लागत के साथ-साथ यात्रा के अनगिनत घंटों में करोड़ों रुपये की बचत की है।

बैठकों के दौरान संचार में आसानी के लिए एमसीएल मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है

- **पट्टे पर लाइनों का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी:**

आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय, एमसीएल क्षेत्रों (केंद्रीय कर्मशाला, तालचेर, केंद्रीय कर्मशाला, ईब-वैली और एनएससीएच तालचेर सहित) में पट्टे पर लाइनों का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की है। इन हाई स्पीड लिंक का उपयोग निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ-साथ एमसीएल में अन्य बैंडविड्थ का व्यापक अनुप्रयोग जैसे बीएसएनएल, रेलटेल (आरसीआईएल) और पावर ग्रिड (पीजीसीआईएल) की सेवाओं का उपयोग करके एमसीएल वेबसाइट की मेजबानी, वीटीएस एप्लिकेशन और डेटाबेस सर्वर, सीसीटीवी कैमरों की स्ट्रीमिंग आदि के लिए किया जाता है।

- **हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट:**

आपकी कंपनी द्वारा अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए 24x7 संचार और सूचना चैनल सुनिश्चित करने के लिए एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों और कुछ अन्य अधिकारियों को कार्यालयों और आवासीय कार्यालयों में ब्रॉडबैंड/एफ़टीएचएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन के अलावा ऑन-द- गो इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इन सभी आगमनों ने दैनिक संचार को कागज से इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बचत हुई है। आपकी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में वाई-फाई नेटवर्क स्थापित किया गया है।

- **मोबाइल सीयूजी सुविधा:**

आपकी कंपनी द्वारा ओडिशा राज्य में संगठन की विभिन्न इकाइयों में सेवारत एमसीएल के सभी अधिकारियों, जेसीसी सदस्यों, प्रमुख कर्मचारियों, रेलवे साइडिंग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, बचाव ब्रिगेड कर्मियों और खान बचाव स्टेशनों के चालकों, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली आदि के लिए मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर 24x7 असीमित संचार को सक्षम करना है, जिससे एमसीएल के संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

- **आईपी आधारित सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क:**

कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के भीतर गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा एक आंतरिक आईपी आधारित क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क बनाया गया है। यह सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क एमपीएलएस नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर सीएमडी, निदेशकों, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, परियोजना अधिकारियों आदि के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है।

- **टेलिफ़ोन एक्सचेंज:**

इन कार्यालयों में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स सिस्टम की हजारों लाइनें स्थापित की गई हैं।.

- **जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली:**

आपकी कंपनी द्वारा 3900 से अधिक निजी ट्रकों/टिप्परों, एचईएमएम, और कोयले और ओबी के उत्पादन और आंतरिक परिवहन में लगे अन्य वाहनों के साथ-साथ सुरक्षा विभाग द्वारा गश्त के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीपीएस आधारित वीटीएस (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम) इकाइयां स्थापित की गई

हैं। भू-बाड़े के उल्लंघन, यात्रा, तय की गई दूरी आदि से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के साथ-साथ इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर परियोजनाओं और क्षेत्रों के संबंधित उपयोगकर्ताओं को स्वतः उत्पन्न एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं।

यदि वाहन भू- बाड़े सीमा पार कर रहे हैं तो अलर्ट उत्पन्न करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा मार्गों के साथ-साथ खदान की सीमा की जियो-फेंसिंग की गई है। अलर्ट की निगरानी के लिए एमसीएल-मुख्यालय और आपकी कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

- **अस्पताल प्रबंधन प्रणाली:**

केंद्रीय अस्पताल, ईब वैली में अन्य इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों के साथ हाई स्पीड नेटवर्क स्थापित किया गया है। इस बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए, अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसने अस्पताल में रोगी डेटाबेस और उपचार प्रक्रिया के संगठन में काफी सुधार किया है।



आनंद विहार अस्पताल, एमसीएल में डिजिटल डिस्पेंसरी

- **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:**

आपकी कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए खानों और कंपनी के अन्य प्रतिष्ठानों में 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी प्रणाली स्थापित की है। आपकी कंपनी ने अनधिकृत गतिविधि की संभावनाओं को और कम करने, और सुरक्षा बढ़ाने और अनधिकृत वाहनों और कर्मियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की है।

- **अभिगम नियंत्रण के लिए बूम बैरियर सिस्टम:**

आपकी कंपनी ने खानों में वाहनों के अनधिकृत प्रवेश की संभावना को कम करने के लिए आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए पहल की है। जल्द ही इसके लिए आपूर्ति आदेश जारी होने की उम्मीद है।

- **वीएचएफ संचार:**

आपकी कंपनी ने कोल फेसेस तक परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में वीएचएफ संचार नेटवर्क स्थापित किया है। परिचालन दक्षता में वृद्धि के लिए इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है।

- **भूमिगत संचार प्रणाली:**

तीव्र और सुरक्षित संचार के लिए आपकी कंपनी द्वारा सभी भूमिगत परियोजनाओं में भूमिगत संचार प्रणाली स्थापित की गई है। विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में पर्यावरणीय टेली-निगरानी प्रणाली का भी रखरखाव किया जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

26. अनुषंगी उद्योगों का विकास:

एमसीएल स्थानीय नवोदित उद्यमियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व द्वारा पर्याप्त हिस्सा देकर उन्हें एक स्थायी व्यवसाय प्रदान करता है।

उपरोक्त कारणों से, एमसीएल के पास पूर्ण विकसित एमएसएमई-अनुषंगी विकास सेल है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ओडिशा राज्य के भीतर अपने परिचालन अधिकार क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उसे विकसित करने के लिए सभी प्रयासों को शुरू करता है, अनुमति देता है और उसे प्रोत्साहित करता है।
- राज्य के उद्योग निदेशालय और डीआईसी की मदद से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुर्जों की उपलब्धता में सुधार, आयात, प्रतिस्थापन।
- राज्य के इलाके की युवा आबादी के बीच स्वरोजगार और उनमें आत्म-निर्भरता का दायरा बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करना।
- राज्य में आम जनता की समृद्धि और राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य का उन्नयन और इस राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एमएसई और महिला एमएसई सहित एमएसई के औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानक प्राप्त करने की नई गतिशीलता तक पहुंचने के लिए समायोजित करना।

कंपनी की स्थापना के बाद से, एमसीएल ने ओडिशा के एमएसई की मदद और उनका विकास किया है। एमसीएल के इंजीनियरिंग और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े विभिन्न उपभोज्य पुर्जों / वस्तुओं और सेवा संबंधी कार्यों के लिए एमएसईएस् इकाइयों को निविदाएं प्रदान की गईं।

इसके अलावा, एमएसई को जीवित रखने के अपने निरंतर प्रयासों में, एमसीएल उन सहायक इकाइयों को स्थायी व्यवसाय दे रहा है जो गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति और शीघ्र वितरण कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त एमएसई के लिए 358 आइटम आरक्षित हैं जो विशेष रूप से केवल एमएसई से खरीदे जाते हैं जिसके लिए एक विशेष एनआईटी भी तैयार की जाती है।

एमसीएल लगातार अनुषंगी इकाइयों के साथ संपर्क में है और समय-समय पर पारस्परिक सत्र /बैठकें आयोजित करके उनकी शिकायतों का निवारण करने का प्रयास कर रहा है। एमसीएल राष्ट्रीय हित के साथ गुणवत्ता, विपणन और समग्र व्यापार विकास तथा राज्य के एमएसएमई के उत्थान के लिए हमेशा उनके साथ है। इसे राज्य और राष्ट्रीय निकायों द्वारा विभिन्न मंचों में भी मान्यता दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में, कोविड महामारी के बावजूद, एमसीएल ने दस (10) विक्रेता विकास कार्यक्रमों (एससी/एसटी और महिलाओं के स्वामित्व वाले 02 एमएसई) का आयोजन/भाग लिया है।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार के सचिव द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार; सार्वजनिक खरीद नीति का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 से अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई 2013 से मौजूदा सहायक नीति के साथ इस नीति को तैयार और कार्यान्वित किया था। एमसीएल द्वारा एमएसई और सहायक के लिए अनुसरित नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल में सहायक और एमएसई शीर्षक के तहत निम्न लिंक पर (http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf) उपलब्ध है।

- एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद में से न्यूनतम 25 प्रतिशत की खरीद एमएसई से की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाएगा। हालांकि, ऐसे एमएसई के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल1 मूल्य को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित खरीद के लिए 4% उप-लक्ष्य अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत की खरीद भी महिला उद्यमी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाएगी।
- निविदा में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करते हुए अपनी कीमत को एल-1 मूल्य तक कम करके आवश्यकता के एक हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसी स्थिति में जहां एल-1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा किसी अन्य से है और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक आपूर्ति करने की अनुमति होगी।
- व्यवसाय करने की लेनदेन लागत को काम करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना मूल्य निविदा दस्तावेज प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बयाना राशि के भुगतान से छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 453 वस्तुओं की खरीद, जिन्हें उनसे खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मानक एनआईटी पहले ही लागू किया जा चुका है, जिसमें केवल एमएसई या एमएसई के अधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं और इसमें दूसरों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- यह उल्लेखनीय है कि एमसीएल की 2.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए ई-निविदा अपनाने की नीति है जिसमें एमएसई सहित सभी भाग ले सकती हैं बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

एमसीएल की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक खरीद और एमएसई से खरीद नीचे दी गई है:

		2020-21	2021-22	2022-23
1	एचईएमएम इमारती, पीओएल, लकड़ी, विस्फोटक आदि को छोड़कर कुल वार्षिक खरीद (करोड़ रु में)	86.22	427.18	216.72

2	एमएसई से कुल खरीद (करोड़ रु में)	34.40	166.03	150.16
3	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का %	39.89	38.87	69.29

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल वार्षिक खरीद में से एमएसई के लिए 69.29% (एचईएमएम, पीओएल, इमारती लकड़ी, विस्फोटक आदि को छोड़कर एमएसएमई के माध्यम से खरीद का लक्ष्य 35% है) खरीद हासिल की है और लगातार न्यूनतम 25% लक्ष्य हासिल किया है और वह न्यूनतम लक्ष्य को लगातार हासिल करने और भविष्य में इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

एमसीएल आरएक्सआईएल (रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्लेटफॉर्म के माध्यम से TReDS (ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकृत है। एमएसएमई विक्रेताओं को TReDS पोर्टल पर पंजीकरण करने और आरएक्सआईएल (RXIL) प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में बोली लगाने वालों के डेटाबेस को अपडेट कर रहा है, 25% के लक्ष्य को प्राप्त करने और उसमें सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।

27. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

औद्योगिक संबंध:

एक प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में, कंपनी ने संगठन में सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए अपने श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ स्वस्थ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे हैं। इसने बाहरी एजेंसियों और खनन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है।

उच्च विकास प्राप्त करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध महत्वपूर्ण है और इसलिए, कंपनी ने हमेशा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने पर जोर दिया है। इस वर्ष भी एमसीएल त्रि-स्तरीय आईआर प्रणाली तंत्र यानी इकाई, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर औद्योगिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण रूप से बनाए रखने में सफल रहा है। मुद्दों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर, कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर हल किया गया।

औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहा और वर्ष 2022-23 के दौरान कोई आम हड़ताल नहीं हुई, जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

प्रबंधन के साथ औद्योगिक संबंधों के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सभी चार परिचालित ट्रेड यूनियनों के प्रयास अत्यधिक सराहनीय थे।

सहभागी प्रबंधन:

दिन-प्रतिदिन के मामलों में निर्णय लेने के साथ-साथ प्रबंधन के साथ एक निश्चित स्तर तक कॉर्पोरेट योजना में कर्मचारियों की भागीदारी, कॉर्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागी प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए अपनी स्थापना के बाद से इस सिद्धांत को अपनाया है।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को जेसीसी और वेलफेयर बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए परिचालित ट्रेड यूनियनों (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) द्वारा नामित किया जाता है। उक्त द्विपक्षीय मंचों के अलावा, क्षेत्र के साथ-साथ कॉर्पोरेट स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियाँ भी कार्य कर रही हैं जिनमें परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। उपर्युक्त द्विदलीय और त्रिपक्षीय समितियाँ कुछ निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थीं।

एमसीएल अपने कर्मचारियों के बीच न केवल सहभागी प्रबंधन के माध्यम से कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण वातावरण और एकजुटता विकसित करने में विश्वास करता है, बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़े आदि के अवसर पर बहस और संगोष्ठी में भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को भी आत्मसात करता है।

महिलाओं के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ताकि वे अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करना जारी रखें, अधिक आत्मविश्वास से उभरें और समावेशी विकास की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से योगदान दें, एमसीएल ने विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) मंच में प्रशिक्षण और सेमिनारों में अपनी महिला कर्मचारियों की भागीदारी के माध्यम से नेटवर्किंग, सूचना और विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है।

2022-23 में कंपनी/ क्षेत्र/ परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध, कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी आदि से संबंधित नियमित संरचित बैठकें आयोजित की गईं जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारी शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और समस्याओं का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया। इस तरह की चर्चाओं के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं में सुधार और संगठन के दिन-प्रतिदिन के मामलों की बेहतरी के लिए कई नए विचार और सुझाव भी उभरकर सामने आए।

इसके अलावा, कोविड-19 के लिए सरकार के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोल इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सिस्टा) के साथ क्षेत्र/मुख्यालय में बैठकें आयोजित की गईं। जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कदम उठाए गए।

सहभागी प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम की शुरुआत करते हुए इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ के एक सदस्य को निम्नलिखित मंचों में शामिल किया गया है:-

i) आवास आवंटन समिति।

ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति।

iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति।

27.3 प्रशिक्षण और विकास

प्रशिक्षण और विकास एमसीएल की कॉर्पोरेट नीति का अभिन्न अंग है, जो संगठनात्मक विकास की कुंजी के रूप में मानव संसाधन के विकास की परिकल्पना करता है। एचआरडी विभाग को मौजूदा मानव संसाधन के साथ-साथ एमसीएल में शामिल नई जनशक्ति के निम्नानुसार सम्पूर्ण विकास के लिए स्थापित किया गया है:

i) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए प्रासंगिक तकनीकी प्रगति को बनाए रखना,

ii) सुरक्षा, संरक्षण, गुणवत्ता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की मांग को पूरा करना,

iii) राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की उभरती कार्यनीति से निपटना

iv) प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से कार्यालयीन कार्य- व्यक्तिगत जीवन संतुलन, तनाव से राहत, शिष्टाचार, संचार कौशल, व्यावसायिक नैतिकता, आचरण आदि को बनाए रखना।

एमसीएल की कुल जनशक्ति को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i) अधिकारी ;

ii) गैर-अधिकारी ;

a) पर्यवेक्षक,

b) कर्मचारी (संविदात्मक और विभागीय)

प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार को विस्तृत रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i) तकनीकी

ii) प्रबंधकीय और

iii) व्यावहारिक

एमसीएल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्र और संस्थान हैं:

i) जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर क्षेत्र, ओरिएंट क्षेत्र, लखनपुर क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।

ii) बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान (बीटीआई), खनन-सह-उत्खनन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (MEETI), के. कर्मशाला, तालचेर और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), एमसीएल, मुख्यालय।

iii) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) रांची;

iv) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी), नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एनएएचआरडी) एचआरडी, आईआईएम, आईआईटी, परिवर्तन राजभाषा अकादमी, गांधी लेबर फाउंडेशन आदि।

मा.सं.विकास विभाग प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार करता है ताकि सीआईएल/ एमसीएल में परिकल्पित सीखने और विकास की नीति, सलाह नीति, प्रतिभा प्रबंधन नीति, कौशल विकास नीति आदि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी संस्थानों के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत किया जा सके। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्न के विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है:

अधिकारी :

i) आईआईसीएम, रांची में नए प्रवेशकों के लिए

a) प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम,

b) तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण,

c) कार्यकारी कौशल विकास प्रशिक्षण, और

d) प्रबंधकीय कौशल विकास प्रशिक्षण.

इसके अलावा, नए प्रवेशकों को एमसीएल की कार्य संस्कृति, जलवायु और वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए सीआईएल की सलाह योजना में शामिल किया गया है।

ii) **मौजूदा अधिकारी:** बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई, आईआईसीएम और भारत में स्थित अन्य प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्रों में मौजूदा अधिकारियों को उनके कैरियर विकास के साथ-साथ कौशल विकास/उन्नयन के साथ-साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में भावी तकनीकी विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

गैर अधिकारी :

i) पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षकों को उनके कौशल विकास और उन्नयन के लिए बीटीआई, एमईईटीआई, एमटीआई,जीएलएफ़ आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है।

ii) कर्मचारी (पर्यवेक्षकों के अलावा) संविदात्मक श्रमिकों सहित:

a) आधारभूत प्रशिक्षण: - सभी पाँच जीवीटीसी में व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार नए भर्ती किए गए श्रमिकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है,

b) पुनश्चर्या प्रशिक्षण: - मौजूदा कर्मचारियों को हर पांच साल में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पहले से ही सभी पांच जीवीटीसी में व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों / खानों में काम कर रहे हैं,

c) विशिष्ट प्रशिक्षण:- खानों में नई तकनीक/मशीनरी शुरू करने पर श्रमिकों को सभी पांच जीवीटीसी और उपकरण निर्माताओं की कार्यशालाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

d) नौकरी में बदलाव का प्रशिक्षण: - जब भी किसी कर्मचारी के नौकरी में बदलाव होता है, तो उसे तकनीक/मशीन/कार्यस्थल से परिचित कराने के लिए उसकी नौकरी की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है।

नई पहल :

1. एमसीएल के कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों/पीएपी के पुत्रों/पुत्रियों की पीडीपीटी के लिए अतिरिक्त 42 सीटों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और संबंधित पात्र उम्मीदवारों को एमसीएल की भूमिगत खदानों में उनके पीडीपीटी के लिए कार्यालय आदेश जारी किया गया है।

2. सीआईएल/एमसीएल के अधिकारियों को दिए जाने वाले आवश्यक प्रशिक्षण का विश्लेषण देने के लिए मैसर्स डेलॉयट को ठेका दिया गया था करना है ताकि वे अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने और आने वाले वर्षों में उच्च जिम्मेदारी लेने में सक्षम हो सकें। एमसीएल में मैसर्स डेलॉइट की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है।

3. भुवनेश्वर में मिनरेम के कार्य को आईआईसीएम के साथ एक उत्कृडष्टसता केन्द्रप बनाने के लिए अपनाया गया है।

4. एकीकृत सामुदायिक कंप्यूटरों के दो सेट(एक बीटीआई, लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा एमईईटीआई, सीडब्ल्यूएस, तालचेर में) खरीदे और शुरू किए गए हैं । यह आधुनिक गैजेट के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विजुअल क्लास-रूम एप्लिकेशन/स्मार्ट क्लास रूम के साथ-साथ वेब कैम और माइक के साथ एम्बेडेड कंप्यूटिंग के साथ एक इंटर-एक्टिव प्रोजेक्टर है।

5. एमसीएल में एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो आधुनिक सिमुलेटर (एक बीटीआई, लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा एमईईटीआई, सीडब्ल्यूएस, तालचर में) खरीदे गए और शुरू किए गए है ।

6. समूह वीटीसी/वीटी-सह-सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्रों (वीटी-एसईसी) (एक लखनपुर क्षेत्र में और दूसरा जगन्नाथ क्षेत्र में) के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए निविदा जारी की गई है।

वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए प्रशिक्षण विवरण :

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान दी जानेवाला प्रशिक्षण निम्नानुसार है:

01. वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कंपनी का समझौता ज्ञापन पैरामीटर और प्रशिक्षण लक्ष्य/उपलब्धियों का विवरण

क्र.	पैरामीटर के नाम	2021-22			2022-23		
		लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
1.	कुल अधिकारियों के 5% को उत्कृष्टता केंद्रों यानी आईआईटी आईआईएम, एनआईटी, आईसीडबल्यूएआई एएससीआई आदि में कम से कम एक सप्ताह/पांच दिन और उससे अधिक का प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर प्रतिभा प्रबंधन और करियर में प्रगति।	85	312	367%	90	227	252%

02. वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपरेंटिस अधिनियम, 1961 (संशोधित 2016) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना।

क्र.	कार्यरत प्रशिक्षु	2021-22	2022-23
1	अपरेंटिस के रूप में कार्यरत आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की संख्या (एनएपीएस के माध्यम से)	928	1054
2	संलग्न पीडीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	318	664
3	संलग्न पीजीपीटी की संख्या (एनएटीएस के माध्यम से)	24	151
	कुल	**1270**	**1869**

03. आंतरिक प्रशिक्षण - वर्ष 2021-22 और 2022-23 में एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई और जीवीटीसी

क्र.	कार्मिक	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	अधिकारी	1678	2019
2.	पर्यवेक्षक	834	989
3.	कर्मी	4484	4681
	कुल	**6996**	**7689**

04. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में बाह्य प्रशिक्षण का विवरण

क्र.	कार्मिक	वर्ष 2021-22	वर्ष 2021-22
1.	अधिकारी	1484	1253
2.	पर्यवेक्षक	42	150
3.	कर्मी	1	41
	कुल	**1527**	**1444**

05. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल प्रशिक्षण (आंतरिक एवं बाह्य)

क्र.	कार्मिक	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	अधिकारी	3162	3272
2.	पर्यवेक्षक	876	1139
3.	कर्मी	4485	4722
	कुल	8523	9133

06. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यापार नैतिकता और आचरण संहिता पर एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण

क्र.	प्रदत्त प्रशिक्षण	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	भारत में	01	निरंक
2.	विदेश में	निरंक	निरंक

07. वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्राप्त मैन डेज़ प्रशिक्षण

क्र.	कार्मिक	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	अधिकारी	9923	9741
2.	पर्यवेक्षक	3932	4174
3.	कर्मी	40834	37474
	कुल	54689	51389

08. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण

क्र.	छात्र	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	खनन अभियांत्रिकी	12	110
2.	खनन डिप्लोमा	44	169
3.	बी टेक	21	120
4.	एमबीए	26	96
5.	अन्य	15	63
	कुल	118	558

09. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	कार्मिक	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
1.	परियोजना प्रबंधन	24	29
2.	अनुबंध प्रबंधन	66	106
3.	जोखिम प्रबंधन	1	2
4.	पर्यावरण, वन प्रबंधन और भूमि अधिग्रहण	0	51
5.	सिम्युलेटर प्रशिक्षण	251	188
	कुल	342	376

1. शिक्षा

कल्याणकारी उपाय के रूप में, एमसीएल के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस सिलसिले में एमसीएल में 11 प्रोजेक्ट डीएवी पब्लिक स्कूल संचालित हैं। हाल ही में एमसीएल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 में 03 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया है अर्थात सुभद्रा क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय और तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय जो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से परिचालित हैं और महालक्ष्मी क्षेत्र में एक विद्यालय अभी तक चालू नहीं हुआ है।

एक नज़र में स्कूल की स्थिति:

	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	बजट प्रावधान
1	परियोजना स्कूल घाटे का वित्तपोषण (कुल)	11	रु. 62,37,34,076.25 स्वीकृत घाटा बजट (2022-23)
2	निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल (अनुदान सहायता)	17	रु. 82,06,800/- स्वीकृत बजट (2022-23)
3	केन्द्रीय विद्यालय	03	वित्त वर्ष 2022-23 में 540 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है

2. सीआईएल छात्रवृत्ति योजना

मेधावी छात्रों यानी कर्मचारियों के वार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रवृत्ति को दो श्रेणियों के तहत बढ़ाया जा रहा है, अर्थात i.मेरिट छात्रवृत्ति और ii. सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार सामान्य छात्रवृत्ति।

3. ट्यूशन फीस और हॉस्टल शुल्क की लागत के लिए वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए सीआईएल योजना:

यह योजना वैज बोर्ड के कर्मचारी के मेधावी बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास किराए की लागत की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीआईएल ट्यूशन प्रतिपूर्ति		
वर्ष	**प्रकरणों की संख्या**	**भुगतान की गई राशि**
वित्तीय वर्ष 2022-23	141	रु. 61,19,586.00

4. एमसीएल कर्मचारी परोपकारी निधि सोसायटी (ईबीएफएस):

- एमसीएल ईबीएफएस योजना का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है।
- इस योजना का सदस्य बनने के लिए एक दिन का वेतन एक बार के योगदान के रूप में काटा जाता है।
- इस योजना के फंड के लिए सदस्यों के वेतन से हर महीने 10 रुपये काटे जाते हैं।
- योजना के तहत मृत कर्मचारी के परिवार को 25,000 रुपये का लाभ दिया जाता है।

एमसीएल कर्मचारी परोपकारी निधि सोसायटी (ईबीएफएस)		
वर्ष	**प्रकरणों की संख्या**	**भुगतान की गई राशि**
वित्तीय वर्ष 2022-23	76	रु. 19,00,000.00

5. खेल और क्रीडा:

कर्मचारियों के बीच खेल, क्रीडा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एमसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 13 एमसीएल इंटर एरिया गेम्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स और ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2022-23, एमसीएल फाउंडेशन डे गोल्फ टूर्नामेंट 2022 और सीआईएल फाउंडेशन डे गोल्फ टूर्नामेंट 2022 आयोजित किया ।

6. वित्तीय सहायता:

एमसीएल कोलफील्ड्स के परिधीय क्षेत्र और पूरे भारत में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी मनोरंजन और बाहरी संगठनों के लिए इन-कंपनी संस्थानों जैसे मनोरंजन क्लब, कैंटीन, शैक्षिक संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष	**प्रकार**	**प्रकरणों की संख्या**	**भुगतान की गई राशि**
वित्तीय वर्ष 2022-23	इन-कंपनी	55	रु. 1,29,44,945.00
	बाहरी	42	रु. 17,10,000.00
	कुल	97	रु. 1, 46,54,945.00

7. वैधानिक सुविधाओं और मनोरंजन सुविधाओं का विवरण:

वैधानिक सुविधाएं		मनोरंजन सुविधाएं	
क्रेच	03	प्ले ग्राउन्ड	11
रेस्ट शेल्टर	79	स्टेडियम	05
कैन्टीन	35	चिल्ड्रन पार्क	19

बैंक	23	लाइब्रेरी	08
		ऑफिसर्स क्लब	19
		वर्कर्स क्लब	16
		ऑडिटोरीयम	8
		स्विमिंग पूल	03
		कल्याण मंडप	04
		गोल्फ कोर्स	04

8. अस्पताल:

उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की कंपनी-वार स्थिति:

कंपनी	डिस्पेंसरी	बिस्तर	डॉक्टर	एम्बुलेंस	आयुर्वेदिक	मोबाईल वैन	Mobile Van
एमसीएल	13	309	103	51	1	2	2

9. **एमसीएल के बसुंधरा और लखनपुर क्षेत्र में 50-50 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों के संचालन और प्रबंधन की आउटसोर्सिंग 05 वर्षों की अवधि के लिए:**

एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में 50 बिस्तरों वाले अस्पतालों के दो नंबरों के संचालन और प्रबंधन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है। ईओआई में छह बोलीदाताओं ने भाग लिया। वर्तमान में, उपरोक्त कार्य के लिए निविदा शीघ्र ही जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

10. संबलपुर में हॉकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना:

संबलपुर में हॉकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और इसे सिविल/टीए-कल्याण को परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए भेज दिया गया है ताकि इसकी विस्तृत योजना और रूपरेखा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, उक्त प्रयोजनार्थ भूमि के आबंटन के लिए जिला प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

11. इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश:

एमसीएल कर्मचारियों के वार्डों के कैरियर विकास के लिए, खनन, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अनुशासन में आईजीआईटी सारंग और ओएसएमई क्योंझर में 40% सीटों की बहाली की व्यवस्था की गई है। विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

संस्थान का नाम	डिसिप्लिन	एमसीएल कोटा के अंतर्गत सीटों की संख्या
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईजीआईटी), सारंग, ढेंकानाल	सिविल	8
	इलेक्ट्रिकल	8
	मेकेनिकल	8
ओड़ीशा स्कूल ऑफ माइनिंग एंड इंजीनियरिंग (ओएसएमई), क्योंझर	माइनिंग	16
महायोग		40

हर साल, 10 वीं बोर्ड के परिणाम की घोषणा के बाद, उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया (एमसीएल और आईजीआईटी सारंग और ओएसएमई क्योंझर अधिकारी) शुरू की जाती है।.

28. राजभाषा:

भारत सरकार की राजभाषा नीति को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम / कैलेंडर तैयार किया जाता है और सभी कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार किए जाते है।

वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीएल में निम्नलिखित कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन किया गया :

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 25.05.2022, 25.08.2022, 22.11.2022 एवं 24.02.2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनमें क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. राजभाषा कार्यशाला :

वर्ष 2022-23 में एमसीएल में कुल 57 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें 1875 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों को हिंदी भाषा में पत्र लेखन, टिप्पणी और मसौदा तैयार करने का अभ्यास कराया गया ।

3. भाषा प्रशिक्षण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी भाषा प्रशिक्षण हेतु हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम सत्र जनवरी-मई एवं द्वितीय सत्र जुलाई-नवंबर 2022 में परीक्षाएँ आयोजित की गई, जिसमें 160 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए। विवरण नीचे दिया गया है:-

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
2022-23	58	79	23	160

कोल इंडिया लिमिटेड के परिपत्र के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

4. कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:

वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 20.03.2023 से 25.03.2023 तक कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण तालचेर कोलफील्ड्स प्रतिभागियों के लिए एमईईटीआई(मीटि), तालचेर में, ईब वैली कोलफील्ड्स के प्रतिभागियों के लिए बीटीआई,लखनपुर और एमसीएल मुख्यालय के प्रतिभागियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), में आयोजित किया गया, जिसमें एमसीएल के 56 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

5. हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण :

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सौजन्य से राजभाषा विभाग, एमसीएल मुख्यालय द्वारा राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु दिनांक 16.01.2023 से 20.01.2023 तक एमसीएल मुख्यालय में पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल के 28 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

6. हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत वेलिडेशन कार्यक्रम :

हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता द्वारा प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए वेलिडेशान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 09.03.2023 से 15.03.2023 तक तीन विभिन्न कार्यस्थलों पर यथा मुख्यालय के प्रतिभागियों के लिए एमटीआई, आनंद विहार, ईब वैली कोलफील्ड्स के प्रतिभागियों के लिए बीटीआई लखनपुर और तालचेर कोलफील्ड्स के प्रतिभागियों के लिए जीवीटीसी तालचेर में आयोजित किया गया, जिसमें 80 परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

7. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाडा :

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार, राजभाषा विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिनांक 14.09.2022 को सूरत (गुजरात) में सामूहिक हिंदी दिवस/राजभाषा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया।

14 से 29 सितंबर 2022 तक एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर, हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण और आलेखन, चित्र कहानी लेखन, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, ऑनलाइन राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता और ऑनलाइन टिप्पण प्रतियोगिता(विभागाध्यक्षों के लिए) आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

दिनांक 29.09.2022 को हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर श्री ओ.पी. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल एवं श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), श्री पी.के. पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना)/तकनीकी (संचालन), तथा श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) द्वारा प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

8. अखिल भारतीय हिन्दी हास्य कवि सम्मेलन:

राजभाषा पखवाड़ा-2022 के समापन समारोह के अवसर पर दिनांक 29.09.2022 को एमसीएल मुख्यालय में "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

9. राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना :

एमसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष "एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" दिया जाता है। इस वर्ष एमसीएल के सभी क्षेत्रों को भी मुख्यालय के विभागों की तरह 02 बड़े और छोटे समूहों और क्षेत्रों में स्थित 02 गैर-उत्पादक इकाइयों को कुल 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। कुल 14 में से 06 पुरस्कार बड़े एवं छोटे क्षेत्रों को तथा 06 पुरस्कार मुख्यालय के बड़े एवं छोटे विभागों को तथा 02 पुरस्कार गैर उत्पादक इकाइयों को दिये गए। वर्ष 2021-22 के लिए सभी 14 पुरस्कार दिनांक 29.09.2022 को राजभाषा पखवाड़ा-2022 के समापन समारोह में श्री ओ.पी. सिंह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए हैं। श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), श्री पी.के. पटेल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री जुगल कुमार बोरा, निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना)/तकनीकी (संचालन), और श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

10. विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2023 को महाप्रबंधक (राजभाषा) की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल हुए। इस अवसर पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉ. हरीश चंद्र शर्मा, पूर्व प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, संबलपुर और श्री हरिराम पंसारी, सलाहकार (राजभाषा) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर को संकाय सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री पंसारी द्वारा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हिन्दी में आसानी से कार्य करने के विभिन्न तकनीकी की जानकारी दी गई।

11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),संबलपुर की दो छ:माही बैठकों का जून एवं नवंबर में आयोजन किया जाता है। इस वर्ष प्रथम छ:माही बैठक दिनांक 24.06.2022 तथा द्वितीय छ:माही बैठक दिनांक 24.11.2022 को श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

12. नराकास, राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार :

नराकास, संबलपुर के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष "नराकास राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार" दिया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए चयनित सदस्य कार्यालयों को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार दिनांक 24.11.2022 को आयोजित द्वितीय छमाही बैठक में अध्यक्ष श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक) द्वारा प्रदान किए गए।

राजभाषा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यालयों द्वारा नराकास अंतर-कार्यालयीन राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने दिनांक 24.11.2022 को आयोजित छमाही बैठक में अध्यक्ष महोदय श्री केशव राव निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने नराकास सदस्य कार्यालयों के विजेता प्रतिभागियों को कुल 06 पुरस्कार प्रदान किए ।

13. हिंदी पुस्तकों की खरीद :

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल रु. 222,131.00 की पुस्तकें क्रय की गई, जिनमें से रु. 1,43,678.00 की हिंदी पुस्तकें क्रय की गई, जोकि कुल खरीद का 64.68% है।

14. एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

15. राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वेबसाइट में राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन रूप में देखा जा सकता हैं।

16. राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2022-23 के दौरान दो पत्रिकाएं नराकास, संबलपुर की गृह पत्रिका "संबलप्रभा"(दसवां संस्करण) और राजभाषा विभाग की गृह ई-पत्रिका "राजभाषा दर्पण" (तृतीय संस्करण) प्रकाशित की गईं। पहली पत्रिका दिनांक 24.06.2022 को एमसीएल मुख्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में तथा दूसरी दिनांक 29.09.2022 को राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह में विमोचित की गई।

29. भूमि/ आर एण्ड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आरएंडआर नीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।एमसीएल ओडिशा राज्य की आरएंडआर नीति का पालन करता है और 2022-23 के दौरान रोजगार/वार्षिकी के बदले में 494 रोजगार/नकद मुआवजा और स्थापना के बाद से रोजगार/वार्षिकी के बदले कुल 17,710 रोजगार/नकद मुआवजा प्रदान किया है। एमसीएल भूमि विस्थापितों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर कार्य कर रहा है।भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य केंद्रों, डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना की गई है। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध अपने मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों में सभी परिधीय ग्रामीणों को ओपीडी की सुविधा मुफ्त में या प्रति मरीज 2.00 रुपये के मामूली शुल्क पर प्रदान करता है।

एमसीएल प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्वास प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीएल ने 112.52 हेक्टेयर भूमि का भौतिक अधिकार प्राप्त किया है।



एमसीएल की सीएसआर पहल के तहत 100 बाल रुक्मिणी लाड़ बाल निकेतन भवन का भूमिपूजन।



बौध जिले की पारंपरिक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए एमसीएल और बौध जिला प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

30. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कंपनी होने के नाते, एमसीएल ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक- आर्थिक विकास उद्देश्यों में योगदान देने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है, जो अधिनियम 2013 में सीएसआर अधिनियम के समर्थन में आधारभूत नियम है ।

एमसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से समुदाय बनाम कंपनी इंटरफेस के संतुलन को आत्मसात और बनाए रखा है ।

कंपनी ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पानी की आपूर्ति, ग्रामीण समुदाय पर भारी निवेश किया है। एमसीएल पिछले कई वर्षों से ओडिशा राज्य में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा उच्चतम सीएसआर व्यय के संदर्भ में शीर्ष स्थान बनाए हुए है ।

वर्ष 2022-23 में कंपनी ने अनिवार्य बजटीय सीएसआर आबंटन 195.68 करोड रुपये की तुलना में 207.97 करोड रूपये खर्च किया ।

वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित परियोजनाओं पर प्रमुख सीएसआर व्यय किया गया । स्वास्थ्य सेवा के तहत, कंपनी झारसुगुडा में कार्डियक केयर सेंटर के निर्माण के लिए वित्त पोषण कर रही है और वर्ष 2022-23 में इस परियोजना पर 26.81 करोड रूपये खर्च हुए हैं । तालचेर में चल रही मेडिकल परियोजना पर 11.50 करोड रूपये खर्च किये गए हैं, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी आएगी । एमसीएल उडीसा के सभी 232 स्टेशनों के परिचालित क्षेत्रों में प्री- फैब्रिकेटेड शौचालय स्थापित करने के लिए वित्त पोषण कर रहा है और इस परियोजना पर वर्ष 15.03 करोड रूपये खर्च किए गए हैं ।

पाइप जलापूर्ति योजनाएँ कंपनी की सीएसआर परियोजनाएँ हैं जहाँ कंपनी का विचार 55.07 करोड रूपये के निवेश के साथ तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्र के 35 गाँव में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है । वर्ष 2022-23 में काम को पूरा करने के लिए 3.31 करोड रूपये खर्च किए गए हैं, परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और यह पूरी होने की कगार पर है । वर्ष 2022-23 में 3.42 करोड रूपये की लागत से 4 जल आपूर्ति योजनाओं वाली एक अन्य पाइप जलापूर्ति परियोजना पूरी की गई है । इस परियोजना से तालचेर ब्लॉक के दायरे में रहने वाले लगभग 20,000 ग्रामीणों को लाभ हो रहा है ।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहाँ कंपनी अपना सीएसआर कोष खर्च कर रही है । शिक्षा के तहत एमसीएल ने राज्य के 178 उच्च विद्यालयों के कायाकल्प कार्यक्रम में ओडिशा सरकार की सहायता किया है । इस परियोजना में एमसीएल ने वर्ष 2022-23 में 24.70 करोड रूपये खर्च किए है ।

एमसीएल को भारत सरकार के आकांक्षी विकास कार्यक्रम के तहत सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए ओडिशा के नुआपाड़ा, रायगढ़ा, कंधमाल और बंलागीर जिले के चार जिलों का आबंटन किया गया है । आंकाक्षी जिला विकास परियोजनाओं के तहत काम किया है और वर्ष 2022-23 में इन परियोजनाओं पर 8.32 करोड रूपये खर्च किए गए हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एमसीएल स्टेडियम निर्माण के लिए धन दे रहा है । जाजपुर जिले में 10.22 करोड रूपये की लागत से वहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया और यह कार्य वर्ष 2022-23 में पूरा हुआ । इस परियोजना पर वर्ष 2022-23 में 30.69 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं । इसी तरह एमसीएल संबलपुर जिले में खेल परिसर बुर्ला के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये का अनुदान दे रहा है । इस परियोजना पर वर्ष 2022-23 में 7.55 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं ।

समुदाय के कल्याण के लिए एमसीएल की कड़ी मेहनत और समर्पण को विभिन्न ख्यातिप्राप्त मंचों में मान्यता मिली है, वर्ष 2022-23 में एमसीएल को कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान हेतु राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 के लिए विजेता घोषित किया गया है और बाल- विकास में उल्लेखनीय व गौरवमय योगदान के लिए प्रशंसा की गई है ।

एमसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन किया है । अधिनियम की उपधारा 3(3) की धारा 134 के खंड(0) और कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व), वर्ष 2014 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण जैसा कि अधिनियम द्वारा आवश्यक है, **अनुलग्नक – I** में संलग्न है ।

31 जेंडर बजटिंग

आपकी कंपनी जेंडर मुख्य स्ट्रीमिंग को प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में जेंडर बजटिंग में दृढ़ता से विश्वास करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ महिलाओं और पुरुषों तक एक समान पहुंचें। एमसीएल में यह एक लेखा अभ्यास नहीं है, बल्कि नीति / कार्यक्रम निर्माण में लिंग परिप्रेक्ष्य रखने की एक सतत प्रक्रिया है, 31 मार्च 2023 तक कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 2580 थी जो एमसीएल के कुल कार्यबल 21827 का 11.82% है।

अपनी सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण एमसीएल ने हमेशा कंपनी के भीतर और बाहर लैंगिक विशिष्ट मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और सर्वोत्तम संभव प्रयासों के माध्यम से उन्हें अभिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- एमसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र (वीप्स) में महिलाओं को व्यापक प्रदर्शन और ज्ञान वृद्धि के लिए कंपनी के भीतर और बाहर संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने वाले अपने सदस्यों के साथ सक्रिय तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
- कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डेटाबेस का रखरखाव।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का उचित और समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सीआईएल के नियमों और विनियमों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को बाल देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- खदान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों की पत्नी/पत्नियों को रोजगार के लिए आयु में छूट।

- महिलाओं से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच आयोजित औद्योगिक संबंध बैठक में भाग लेने के लिए महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी और प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

यौन उत्पीड़न

वर्ष 2022-23 में प्राप्त शिकायतें	:	00
वर्ष 2021-22 में शिकायतों का निस्तारण	:	00
निपटान के लिए लंबित शिकायतें	:	01

31. जनसंपर्क

जनसम्पर्क (पीआर) हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित और अद्यतन रखकर कंपनी में विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी की जनसम्पर्क टीम हमेशा कंपनी के व्यावसायिक संचालन मं चुनौतियों के लिए संचार समाधान प्रदान करने के साथ-साथ विविध मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के लिए उत्तरदायी है।

वित्त वर्ष 2022-23 में, एमसीएल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की एक श्रृंखला दर्ज की और सभी उत्पादन मापदंडों में नई ऊंचाइयों को छुआ। आपकी कंपनी की जनसम्पर्क टीम (पीआर) ने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी की उपलब्धियों को विविध मीडिया के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया जाए और वे हमेशा अद्यतन रहें।

आपकी कंपनी विभिन्न जन संचार पहलों के माध्यम से विशेष रूप से एमसीएल कमांड क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक पहुंचती है, जबकि यह प्रेस-मीडिया को एक बल गुणक के रूप में मानती है जो कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक संबंधित और सामाजिक, पर्यावरणीय और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है।

नए युग के मीडिया की मदद और मीडिया बिरादरी के सहयोग से, हितधारकों के साथ हमारा संबंध हर दिन मजबूत हो रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में, एमसीएल ने विभिन्न अवसरों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 277 विज्ञापन जारी किए और पूरे भारत में 208 तकनीकी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया।

आपकी कंपनी ने 01 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर में एक वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी की उपलब्धि और प्रदर्शन पर जानकारी दी गई, जिसमें राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जनसम्पर्क टीम समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए स्वच्छता, पर्यावरण और सतर्कता के मुद्दों के लिए जागरूकता अभियान चलाने में सक्रिय रूप से शामिल रही। विभिन्न विषयों पर विवरणिका और ऑडियो-विज़ुअल इन्फो ग्राफिक्स बनाए गए थे, जो कंपनियों की उपलब्धियों को उजागर करते थे और पूरे वर्ष विभिन्न जनता को शामिल करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यक्रमों का आयोजन करते थे।

पारंपरिक मीडिया के अलावा कंपनी बड़े पैमाने पर हितधारकों के बीच सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रही है:

- Facebook @/mahanadicoal
- Twitter @/mahanadicoal
- YouTube @/MahanadiCoalfields
- Koo @/mahanadicoal
- Instagram @/pro.mcl

आपकी कंपनी ने आउटडोर मीडिया का उपयोग करके अपनी सार्वजनिक उपस्थिति भी बढ़ाई है। कंपनी के पास विज्ञापन-पट्ट और डिजिटल मीडिया के लिए समर्पित स्थान है जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कंपनी की उपलब्धियों और जागरूकता संदेशों को प्रदर्शित करता है। इसी तरह वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा के टर्मिनल बिल्डिंग में भी आपकी कंपनी की मौजूदगी है।

आउटडोर ब्रांडिंग अभियान के एक भाग के रूप में, एमसीएल ने कंपनी मुख्यालय और इसके कोयला क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर प्रमुख स्थानों पर 9600 वर्ग फुट के प्रदर्शन स्थान को किराए पर लेकर समाज के प्रति अपनी उपलब्धि और योगदान को प्रदर्शित किया है। एमसीएल ने नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में एक स्थायी ब्रांडिंग कला कार्य भी स्थापित किया जो ओडिशा में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।

आपकी कंपनी ने नौ प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और राष्ट्र निर्माण में एमसीएल के योगदान को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी प्रदर्शित की।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में, एमसीएल ने ओडिशा के बरगढ़ में एक सामुदायिक रेडियो पर स्वतंत्रता सेनानियों पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रायोजित किया। कर्मचारी जुड़ाव के लिए एक पहल के रूप में, जनसंपर्क विभाग ने एमसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए कैप्शन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।

33 सतर्कता गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

परिचय

इस अवधि के दौरान एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य लक्ष्य प्रोद्धोगिकी के उपयोग के माध्यम से पूर्व- सतर्कता संबंधी उपाय पर रहा है । कंपनी के व्यापार लेनदेन में मानवीय हस्ताक्षेप को कम करने के लिए मुख्य जोर भष्टाचार के चिहिन्त कमजोर क्षेत्र में प्राणालीगत सुधार पर सुझाव देना है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एक सीवीओ के मार्गदर्शन में निवारक, पूर्वानुमानित और पूर्व-खाली सतर्कता उपायों के रूप में विभिन्न क्षेत्र संचालनों के साथ-साथ प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को चिन्हित करने के लिए बार-बार औचक निरीक्षण किए गए हैं।

1. निवारक सतर्कता गतिविधियाँ

(अ) निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 37 औचक निरीक्षण एवं 6 नियमित निरीक्षण किये गये हैं । इस तरह के निरीक्षणों का प्रमुख ध्यान संचालन के क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली और प्रकियाओं को सुव्यवस्थित करने पर रहा है ।

(ख) वर्ष 2022-23 के दौरान प्राणालीगत सुधार किए गए

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राणालीगत सुधार की दिशाओं में निम्नलिखित 16 परामर्श जारी किए गए हैं-

क्र.सं.	विशिष्ट	दिनांक
01	स्पिलट एसी के लिए व्यापक वार्षिक रख- रखाव अनुबंध	04.04.2022
02	पात्रता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक शर्तों के संबंध में सलाह पात्रता मानदंड के तहत रखी जानी चाहिए और इस तरह के प्रतिबंध के खिलाफ युक्तिसंगत अनुकुल समय के साथ व्यावसाय के साथ व्यावसायिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।	25.04.2022
03	आर इ फाइल को आगे बढाने में देरी	26.05.2022
04	संविदा कर्मियों के सीएमपीफ और सीएमपीएसअनुपालन में गंभीर अनियमिताएँ	15.06.2022
05	एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड्स में इ.एंड एम निविदाओं और अनुबंधों में अनियमितताएँ	05.07.2022
06	पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 24 घंटे की ड्यूटी के आधार पर 8+1 या उससे अधिक बैठने की क्षमता वाली दो एसी चलने वाली जीप(बोलेरो या समकक्ष) की काम के लिए वाई ट्रेवल्स के श्री एक्स द्वारा प्रस्तुत बोली की स्वीकृति ।	05.07.2022
07	एमसीएल के सभी विभागों के संबंध में 2.0 लाख रूपये से नीचे प्रकाशित निविदाएँ ।	07.07.2022
08	नीचे दिए गए निविदाओं के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर सलाह	04.08.2022
09	किए गए कार्य की माप के मामले में सलाह और किए गए कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान और अनुबंध की समाप्ति प्रक्रिया में देरी	04.08.2022
10	ठेका कार्य आदेश के अनुपालन में अनियमितताएँ	11.08.2022
11	लाजकुरा खुली खदान के सी.टी रोड निर्माण अनुपालन में अनियमितताएँ	11.10.2022
12	एस.पी.सी जारी करने में अनियमितताओं के मामले में परामर्श	15.10.2022
13	फोरमेन(मैकानिकल/ उत्खनन) के टी एंड एस ग्रेड-बी से ग्रेड-ए के प्रमोशन में अनियमितताएँ	15.11.2022
14	एमसीएल में आवास की उपयोगिता/ आवास आबंटन पर व्यापक रिपोर्ट	29.11.2022
15	कार्य स्थल सौपे बिना समझौते के हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज मांग रहे हैं	27.12.2022
16	चिकित्सा बिल प्रक्रिया के संदर्भ व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया	27.01.2023

2. दंडात्मक सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जाँच, पूछताछ आदि के लिए लिये गए सतर्कता मामलों का विवरण निम्नानुसार सारणी बद्ध है –

विशिष्ट	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान	शामिल कर्मचारियों की संख्या
(अ) पंजीकृत सतर्कता मामलों की संख्या	06	10
(ब) प्रमुख जुर्माना कार्यवाही की संख्या	03	03
(स) अल्प जुर्माना कार्यवाही की संख्या	03	07
(द) कुल मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया है	13	45
i) प्रमुख	01	01
ii) अल्प	07	08
iii) अन्य	08	26

3. सतर्कता अनुमति

वर्ष के दौरान निदेशक स्तर के अधिकारियों सहित 15659 कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता की स्थिति सीआईएल/ एमओसी/ सीवीसी को पदोन्नति, परिवीक्षा ,सेवा निवृति, बाहर से रोजगार, अध्ययन, अवकाश, त्यागपत्र, चयन समिति, विदेश यात्रा, टर्मिनल लाभ के निपटान, सेवा फाइल स्थानांतरण आदि के संबंध में कार्यकारी और गैर- कार्यकारी अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है ।

4. कर्मचारियों का रोटेशन

संवेदनशील पदों/ विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को रोटेट करने की कंपनी की नीति है । इस दैरान 219 कर्मचारियों को रोटेट किया गया ।

5. कोयला खदानों में बेहतर निगरानी और निगरानी के लिए आईटी और अन्य तकनीकियों का लाभ उठाना

1. जीपीएस युक्त और वीटीएस सर्वर से जुडे वाहनों की संख्या				
नियंत्रित कंपनी	कंपनी के अंदर परिवाहन आवश्यकता के लिए नियुक्त वाहनों की संख्या	जीपीएस युक्त और वीटीएस सर्वर से जुडे वाहनों की संख्या	वीटीएस प्राणाली की कार्य करने की स्थिति	गतिविधि की स्थिति/ टिप्पणी
एमसीएल	2944	2942	2881	जीपीएस फिट नहीं है और वाहन बी/डी के कारण काम नहीं कर रहा है
2. आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर अभिगमन नियंत्रण				
नियंत्रित	अभिगम नियंत्रण के लिए आरएफआईढी आधारित बूम बैरियर की कुल आवश्यकता	आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर की संख्या स्थापित की गई है और डब्लूबीएस सहित वीटीएस सहित वीटीएस सर्वर से जुडा है ।	बूम बैरियरों की कार्य करने की स्थिति	गतिविध की स्थिति/ टिप्पणी
एमसीएल	145	शन्य	शून्य	निविदा चरण के तहत

33. औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई गतिविधियाँ:

सीआईएल/एमसीएल में औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग की प्राथमिक भूमिका संसाधनों के क्षमता उपयोग के संदर्भ में कंपनी के लिए एक कार्य निष्पादन ढांचा प्रदान करना है। इस दिशा में प्रमुख कार्यों में प्रणालीगत सुधार आदि द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों के निर्धारण, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को विकसित करने, परिवहन दरों को विकसित करने और उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में अध्ययन करना है। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं:-

- जीएसटी व्यवस्था के तहत आईआईटी खड़गपुर रिपोर्ट के अनुसार मानक दरों का निर्माण और खानों से प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन के लिए पूर्वसैनिकों और परियोजना प्रभावित लोगों (विक्रेता विकास योजना के तहत) एजेंसियों को भुगतान की जाने वाली मानक दरों में नियमित रूप से पाक्षिक वृद्धि।
- एसटीसी दरों की गणना के लिए पहली बार उपयोग किए गए कोलनेट और हमारे ग्राहकों से वसूली के लिए वर्ष में दोबार भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) तैयार करना
- विभिन्न सहायक गतिविधियों के लिए दरों की अनुसूची तैयार करना, जैसे -
  - (i) मिश्रित अनुबंधों में पम्पिंग, रोशनी और ब्लास्टिंग,
  - (ii) मैकेनिकल रोड स्वीपर को किराए पर लेना और
  - (iii) रिक्लेम फीडर में लोड करने के लिए पेलोडर्स को किराए पर लेना।
- वर्ष के लिए सुरक्षा जनशक्ति के आकलन पर अध्ययन के साथ-साथ वर्ष के लिए जनशक्ति बजट तैयार करना
- प्रोत्साहन की गणना के लिए कोलनेट सिस्टम का उपयोग करने के साथ-साथ एमसीएल की ओपनकास्ट परियोजनाओं में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का निर्माण औ रकार्यान्वयन।
- सीएमपीडीआई मानदंडों और एसडीसी की निगरानी के लिए विशिष्ट डीजल खपत में सुधार के लिए एमसीएल की ओपनकास्ट परियोजनाओं पर अध्ययन।
- सामान्य ओवरटाइम और रविवार/पीएचडी परिनियोजन और जनशक्ति युक्तिकरण में कमी के रूप में लागत नियंत्रण उपाय।6,99,32,176
- पीआर प्रावधान की तुलना में एमसीएल की विभिन्न इकाइयों में हल्के वाहनों की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन।
- कोयले के प्रेषण के लिए परिवहन मैट्रिक्स तैयार करना और उसकी नियमित निगरानी के साथ-साथ कोयले के उत्पादन और प्रेषण के लिए एमसीएल के ओसीपी में उपलब्ध फ्लीट की पर्याप्त संख्या बनाए रखना।
- 2022-23 में स्टॉकलिक्विडेशन, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग आदि जैसे अन्य अध्ययन

34. पुरस्कार और उपलब्धियां

2022-23 के दौरान एमसीएल को प्राप्त निम्न पुरस्कार:

पुरस्कार:

- ❖ जीईएम खरीद: एमसीएल को समग्र रैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है। साथ ही 'समय पर भुगतान' की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया।
- ❖ एमसीएल ने कोलकाता में आयोजित 16वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में पीआर काउंसिल ऑफ इंडिया से जनसंपर्क में उत्कृष्टता के लिए 02 पुरस्कार जीते हैं।
- ❖ श्री ओ पी सिंह, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल को नई दिल्ली में आयोजित माइनिंग यूथ कॉन्क्लेव में सतत विकास के माध्यम से कोयले के खनन के लिए सम्मानित किया गया।
- ❖ एमसीएल ने कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22 में 03 श्रेणियों अर्थात सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता तथा गुणवत्ता के तहत प्रथम पुरस्कार जीते है।
- ❖ CIL स्थापना दिवस 2022 पर कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच एमसीएल ने 'कॉर्पोरेट अवार्ड ऑन सीएसआर' में प्रथम पुरस्कार जीता।
- ❖ कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2021-22' में एमसीएल को तीसरा पुरस्कार मिला
- ❖ नेशनल सीएसआर अवार्ड 2020-21 में एमसीएल को दो श्रेणियों में चुना गया है
  - a. विजेता: कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए
  - b. माननीय उल्लेख: महिला और बाल विकास में योगदान के लिए
- ❖ एमसीएल को जिओमाइनटेक भूबनेश्वर द्वारा आयोजित बेस्ट सीईओ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इनोवेशन अवार्ड 2020-21 प्राप्त हुआ ।

35. लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक:	**शाखा लेखा परीक्षक:**
मेसर्स लालदाश एंड कं., (पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही और वार्षिक के लिए)	मेसर्स बी एन मिश्रा एवं कं. (पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही और वार्षिक के लिए)
सी/ओ- पी.के प्रधान, वरुण रेसीडेंसी के पास	एस -29, मैत्री विहार, फेज - II
प्रधानपड़ा, बुधराजा	टेक महींद्रा के सामने
सम्बलपुर – 768004, ओडिशा	भुवनेश्वर - 751023, ओडिशा

35.2 लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, कोयले के खनन के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए लागत लेखापरीक्षा अभिलेखों का लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आपके निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर (i) मैसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर-एन4/232, पहली मंजिल, आईआरसी ग्राम नयापल्ली, रिलायंस फ्रेश के पीछे, भुवनेश्वर - 751015 को कुल जेब खर्च से रु. 220000 एवं लेखापरीक्षा शुल्क पर उपयुक्त जीएसटी एवं लेखापरीक्षा शुल्क रु 440000 पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी, मुख्यालय, ईब-वैली कोलफील्ड्स एवं केंद्रीय कर्मशाला (ईब-वैली) के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रधान लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था तथा (ii) मेसर्स राय नायक एंड एसोसिएट्स, एमआईजी-26, मनारामा एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर, ओडिशा-751010 को वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखापरीक्षक के रूप में तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्र और केंद्रीय कर्मशाला (तालचेर) के कुल लेखापरीक्षा शुल्क रु. 292000, रु. 146000.00 (अधिकतम) के जेब खर्च और लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया था।

35.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति अनुबंध II के रूप में संलग्न है।

36. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

37. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अंतर्गत सूचना का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

38. निदेशक मंडल

38.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक बने रहे।

1.	श्री ओ.पी सिंह	सीएमडी
2.	श्री केशव राव	निदेशक (कार्मिक)
3.	श्री जे.के बोहरा	निदेशक (तकनीकी/परि.एवं यो./संचा.)
4.	डॉ आशा लाकरा	स्वतंत्र निदेशक

38.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

1.	श्री एस.के कस्सी	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (22.02.2023 से प्रभावी)
2.	श्री मुकेश चौधरी	निदेशक (विपणन), सीआईएल (27.01.2023 से प्रभावी)
3.	श्री जे. के बोहरा	निदेशक (तक./परि.एवं यो.)(19.04.2022 से प्रभावी)
4.	श्री ए.के बेहुरा	निदेशक (वित्त)(01.08.2022 से प्रभावी)

38.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक नहीं रहे।

1.	श्री के.आर वासुदेवन	निदेशक (वित्त) (31.07.2022 तक)
2.	श्री एस.के पाल	निदेशक (तक./परि.एवं यो.) (19.04.2022 तक)
3.	श्री एम नागाराजू	अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (22.02.2023 तक)
4.	श्री एस.एन तिवारी	निदेशक (विपणन),सीआईएल (30.04.2022 तक)
5.	श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं), सीआईएल (23.08.2022 तक)
6.	श्री देबाशीष नंदा	निदेशक (व्यापार विकास), सीआईएल (27.01.2023 तक)
7.	श्री एस.मोहन	स्वतंत्र निदेशक (09.07.2022 तक)

39. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के संदर्भ में आपके निदेशक अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और उनके द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्य प्रदान करते हैं:

क. कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन सामग्री निकासी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में या समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी की हानि व लाभ के तहत कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग. कि निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ. कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है

ङ. यह कि उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

च. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली मौजूद थे और पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

40. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध**-IV के रूप में संलग्न है।

41. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक**-V के रूप में संलग्न है।

42. नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

43. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल बोर्ड द्वारा 25.07.2022 को आयोजित अपनी 250 वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमोदित समिति का पुनर्गठन किया गया है।

1. श्री नागार्जुन, अतिरिक्त सचिव, कोयला मन्त्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2. सीआईएल नामित, निदेशक	सदस्य
3. श्री ओ.पी सिंह, निदेशक (तक/संचा.), एमसीएल	सदस्य
4. डॉ आशा लाकरा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5. निदेशक (वित्त)/ सीएफओ, एमसीएल	आमंत्रित

43.1 कार्यक्षेत्र

पुनर्गठित समिति के पास निहित कार्य का दायरा और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित है।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल के वित्तीय और अन्य डेटा/सूचना तक पहुंच है। समिति द्वारा की गई टिप्पणियों की सूचना एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति जितनी बार चाहें बैठक कर सकती है लेकिन उम्मीद है कि तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

44. लागत रिकॉर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी केवल एक उत्पाद, यानी कोयला का उत्पादन करती है और नियमित अंतराल पर ओवरहेड्स और लागत रिपोर्ट के मिलान सहित लागत के ब्रेक अप के साथ घटक-वार लागत की रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की एक सतत एकीकृत प्रणाली है।

45. समझौता ज्ञापन मापदंडों के अनुसार कार्यनिष्पादन

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच हस्ताक्षरित 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार एमसीएल का प्रदर्शन तैयार किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की समग्र ज्ञापन रेटिंग "उत्कृष्ट" है।

46. सीआईएल के शेयरधारकों के लिए अनुषंगी खाते

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 08.02.2011 के अनुसार, एमसीएल के वार्षिक खाते निरीक्षण के लिए एमसीएल मुख्यालय में उपलब्ध होंगे और मांग पर सीआईएल के शेयरधारकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेंगे।

47. आभार

47.1 आपके निदेशक, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओडिशा राज्य सरकार को भी उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक सहयोगी संगठनों के उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं।

47.2 निदेशकों ने कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं इसके सर्वांगीण विकास के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई टीम भावना, मूल्यवान और स्टर्लिंग सेवाओं के लिए ट्रेड यूनियनों और अधिकारी संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना की।

47.3 निदेशक मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूत नहीं बन पाती।

47.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है।

47.5 निदेशक समय-समय पर संबलपुर के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओडिशा के कोलफील्ड क्षेत्रों में रहने वालों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

48. परिशिष्ट

The following papers are annexed.

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट।
4. लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट।
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

.

(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07627471)

संबलपुर
दिनांक: 03.03.2023

मैं पुष्टि करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के प्रावधानों के पालन की पुष्टि की है।

ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07627471)

संबलपुर
दिनांक: 03.03.2023





एमसीएल की सीएसआर पहल

अनुलग्नक –I

(1 अप्रैल, 2022 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट)

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:-

उद्देश्य:

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य सीएसआर को समाज के सतत विकास के लिए एक प्रमुख व्यवसाय प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य उनकी गतिविधियों के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका को पूरक बनाना है।

एमसीएल एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करेगा, कार्यान्वयन के लिए वैश्विक कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों की सदस्यता लेगा।

दायरा:

एमसीएल सीएसआर के दायरे के रूप में समय-समय पर संशोधन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का पालन करता है।

शामिल किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल के संबंध में, सीएसआर गतिविधियों के लिए, बजट राशि का 80% परियोजना/साइट/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किमी के दायरे में खर्च किया जाएगा तथा 20% खर्च ओडिशा राज्य में सीएसआर गतिविधियां के तहत किया जाएगा।

राशि आवंटन:

सीएसआर के लिए फंड, कंपनी के तीन वित्तीय पूर्ववर्ती के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की जाती है।

एमसीएल की पूरी सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक: http://www.mahanadicoal.inmcl csr/csrpolicy.php

II. सीएसआर समिति की संरचना

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का कार्य	बर्ष के दौरान आयोजित सी.एस.आर. समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या, जिसमें भाग लिया गया
1	श्री के.आर. वासुदेवन	अध्यक्ष,निदेशक(वित्त), एमसीएल 31.07.2022 तक	3	3
2	श्री केशव राव	अध्यक्ष,निदेशक(कार्मिक), एमसीएल दिनांक 29.08.2022 से प्रभावी	6	6
3	श्री जे.के.बोराह	सदस्य/ निदेशक, (तकनीकी पी एंड पी),एमसीएल	5	5
4	श्री ए.के. बेहुरा	सदस्य/निदेशक(वित्त),एमसीएल	3	3
5	श्री एस.एन.तिवारी	सदस्य, निदेशक(मार्केटिंग), सी.आई.एल.	1	0
6	डॉ आशा लाकरा	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल	6	6
7	श्री एस. मोहन	सदस्य/ स्वतंत्र निदेशक, एमसीएल	2	2

III. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजना की संरचना के संयोजन के लिए वेब लिंक:

https://www.mahandicoal.in/mclcsr/

IV. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन का विवरण:

1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जो 31.3.2021 को पूरा किया गया था, एनआईटी, राउरकेला द्वारा किया जा रहा है। स्टडी रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा।

V. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों के समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2020-21	36,89,60,541.00	शून्य
2	2021-22	69,95,74,222.77	शून्य

VI धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:-

3 वर्षों के लिए औसतन लाभ की गणना (2022-23 के लिए)	
वर्ष	राशि (करोड में)
2019-2020	8645.47
2020-2021	9310.58
2021-2022	11,396.32
कुल	27,243.34
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन शुद्ध लाभ 9,784.12 रूपया है	9,784.12

VII. A) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 195,68,24,667.00 रूपये हैं ।

B) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न बाहुल्य: 17,84,473 रूपये हैं ।

C) वित्तीय वर्ष के लिए छोडने की राशि, यदि कोई हो: शून्य

D) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर ऋण (7a+7b-7c): 195,86,09,140.00 रु.

VIII. A) वित्तीय वर्ष के लिए किए गाय व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार न खर्च किया हुआ कुल राशि सीएसआर खाते में हस्तांतरित		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	राशि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
207,97,03,817.51	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

B) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के हेतु खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण अनुलग्नक-I चार्ट में

C) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: अनुलग्नक-II चार्ट में

D) प्रशासनिक कार्यों में व्यय की गई राशि:शून्य

E) प्रभावी आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: 1,40,089.60 रुपये

F) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e):207,97,03,817.51 रुपये

G) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक संख्या	विस्तृत ब्योरा	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	195,68,24,667.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	207,97,03,817.51
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	12,28,79,150.51

(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियाँ, यदि कोई हों	17,84,473.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	12,10,94,677.51

IX. क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6), के अनुसारअनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि। यदि कोई हो,			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रूपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2019-20	शून्य	207,97,03,817.51	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2	2020-21	शून्य		लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3	2021-22	शून्य		लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	कुल		207,97,03,817.51				

B) **पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः**

अनुलग्नक-III संलग्न

X. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च की गई, सीएसआर के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

a) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि, (b) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि, (c) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है , उनका पता आदि और (डी) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित), का विवरण तालिका - IV के रूप में संलग्न हैं

XI. कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल होने पर कारण स्पष्ट करें।

लागू नहीं

ह/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक अध्यक्ष,

ह/-

सी.एस.आर. समिति

दिनांक.....

निदेशक मंडल,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

विषय: सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 4 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रुपये 20,797.03 लाख की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए वितरित की गई कंपनी के नियम 4 के अनुसार 25-07-2022 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है । (सीएसआर) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII ।

सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

वितरण	**रूपये लाख में**
राशि परिव्यय (बजट)	रू. 19,568,.24
सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	रू. 17.84
परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि	रू. 20,797,.04
अव्ययित राशि	शून्य
अत्यधिक राशि व्यय की गई	रू. 1,210.95

धन्यवाद

भवदीय

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हा/-

ए.के. बेहुरा

मुख्य वित्तीय अधिकारी



सीएसआर के तहत सीपेट की साझेदारी में 2 वर्ष का आईटीआई प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	1 वर्ष के लिए ईब वैली क्षेत्र के एलओसीपी के तहत मधुबन नगर संजोब, खड़ियापाड़ा और बुधोपड़ा गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति (बरसात के मौसम को छोड़कर) और ईब वैली क्षेत्र की एलओसीपी (ए-1) के तहत चौकानी गांव के ईब पिट, नल्लापाड़ा, मुंडापाड़ा और किशनपाड़ा में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	5,53,000.00	2,99,560.00	निरंक	हाँ		लागू नहीं
2	वृक्षारोपण कार्य	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1095	1,59,90,756.00	1,12,44,027.00	निरंक	नहीं	डीएफ़ओ झारसुडा	लागू नहीं
3	ईब वैली क्षेत्र के सीएसआर मद के तहत ब्रुडामल, झारसुगुड़ा में बधिर और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष स्कूल में 7 शौचालय और स्नानागार का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	120	8,89,579.41	2,20,936.02	निरंक	हाँ		लागू नहीं
4	एचएस पटेल हाई स्कूल, चिचिंडा में छात्रावास भवन का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	180	56,96,332.18	5,00,864.23	निरंक	हाँ		लागू नहीं
5	सरकारी स्तर पर यूपी स्कूल, संजॉब के 3 कक्षाओं का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	120	16,34,195.28	13,25,596.48	निरंक	हाँ		लागू नहीं
6	लखनपुर क्षेत्र (सीएसआर/पैक ए-VI) के अंतर्गत बीओसीएम में परिधीय गांव खेरुअलबहाल और लेचुआपाड़ा में पीने के पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	5,03,140.00	5,03,140.00	निरंक	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
7	एलकेपीए (एपी-4) के तहत एलकेपी ओसीपी पर कार्लाजोरी और खलियापाली गांव में पीने के पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	7,25,000.00	5,54,178.08	निरंक	हाँ		
8	एलकेपीए के तहत एलकेपी ओसीपी पर उबुदा गांव में एक वर्ष के लिए पेयजल की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	10,22,182.50	7,44,933.00	निरंक	हाँ		
9	लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एलकेपी ओसीपी पर तिंगिस्मल गांव के लिए (एक वर्ष के लिए) पेयजल की आपूर्ति(पैकेज ए-3)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	2,98,000.00	2,55,545.20	निरंक	हाँ		
10	लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीओसीएम स्थित ग्राम दरलीपाली में पानी के टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति (एक वर्ष के लिए) (पैकेज ए 5)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	5,97,319.07	5,97,319.07	निरंक	हाँ		
11	बीओसीएम के तहत 365 दिनों के लिए जुराबागा गांव (गौरपाड़ा, कुलतापाड़ा, हरिजनपाड़ा, हरिजनपाड़ा -2, उपरपाड़ा, तलपाड़ा) में पीने के पानी की आपूर्ति (वार्षिक पैकेज-ए-VII)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	4,14,640.30	4,14,640.30	निरंक	हाँ		
12	एलकेपीए (एपी-2) के तहत एलकेपी ओसीपी पर लुहुरापाड़ा और सहजबहाल गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	365	4,85,085.00	4,73,124.00	निरंक	हाँ		
13	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर कार्य के तहत ठक्कर बापा सेवा सदन अनाथालय में अनाथ बच्चों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	Point No 3	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	150	13,88,233.83	12,62,560.14	निरंक	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
14	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर कार्य के तहत बेलपहाड़, जिला-झारसुगुड़ा में बेलपहाड़ कॉलेज परिसर में कक्षा कक्ष का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	265	89,09,166.07	26,08,495.80	निरंक	हाँ		
15	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत सुंदरगढ़ जिले के बरपाली गांव, ग्राम पंचायत डुडुका (हिमगीर ब्लॉक) का विकास	Point no 10	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	365	7,29,41,705.51	3,90,40,010.42	निरंक	हाँ		
16	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत आई वार्ड, डीएचएच, सुंदरगढ़ में हेमगिर ब्लॉक के चिन्हित लाभार्थियों की मोतियाबिंद सर्जरी करने के लिए 3 वर्षों के लिए 57,00,000.00 की वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1095	57,00,000.00	9,50,000.00	निरंक	हाँ	एसएसपीपीपी ट्रस्ट	CSR00022699
17	सुंदरगढ़ जिले में पड़ने वाले बांकीबहाल से टपरिया तक के विभिन्न गांवों में 14 प्रभावित तालाबों का नवीनीकरण और सफाई।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	730	1,37,83,000.00	20,67,450.00	निरंक	हाँ	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
18	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत तुमुलिया में मणिकेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत और रखरखाव (पहली पुनर्निविदा)	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	150	49,06,719.64	49,06,719.64	निरंक	हाँ		
19	हिंगुला क्षेत्र के बलराम ओसीपी के अंतर्गत मझिका गांव के निर्दिष्ट स्थानों पर घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति। (ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर एक वर्ष की अवधि के लिए)।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	364	7,63,465.90	2,59,688.50	निरंक	हाँ		लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
20	नाइक साही, हेन्समुल हाई स्कूल, हेन्समुल पुनर्वास स्थल, डेरा हरिजन साही आदि के लिए टैंकर के माध्यम से वार्षिक पेयजल आपूर्ति।	बिन्दु सं.1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	730	70,32,745.25	35,97,819.18	निरंक	हाँ		
21	एमसीएल जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत तालचेर कोलफील्ड्स में हांडीधुआ चौक से नाल्को चौक तक सड़क पर एनटीपीसी कन्वेयर से पहले घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	730	34,94,93,129.50	1,23,45,034.43	निरंक	हाँ		
22	एमसीएल जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण का परियोजना पर्यवेक्षण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	730	2,23,67,560.00	10,63,001.20	निरंक	हाँ		
23	एमसीएल की सीएसआर फंडिंग के माध्यम से और उसके आसपास शहरी वृक्षारोपण और नर्सरी के जमा कार्य।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	1095	51,11,264.80	13,88,597.00	निरंक	No	डीएफ़ओ, अंगुल	लागू नहीं
24	पलासिया बहाली आश्रम स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में एक डाइनिंग हॉल और एक सबमर्सिबल पंप सेट	Point no 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	230	16,76,139.49	4,98,568.98	निरंक	हाँ		लागू नहीं
25	वर्ष 2022-23 के लिए कनिहा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जराडा, तेलीसिंघा और कांसमुंडा में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की वार्षिक आपूर्ति (ग्रीष्मकालीन पैकेज को छोड़कर)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	365	19,01,381.79	11,77,672.50	निरंक	हाँ		लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
26	सीएसआर कार्य कनिहा क्षेत्र के तहत पबित्रा नगर महाविद्यालय परम्बिल में दो कक्षाओं का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	180	27,92,527.46	14,87,864.97	निरंक	हाँ		लागू नहीं
27	कनिहा ओसीपी में 120 दिनों (ग्रीष्म ऋतु) की अवधि के लिए सीएसआर के तहत जाराडा, तेलीसिंघा छेलिया कंसनुडा, जयपुर, आदित्यप्रसाद, गुडरुरिनाली गुलेंडो और मालीपासी गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	120	43,00,719.68	2,98,620.44	निरंक	हाँ		लागू नहीं
28	कनिहा क्षेत्र के सीएसआर कार्य के अंतर्गत ग्राम कामारेई के कामारेई प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष एवं मंच हेतु अतिरिक्त भवन का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	120	11,94,093.75	1,03,712.03	निरंक	हाँ		लागू नहीं
29	सीएसआर कार्य, कनिहा क्षेत्र के अंतर्गत रीजनल हाई स्कूल, गंडाबेरेना में प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर रूम का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	90	2,80,383.53	19,709.90	निरंक	हाँ		लागू नहीं
30	सीएसआर कार्य लिंगराज क्षेत्र के तहत दयानिन्धिपुर से रोसलपुर होते हुए एनएच 149 तक सड़क का चौड़ीकरण और सीसी नाली का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	60	10,64,215.47	10,10,917.97	निरंक	हाँ		
31	वर्ष 2022-23 लिंगराज क्षेत्र (पैकेजडब्ल्यू-एस-4) के लिए 242 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल के पानी की कमी वाले गांवों कृष्णचंद्रपुर, दशरथीपुर और एकादसीपुर में पानी की आपूर्ति।	Point no 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	240	8,23,163.00	3,67,364.16	निरंक	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
32	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देउलबेरा तेलिसाही में कल्याण मंडप का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	Odisha	अंगुल	90	23,79,628.05	21,05,318.10	निरंक	हाँ		
33	वर्ष 2022-23 के लिए एलए के तहत तालचेर सब-डिवीजन के बलुंगाव नुआ साही और सौभाग्य नगर को 302 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति (पीकेजी-II)	बिन्दु सं. 1	हाँ	Odisha	अंगुल	302	15,84,500.16	7,38,012.00	निरंक	हाँ		
34	वर्ष 2022-23 के लिए तालचेर उपमंडल के बालुंगाव खमार गांव में 302 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति (पीकेजी-1)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	302	10,04,194.35	4,53,247.20	निरंक	हाँ		
35	वर्ष 2022-23 के लिए तालचेर सब-डिवीजन के डोबलिन, प्रमोद प्रसाद, मणिकमारा और रसलपुर गांव में 242 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति (पीकेजी-डब्ल्यू-एस-3)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	302	11,00,035.20	6,36,384.00	निरंक	हाँ		
36	वर्ष 2022-23 एलए (पीके-IV) के लिए तालचेर उपमंडल के पानी की कमी वाले गांवों लंगीजोड़ा और अनादिपुर में 302 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	302	16,50,014.99	6,92,510.14	निरंक	हाँ		
37	वर्ष 2022-23 एलए (पीके-III)) के लिए 302 दिनों के लिए पानी की कमी वाले गांवों कांधल और कांधल हादी साही तालचेर उप-मंडल में पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	302	15,86,895.92	9,24,774.86	निरंक	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
38	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के तहत सानी मंदिर चौक से एनएच 149 (दाईं ओर) ग्राम बालुंगा खमार के आनंदपुर तक सीमेंट कंक्रीट नाली का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	75	29,25,312.23	18,67,310.10	निरंक	हाँ		
39	सीएसआर कार्य लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत बारंग कोठाघर से कनखल शमशान घाट तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	180	1,58,6,2079.32	82,88,096.39	निरंक	हाँ		
40	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के तहत आनंदपुरबस्ती, बालुंगा गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	44	5,97,200.09	5,93,898.17	निरंक	हाँ		
41	तालचेर में मेडिकल कॉलेज (एमआईएमएसआर) का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	2555	4,92,62,00,000.00	11,50,00,000.00	निरंक	नहीं	एनबीसीसी लिमि.	लागू नहीं
42	बाल गृह, धनकुआड़ा, संबलपुर के परिसर के अंदर पहली मंजिल पर 1 डाइनिंग हॉल, एक छात्रावास हॉल और टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	355	70,21,696.67	39,44,182.58	निरंक	हाँ		
43	"आजीविका वृद्धि के लिए एमसीएल सतत विकास कार्य की एक सीएसआर पहल के रूप में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी-यूटीएचएएन)	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल, संबलपुर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा	2010	20,28,64,000.00	2,43,02,711.00	NIL	No	BAIF	NA
"	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल, संबलपुर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा	2010	20,28,64,000.00	2,43,02,711.00	निरंक	हाँ	बीएआईएफ़	लागू नहीं	
44	रुक्मिणी लाठ बाल निकेतन छछानपाली में 100 सीएनसीपी/अनाथ बच्चों के आवास हेतु नये भवन का निर्माण	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	365	1,50,00,000.00	38,12,658.55	निरंक	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
45	अंगुल जिले में 'मो स्कूल अभियान' के तहत स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराना	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	211	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
46	अत्ताबिरा कॉलेज, अत्ताबिरा, बरगढ़ में शिक्षण कक्ष का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	बारगढ़	391	24,86,000.00	2,48,601.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर,, बारगढ़	लागू नहीं
47	झारसुगुड़ा में जिला पुस्तकालय की स्थापना	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1095	75,44,000.00	67,89,600.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
48	झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक/बेलपहाड़ नगरपालिका क्षेत्र में नशामुक्ति केंद्र चलाना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1095	93,63,800.00	16,08,092.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
49	झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाला हृदय रोग संस्थान	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	2820	1,03,57,61,815.00	26,80,60,405.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
50	ब्रजराजनगर नगर पालिका चरण - II में जल आपूर्ति में सुधार	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1290	2,82,87,536.00	2,15,05,760.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
51	रानी पार्क, तालचेर के चारों ओर परिसर की दीवार का निर्माण	बिन्दु सं.4	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	840	14,91,48,273.00	7,76,48,922.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
52	कंधमाल जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिले का विकास	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1095	4,03,98,069.00	2,48,87,329.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर कंधमाल	लागू नहीं
53	भुवनेश्वर में जानवरों के लिए अस्पताल-सह-आश्रय के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	खुर्दा	1200	24,22,051.00	21,62,881.00	निरंक	नहीं	जानवरों के लिए लोग	लागू नहीं
54	स्वाधीनता संग्रामी (स्वतंत्रता सेनानी स्मारक) हॉल, संबलपुर के ऊपर पहली मंजिल का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1560	32,98,000.00	8,83,613.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
55	धनकौड़ा संबलपुर में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए वीएसएस संस्थान का नवीनीकरण और सुधार	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1260	49,97,000.00	5,00,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
56	संबलपुर जिले के जुजमुरा और मानेस्वर ब्लॉक के गांवों में तालाब/कटास/बैंड का नवीनीकरण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1095	86,00,000.00	25,80,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
57	एमसीएल के सीएसआर के तहत एसबीपी के दुर्गापाली में दयामनी वृद्धाश्रम के चारों ओर परिसर की दीवार का निर्माण	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1890	10,00,000.00	1,83,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
58	गौडपाली स्कूल, बुर्ला के लिए एक हॉल का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1560	9,38,720.00	6,10,167.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
59	घंटेश्वरी मंदिर स्थल के पास विशाल घंटी की स्थापना सहित नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और भूदृश्य निर्माण, कला और संस्कृति का चित्रण	बिन्दु सं.5	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1020	2,37,19,000.00	34,49,745.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
60	संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी में रीडिंग/लर्निंग हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1290	45,40,132.00	21,54,704.55	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
61	चारबाती, संबलपुर के पास पतित खेल पाडिया (खेल मैदान) में खेल सुविधा का विकास	बिन्दु सं. 7	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	900	38,80,000.00	15,83,965.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
62	बसुंधरा क्षेत्र के परिधीय गांवों में विभिन्न विकास कार्य	बिन्दु सं.10	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1140	9,70,80,000.00	5,75,47,115.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
63	बसुंधरा क्षेत्र के निकट विभिन्न गांवों में 230 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1095	11,50,00,000.00	4,49,11,120.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
64	बसुंधरा क्षेत्र के निकट विभिन्न गांवों में 105 ओपन पेंडाल का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1095	9,96,19,551.00	4,05,68,666.65	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
65	बलांगीर जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिले का विकास	बिन्दु सं. 1	नहीं	ओड़ीशा	बलांगीर	690	3,64,75,852.00	1,92,16,839.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर बलांगीर	लागू नहीं
66	पैकमल शासकीय उच्च विद्यालय, बरगढ़ में सभागार का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	बारगढ़	1020	50,00,000.00	16,67,204.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर,, बारगढ़	लागू नहीं
67	झारसुगुड़ा जिले के चार ब्लॉकों (लाईकेरा, कोलाबीरा, किरमिरा और झारसुगुड़ा) में चल रहे विविध विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि।	बिन्दु सं.10	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	2280	6,72,00,000.00	12,14,947.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
68	ओडिशा की सीएसआर परिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और झारसुगुड़ा जिले के लाइकेरा ब्लॉक में तालाबों के नवीनीकरण से संबंधित जीओ केयर पोर्टल पर अपलोड किया गया।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1680	24,00,000.00	11,88,963.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
69	एमसीएल के सीएसआर के तहत झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के 4 ब्लॉक अर्थात लाइकेरा, झारसुगुड़ा, किरमिरा और कोलाबिरा के तहत जलापूर्ति से संबंधित 18 कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1680	1,44,50,000.00	11,03,339.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
70	सरबहाल, झारसुगुड़ा में कल्याण मंडप का संतुलन कार्य	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1278	24,25,398.00	21,82,858.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
71	ओडिशा की सीएसआर परिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और झारसुगुड़ा जिले के झारसुगुड़ा ब्लॉक में तालाबों के नवीनीकरण से संबंधित जीओ केयर पोर्टल में शामिल किया गया।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1680	25,00,000.00	2,25,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
72	एमसीएल की सीएसआर पहल के रूप में एमसीएल अधिग्रहीत क्षेत्र पर रहने वाले लक्षित भूमिहीन परिवार सुखबासी को स्थायी आजीविका प्रदान करना	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1460	14,22,00,000.00	8,55,54,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
73	5टी के तहत 'हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम' संबलपुर जिले का दूसरा चरण (11 स्कूल) कार्य के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	730	99,50,000.00	69,65,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
74	बुर्ला टाउन, संबलपुर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	3833	8,62,00,000.00	39,83,206.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
75	संबलपुर के जमनकिरा ब्लॉक में 5टी - प्रथम चरण के तहत हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	730	67,00,000.00	60,30,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
76	एनआईटी राउरकेला में टीबीआई का समर्थन	बिन्दु सं. 9	नहीं	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1095	2,61,00,000.00	17,54,084.00	निरंक	नहीं	एनआईटी, राऊरकेला	लागू नहीं
77	झारसुगुड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं (78) का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	झारसुडा	1095	27,30,00,000.00	2,85,43,717.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
78	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आरडीसी ने सुंदरगढ़ में कार्य को मंजूरी दी	बिन्दु सं.10	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	2430	16,29,00,000.00	1,36,93,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
79	नुआपाड़ा जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिलों के विकास की योजना के तहत परियोजनाएं	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	नुआपाड़ा	1350	5,71,15,000.00	1,96,41,880.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, नुआपाड़ा	लागू नहीं
80	एमसीएल के सीएसआर निधि के तहत ओडिशा के रेलवे स्टेशनों पर 232 परिचालित क्षेत्रों में पूर्वनिर्मित शौचालयों की स्थापना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	ओड़िशा के समस्त जिले	1460	57,55,03,185.00	15,03,18,095.00	निरंक	नहीं	राइट्स लिमिटेड	लागू नहीं
81	एमसीएल परिधीय क्षेत्रों के युवाओं को सीआईपीईटी, भुवनेश्वर में 40 युवाओं को 2 साल का आईटीआई पाठ्यक्रम प्रदान करना (2021 से शुरू)	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल,सम्बलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा	730	1,06,12,000.00	85,30,915.00	निरंक	नहीं	सीपेट	लागू नहीं
82	एमसीएल परिधीय क्षेत्रों के युवाओं को सीआईपीईटी, भुवनेश्वर में 40 युवाओं को 2 साल का आईटीआई पाठ्यक्रम प्रदान करना (2022 से शुरू)	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल,सम्बलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा	730	1,25,04,000.00	36,47,000.00	निरंक	नहीं	सीपेट	लागू नहीं
83	'आकांक्षी जिलों का विकास' योजना के तहत रायगड़ा जिले में शिक्षा क्षेत्र के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	बिन्दु सं.2	नहीं	ओड़ीशा	रायगड़ा	1380	3,05,82,700.00	1,74,74,358.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर रायगड़ा	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
84	सुंदरगढ़ जिले के डुडुका से भस्मा मुख्य सड़क तक महत्वपूर्ण जंक्शन (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) पर प्रकाश व्यवस्था का कार्यान्वयन	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1020	1,48,84,800.00	96,75,120.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
85	बसुंधरा क्षेत्र के निकट सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में ओपन पेंडाल का निर्माण	बिन्दु सं.10	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1140	2,94,50,000.00	67,59,970.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
86	बुर्ला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए सीमा दीवार 79.86 लाख रुपये)	बिन्दु सं. 7	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	1920	25,00,00,000.00	7,55,16,622.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
87	एमसीएल के सीएसआर के तहत गुहिरा टिकरा गांव संबलपुर में सड़क, सार्वजनिक शौचालय, पथ आदि जैसे विभिन्न विकास कार्य	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	300	49,53,737.85	32,26,528.08	निरंक	नहीं	कलेक्टर संबलपुर	लागू नहीं
88	श्री अरबिंदो अभिन्न शिक्षा और अनुसंधान केंद्र उदीयमान मातृक्षेत्र में 3 क्लास रूम और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	संबलपुर	365	73,44,001.81	22,33,408.03	निरंक	हाँ		
89	गंजम जिले के शेरेगडा, शिजिलिकट ब्लॉकों में बुनियादी ढांचे, आईसीटी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं आदि के उन्नयन सहित उच्च विद्यालयों के मानक में परिवर्तन के लिए धन उपलब्ध कराना।	बिन्दु सं. 2	नहीं	ओड़ीशा	गंजाम	1085	7,50,00,000.00	3,00,00,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर	लागू नहीं
90	सीएसआर के तहत मणिकेश्वरी डिग्री कॉलेज गढ़-तुमुलिया, सुंदरगढ़ के लिए +3 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1020	10,00,000.00	2,94,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
91	बसुंधरा क्षेत्र के पास सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में बोरवेल लगाना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	सुंदरगढ़	1020	2,76,53,150.00	2,34,43,847.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
92	झारसुगुड़ा जिले के किरमिरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बंधापाली ग्राम पंचायत ठाकुरपाड़ा में कल्याण मंडप के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	बिन्दु सं.10	हाँ	ओड़ीशा	झारसुगुड़ा	1380	23,97,000.00	1,20,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
93	बौध जिले की पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 5	नहीं	ओड़ीशा	बौध	730	98,50,000.00	39,00,000.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर बौध	लागू नहीं
94	संथापाड़ा और निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण जल आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	1825	9,00,91,949.00	95,57,898.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
95	अंगुल जिले के तालचेर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए 2 पाइप जलापूर्ति योजनाएं।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	2920	55,07,00,000.00	3,31,29,002.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
96	'2022-23 के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत डीएफओ, सिटी फॉरेस्ट डिवीजन, भुवनेश्वर द्वारा 25,000 पौधों के लिए शहरी वृक्षारोपण और रु. 1,34,84,740 के मूल्य के साथ जमा आधार पर 3 साल के लिए रखरखाव।	बिन्दु सं. 4	नहीं	ओड़ीशा	खुर्दा	1095	1,34,84,740.00	37,00,000.00	निरंक	नहीं	डीएफ़ओ, शहरी वैन अनुभाग	लागू नहीं
97	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत शहरी वृक्षारोपण एमसीएल सीएसआर के तहत 62.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 पौधे (मजदूरी दर रु. 315.00) दर से डीएफओ, चंदका डिवीजन, भुवनेश्वर द्वारा निष्पादित किया जाएगा।	बिन्दु सं. 4	नहीं	ओड़ीशा	खुर्दा	1095	1,36,30,168.00	37,89,407.00	निरंक	नहीं	डीएफ़ओ, छंदका अनुभाग	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित वस्तुसूची	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (दिनों में))	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तिथि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
98	2022 -23 के लिए कटक रेंज, डीएफओ, सिटी फॉरेस्ट डिवीजन, भुवनेश्वर द्वारा 26.29 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 18 माह के 35,000 पौधों के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत 2,45,60,779.38 रुपये की लागत पर शहरी वृक्षारोपण और उसके बाद एमसीएल की सीएसआर फंडिंग के माध्यम से 3 साल तक रखरखाव	बिन्दु सं. 4	नहीं	ओड़ीशा	खुर्दा	1095	2,45,60,779.38	63,00,000.00	निरंक	नहीं	डीएफ़ओ शहरी वन अनुभाग	लागू नहीं
99	गुरुजंग और निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण जल आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	2160	4,83,74,000.00	2,33,28,676.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
100	अंगुल को एक अंतिम संस्कार वाहन उपलब्ध कराना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़ीशा	अंगुल	90	16,34,500.00	16,34,500.00	निरंक	हाँ		
101	एप्रोच रोड के साथ रोटरी का निर्माण करके 267/400 किमी (बॉम्बे चौक) पर जंक्शन का सुधार	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़ीशा	झारसुगुड़ा	365	71,99,000.00	10,23,150.00	निरंक	नहीं	कलेक्टर झारसुगुड़ा	लागू नहीं
	कुल							**1,52,33,96,993.04**				



सीसीडीपी परियोजना के तहत आम की खेती

तालिका - II

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	ईब वैली क्षेत्र के एसओसीपी के निकट लजकुरा गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,00,985.28	हाँ		
2	एक वर्ष की अवधि के लिए ईब वैली क्षेत्र के एसओसीपी के पास ब्रजराजनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत लजकुरा फाटक पाड़ा और आस-पास के बस्ती, मोहल्ले में पीने के पानी की आपूर्ति। (सीएसआर मद के तहत)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,29,676.80	हाँ		
3	1 वर्ष के लिए ईब वैली क्षेत्र के एलओसीपी के तहत मधुबन नगर संजोब, खड़ियापाड़ा और बुधोपड़ा गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति (बरसात के मौसम को छोड़कर) और एलओसीपी, ईब वैली क्षेत्र के तहत चौकानी गांव के ईब पिट नालापाड़ा, मुंडापाड़ा और किशनपाड़ा में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति ।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	470.00	हाँ		
4	गर्मी के मौसम में एसओसीपी के आसपास के पानी की कमी वाले गांवों में 90 दिनों तक पीने के पानी की आपूर्ति। (एस-2)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	7,95,600.00	हाँ		
5	1 वर्ष के लिए ईब वैली क्षेत्र के एलओसीपी के तहत मधुबन नगर संजोब, खड़ियापाड़ा और बुधोपड़ा गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति (बरसात के मौसम को छोड़कर) और ईब वैली क्षेत्र (ए-1) के एलओसीपी के तहत चौकानी गांव के ईब पिट, नल्लापाड़ा, मुंडापाड़ा और किशनपाड़ा में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	98,801.94	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	ईब वैली क्षेत्र के एलओसीपी के अंतर्गत चौकानी गांव के मधुबननगर, संजोब, खड़ियापाड़ा में पानी टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,50,000.00	हाँ		
7	ब्रजराजनगर नगर पालिका के विभिन्न गांवों में वर्ष भर गर्मी के दौरान 75 दिनों के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति। (एस-1)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	3,51,100.00	हाँ		
8	ग्राम लजकुरा में 1 वर्ष के लिए पानी की आपूर्ति। (ए-2)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	86,983.02	हाँ		
9	स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	30,558.80	हाँ		
10	सीएसआर ईब वैली के तहत जूट बैग की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	67,200.00	हाँ		
11	बीएन कॉलेज, ब्रजराजनगर के लिए भवन की मरम्मत और रखरखाव, छत पर तारफेल्टिंग और पाइपलाइन।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,23,481.60	हाँ		
12	ईब वैली, एमसीएल के सीएसआर मद के तहत ब्रजराजनगर मुख्य सड़क से ब्रजराजनगर कॉलेज गेट तक सड़क और पुलिया का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	11,68,029.21	हाँ		
13	सीएसआर ईब वैली क्षेत्र के अंतर्गत एसर डेस्कटॉप की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	41,890.00	हाँ		
14	वाटर क्राफ्ट 40 लीटर वाटर कूलर की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	46,800.00	हाँ		
15	सीएसआर ईब वैली क्षेत्र के अंतर्गत जल शोधक के साथ 20/40 लीटर वाटर कूलर की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	34,000.00	हाँ		
16	सीएसआर ईब वैली क्षेत्र के तहत एमसीएल में मनाये गए दूसरे वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के लिए 500 जूट बैग की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	57,000.00	हाँ		
17	सीएसआर ईब वैली क्षेत्र के तहत अलमारी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, स्कूल टेबल, कुर्सी, रेक्सिनबेड, बाल्टी की खरीद।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,74,419.97	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
18	सीएसआर ईब वैली के तहत स्वास्थ्य शिविर के लिए दवाओं की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	59,942.50	हाँ		
19	गंधघोरा प्राथमिक विद्यालय गंधघोरा में 2 कक्षाओं का निर्माण।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	11,55,240.49	हाँ		
20	राजपुर जीपी के राजपुर रोड से हरिजनपाड़ा श्रीकृष्ण क्लब, बागरचाका तक सीसी रोड का निर्माण और राजपुर जीपी के झसकेतन हाउस से गांव के तालाब, बागरचाका तक सीसी रोड का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	14,99,363.38	हाँ		
21	2022-23 में एकता महिला मंडल, ईब वैली क्षेत्र साथ किए गए विविध सामुदायिक विकास कार्य।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,65,139.87	हाँ		
22	स्मोक एग्जॉस्टर सह फायर ब्लोअर की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	18,09,999.99	हाँ		
23	बुढ़ीपदर ग्राम में सैंड बैंड के पास ईब नदी के तल पर पहुंच मार्ग स्नान घाट (पुरुष एवं महिला अलग-अलग) का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	4,81,365.04	हाँ		
24	ईब वैली क्षेत्र के सीएसआर के तहत निर्मित रिसेप्शन सेंटर-कम-रेस्ट शेड के पीछे कंक्रीट की चारदीवारी और कंक्रीटिंग का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	6,98,085.74	हाँ		
25	2022 में ईब वैली क्षेत्र के अंतर्गत देवगांव (राजपुर गांव के पास) के पास ईब नदी के तल पर अस्थायी रेत बंधा का निर्माण।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	4,41,222.68	हाँ		
26	ओए के तहत 60 दिनों के लिए महाप्रबंधक कार्यालय और आरएसए (कुल 02) के पास दो प्याऊ का संचालन और प्रचालन।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	74,487.46	हाँ		
27	ग्रीष्म ऋतु के दौरान ओरिएंट क्षेत्र के अंतर्गत ब्रजराजनगर नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	6,25,627.70	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
28	ओरिएंट उप क्षेत्र के अंतर्गत गर्मी के मौसम में (90 दिनों के लिए) रामगढ़ में पोर्टेबल टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	64,127.25	हाँ		
29	ओरिएंट क्षेत्र के सीएसआर कार्यों के तहत जुनानिमुंडा प्राइमरी स्कूल में एक (1) कक्षा कक्ष और चारदीवारी का निर्माण।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,02,238.79	हाँ		
30	परिधीय ग्रामों में पौधों का वितरण।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,27,000.00	हाँ		
31	विद्यार्थियों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	11,400.00	हाँ		
32	डीसीएचसी, एलकेपीए में कोविड-19 रोगियों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	3,97,825.06	हाँ		
33	एलकेपीए (एपी-2) के तहत एलकेपी ओसीपी पर कार्लाजोरी और खलियापाली गांव में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	2,02,132.12	हाँ		
34	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर (पैकेज एस-III) के तहत 60 दिनों के लिए बीआईटी में पानी के टैंकर द्वारा विभिन्न गांवों (बेलपहाड़ एनएसी, लखनपुर ब्लॉक, जगदलपुर) में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	14,76,392.10	हाँ		
35	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर कार्य (पैकेज एस-II) के तहत बीआईटी में 60 दिनों के लिए पानी के टैंकर द्वारा विभिन्न गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	22,63,118.50	हाँ		
36	लखनपुर क्षेत्र (चरण- I) के सीएसआर कार्य के तहत 60 दिनों के लिए बीआईटी में पानी के टैंकर द्वारा विभिन्न गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	31,15,097.74	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
37	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर कार्य के तहत बीआईटी में पानी के टैंकर द्वारा विभिन्न गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति। (60 दिनों के लिए) (पैकेज एस-IV)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	20,71,693.56	हाँ		
38	बंधबहाल ग्राम पंचायत के सा पाड़ा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	10,04,266.48	हाँ		
39	लखनपुर क्षेत्र के सीएसआर फंड के तहत पिपलीमल ग्राम पंचायत के रामचन्द्र पीठा के पास चारदीवारी और विश्राम कक्ष का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	14,17,909.98	हाँ		
40	लखनपुर क्षेत्र के तहत लखनपुर ओसीपी पर उबुदा गांव में एक वर्ष के लिए पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	86,257.92	हाँ		
41	एलकेपीए (एपी-4) के तहत एलकेपी ओसीपी पर कार्लाजोरी और खलियापाली गांव में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,14,300.00	हाँ		
42	एलकेपीए के बीओसीएम में जुराबागा, माझी पाड़ा और मुचबहल को पीने के पानी की आपूर्ति (90 दिनों के लिए)। (पैकेज-8)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	7,76,747.73	हाँ		
43	लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एलकेपी ओसीपी पर तिंगिस्मल गांव के लिए पेयजल की आपूर्ति (एक वर्ष के लिए) (पैकेज ए-3)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,07,590.45	हाँ		
44	एलकेपीए (एपी-2) के तहत एलकेपी ओसीपी पर लुहुरापाड़ा और सहजबहाल गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	7,470.90	हाँ		
45	एलकेपीए के एलकेपी ओसीपी पर गांव ओल्ड खैरकुनी, न्यू खैरकुनी, चुचपाड़ा, जयबुडिया और चांगापाड़ा के लिए पानी के टैंकर द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति। (90 दिनों के लिए)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	6,43,140.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
46	लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत बेलपहाड़ ओसीएम में सीएसआर कार्य के तहत रेमांडा जीपी के अंतर्गत बाघमुंडा, दास रूपाली, दास रूपाली (मुंडापाड़ा), गोपीपाली और सलेइपाली गांव में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	8,99,181.00	हाँ		
47	90 दिनों के लिए लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एलकेपी ओसीपी पर कुदालोई, चिंगरीगुड़ा, बिछुआपाड़ा, गंगापाड़ा, दहलडेरा, भोलामाल, थककीपाड़ा और बाजारपाड़ा गांवों के लिए पानी के टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	5,53,500.00	हाँ		
48	बंजारी जीपी एलकेपी ओसीपी के अंतर्गत चौंरीमाहुल से नायक पाड़ा तक सीसी रोड का सुधार।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	4,68,990.72	हाँ		
49	चौंरीमाहुल से बंजारी पोस्ट ऑफिस पाड़ा रोड एलकेपी ओसीपी तक सड़क का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	75,16,891.37	हाँ		
50	लखनपुर क्षेत्र के बीओसीएम में सरंदामल जीपी में फाटा यूपी स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	11,66,498.01	हाँ		
51	आस-पास के जंगलों की आग बुझाने के लिए डीएफओ, झारसुगुड़ा को 11 फायर ब्लोअर उपलब्ध कराना।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	10,38,564.98	हाँ		
52	लखनपुर ब्लॉक के अंतर्गत 20 अतिरिक्त गांवों में जमा आधार पर पेयजल आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	29,03,040.00	No	बीडीओ, लाखानपुर, झारसुगुडा	लागू नहीं
53	ग्रीष्म ऋतु 2022 के लिए लखनपुर ब्लॉक के 58 अतिरिक्त गांवों में जल आपूर्ति के लिए राशि जमा करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	84,18,816.00	No	बीडीओ, लाखानपुर, झारसुगुडा	लागू नहीं
54	2022 में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा का आयोजन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	94,320.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
55	2021 में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, अन्य स्वच्छता अभियानों का आयोजन और अवलोकन करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	31,500.00	हाँ		
56	लखनपुर ब्लॉक के गरीब, वंचित लोगों को मिंक कंबल (बैग के साथ) 1.5 किलोग्राम का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	1,99,999.80	हाँ		
57	एकेएएम के दूसरे वर्ष के उपलक्ष्य में नागरिकों को जूट बैग का वितरण	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	70,000.00	हाँ		
58	कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा के लिए 01 एएलएस एम्बुलेंस को लगाया गया। (ईंधन शुल्क)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	11,79,236.00	No	कलेक्टर झारसुगुडा	लागू नहीं
59	कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा के लिए दो एएलएस एम्बुलेंस को लगाया गया।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	30,01,301.00	No	कलेक्टर झारसुगुडा	लागू नहीं
60	एएलएस एम्बुलेंस कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा में लगी हुई है।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	16,06,615.00	No	कलेक्टर झारसुगुडा	लागू नहीं
61	झारसुगुड़ा के कोविड अस्पताल सहित एएलएस एम्बुलेंस को किराये पर लेना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	36,08,552.00	No	कलेक्टर झारसुगुडा	लागू नहीं
62	झारसुगुड़ा के कोविड अस्पताल सहित एएलएस एम्बुलेंस को किराये पर लेना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा	3,74,167.00	No	कलेक्टर झारसुगुडा	लागू नहीं
63	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत रेलवे लाइन के साथ टिकलीपारा से बरपाली रेलवे स्टेशन तक ब्लैक टॉप्ड रोड का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	91,08,876.54	हाँ		
64	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत गोपालपुर हाई स्कूल की मरम्मत और रखरखाव।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	186.12	हाँ		
65	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत आई. वार्ड, डीएचएच, सुंदरगढ़ में हेमगिर ब्लॉक के 235 चिन्हित लाभार्थियों की मोतियाबिंद सर्जरी करने के लिए वित्तीय सहायता।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	11,75,000.00	No	SSPPP Trust	CSR00022699

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
66	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय, जिंक नगर, सुंदरगढ़ को 20 कंप्यूटर सेट की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	2,43,679.00	No	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
67	बसुंधरा क्षेत्र के आसपास के गांवों के गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	2,49,957.76	हाँ		
68	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के अंतर्गत सहसपुर यूपी स्कूल की मरम्मत एवं रखरखाव	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	Sundargarh	4,04,633.85	हाँ		
69	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत गर्जनबहाल नई बस्ती और स्ट्रीट लाइटिंग को बिजली आपूर्ति।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	9,97,976.25	हाँ		
70	बौंधारा क्षेत्र के आस-पास के इलाकों में सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से अक्षम वंचित लोगों को कंबल, मच्छरदानी, दैनिक उपयोगिताओं और अन्य विविध वस्तुओं का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,97,695.00	हाँ		
71	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत गर्जनबहाल नई बस्ती में 3 चरण बिजली आपूर्ति प्रणाली का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,99,490.80	हाँ		
72	बसुंधरा क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों (दिव्यांगों) को 03 ट्राइसाइकिल का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	30,000.00	हाँ		
73	पर्यावरण स्थिरता के लिए हरित कमांडो	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	24,000.00	हाँ		
74	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से बरपाली गांव और आर एंड आर साइट गांव में पीने के पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,13,434.50	हाँ		
75	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से सुमुरा गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,18,476.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
76	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से सारंगीझरिया गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,18,584.00	हाँ		
77	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से कुइसिरा गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,35,061.50	हाँ		
78	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से गंजीबुड गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़ कलेक्टर, सुंदरगढ़	1,26,108.00	हाँ		
79	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए खमारपारा गांव में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	86,457.60	हाँ		
80	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से गर्जनबहाल गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,80,592.04	हाँ		
81	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से सियारमाल गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,26,394.99	हाँ		
82	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से बालिंगा (बरपाली सड़क किनारे) गांव में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,04,037.30	हाँ		
83	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से तिउरिया गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,67,969.48	हाँ		
84	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए कुलदा गांव में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	3,02,454.77	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
85	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से तुमुलिया गांव में पेयजल की आपूर्ति (प्रथम पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	2,76,112.80	हाँ		
86	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से डुडुका गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,12,898.50	हाँ		
87	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से बंगुरकेला और कार्लिकाचर गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	2,16,204.00	हाँ		
88	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से ग्राम कालेतपानी में पेयजल आपूर्ति (प्रथम पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,00,963.56	हाँ		
89	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से कुलापारा और नरसिंहपुर गांव में पीने के पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	87,682.50	हाँ		
90	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से नाकटीदेउल, बनपाला और तेलेंडीही गांव में पीने के पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,55,865.60	हाँ		
91	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से हल्दीबहाल और चिटकेंढीपा गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,31,644.80	हाँ		
92	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से गोपालपुर गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,60,632.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
93	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए पतरापाली गांव में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,49,971.39	हाँ		
94	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से टिकलीपाड़ा और सारडेगा आर एंड आर साइट गांव में पीने के पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,00,527.30	हाँ		
95	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से झुपुरुंगा गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,35,868.03	हाँ		
96	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से बलबासपुर गांव में पेयजल की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,56,878.64	हाँ		
97	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से रतनपुर गांव में पेयजल की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,42,979.18	हाँ		
98	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए टैंकर के माध्यम से रतनसरा गांव में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,42,979.18	हाँ		
99	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत सरकारी यूपी स्कूल झुपड़ीपाड़ा की मरम्मत और रखरखाव।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,94,326.19	हाँ		
100	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत घरद्वार यूपी स्कूल की मरम्मत और रखरखाव।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	4,64,318.72	हाँ		
101	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए झरियापाली में ईचा नदी पर अस्थायी क्रॉस बांध बनाना।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,27,676.54	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
102	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बंजारीबुड में ईचा नदी पर अस्थायी क्रॉस बांध बनाना।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,36,681.71	हाँ		
103	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बरपाली और डुडुका के लिए बसुंधरा नदी पर अस्थायी क्रॉसबंड बनाना।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	98,053.00	हाँ		
104	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत टिकिलीपाड़ा सामुदायिक केंद्र की धुलाई और पेंटिंग।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,94,849.84	हाँ		
105	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत उस्ताली प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	1,32,597.86	हाँ		
106	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत टिकिलीपाड़ा में सरस्वती शिशु मंदिर की धुलाई और पेंटिंग।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	2,05,923.37	हाँ		
107	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत कुंड प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	7,41,068.22	हाँ		
108	बसुंधरा अरेर में स्वच्छता पखवाड़ा 2022 का आयोजन	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	45,400.00	हाँ		
109	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत ग्राम स्वास्थ्य शिविर के लिए दवाओं की खरीद	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	37,800.00	हाँ		
110	बसुंधरा अरेर में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का आयोजन	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	30,572.00	हाँ		
111	वर्ष 2022 के लिए तालचेर क्षेत्र (पैकेज एस-1) के लिए 120 दिनों के लिए तालचेर सब डिविजन के गांव रघुनाथपुर और बीरारामचंद्रपुर में पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	7,34,208.30	हाँ		
112	तालचेर क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 के लिए तालचेर उपखंड में ब्रजनाथपुर और राधारमणपुर गांवों में पानी की आपूर्ति (पैकेज एस-2) 120 दिन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,79,206.34	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
113	"वर्ष 2022 के लिए तालचेर क्षेत्र (पैकेज एस -3) 120 दिनों के लिए तालचेर उपखंड के गांवों लुहुंडी, गोदीबांधा चक टंकी और बेलपाड़ा में पानी की आपूर्ति।	Point no 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	4,80,480.66	Yes		
"	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,80,480.66	हाँ			
114	तालचेर क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 के लिए तालचेर उपखंड के गुरुजंग गांव में पानी की आपूर्ति (पैकेज एस-4) 120 दिन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	10,49,434.38	हाँ		
115	तालचेर क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 के लिए तालचेर उपमंडल के गांव सिरिगिडा में पानी की आपूर्ति (पैकेज एस-5) 120 दिन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	11,47,777.74	हाँ		
116	वर्ष 2022 के लिए तालचेर क्षेत्र (पैकेज एस-6) 120 दिनों के लिए तालचेर उपखंड के अरखापाल, कांतिकोलिया, गोपाबल्लवपुर और रंगमटिया गांवों में पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,02,397.75	हाँ		
117	तालचेर क्षेत्र के अंतर्गत डेरा छाक में डीएलबी कॉलोनी गेट के पास 90 दिनों की अवधि के लिए जला-छत्र शेड उपलब्ध कराना और ठीक करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,65,945.38	हाँ		
118	सीएसआर 2022-23 में प्रगति महिला मंडल के माध्यम से कार्य करता है।	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	53,711.86	हाँ		
119	7 नंबर का संचालन बड़ाजोराड़ा, नटीदी आदि गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	59,912.00	हाँ		
120	माँ हिंगुला यात्रा के लिए औषधि एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	30,131.00	हाँ		
121	तालचेर क्षेत्र के अंतर्गत मंडापाल अस्पताल छाक के पास 60 दिनों की अवधि के लिए जला-छत्र शेड उपलब्ध कराना और ठीक करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,56,853.58	हाँ		
122	हिंगुला क्षेत्र के सीएसआर के तहत बडाजोराडा जीपी के सुबरनापुर साही में सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	13,90,855.26	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
123	हिंगुला क्षेत्र के सीएसआर कार्यों के तहत नटदा गांव के डोलमंडप का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	3,99,198.65	हाँ		
124	सीएसआर कार्य हिंगुला क्षेत्र के तहत बड़ाजोराडा गांव में सामुदायिक केंद्र के सामने फुटपाथ, शेड और गेट का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	13,99,929.43	हाँ		
125	दनारा गांव के बालीमुंडा पोखरी में चहारदीवारी का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,68,287.84	हाँ		
126	ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान ग्राम बडाजोराडा में पानी की आपूर्ति (पैकेज 01)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	10,23,012.68	हाँ		
127	गर्मी के मौसम 2022 के दौरान ग्राम सानाजोराडा, कर्णपुर और नटिडी में पानी की आपूर्ति (पैकेज 02)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	12,03,544.33	हाँ		
128	सीएसआर, हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत कर्णपुर गांव के कच्चे नाले की सफाई।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,97,299.31	हाँ		
129	हिंगुला क्षेत्र के सीएसआर कार्यों के तहत दानारा गांव में बालीमुंडा पोखरी के पास हनुमान वाटिका में प्री-कोटेड प्रोफाइल शीट किचन और डाइनिंग शेड प्रदान करना।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,30,817.96	हाँ		
130	हिंगुला क्षेत्र के सीएसआर कार्यों के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर (10) का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	84,899.96	हाँ		
131	सीएसआर कार्यों के तहत आसपास के गांवों के जल निकायों को कीटाणुरहित करने के लिए फेरिक एलम की खरीद।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,000.46	हाँ		
132	तालचेर ब्लॉक में पंचायत चुनाव 2022 के दौरान जनता के लिए पीने के पानी की बोतलों का प्रावधान।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	49,980.00	हाँ		
133	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अंगुल जिले की प्रतिष्ठित महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	41,369.60	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
134	स्वच्छता पखवाड़ा 2022 के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर व्यय	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,87,764.60	हाँ		
135	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान नाश्ते का प्रावधान।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	38,998.08	हाँ		
136	ग्रीष्म ऋतु 2021 के दौरान ग्राम बडाजोराडा में जल आपूर्ति (पैकेज 01)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	3,99,521.38	हाँ		
137	एचए (पैकेज-07) के तहत ग्राम कंधबेरिनी, बालेश्वर साही में गर्मी के मौसम 2022 के दौरान पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,65,402.48	हाँ		
138	गर्मी के मौसम 2022 के दौरान एचए के तहत ग्राम जोरागडिया टंगारा साही, हाडी साही और सारग में पानी की आपूर्ति। (पैकेज-08)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,74,139.00	हाँ		
139	2022 में एचए के अंतर्गत ग्राम तिलेइपासी एवं खजुरिया में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति।(पैकेज-10)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,59,663.42	हाँ		
140	2022 में एचए के अंतर्गत ग्राम अंबापाल, बडामहितैला सनमहितैला में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति। (पैकेज-23)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,98,178.62	हाँ		
141	एचए के तहत ग्राम कलामुछिन पुरुनासाही, नुआसाही, नुआमुंडा साही, एकटाली, खुरियागुथा, राधनाभुइन (पुराना और नया) में गर्मी के मौसम 2022 के दौरान पानी की आपूर्ति। (पैकेज -21)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	11,87,372.86	हाँ		
142	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दानारा गांधीनगर और दानारा आदिवासीशाही में पानी की आपूर्ति (पैकेज-05)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,04,779.78	हाँ		
143	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नकेईपासी में पानी की आपूर्ति (पैकेज-06)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	8,13,300.60	हाँ		
144	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत नतादा, बड़ाझरन और बेथियानाली गांव में पानी की आपूर्ति (पैकेज-24)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,92,211.02	हाँ		
145	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत कुमुंडा, कुमुंडा तनलासाही, कुमुंडा नुआ तनलासाही, कुमुंडा तेंतुलिसाही और पुरुनापानी गांव में पानी की आपूर्ति। (पैक -17)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	33,99,929.28	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
146	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोलादा में पानी की आपूर्ति (पैक-18)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	39,00,669.19	हाँ		
147	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मझिका, बीरबरपुर, सोलादा देउलसाही, नाथगांव पुलिस चौकी कालामाछुइन, पीएचसी कालामाचुइन सहित हिंगुला हाई स्कूल, गोलकुला परिवार, थ्नला साही बनिया साही बिद्याधर और अनाल्यामी में पानी की आपूर्ति। (पैक-04)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	12,73,600.00	हाँ		
148	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालीबांधा नुआभुइन, अन्नतगाड़िया और जंबुधरा में पानी की आपूर्ति। (पैक -13)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,79,179.63	हाँ		
149	एचए के तहत गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद खलीसाही (स्कूल साही), खमार और पटनासाही गांव में पानी की आपूर्ति (पैकेज नंबर 14)।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	21,90,187.01	हाँ		
150	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत कांकारेई बहलसाही, छोटोब्रिनी और पिधाखमन गांव में पानी की आपूर्ति। (पैक -25)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	10,98,562.66	हाँ		
151	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत हिंगुला ओसीपी में गेस्ट हाउस की तोड़फोड़ और पेंटिंग और हिंगुला मंदिर के मुख्य द्वार की सजावटी पेंटिंग।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,89,208.71	हाँ		
152	लोक मोहत्सव 2022 हेतु अस्थाई सांस्कृतिक मंच का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,30,787.60	हाँ		
153	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के लिए 04 अस्थायी कमरे बनाना और मंच के पास जनता के लिए बैठने की व्यवस्था	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,40,833.00	हाँ		
154	हिंगुला यात्रा 2022 के उभास्थली के पास गड्ढों में मिट्टी भरना और रेत भरना	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,18,266.86	हाँ		
155	2022 में गर्मी के मौसम के दौरान जमुनाली कुशाचर साही को पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,55,795.10	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
156	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान सांस्कृतिक पंडाल के सामने फैला हुआ मुरम	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,06,865.80	हाँ		
157	जरासिंघा गांव में 04 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण (जमा कार्य)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,12,936.00	ना	BDO, Barpal Block	लागू नहीं
158	जरासिंघा गांव के हरिजनसाही में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,02,055.35	हाँ		
159	हिंगुला ऐरा (पैक-20) के अंतर्गत ग्राम कालामचुइन (हादी साही, हरिजनसाही, कालिकाप्रसाद और कालामचुइन बाउंसागड़िया सहित) में पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	35,44,785.95	हाँ		
160	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत न्यू गोपालप्रसाद, न्यू अनंतगड़िया, कैंथनाली और कुसुमपाल गांव में पानी की आपूर्ति (पैक-12)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	11,09,852.25	हाँ		
161	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत तेलीपुर, तेलीपुर हरिजनसाही, तेईपुर सिखपालसाही और खुरिंगा गांव में पानी की आपूर्ति। (पैक-03)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	14,50,595.84	हाँ		
162	एचए के अंतर्गत ग्राम बनबसपुर एवं भागबसपुर में पानी की आपूर्ति। (पैकेज नं.15).	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,65,863.25	हाँ		
163	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चितलपुर, कुमांडा नाइकसाही, हादीसाही, कुमांडा हादीसाही, मरदाहरिहरपुर और अंबाबुरी में पानी की आपूर्ति। (पैक -16)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	18,69,961.05	हाँ		
164	मशाल शोभा यात्रा 2022 के आयोजन के लिए तंबू, कपड़े की छत, सजावट, नाश्ते और अन्य वस्तुओं का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,41,004.25	हाँ		
165	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान अस्थायी दूसरे सांस्कृतिक मंच का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	55,079.56	हाँ		
166	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान खुले शेड, सजावटी कपड़े की छत, रेत कला शेड आदि का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,41,095.37	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
167	हिंगुला ओसीपी, एचए के सीएसआर कार्य के तहत गर्मी के मौसम को छोड़कर एक वर्ष की अवधि के लिए न्यू गोपालप्रसाद, न्यू अनंतगड़िया, कैथनाली और कुसुमपाल गांव में घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	20,30,921.60	हाँ		
168	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान कचरे के निपटान के साथ-साथ मंदिर परिसर की दैनिक सफाई और रखरखाव	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,98,935.45	हाँ		
169	हिंगुला यात्रा 2022 के दौरान जगन्नाथ मंदिर से पाटन साही चक तक सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ियों की सफाई और सतह की ड्रेसिंग के लिए मुरम फैलाना	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,95,595.27	हाँ		
170	हिंगुला यात्रा 2022 की पूर्व संध्या पर विभिन्न सड़कों पर पानी का छिड़काव एवं पेयजल की व्यवस्था	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,99,070.72	हाँ		
171	हिंगुला ओसीपी, एचए के सीएसआर कार्य के तहत 30 दिनों की अवधि के लिए न्यू गोपालप्रसाद, न्यू अनंतगड़िया, कैथनाली और कुसुमपाल गांव में घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,87,877.72	हाँ		
172	एचओसीपी, एचए के तहत कंकरेई गांव से छोटोबेरेनी नायक साही तक कंक्रीट एप्रोच रोड पुलिया बनाना	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,80,680.90	हाँ		
173	हिंगुला मंदिर परिसर के पास ब्लॉक वृक्षारोपण में पानी देना	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	96,014.00	हाँ		
174	01 वर्ष की अवधि के लिए एचओसीपी और बीओसीपी के निकटवर्ती गांवों में पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	17,03,872.80	हाँ		
175	दनारा गांव में कल्याण मंडप का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,00,825.10	हाँ		
176	एचए के अंतर्गत ग्राम बारापाली में गर्मी के मौसम 2022 के दौरान पानी की आपूर्ति (पैकेज-09)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,75,678.02	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
177	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहलसाही में पानी की आपूर्ति (पैकेज-19)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,06,629.40	हाँ		
178	सीएसआर, हिंगुला क्षेत्र के तहत कालीमंदिर, जमुनाली के सामने गोठासाही में रहसबाड़ी का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,79,341.83	हाँ		
179	सत्यबादीपुर साही में 30 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,59,868.80	हाँ		
180	सत्यबादीपुर साही में 30 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,93,261.00	हाँ		
181	सत्यबादीपुर साही में 15 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	99,175.21	हाँ		
182	सत्यबादीपुर साही में 15 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	99,175.21	हाँ		
183	मझिका गांव में 30 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,95,371.27	हाँ		
184	सत्यबादीपुर साही में 30 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,21,567.28	हाँ		
185	सत्यबादीपुर साही में 30 दिनों तक पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,00,412.85	हाँ		
186	एचए के तहत बीओसीपी के सीएसआर कार्य के तहत दानरा गांव में (क) नेनकुरी साहू के घर से नरोत्तम साहू के घर तक (ख) मंडप से पुराने पंप हाउस तक सीसी रोड का निर्माण © रेमेश साहू के घर से गुणाकर साहू के घर तक।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	23,59,764.62	हाँ		
187	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत बलराम ओसीपी के सोलादा गांव के सत्यबादीपुर में 02 महीने के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,45,576.60	हाँ		
188	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जम्बूबहाली में घरेलू प्रयोजन के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,92,737.60	हाँ		
189	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुइयो एवं कुनिओ पुनर्वास कॉलोनी एवं कुइयो हरिजन साही में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	7,57,642.90	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
190	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राकस, कुटरिपासी एवं ब्रूंदाबनपुर में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	99,037.26	हाँ		
191	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नुआसाही, पदमाबतीपुर और लछमनपुर में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,90,044.36	हाँ		
192	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छेंदीपाड़ा (बेंटाकुरा साही, तानला साही, कुंभारा साही, गोछायत साही, हरिजन साही, कैथ साही, बेहरा साही, भामरा साही और प्रधान साही) में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	18,08,227.52	हाँ		
193	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बडासिंगीडा एवं सनासिंगीडा में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,80,087.19	हाँ		
194	वर्ष-2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत हिंगुला यात्रा के दौरान नंदिरा चौक से दानारा हाई स्कूल तक सड़क पर पानी का छिड़काव	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,30,158.58	हाँ		
195	भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत हिंगुला यात्रा के लिए नंदीरा चौक से दनारा चौक तक बिटुमिनस सड़क के दोनों ओर मोरम की आपूर्ति एवं प्रसार।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,65,316.50	हाँ		
196	हरिजन साही से तिलेइपासी स्कूल तक नाली का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	25,887.95	हाँ		
197	जरूरतमंद छात्राओं को 02 लेडीज बाईसाइकिल खरीदकर उपलब्ध करायी गयी	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	11,800.00	हाँ		
198	बीए की सुरभि महिला मंडल द्वारा हिंगुला यात्रा के दौरान पैदल यात्रियों के लिए तरबूज, अमूलकूल, फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक की खरीदारी।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	24,700.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
199	एक्वागार्ड वॉटर प्यूरीफायर (मॉडल - एस्टोर) की खरीद यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड को भरतपुर यूपी और हाई स्कूल को प्रदान की जाएगी।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	25,000.00	हाँ		
200	बी.ए. द्वारा सुरभि महिला मंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद/ गरीब लोगों को उपलब्ध कराये जाने वाले किराना सामग्री की खरीदारी।	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,364.00	हाँ		
201	सुरवी महिला मंडल द्वारा जरूरतमंद लोगों को शॉल का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	24,000.00	हाँ		
202	सुरवी महिला मंडल द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	23,000.26	हाँ		
203	बी.ए. द्वारा सुरभि महिला मंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद/ गरीब लोगों को उपलब्ध कराये जाने वाले किराना सामग्री की खरीदारी।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	1,987.00	हाँ		
204	सुरभि महिला मंडल द्वारा किराना सामग्री की खरीदारी।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	32,609.00	हाँ		
205	सुरभि महिला मंडल द्वारा किराना सामग्री की खरीदारी।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	18,269.42	हाँ		
206	सुरभि महिला मंडल द्वारा वितरण हेतु फोल्डिंग छाते की खरीददारी।	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	37,760.80	हाँ		
207	सुरभि महिला मंडल, बीए द्वारा वितरण के लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग, लंच बॉक्स की खरीद	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	54,772.00	हाँ		
208	सीएसआर कार्य के लिए शॉल की खरीद।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	34,650.00	हाँ		
209	सीएसआर के तहत स्वच्छ भारत पखवाड़ा 2022-2023।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	2,27,022.98	हाँ		
210	क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीएसआर शिविर का आयोजन किया गया	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	54,898.24	हाँ		
211	सुरभि महिला मंडल, बी.ए. द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को वितरण हेतु स्टेशनरी की खरीदारी	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	26,846.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
212	सीएसआर के तहत स्वच्छ भारत पखवाड़ा 2022-2023।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	60,000.00	हाँ		
213	आज़ादी का अमृत महासचब, बाल स्वास्थ्य शिविर।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	22,435.00	हाँ		
214	सुरभि महिला मंडल द्वारा खाना पकाने के बर्तन का वितरण।	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	3,690.00	हाँ		
215	हिंगुला मंदिर में लोक महोश्छब में सीसीटीवी लगाया गया।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	4,89,405.00	हाँ		
216	क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीएसआर शिविर का आयोजन किया गया	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	1,83,439.78	हाँ		
217	उपकर @ 1%	बिन्दु सं. 10	-	ओड़िशा	अंगुल	12,52,061.84	हाँ		-
218	सीएसआर स्वास्थ्य शिविर	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	15,485.00	हाँ		
219	सीएसआर स्वास्थ्य शिविर	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	28,504.00	हाँ		
220	15.04.2022 से 23.04.2022 तक आयोजित होने वाली एमएए हिंगुला यात्रा 2022 और 18वें लोक महाशिवराण के लिए संबंधित कार्य के साथ विद्युत रोशनी/प्रकाश व्यवस्था का कार्य करना।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	9,35,268.00	हाँ		
221	सीएसआर के तहत गुरुद्वारा से एफसीआई गेट तक दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट नालियों सहित बी टी रोड का सुदृढ़ीकरण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	2,26,264.32	हाँ		
222	वर्ष 2022 के लिए जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत चटिया हटिंग, दक्षिण बलंदा, बगधर मुंडासाही और खंडुआलबहाल गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से अस्थायी जलापूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	16,58,558.81	हाँ		
223	वर्ष 2021 के लिए जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत चाटेई हुटिंग, दक्षिण बलंदा, बगधर मुंडासाही और खंडुआलबहाल गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की अस्थायी आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	87,037.04	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
224	35 दिनों की अवधि के लिए अनंत ओसीपी में नाइक साही, हेन्समुल हाई स्कूल, हेन्समुल पुनर्वास स्थल और डेरा हरिजन साही और रागडी साही के लिए टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	27,388.80	हाँ		
225	वर्ष 2021 के लिए जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत एकडाल (संजामुंडा साही), नायक साही, पुरुना साही, बरघरिया साही और हिलोई गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की अस्थायी आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	14,93,041.93	हाँ		
226	वर्ष 2022 के लिए जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरपुर (कनिहा ब्लॉक), दुमुदुमा, सदाशिवपुर, गोदीबांधा अस्पताल और पबित्रापुर (न्यू बलंदा) गांवों में पानी की टंकी के माध्यम से पानी की अस्थायी आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	14,36,237.24	हाँ		
227	मां हिंगुला मंदिर के पास टेंट की व्यवस्था	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	5,20,627.80	हाँ		
228	बीओसीपी द्वारा मां हिंगुला उवस्थली के आसपास परिसर का विकास	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	5,21,803.70	हाँ		
229	मां हिंगुला मंदिर के पास टेंट की व्यवस्था	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	5,19,884.40	हाँ		
230	जगन्नाथ क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत नतेडी गांव में डोला मंडप का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	3,88,835.92	हाँ		
231	नीलकंठ डिग्री कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का काम	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	8,89,508.67	हाँ		
232	बीबीएसआरआई ओसीपी, जेए के सीएसआर कार्यक्रम के तहत गुरुजंग में बैद्यमुंडा के माध्यम से एनएच -23 से बंगारू नाला तक कंक्रीट सड़क का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	3,90,676.71	हाँ		
233	जगन्नाथ क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत डेरा गांव में डेरा ताला साही के सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	2,01,079.90	हाँ		
234	10 स्थानों पर छप्परयुक्त शेड सहित अस्थाई पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	1,11,350.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
235	एकदल, सानाजामुंडा साही गांवों में पेयजल आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	5,15,166.72	हाँ		
236	सीएसआर के तहत वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए डीएफओ, अंगुल द्वारा शहरी वृक्षारोपण और नर्सरी उगाने के जमा कार्यों की योजना के तहत वृक्षारोपण।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	9,71,808.00	No	DFO, लागू नहीं	लागू नहीं
237	मेडिकल कॉलेज एमआईएमएसआर, तालचेर में कोविड-19 अस्पताल और आवासीय क्षेत्र के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	42,593.28	हाँ		
238	नवीन चिकित्सा स्थल पर कोविड-19 अस्पताल हेतु आवासीय भवन एवं छात्रावास के लिए पंप स्टार्टर एवं वाल्व का संचालन	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	61,327.96	हाँ		-
239	एमआईएमएसआर में 2X1250 केवीए सब स्टेशन का संचालन	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	3,93,106.31	हाँ		-
240	कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	9,700.00	हाँ		-
241	सीएसआर पर 1% की दर से बीओसीडब्ल्यू उपकर	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	39,31,915.00	हाँ		
242	वर्ष 2021 के लिए कनिहा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जराडा, तेलसिंघा और कांसमुंडा में पानी के टैंकर के माध्यम से पानी की वार्षिक आपूर्ति (ग्रीष्मकालीन पैकेज को छोड़कर) (पैकेज ए1)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	3,52,658.93	हाँ		
243	सीएसआर के तहत कनिहा क्षेत्र के कनिहा ओसीपी में गुंडुरिनाली गांव के तालाब का गहरीकरण	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	13,86,847.85	हाँ		
244	वर्ष 2022 के लिए कनिहा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जराडा, तेलीसिंघा, छेलिया, कंसामुंडा, जयपुर, आदित्य प्रसाद, गुंडुरिनाली, गुलेन्डो और मालीपासी में पानी के टैंकर के माध्यम से गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति (पैकेज एस 1)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	36,34,480.54	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
245	तालचेर से कनिहा रेंज वन कार्यालय के लिए पटाखे उपलब्ध कराना और आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	9,989.88	हाँ		
246	आजादी का अमृत महोत्सव 2022 (एकेएएम) के दूसरे वर्ष का जश्न मनाने के लिए एमसीएल लोगो के साथ 500 नग जूट बैग की खरीद।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	67,200.00	हाँ		
247	वित्त वर्ष 2022-23 तक सीएसआर व्यय पर 1% की दर से बीओसीडब्ल्यू उपकर	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	8,93,181.41	हाँ		
248	लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत परिधीय गांव में स्वच्छता पखवाड़ा	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	22,000.00	हाँ		
249	पर्यवेक्षण शुल्क	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	51,695.00	हाँ		
250	सीएसआर के तहत कल्याण मद की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	8,593.20	हाँ		
251	जमा आधार पर 2022 की गर्मियों के दौरान तालचेर नगर पालिका के वार्डों में पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	49,65,251.00	नहीं	कार्यकारी अधिकारी, तालचेर नगर पालिका	लागू नहीं
252	वर्ष 2021 लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-एस-3) के लिए तालचेर उप-मंडल के पानी की कमी वाले गांवों डोबलिन, प्रोमोड प्रसाद, मणिकमारा और रसूलपुर में 122 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति। (मार्च-जून)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	46,096.44	हाँ		
253	वर्ष 2020-21 के लिए तालचेर उपमंडल लिंगराज क्षेत्र में पानी की कमी वाले गांवों मदनमोहनपुर में जल की आपूर्ति (पीकेजी-वी 303 दिनों के लिए)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	94,320.00	हाँ		
254	वर्ष 2020-21 के लिए तालचेर उप-मंडल लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-III) में पानी की कमी वाले गांवों कांधल हादी साही में 303 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,48,024.80	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
255	वर्ष 2020-21 के लिए तालचेर उप-मंडल, लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-I) में पानी की कमी वाले गांवों बालुंगाव खमार में 303 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति करना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	98,049.60	हाँ		
256	वर्ष 2020-21 के लिए लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-IV) में 303 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल में पानी की कमी वाले गांवों लंगीजोड़ा और अनादिपुर में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	8,18,920.00	हाँ		
257	सीएसआर वर्ल ला के तहत डोलो मंडप गांव: तालाबेड़ा का निर्माण (पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,300.52	हाँ		
258	लिंगराज क्षेत्र के ग्राम तालाबराना में पथघरा का निर्माण	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	2,66,958.57	हाँ		
259	सीएसआर कार्य के तहत लिंगराज क्षेत्र में प्रोमोद प्रसाद के द्वारा विद्युतीकरण कोठाघरा का निर्माण किया गया	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	42,108.22	हाँ		
260	वर्ष 2021-22 के लिए आनंदपुर, तालाबेड़ा में 120 दिनों के लिए तालाबेरना तालचेर उप-मंडल के गांवों में पानी की आपूर्ति (पीकेजी-डब्ल्यू-1) की गई.	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	3,91,407.39	हाँ		
261	वर्ष 2021 के एलए के तहत तालचेर उपमंडल के मदनमोहनपुर में पानी की आपूर्ति, वर्ष 2021-22 के लिए (पीकेजी-वी) 303 दिनों के लिए की गई।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	3,45,404.40	हाँ		
262	वर्ष 2021-22 (डब्ल्यू-2) के लिए 120 दिनों के लिए एलए के तहत वर्ष 2021 के लिए जादुनाथौर, बिद्याधरपुर, दयानिधिपुर और तालचेर उप-मंडल के गांवों में पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	3,15,369.60	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
263	सीएसआर कार्य के तहत देउलबेरा तेली साही से बाबाजी मठ तक सीमेंट कंक्रीट रोड उपलब्ध कराने हेतु एल.ए. पुनः निविदा किया जाना।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	7,36,071.21	हाँ		
264	लिंगराज क्षेत्र में सीएसआर कार्य के तहत शनि मंदिर चौक, तालाबेड़ा चौक और सौभाग्यनगर चौक में जनता के लिए (45 दिनों) के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,98,572.76	हाँ		
265	सीएसआर कार्य के अंतर्गत ग्राम तेलीसाही में भागापाड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं स्थिरीकरण/सुदृढ़ीकरण	बिन्दु सं. 4	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,41,054.31	हाँ		
266	आनंदपुर से गोछायत साही तक सड़क का विकास	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,25,623.70	हाँ		
267	सीएसआर, के तहत कांधल लिंगराज क्षेत्र के परिधीय गांव (कांधल हादी साही, त्रिलोचनपुर, जदुनाथपुर, धोनीपाल नायक साही) में पोर्टेबल मशीन द्वारा फॉगिंग संचालन कार्य	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,54,344.00	हाँ		
268	समसंघाट में विश्रामालय का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,85,769.98	हाँ		
269	सीएसआर कार्य के तहत नुआ साही स्कूल, कांकिली, लिंगराज क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण।	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	12,22,794.44	हाँ		
270	वर्ष 2021-22 LA(Pk-IV) के लिए तालचेर उपमंडल के पानी की कमी वाले गांवों लंगीजोड़ा और अनादिपुर में 303 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	10,80,508.80	हाँ		
271	वर्ष 2021-22 एलए(पैकेज-III) के तहत 303 दिनों के लिए पानी की कमी वाले गांवों कांधल और कांधल हादी साही तालचेर उप-मंडल में पानी की आपूर्ति।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,84,748.97	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार-प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
272	वर्ष 2021 के लिए एलए के तहत वर्ष 2021-22 (पीकेजी-II) में 303 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल के बलुंगाव नुआ साही और सौभाग्य नगर की पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	9,04,800.00	हाँ		
273	वर्ष 2021 के लिए एलए के तहत तालचेर उपमंडल के मदनमोहनपुर में वर्ष 2021-22 के लिए (पीकेजी-वी) 303 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,76,057.60	हाँ		
274	वर्ष 2021-22 के लिए तालचेर उपमंडल के बालुंगाव खमार गांव में 303 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति (पीकेजी-1)	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,54,032.00	हाँ		
275	वर्ष 2022 के एलए के तहत जादुनाथौर, बिद्याधरपुर, दयानिधिपुर और तालचेर उपमंडल के गांवों में वर्ष 2022 (एस-2) के लिए 122 दिनों तक पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,74,146.00	हाँ		
276	"सीएसआर, लिंगराज क्षेत्र के तहत तालाबेड़ा में डब्ल्यूटीपी, आईडब्ल्यूएसएस से तालाबेड़ा गांव तक विभिन्न पैच पर पानी की पाइपलाइन का प्रतिस्थापन।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,73,389.71	हाँ		
277	सीएसआर कार्य के तहत नई बस्ती नाहक साही बलुंगा, लिंगराज क्षेत्र में कंक्रीट सड़क का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	20,75,805.68	हाँ		
278	वर्ष 2021-22 के लिए लिंगराज क्षेत्र (डब्ल्यू-4) में 120 दिनों के लिए तालचेर उपमंडल के जल संकट वाले गांवों कृष्णचंद्रपुर, दशरथीपुर और एकादसीपुर में पानी की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	53,105.68	हाँ		
279	वर्ष 2021-22 के लिए लिंगराज क्षेत्र (डब्ल्यू-3) में 120 दिनों के लिए पानी की कमी वाले गांवों डबलिन, प्रमोद प्रसाद, मणिकमारा और रसूलपुर से तालचेर उप-मंडल तक पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	64,183.04	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
280	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र (एस-8) में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिवीजन में पानी की कमी वाले गांवों बालीजोडी, काकुडी और बिहारीपुर में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,64,372.99	हाँ		
281	वर्ष 2022 लिंगराज क्षेत्र (एस-12) के लिए तालचेर सब-डिवीजन के पानी की कमी वाले गांवों कांकीली भाग-बी और कालंदी प्रसाद में 122 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	8,28,234.86	हाँ		
282	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र (एस-5) में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिविजन में पानी की कमी वाले गांवों स्कॉटलैंडपुर धरमपुर जीपी, नुआ साही कांकिली और सेरेइलो में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,46,044.79	हाँ		
283	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र (एस-6) में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिवीजन में पानी की कमी वाले गांवों धरमपुर और खैरापाल में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,20,321.34	हाँ		
284	वर्ष 2022 के लिए तालचेर सब-डिवीजन के लिंगराज क्षेत्र (एस-11) में पानी की कमी वाले गांव सैनाली और कांकिली भाग-ए में 122 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,41,303.76	हाँ		
285	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिवीजन में पानी की कमी वाले गांवों भेरुबनिया, रामचन्द्रपुर, कांटानाली और सिमिलिपाल में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	7,13,575.10	हाँ		
286	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र (एस-9) में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिवीजन के पानी की कमी वाले गांवों किशोरीपाल, हरिहरपुर और गुंथबहल में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,78,786.34	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
287	वर्ष 2022 के लिए लिंगराज क्षेत्र (एस-7) में 122 दिनों के लिए तालचेर सब-डिवीजन में पानी की कमी वाले गांवों जंदाबहाल और सतपतिया साही में पानी की आपूर्ति करना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	6,18,695.68	हाँ		
288	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के तहत कांधल गौड़ा साही में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	8,72,260.74	हाँ		
289	सीएसआर कार्य के तहत सैनाली से कांकिली नुआ साही, लिंगराज क्षेत्र तक कंक्रीट सड़क का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	15,53,506.62	हाँ		
290	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के तहत कांधल जीपी में डोबलिन से एकादसीपुर तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	10,00,465.66	हाँ		
291	सीएसआर कार्य, के तहत लिंगराज क्षेत्र के लिए कांकिली मेडिकल से समशान घाट, कांकिली तक कंक्रीट के सड़क का निर्माण।	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	5,21,848.12	हाँ		
292	लिंगराज क्षेत्र द्वारा 15 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए मां हिंगुला यात्रा 2022 की पूर्व संध्या पर 10' x 12' आकार के 300 स्टालों का निर्माण।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	7,21,452.00	हाँ		
293	सीएसआर कार्य, लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत बालुंगा प्राथमिक विद्यालय एवं कल्याणमंडप में कंक्रीट सड़क का निर्माण (पुनः निविदा)	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	11,05,459.95	हाँ		
294	सीएसआर कार्य के तहत लिंगराज क्षेत्र के धरमपुर ग्राम पंचायत के सेरेइलो गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,70,164.64	हाँ		
295	सीएसआर के तहत तालाबराना, लिंगराज क्षेत्र में खुले सामुदायिक स्थान का विकास	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	4,85,457.16	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
296	सीएसआर के तहत स्वच्छता पखवाड़ा 2022 के लिए कंधल जीपी के तहत लिंगराज क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों के जल निकायों, सड़क और नालियों की सफाई करना '''	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	1,83,474.43	हाँ		
297	लिंगराज क्षेत्र में डेंगू बुखार के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, सीएचसी, गोदीबांध को दो महीने की अवधि के लिए ब्लॉक करने के लिए 04 मजदूरों की तैनाती की गई।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	69,599.38	हाँ		
298	लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणकारी वस्तुओं की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	35,364.00	हाँ		
299	महिला मंडल कार्य	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	8,593.20	हाँ		
300	स्वच्छता पखवाड़ा के लिए 500 जूट बैगों की खरीदी	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	लागू नहीं	67,200.00	हाँ		
301	जाजपुर में बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम का निर्माण	बिन्दु सं. 7	नहीं	ओड़िशा	जाजपुर	3,68,53,774.47	नहीं	कलेक्टर जाजपुर	लागू नहीं
302	विकास अस्पताल द्वारा संबलपुर में समर्पित कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	43,43,700.00	नहीं	विकास अस्पताल	लागू नहीं
303	एसयूएम अस्पताल द्वारा भुवनेश्वर में समर्पित कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है	बिन्दु सं. 1	नहीं	ओड़िशा	खुर्दा	8,83,71,480.00	नहीं	सम अस्पताल	लागू नहीं
304	संबलपुर जिला प्रशासन को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	2,15,771.22	हाँ		
305	जिला प्रशासन, संबलपुर द्वारा एम्बुलेंस के लिए किराया शुल्क	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	92,08,567.00	हाँ	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
306	बरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर के लोगों के लिए मारवाड़ी युवा मंच, बरगढ़ और उत्सरंगा को एम्बुलेंस प्रदान करना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर	50,58,866.00	हाँ		
307	राष्ट्रीय ध्वज एवं पीवीसी पाइप की आपूर्ति	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	5,49,999.33	हाँ		
308	वितरित किये जाने वाले 100 छातों की खरीद	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	38,000.00	हाँ		
309	एमसीएल के सीएसआर के तहत एडुटा चिल्ड्रेन होम, अंगुल के परिसर में पानी की टंकी और प्रकाश सुविधा का प्रावधान	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	1,35,545.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
310	महिला मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली साइकिलों की खरीद	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	1,04,748.00	हाँ		
311	01.07.21 से 31.07.21 तक, 1.11.20 से 31.12.20तक और 1.05.21 से 30.06.21 तक की अवधि के लिए तालचेर के कोविड अस्पताल के भोजन बिलों का भुगतान	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	75,87,350.00	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
312	कल्याण मंडप, बेहरामाल में विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा,	18,84,215.00	नहीं	कलेक्टर, झारसुगुड़ा	लागू नहीं
313	पुरी रेलवे स्टेशन पर सीएआर उत्सव (रथ यात्रा) 2022 के दौरान मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 5	नहीं	ओड़िशा	पूरी	30,00,000.00	नहीं	पूर्व तट रेलवे	लागू नहीं
314	संबलपुर के बामरा ब्लॉक में 5टी के तहत हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	40,00,000.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
315	मृत्यु दर को कम करने वाली गर्भवती महिलाओं पर नज़र रखने के लिए एक ऐप/ एप्लिकेशन का विकास।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	6,48,400.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
316	गौड़पाली, बुर्ला में योग मंडप का निर्माण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	7,35,945.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
317	3 साल तक मृत्यु दर कम करने वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करने के लिए ऐप का हेल्प डेस्क चलाना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	15,87,448.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
318	जिला मुख्यालय अस्पताल, संबलपुर की एएलएस एम्बुलेंस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	33,19,000.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
319	एमसीएल के सीएसआर के तहत ओडिशा सांस्कृतिक समाज, संबलपुर के लिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	9,05,500.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
320	झारसुगुड़ा में सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वाल का निर्माण	बिन्दु सं. 10	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा,	6,30,07,600.00	नहीं	कलेक्टर, झारसुगुड़ा	लागू नहीं
321	झारसुगुड़ा में मनोवैज्ञानिक भवन एवं पत्रिका वाल का निर्माण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	2,00,000.00	नहीं	कलेक्टर, संबलपुर	लागू नहीं
322	महिला मंडल द्वारा आयोजित घरेलू सहायिकाओं, संविदा कर्मियों एवं माली के लिए चश्मे का वितरण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	3,500.00	हाँ		

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
323	बौद्धिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों हेतु आशा किरण केन्द्र हेतु वाहन (स्कूल बस) हेतु वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	झारसुगुड़ा,	32,534.00	हाँ		
324	अंगुल जिले के तालचेर में 4 पाइप जलापूर्ति योजना	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	1,19,97,122.40	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
325	सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर ब्लॉक में बीज बैंकों (देसी बीज घर) को बढ़ावा देने के माध्यम से स्वदेशी बीजों का बहुलीकरण और संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	9,01,384.00	नहीं	ग्राम समृद्धि ट्रस्ट	लागू नहीं
326	एमसीएल के सीएसआर के तहत कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सुंदरगढ़ महोत्सव - 2019 के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 5	हाँ	ओड़िशा	सुंदरगढ़	5,00,000.00	नहीं	कलेक्टर, सुंदरगढ़	लागू नहीं
327	नंदनकानन में टॉय ट्रेन के संचालन के लिए सीएसआर गतिविधि के तहत राशि का प्रावधान	बिन्दु सं. 2	नहीं	ओड़िशा	खुर्दा	86,50,058.75	नहीं	डीडीओ, वन एवं पर्यावरण विभाग	लागू नहीं
328	कार महोत्सव 2022, यानी पुरी में रथ यात्रा के लिए पीने के पानी की बोतलों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 5	नहीं	ओड़िशा	पूरी	24,17,762.00	नहीं	कलेक्टर, पुरी	लागू नहीं
329	ओडिशा सरकार के हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ जमा आधार पर 66 स्कूलों का समर्थन	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर, सोनपुर	10,00,00,000.00	नहीं	मो स्कूल अभियान संघ परिचलन	लागू नहीं
330	डीएफओ, सिटी फॉरेस्ट डिवीजन भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन यानी शहरी वृक्षारोपण बढ़ाना	बिन्दु सं. 4	नहीं	ओड़िशा	खुर्दा	17,50,260.00	नहीं	डीएफओ, शहरी वन अनुभाग	लागू नहीं
331	सीपेट के माध्यम से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	बिन्दु सं. 2	हाँ	ओड़िशा	अंगुल, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा	26,23,300.00	नहीं	सीपेट	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (यहाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
332	कोरोना काल के दौरान लोक और आदिवासी कलाकारों के लिए आजीविका कार्यक्रम संचालित करने और ग्रामीण और आदिवासी ओडिशा के लुप्त हो रहे कला रूपों को पुनर्जीवित, संरक्षित, बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय सहायता	बिन्दु सं. 2	नहीं	ओड़िशा	खुर्दा	13,50,000.00	नहीं	ग्रामीण साहित्य के विकास के लिए सोसायटी	लागू नहीं
333	लोककबी हलधर अवसिक बाणविद्यालय, कुडोपाली, बरगढ़ में छात्रावास भवन का निर्माण	बिन्दु सं. 2	नहीं	ओड़िशा	बारगढ़	7,37,159.00	नहीं	कलेक्टर, बारगढ़	लागू नहीं
334	एमसीएल के सीएसआर के तहत हाकिमपाड़ा, अंगुल में बेसहारा बच्चों के लिए बाजी राऊत छात्रावास/अनाथालय का निर्माण	बिन्दु सं. 3	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	60,069.00	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
335	350 मिमी व्यास के मौजूदा राइजिंग डीआई पाइप को जीएम कार्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र के सामने मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर की ओर मोड़ना।	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	अंगुल	9,99,401.00	नहीं	कलेक्टर, अंगुल	लागू नहीं
336	कम्बल वितरण	बिन्दु सं. 1	नहीं	ओड़िशा	कंधमाल	9,99,000.00	नहीं	कलेक्टर, कंधमाल	लागू नहीं
337	बुर्ला के गरीबों के बीच कंबल का वितरण	बिन्दु सं. 1	हाँ	ओड़िशा	संबलपुर	6,09,000.00	हाँ		
	कुल					**55,61,66,734.87**			



बहुउद्देशीय इनडोर, स्टेडियम, जयपुर

तालिका - III

पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
1	निरंक	ईब वैली क्षेत्र के एसओसीपी के निकट लजकुरा ग्राम में पेयजल की आपूर्ति।	2021-22	365	2,52,456.02	1,00,985.28	2,39,840.04	पूर्ण
2	निरंक	एक वर्ष की अवधि के लिए ईब वैली क्षेत्र के एसओसीपी के पास ब्रजराजनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत लजकुरा फाटक पाड़ा और आसपास के बस्ती मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति (सीएसआर मद के तहत)	2021-22	365	3,50,400.00	1,29,676.80	3,49,440.00	पूर्ण
3	निरंक	1 वर्ष के लिए ईब वैली क्षेत्र के एलओसीपी के तहत मधुबन नगर संजोब, खड़ियापाड़ा और बुधोपड़ा ग्रामों में (बरसात के मौसम को छोड़कर) और चौकानी ग्राम के ईब पिट, नल्लापाड़ा, मुंडापाड़ा और किशनपाड़ा में पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति।	2020-21	365	4,91,470.00	470.00	4,91,470.00	पूर्ण
4	निरंक	1 वर्ष के लिए ईब वैली क्षेत्र (ए-1) के एलओसीपी के तहत मधुबन नगर संजोब, खड़ियापाड़ा और बुधोपड़ा ग्रामों में (बरसात के मौसम को छोड़कर) और चौकानी गांव के ईब पिट, नल्लापाड़ा, मुंडापाड़ा और किशनपाड़ा में पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति।	2021-22	365	5,93,150.60	98,801.94	5,93,150.60	पूर्ण
5	निरंक	ब्रजराजनगर नगर पालिका के विभिन्न गांवों में वर्ष भर गर्मी के दौरान 75 दिनों के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति (एस-1)	2021-22	75	3,51,100.00	3,51,100.00	3,51,100.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
6	निरंक	बीएन कॉलेज, ब्रजराजनगर के लिए तारफेल्टिंग और पाइपलाइन, भवन की मरम्मत और रखरखाव।	2013-14	75	22,57,591.65	1,23,481.60	22,57,591.65	पूर्ण
7	निरंक	ईब वैली, एमसीएल के सीएसआर मद के तहत ब्रजराजनगर मुख्य सड़क से ब्रजराजनगर कॉलेज गेट तक सड़क और पुलिया का निर्माण।	2021-22	90	17,22,363.11	11,68,029.21	17,22,363.11	पूर्ण
8	निरंक	वृक्षारोपण कार्य	2021-22	1095	1,59,90,756.00	1,12,44,027.00	1,12,44,027.00	चालू
9	निरंक	ओरिएंट क्षेत्र के सीएसआर कार्यों के तहत जुनानिमुंडा प्राइमरी स्कूल में एक (1) कक्षा कक्ष और चारदीवारी का निर्माण।	2020-21	180	8,71,238.79	1,02,238.79	7,54,000.00	पूर्ण
10	निरंक	डीसीएचसी, लखनपुर क्षेत्र में कोविड-19 रोगियों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराना	2021-22	50	3,97,825.06	3,97,825.06	3,97,825.06	पूर्ण
11	निरंक	लखनपुर क्षेत्र (एपी-2) के तहत लखनपुर ओसीपी पर कार्लाजोरी और खलियापाली ग्राम में पेयजल की आपूर्ति।	2020-21	365	6,11,421.72	2,02,132.12	6,10,304.97	पूर्ण
12	निरंक	लखनपुर क्षेत्र के तहत लखनपुर ओसीपी पर उबुदा ग्राम में एक वर्ष के लिए पेयजल की आपूर्ति।	2021-22	365	3,19,028.25	86,257.92	3,18,755.25	पूर्ण
13	निरंक	लखनपुर क्षेत्र (एपी-4) के तहत लखनपुर ओसीपी पर कार्लाजोरी और खलियापाली गांव में पेयजल की आपूर्ति	2021-22	365	4,45,117.50	1,14,300.00	4,45,117.50	पूर्ण
14	निरंक	लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लखनपुर ओसीपी पर तिंगिस्मल गांव के लिए पेयजल की आपूर्ति (एक वर्ष के लिए) (पैकेज ए-3)।	2021-22	365	2,89,463.25	1,07,590.45	2,87,820.05	पूर्ण
15	निरंक	लखनपुर क्षेत्र (एपी-2) के तहत लखनपुर ओसीपी पर लुहुरापाड़ा और सहजबहाल गांवों में पेयजल की आपूर्ति।	2021-22	365	3,02,986.50	7,470.90	3,02,888.90	पूर्ण
16	निरंक	2021 में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, अन्य स्वच्छता अभियानों का आयोजन और अवलोकन करना।	2021-22	15	1,31,515.00	31,500.00	1,19,230.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
17	निरंक	कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा के लिए 01 एएलएस एम्बुलेंस की नियुक्ति (ईंधन शुल्क)।	2021-22	90	11,79,236.00	11,79,236.00	11,79,236.00	पूर्ण
18	निरंक	कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा के लिए दो एएलएस एम्बुलेंस की नियुक्ति।	2021-22	120	30,01,301.00	30,01,301.00	30,01,301.00	पूर्ण
19	निरंक	एएलएस एम्बुलेंस कोविड-19 अस्पताल झारसुगुड़ा में लगी हुई है।	2021-22	70	16,06,615.00	16,06,615.00	16,06,615.00	पूर्ण
20	निरंक	झारसुगुड़ा के कोविड अस्पताल में एएलएस एम्बुलेंस को किराये पर लेना।	2021-22	110	36,08,552.00	36,08,552.00	36,08,552.00	पूर्ण
21	निरंक	झारसुगुड़ा के कोविड अस्पताल में एएलएस एम्बुलेंस को किराये पर लेना।	2021-22	30	3,74,167.00	3,74,167.00	3,74,167.00	पूर्ण
22	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत सुंदरगढ़ जिले के बरपाली गांव, ग्राम पंचायत डुडुका (हिमगीर ब्लॉक) का विकास।	2021-22	365	7,29,41,705.51	3,90,40,010.42	7,25,07,548.95	चालू
23	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत रेलवे लाइन के साथ टिकलीपारा से बरपाली रेलवे स्टेशन तक ब्लैक टॉप्ड रोड का निर्माण।	2021-22	180	7,04,62,383.31	91,08,876.54	2,46,87,333.04	पूर्ण
24	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत गोपालपुर हाई स्कूल की मरम्मत और रखरखाव	2021-22	120	8,56,522.60	186.12	8,20,481.77	पूर्ण
25	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय, जिंक नगर, सुंदरगढ़ को 20 कंप्यूटर सेट की आपूर्ति।	2021-22	90	8,90,000.00	2,43,679.00	8,66,400.00	पूर्ण
26	निरंक	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए झरियापाली में इच्छा नदी पर अस्थायी क्रॉस बांध बनाना।	2021-22	10	1,36,961.36	1,27,676.54	1,36,919.55	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चालू)
27	निरंक	बीजी क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बंजारीबुड में इच्छा नदी पर अस्थायी क्रॉस बांध बनाना।	2021-22	10	1,38,499.73	1,36,681.71	1,36,681.71	पूर्ण
28	निरंक	ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान ग्राम बड़जोरडा में जल की आपूर्ति (पैकेज 01)।	2021-22	120	10,23,012.68	10,23,012.68	10,23,012.68	पूर्ण
29	निरंक	ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान ग्राम सानजोरडा, कर्णपुर और नतिडी में जल की आपूर्ति (पैकेज 02)।	2021-22	120	12,03,544.33	12,03,544.33	12,03,544.33	पूर्ण
30	निरंक	ग्रीष्म ऋतु 2021 के दौरान ग्राम बड़जोराडा में जल आपूर्ति (पैकेज 01)।	2020-21	486	3,99,521.39	3,99,521.38	3,99,521.38	पूर्ण
31	निरंक	हिंगुला क्षेत्र (पैकेज-07) के तहत ग्राम कंधबेरिनी, बालेश्वर साही में ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति।	2021-22	122	6,66,413.50	6,65,402.48	6,65,402.48	पूर्ण
32	निरंक	ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान हिंगुला क्षेत्र के तहत ग्राम जोरागड़िया टंगारा साही, हाड़ी साही और सारग में जल की आपूर्ति। (पैकेज-08)।	2021-22	122	6,74,299.48	6,74,139.00	6,74,139.00	पूर्ण
33	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिलेइपासी एवं खजुरिया में ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति।(पैकेज-10)	2021-22	120	6,59,663.42	6,59,663.42	6,59,663.42	पूर्ण
34	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अंबापाल, बडामहितैला सनमहितैला में ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति। (पैकेज-23)।	2021-22	120	6,98,178.62	6,98,178.62	6,98,178.62	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
35	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के तहत ग्राम कलमच्छुईं पुरुनासाही, नुआसाही, नुआमुंडा साही, एकटाली, खुरियागुथा, राधनाभुइन (पुराना और नया) में ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति। (पैकेज -21)	2021-22	120	11,87,372.86	11,87,372.86	11,87,372.86	पूर्ण
36	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डअँरा गांधीनगर और डअँरा आदिवासीशाही में जल की आपूर्ति (पैकेज-05)।	2021-22	120	5,24,436.13	5,04,779.78	5,04,779.78	पूर्ण
37	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नकेईपासी में जल की आपूर्ति (पैकेज-06)।	2021-22	120	8,13,724.22	8,13,300.60	8,13,300.60	पूर्ण
38	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत नतड़ा, बड़ाझरन और बेथियानाली ग्राम में जल की आपूर्ति (पैकेज-24)।	2021-22	120	9,92,211.02	9,92,211.02	9,92,211.02	पूर्ण
39	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत कुमुंडा, कुमुंडा तनलासाही, कुमुंडा नुआ तनलासाही, कुमुंडा तेंतुलिसाही और पुरुनापानी ग्राम में जल की आपूर्ति। (पैक -17)।	2021-22	120	33,99,929.28	33,99,929.28	33,99,929.28	पूर्ण
40	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोलडा में जल की आपूर्ति (पैक-18)।	2021-22	120	39,00,669.77	39,00,669.19	39,00,669.19	पूर्ण
41	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मझिका, बीरबरपुर, सोलडा देउलसाही, नाथगांव पुलिस चौकी कलमच्छुइन, पीएचसी कलमच्छुइन सहित हिंगुला हाई स्कूल, गोलकुला परिवार, थ्नला साही बनिया साही बिद्याधर और अनाल्यामी में पानी की आपूर्ति। (पैक-04)।	2021-22	120	12,73,620.00	12,73,600.00	12,73,600.00	पूर्ण
42	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मलीबंध, नुआभुइन, अन्नतगाड़िया और जंबुधरा में जल की आपूर्ति। (पैक -13)	2021-22	120	9,85,244.25	9,79,179.63	9,79,179.63	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चालू)
43	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के तहत गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद खलीसाही (स्कूल साही), खमार और पटनासाही ग्राम में जल की आपूर्ति (पैकेज नंबर 14)।	2021-22	120	21,90,187.01	21,90,187.01	21,90,187.01	पूर्ण
44	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत कांकारेई बहलसाही, छोटोब्रिनी और पिधाखमन ग्राम में जल की आपूर्ति। (पैक -25)	2021-22	120	10,98,562.66	10,98,562.66	10,98,562.66	पूर्ण
45	निरंक	जमुनाली कुशाचर साही को ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति।	2021-22	119	5,75,827.61	5,55,795.10	5,55,795.10	पूर्ण
46	निरंक	जरासिंघा ग्राम में 04 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण (जमा कार्य)।	2021-22	486	22,40,000.00	4,12,936.00	20,92,936.00	पूर्ण
47	निरंक	जरासिंघा ग्राम के हरिजनसाही में सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	2021-22	150	9,83,061.25	5,02,055.35	9,83,061.25	पूर्ण
48	निरंक	हिंगुला क्षेत्र (पैक-20) के अंतर्गत ग्राम कलम्च्छुइन (हाड़ी साही, हरिजनसाही, कालिकाप्रसाद और कलम्च्छुइन बाउंसागड़िया सहित) में जल की आपूर्ति।	2021-22	120	35,44,785.95	35,44,785.95	35,44,785.95	पूर्ण
49	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत न्यू गोपालप्रसाद, न्यू अनंतगड़िया, कैंथनाली और कुसुमपाल ग्राम में जल की आपूर्ति (पैक-12)।	2021-22	120	11,09,852.25	11,09,852.25	11,09,852.25	पूर्ण
50	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत तेलीपुर, तेलीपुर हरिजनसाही, तेईपुर सिखपालसाही और खुरिंगा ग्राम में जल की आपूर्ति। (पैक-03)	2021-22	120	14,50,595.84	14,50,595.84	14,50,595.84	पूर्ण
51	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनबसपुर एवं भागबसपुर में जल की आपूर्ति। (पैकेज नं.15).	2021-22	120	6,65,863.25	6,65,863.25	6,65,863.25	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
52	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चितलपुर, कुमांडा नाइकसाही, हाड़ीसाही, कुमांडा हाड़ीसाही, मरदाहरिहरपुर और अंबाबुरी में जल की आपूर्ति। (पैक -16)	2021-22	120	18,69,961.05	18,69,961.05	18,69,961.05	पूर्ण
53	निरंक	01 वर्ष की अवधि के लिए एचओसीपी और बीओसीपी के निकटवर्ती ग्रामों में जल की आपूर्ति।	2021-22	392	17,03,872.80	17,03,872.80	17,03,872.80	पूर्ण
54	निरंक	डआँरा ग्राम में कल्याण मंडप का निर्माण।	2020-21	182	1,29,41,557.61	4,00,825.10	1,29,41,557.61	पूर्ण
55	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बारापाली में ग्रीष्म ऋतु 2022 के दौरान जल की आपूर्ति (पैकेज-09)।	2021-22	121	4,75,975.37	4,75,678.02	4,75,678.02	पूर्ण
56	निरंक	हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहलसाही में जल की आपूर्ति (पैकेज-19)।	2021-22	120	9,06,629.40	9,06,629.40	9,06,629.40	पूर्ण
57	निरंक	सीएसआर, हिंगुला क्षेत्र के तहत कालीमंदिर, जमुनाली के सामने गोठासाही में रहसबाड़ी का निर्माण।	2018-19	365	13,25,460.04	2,79,341.83	13,25,460.04	पूर्ण
58	निरंक	वर्ष 2022 के लिए भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बडासिंगीडा एवं सनासिंगीडा में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति।	2021-22	122	5,89,292.84	4,80,087.19	5,80,087.19	पूर्ण
59	निरंक	हरिजन साही से तिलेइपासी स्कूल तक नाले का निर्माण।	2017-18	60	25,887.95	25,887.95	25,887.95	पूर्ण
60	निरंक	सीएसआर के तहत गुरुद्वारा से एफसीआई गेट तक दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट नालियों सहित बी टी रोड का सुदृढ़ीकरण।	2019-20	180	2,72,64,735.15	2,26,264.32	2,67,21,670.00	पूर्ण
61	निरंक	वर्ष 2021 के लिए जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत चाटेई हाटिंग, दक्षिण बलंडा, बगधर मुंडासाही और खंडुआलबहाल ग्रामों में पानी के टैंकर के माध्यम से जल की अस्थायी आपूर्ति।	2021-22	120	7,64,923.20	87,037.04	6,23,845.67	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
62	निरंक	नाइक साही, हेन्समुल हाई स्कूल, हेन्समुल पुनर्वास स्थल, डेरा हरिजन साही आदि के लिए टैंकर के माध्यम से वार्षिक पेयजल आपूर्ति।	2021-22	730	70,32,745.25	35,97,819.18	35,97,819.18	चालू
63	निरंक	35 दिनों की अवधि के लिए अनंत ओसीपी में नाइक साही, हेन्समुल हाई स्कूल, हेन्समुल पुनर्वास स्थल और डेरा हरिजन साही और रागडी साही के लिए टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति।	2021-22	35	1,95,266.00	27,388.80	1,95,266.00	पूर्ण
64	निरंक	एमसीएल जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत तालचेर कोलफील्ड्स में हांडीधुआ चौक से नाल्को चौक तक सड़क पर एनटीपीसी कन्वेयर से पहले घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।	2016-17	730	34,94,93,129.50	1,23,45,034.43	14,97,74,103.66	चालू
65	निरंक	एमसीएल जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत घंटापाड़ा गांव के पास लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण का परियोजना पर्यवेक्षण।	2016-17	730	2,23,67,560.00	10,63,001.20	1,40,55,620.31	चालू
66	निरंक	नीलकंठ डिग्री कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का कार्य।	2021-22	116	8,89,508.67	8,89,508.67	8,89,508.67	पूर्ण
67	निरंक	भुवनेश्वर ओसीपी, जगन्नाथ के सीएसआर कार्यक्रम के तहत गुरुजंग में बैद्यमुंडा के माध्यम से एनएच -23 से बंगारू नाला तक कंक्रीट सड़क का निर्माण।	2017-18	272	79,38,929.27	3,90,676.71	72,88,929.27	पूर्ण
68	निरंक	सीएसआर के तहत वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए डीएफओ, अनगुल द्वारा शहरी वृक्षारोपण और नर्सरी उगाने के जमा कार्यों की योजना के तहत वृक्षारोपण।	2018-19	1460	1,88,65,432.00	9,71,808.00	1,88,65,432.00	पूर्ण
69	निरंक	एमसीएल की सीएसआर फंडिंग के माध्यम से और उसके आसपास शहरी वृक्षारोपण और नर्सरी के जमा कार्य।	2021-22	1095	51,11,264.80	13,88,597.00	13,88,597.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
70	निरंक	मेडिकल कॉलेज एमआईएमएसआर, तालचेर में कोविड-19 अस्पताल और आवासीय क्षेत्र के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से जल की आपूर्ति।	2021-22	53	4,54,436.88	42,593.28	78,335.57	पूर्ण
71	निरंक	नवीन चिकित्सा स्थल पर कोविड-19 अस्पताल हेतु आवासीय भवन एवं छात्रावास के लिए पंप स्टार्टर एवं वाल्व का संचालन।	2021-22	68	2,31,683.36	61,327.96	81,073.11	पूर्ण
72	निरंक	एमआईएमएसआर में 2X1250 केवीए सब स्टेशन का संचालन।	2021-22	365	7,38,657.91	3,93,106.31	5,77,407.76	पूर्ण
73	निरंक	कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय।	2021-22	7	9,700.00	9,700.00	9,700.00	पूर्ण
74	निरंक	वर्ष 2021 के लिए कनिहा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जराडा, तेलसिंघा और कांसमुंडा में पानी के टैंकर के माध्यम से जल की वार्षिक आपूर्ति (ग्रीष्मकालीन पैकेज को छोड़कर) (पैकेज ए1)।	2021-22	365	14,19,689.00	3,52,658.93	14,19,689.00	पूर्ण
75	निरंक	सीएसआर के तहत कनिहा क्षेत्र के कनिहा ओसीपी में गुंडुरिनाली गांव के तालाब का गहरीकरण।	2021-22	120	13,86,847.85	13,86,847.85	13,86,847.85	पूर्ण
76	निरंक	पलासिया बहाली आश्रम स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में एक डाइनिंग हॉल और एक सबमर्सिबल पंप सेट।	2021-22	230	16,76,139.49	4,98,568.98	5,05,510.84	चालू
77	निरंक	वर्ष 2021 लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-एस-3) के लिए तालचेर उप-मंडल के जल की कमी वाले ग्रामों डोबलिन, प्रमोद प्रसाद, मणिकमारा और रसूलपुर में 122 दिनों के लिए जल की आपूर्ति। (मार्च-जून)।	2021-22	122	3,88,346.50	46,096.44	3,88,346.50	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चालू)
78	निरंक	वर्ष 2020-21 के लिए लिंगराज क्षेत्र में तालचेर उपमंडल के जल की कमी वाले ग्रामों मदनमोहनपुर में जल की आपूर्ति, (पीकेजी-वी 303 दिनों के लिए)	2020-21	302	8,26,944.00	94,320.00	8,26,944.00	पूर्ण
79	निरंक	वर्ष 2020-21 के लिए लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-III) के लिए तालचेर उप-मंडल के जल की कमी वाले ग्रामों कंढाल हाड़ी साही में 303 दिनों के लिए जल की आपूर्ति करना।	2020-21	302	16,28,211.20	1,48,024.80	16,28,211.20	पूर्ण
80	निरंक	वर्ष 2020-21 के लिए लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-I) में 303 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल के जल की कमी वाले ग्रामों बालुंगाव खमार में जल की आपूर्ति	2020-21	302	8,28,227.84	98,049.60	8,28,227.84	पूर्ण
81	निरंक	वर्ष 2020-21 के लिए लिंगराज क्षेत्र (पीकेजी-IV) में 303 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल में जल की कमी वाले ग्रामों लंगीजोड़ा और अनादिपुर में जल की आपूर्ति करना।	2020-21	302	13,69,744.00	8,18,920.00	13,69,744.00	पूर्ण
82	निरंक	सीएसआर कार्य लिंगराज क्षेत्र के अंतर्गत डोलो मंडप ग्राम:तालबेड़ा का निर्माण (पुनः निविदा)।	2021-22	90	5,02,448.01	6,300.52	6,300.52	पूर्ण
83	निरंक	लिंगराज क्षेत्र के ग्राम तालाबराना में पथघरा का निर्माण।	2020-21	90	9,63,656.00	2,66,958.57	2,66,958.57	पूर्ण
84	निरंक	सीएसआर कार्य के तहत लिंगराज क्षेत्र के प्रमोद प्रसाद में विद्युतीकरण के साथ कोठाघर का निर्माण।	2021-22	90	7,04,909.21	42,108.22	42,108.22	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
85	निरंक	वर्ष 2021-22 के लिए आनंदपुर, तालाबेड़ा, तालाबराना तालचेर उप-मंडल में 120 दिनों के लिए गांव में जल की आपूर्ति (पीकेजी-डब्ल्यू-1)।	2021-22	120	3,91,407.39	3,91,407.39	3,91,407.39	पूर्ण
86	निरंक	वर्ष 2021 के लिए लिंगराज क्षेत्र के तहत 303 दिनों के लिए तालचेर उपमंडल के मदनमोहनपुर की पानी की आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए (पीकेजी-वी)	2021-22	303	5,76,057.60	3,45,404.40	3,45,404.40	पूर्ण
87	निरंक	वर्ष 2021-22 (डब्ल्यू-2) के लिए 120 दिनों के लिए एलए के तहत वर्ष 2021 के लिए जादुनाथौर, बिद्याधरपुर, दयानिधिपुर और तालचेर उप-मंडल के ग्रामों में जल की आपूर्ति।	2021-22	120	4,85,184.00	3,15,369.60	3,15,369.60	पूर्ण
88	निरंक	सीएसआर कार्य के तहत देउलबेरा तेली साही से बाबाजी मठ तक सीमेंट कंक्रीट सड़क प्रदान करना, लिंगराज क्षेत्र का पुनर्निविदा।	2021-22	60	7,36,071.23	7,36,071.21	7,36,071.21	पूर्ण
89	निरंक	सीएसआर लिंगराज क्षेत्र कार्य के अंतर्गत ग्राम तेलीसाही में भागापाड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं स्थिरीकरण/ सुदृढ़ीकरण।	2020-21	60	4,49,953.76	4,41,054.31	4,41,054.31	पूर्ण
90	निरंक	समसंघाट में विश्रामालय का निर्माण।	2021-22	30	4,86,830.26	4,85,769.98	4,85,769.98	पूर्ण
91	निरंक	वर्ष 2021-22 लिंगराज क्षेत्र (पीके-IV) के लिए तालचेर उपमंडल के पानी की कमी वाले गांवों लंगीजोड़ा और अनादिपुर में 303 दिनों के लिए जल की आपूर्ति।	2021-22	303	10,80,508.80	10,80,508.80	10,80,508.80	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चालू)
92	निरंक	वर्ष 2021-22 लिंगराज क्षेत्र (पीके-III) के लिए 303 दिनों के लिए पानी की कमी वाले गांवों कांधल और कांधल हादी साही तालचेर उप-मंडल में पानी की आपूर्ति।	2021-22	303	13,00,992.00	4,84,748.97	13,00,992.00	पूर्ण
93	निरंक	वर्ष 2021 के लिए लिंगराज क्षेत्र के तहत वर्ष 2021-22 (पीकेजी-II) के लिए 303 दिनों के लिए तालचेर उप-मंडल के बलुंगाव नुआ साही और सौभाग्य नगर की जल की आपूर्ति।	2021-22	303	9,04,800.00	9,04,800.00	9,04,800.00	पूर्ण
94	निरंक	वर्ष 2021 के लिए लिंगराज क्षेत्र के तहत 303 दिनों के लिए तालचेर उपमंडल के मदनमोहनपुर में वर्ष 2021-22 के लिए की जल की आपूर्ति (पीकेजी-V)।	2021-22	303	5,76,057.60	5,76,057.60	5,76,057.60	पूर्ण
95	निरंक	वर्ष 2021-22 में 303 दिनों के लिए तालचेर उपमंडल के बालुंगाव खमार गांव में जल की आपूर्ति (पीकेजी-1)।	2021-22	303	6,54,032.00	6,54,032.00	6,54,032.00	पूर्ण
96	निरंक	वर्ष 2021-22 के लिए लिंगराज क्षेत्र (डब्ल्यू-4) में 120 दिनों के लिए तालचेर उपमंडल के जल संकट वाले ग्रामों कृष्णचंद्रपुर, दशरथीपुर और एकादसीपुर में जल की आपूर्ति।	2021-22	120	2,34,376.32	53,105.68	53,105.68	पूर्ण
97	निरंक	वर्ष 2021-22 के लिए लिंगराज क्षेत्र (डब्ल्यू-3) में 120 दिनों के लिए जल की कमी वाले ग्रामों डबलिन, प्रमोद प्रसाद, मणिकमारा और रसूलपुर से तालचेर उप-मंडल तक जल की आपूर्ति।	2021-22	120	3,13,559.04	64,183.04	64,183.04	पूर्ण
98	निरंक	जाजपुर में बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम का निर्माण।	2018-19	1260	10,21,83,774.47	3,68,53,774.47	10,21,83,774.47	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
99	निरंक	तालचेर में मेडिकल कॉलेज (एमआईएमएसआर) का निर्माण।	2016-17	2555	4,92,62,00,000.00	11,50,00,000.00	4,78,73,43,897.92	चालू
100	निरंक	विकास अस्पताल द्वारा संबलपुर में समर्पित कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है।	2021-22	210	8,00,37,185.00	43,43,700.00	8,00,37,185.00	पूर्ण
101	निरंक	एसयूएम अस्पताल द्वारा भुवनेश्वर में समर्पित कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है।	2020-21	693	2,94,23,37,450.00	8,83,71,480.00	2,94,23,37,450.00	पूर्ण
102	निरंक	संबलपुर जिला प्रशासन को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर।	2021-22	1	14,14,500.22	2,15,771.22	14,14,500.22	पूर्ण
103	निरंक	बाल गृह, धनकुआड़ा, संबलपुर के परिसर के अंदर पहली मंजिल पर 1 डाइनिंग हॉल, एक छात्रावास हॉल और टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण।	2021-22	355	70,21,696.67	39,44,182.58	67,83,377.25	चालू
104	निरंक	बरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर के लोगों के लिए मारवाड़ी युवा मंच, बरगढ़ और उत्सरंगा को एम्बुलेंस प्रदान करना।	2021-22	1	92,70,929.98	50,58,866.00	92,70,929.98	पूर्ण
105	निरंक	आजीविका वृद्धि के लिए एमसीएल सतत विकास कार्य की एक सीएसआर पहल के रूप में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी-यूटीएचएएन)।	2019-20	2010	20,28,64,000.00	2,43,02,711.00	8,55,94,609.00	चालू
106	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत एडुटा चिल्ड्रेन होम, अनगुल के परिसर में पानी की टंकी और प्रकाश सुविधा का प्रावधान।	2020-21	199	16,55,456.00	1,35,545.00	16,55,456.00	पूर्ण
107	निरंक	01.07.21 से 31.07.21, 1.11.20 से 31.12.20 और 1.05.21 से 30.06.21 की अवधि के लिए तालचेर के कोविड अस्पताल के भोजन बिलों का भुगतान।	2020-21	153	93,72,970.00	75,87,350.00	93,72,970.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
108	निरंक	अनगुल जिले में 'मो स्कूल अभियान' के तहत स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराना।	2021-22	211	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00	चालू
109	निरंक	अत्ताबिरा कॉलेज, अत्ताबिरा, बरगढ़ में शिक्षण कक्ष का निर्माण।	2021-22	391	24,86,000.00	2,48,601.00	2,48,601.00	चालू
110	निरंक	झारसुगुड़ा में जिला पुस्तकालय की स्थापना।	2021-22	1095	75,44,000.00	67,89,600.00	67,89,600.00	चालू
111	निरंक	कल्याण मंडप, बेहरामाल में विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	2020-21	730	24,80,181.00	18,84,215.00	24,80,181.00	पूर्ण
112	निरंक	झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक/बेलपहाड़ नगरपालिका क्षेत्र में नशामुक्ति केंद्र चलाना।	2021-22	1095	93,63,800.00	16,08,092.00	16,08,092.00	चालू
113	निरंक	झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाला हृदय रोग संस्थान।	2015-16	2820	1,03,57,61,815.00	26,80,60,405.00	51,79,54,955.00	चालू
114	निरंक	ब्रजराजनगर नगर पालिका चरण - II में जल आपूर्ति में सुधार।	2019-20	1290	2,82,87,536.00	2,15,05,760.00	2,36,27,325.00	चालू
115	निरंक	रानी पार्क, तालचेर के चारों ओर परिसर की दीवार का निर्माण।	2020-21	840	14,91,48,273.00	7,76,48,922.00	11,38,12,236.00	चालू
116	निरंक	कंधमाल जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिले का विकास।	2021-22	1095	4,03,98,069.00	2,48,87,329.00	2,48,87,329.00	चालू
117	निरंक	भुवनेश्वर में जानवरों के लिए अस्पताल-सह-आश्रय के लिए वित्तीय सहायता।	2019-20	1200	24,22,051.00	21,62,881.00	21,62,881.00	चालू
118	निरंक	संबलपुर के बामरा ब्लॉक में 5टी के तहत हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।	2021-22	340	40,00,000.00	40,00,000.00	40,00,000.00	पूर्ण
119	निरंक	स्वाधीनता संग्रामी (स्वतंत्रता सेनानी स्मारक) हॉल, संबलपुर के ऊपर पहली मंजिल का निर्माण।	2018-19	1560	32,98,000.00	8,83,613.00	29,72,426.00	चालू
120	निरंक	धनकौड़ा संबलपुर में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए वीएसएस संस्थान का नवीनीकरण और सुधार।	2019-20	1260	49,97,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
121	निरंक	संबलपुर जिले के जुजमुरा और मानेस्वर ब्लॉक के ग्रामों में तालाब/कटास/ बैंड का नवीनीकरण।	2021-22	1095	86,00,000.00	25,80,000.00	25,80,000.00	चालू
122	निरंक	मृत्यु दर को कम करने वाली गर्भवती महिलाओं पर नज़र रखने के लिए एक ऐप/एप्लिकेशन का विकास।	2017-18	90	19,22,995.00	6,48,400.00	19,22,995.00	पूर्ण
123	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत एसबीपी के दुर्गापाली में दयामनी वृद्धाश्रम के चारों ओर परिसर की दीवार का निर्माण।	2017-18	1890	10,00,000.00	1,83,000.00	5,85,891.00	चालू
124	निरंक	गौड़पाली, बुर्ला में योग मंडप का निर्माण।	2018-19	1200	7,35,945.00	7,35,945.00	7,35,945.00	पूर्ण
125	निरंक	गौडपाली स्कूल, बुर्ला के लिए एक हॉल का निर्माण।	2018-19	1560	9,38,720.00	6,10,167.00	6,10,167.00	चालू
126	निरंक	3 साल तक मृत्यु दर कम करने वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करने के लिए ऐप का हेल्प डेस्क चलाना।	2019-20	1095	19,66,239.00	15,87,448.00	15,87,448.00	पूर्ण
127	निरंक	घंटेश्वरी मंदिर स्थल के पास विशाल घंटी की स्थापना सहित नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और भूदृश्य निर्माण, कला और संस्कृति का चित्रण।	2020-21	1020	2,37,19,000.00	34,49,745.00	64,48,211.00	चालू
128	निरंक	जिला मुख्यालय अस्पताल, संबलपुर की एएलएस एम्बुलेंस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।	2021-22	180	33,50,000.00	33,19,000.00	33,19,000.00	पूर्ण
129	निरंक	संबलपुर पब्लिक लाइब्रेरी में रीडिंग/लर्निंग हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	2019-20	1290	45,40,132.00	21,54,704.55	35,16,836.00	चालू
130	निरंक	चारबाती, संबलपुर के पास पतित खेल पड़िया (खेल मैदान) में खेल सुविधा का विकास।	2020-21	900	38,80,000.00	15,83,965.00	21,34,035.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
131	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत ओडिशा सांस्कृतिक समाज, संबलपुर के लिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।	2018-19	1140	9,05,500.00	9,05,500.00	9,05,500.00	पूर्ण
132	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के परिधीय ग्रामों में विभिन्न विकास कार्य।	2020-21	1140	9,70,80,000.00	5,75,47,115.00	5,75,47,115.00	चालू
133	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के निकट विभिन्न ग्रामों में 230 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण।	2021-22	1095	11,50,00,000.00	4,49,11,120.00	4,49,11,120.00	चालू
134	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के निकट विभिन्न ग्रामों में 105 खुली पंडाल का निर्माण।	2021-22	1095	9,96,19,551.00	4,05,68,666.65	4,05,68,666.65	चालू
135	निरंक	बलांगीर जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिले का विकास	2020-21	690	3,64,75,852.00	1,92,16,839.00	2,84,67,922.68	चालू
136	निरंक	पैकमल शासकीय उच्च विद्यालय, बरगढ़ में सभागार का निर्माण।	2020-21	1020	50,00,000.00	16,67,204.00	44,17,204.00	चालू
137	निरंक	झारसुगुड़ा जिले के चार ब्लॉकों (लाईकेरा, कोलाबीरा, किरमिरा और झारसुगुड़ा) में चल रहे विविध विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि।	2016-17	2280	6,72,00,000.00	12,14,947.00	5,58,69,841.00	चालू
138	निरंक	ओडिशा की सीएसआर परिषद द्वारा अनुमोदित और झारसुगुड़ा जिले के लाइकेरा ब्लॉक में तालाबों के जीर्णोद्धार से संबंधित गो केयर पोर्टल में शामिल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।	2018-19	1680	24,00,000.00	11,88,963.00	15,48,596.00	चालू
139	निरंक	झारसुगुड़ा में सामुदायिक भवन एवं चारदीवारी का निर्माण।	2013-14	3103	10,71,95,626.00	6,30,07,600.00	10,71,95,626.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
140	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत झारसुगुड़ा विधानसभा के 4 ब्लॉक यानी लाइकेरा, झारसुगुड़ा, किरमिरा और कोलाबिरा के तहत जलापूर्ति से संबंधित 18 कार्यों के लिए वित्तीय सहायता।	2018-19	1680	1,44,50,000.00	11,03,339.00	18,69,805.00	चालू
141	निरंक	सरबहाल, झारसुगुड़ा में कल्याण मंडप का शेष कार्य।	2019-20	1278	24,25,398.00	21,82,858.00	21,82,858.00	चालू
142	निरंक	ओडिशा की सीएसआर परिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और झारसुगुड़ा जिले के झारसुगुड़ा ब्लॉक में तालाबों के नवीनीकरण से संबंधित जीओ केयर पोर्टल के लिए वित्तीय सहायता।	2018-19	1680	25,00,000.00	2,25,000.00	2,25,000.00	चालू
143	निरंक	एमसीएल की सीएसआर पहल के रूप में एमसीएल अधिग्रहीत क्षेत्र पर रहने वाले लक्षित भूमिहीन परिवार सुखबासी को स्थायी आजीविका प्रदान करना।	2018-19	1460	14,22,00,000.00	8,55,54,000.00	11,49,54,000.00	चालू
144	निरंक	बौद्धिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों हेतु आशा किरण केन्द्र के लिए वाहन (स्कूल बस) हेतु वित्तीय सहायता।	2019-20	30	13,77,979.00	32,534.00	13,77,979.00	पूर्ण
145	निरंक	अनगुल जिले के तालचेर में 4 पाइप जलापूर्ति योजना।	2018-19	1460	3,41,58,675.38	1,19,97,122.40	3,41,58,675.38	पूर्ण
146	निरंक	बुर्ला टाउन, संबलपुर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार।	2012-13	3833	8,62,00,000.00	39,83,206.00	8,23,45,588.00	चालू
147	निरंक	सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर ब्लॉक में बीज बैंकों (देसी बीज घर) को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बीजों का गुणन और संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।	2020-21	450	22,53,460.00	9,01,384.00	22,53,460.00	पूर्ण
148	निरंक	एनआईटी राउरकेला में टीबीआई का समर्थन	2020-21	1095	2,61,00,000.00	17,54,084.00	1,39,19,913.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
149	निरंक	झारसुगुड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं (78 संख्या) का निर्माण।	2021-22	1095	27,30,00,000.00	2,85,43,717.00	2,85,43,717.00	चालू
150	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सुंदरगढ़ महोत्सव - 2019 के लिए वित्तीय सहायता।	2019-20	30	5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00	पूर्ण
151	निरंक	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आरडीसी ने सुंदरगढ़ में कार्य को मंजूरी दी।	2016-17	2430	16,29,00,000.00	1,36,93,000.00	12,56,82,000.00	चालू
152	निरंक	नुआपाड़ा जिले में सीपीएसई द्वारा आकांक्षी जिलों के विकास की योजना के तहत परियोजनाएं।	2019-20	1350	5,71,15,000.00	1,96,41,880.00	3,58,00,553.00	चालू
153	निरंक	नंदनकानन में टॉय ट्रेन के संचालन के लिए सीएसआर गतिविधि के तहत धन का प्रावधान।	2016-17	1460	3,00,00,000.00	86,50,058.75	3,00,00,000.00	पूर्ण
154	निरंक	एमसीएल के सीएसआर फंड के तहत ओडिशा के 232 रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्रों में पूर्वनिर्मित शौचालयों की स्थापना|	2019-20	1460	57,55,03,185.00	15,03,18,095.00	22,34,00,337.00	चालू
155	निरंक	एमसीएल परिधीय क्षेत्रों के युवाओं को सीआईपीईटी, भुवनेश्वर में 40 युवाओं को 2 साल का आईटीआई पाठ्यक्रम प्रदान करना (2021 से शुरू)	2021-22	730	1,06,12,000.00	85,30,915.00	85,30,915.00	चालू
156	निरंक	'आकांक्षी जिलों का विकास' योजना के तहत रायगड़ा जिले में शिक्षा क्षेत्र के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	2019-20	1380	3,05,82,700.00	1,74,74,358.00	1,74,74,358.00	चालू
157	निरंक	सुंदरगढ़ जिले के डुडुका से भस्मा मुख्य सड़क तक महत्वपूर्ण जंक्शन (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) पर प्रकाश व्यवस्था का कार्यान्वयन।	2020-21	1020	1,48,84,800.00	96,75,120.00	96,75,120.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
158	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के निकट सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में खुले पन्डाल का निर्माण।	2020-21	1140	2,94,50,000.00	67,59,970.00	1,90,69,876.00	चालू
159	निरंक	बुर्ला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दीवार सीमा 79.86 लाख रुपये)।	2018-19	1920	25,00,00,000.00	7,55,16,622.00	10,35,02,322.00	चालू
160	निरंक	डीएफओ, सिटी फॉरेस्ट डिवीजन भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन यानी शहरी वृक्षारोपण बढ़ाना।	2018-19	1460	3,08,91,883.00	17,50,260.00	3,08,91,883.00	पूर्ण
161	निरंक	गंजम जिले के शेरेगडा, शिजिलिकट ब्लॉकों में बुनियादी ढांचे, आईसीटी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं आदि के उन्नयन सहित उच्च विद्यालयों के मानक में परिवर्तन के लिए धन उपलब्ध कराना।	2021-22	1085	7,50,00,000.00	3,00,00,000.00	6,75,00,000.00	चालू
162	निरंक	सीएसआर के तहत मणिकेश्वरी डिग्री कॉलेज गढ़-तुमुलिया, सुंदरगढ़ के लिए +3 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना।	2020-21	1020	10,00,000.00	2,94,000.00	2,94,000.00	चालू
163	निरंक	बसुंधरा क्षेत्र के पास सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में बोरवेल का धंसना	2020-21	1020	2,76,53,150.00	2,34,43,847.00	2,34,43,847.00	चालू
164	निरंक	झारसुगुड़ा जिले के किरमिरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बंधापाली ग्राम पंचायत ठाकुरपाड़ा में कल्याण मंडप के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	2019-20	1380	23,97,000.00	1,20,000.00	1,20,000.00	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (दिनों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/ चालू)
165	निरंक	कोरोना काल के दौरान लोक और आदिवासी कलाकारों के लिए आजीविका कार्यक्रम संचालित करने और ग्रामीण और आदिवासी ओडिशा के लुप्त हो रहे कला रूपों को पुनर्जीवित, संरक्षित, बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय सहायता।	2021-22	180	15,00,000.00	13,50,000.00	13,50,000.00	पूर्ण
166	निरंक	लोककवि हलधर अवासिक वनविद्यालय, कुडोपाली, बरगढ़ में छात्रावास भवन का निर्माण।	2019-20	930	21,27,151.00	7,37,159.00	21,27,151.00	पूर्ण
167	निरंक	संथापाड़ा और निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण जल आपूर्ति	2018-19	1825	9,00,91,949.00	95,57,898.00	6,67,16,898.00	चालू
168	निरंक	अनगुल जिले के तालचेर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए 2 पाइप से जलापूर्ति योजनाएं।	2015-16	2920	55,07,00,000.00	3,31,29,002.00	48,11,13,633.00	चालू
169	निरंक	एमसीएल के सीएसआर के तहत हाकिमपाड़ा, अनगुल में बेसहारा बच्चों के लिए बाजी राऊत छात्रवास/अनाथालय का निर्माण।	2018-19	1560	14,70,974.00	60,069.00	14,70,974.00	पूर्ण
170	निरंक	गुरुजंग और निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण जल आपूर्ति	2017-18	2160	4,83,74,000.00	2,33,28,676.00	4,49,27,994.00	चालू
171	निरंक	350 एमएम व्यास के मौजूदा राइजिंग डीआई पाइप को महाप्रबंधक कार्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र के सामने मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर की ओर मोड़ना।	2019-20	900	9,99,401.00	9,99,401.00	9,99,401.00	पूर्ण
		कुल			**13,52,64,08,958.60**	**1,75,54,06,221.83**	**11,18,94,14,196.59**	

मुस्कुराहट



तालिका - IV

वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित संपत्तियों का विवरण

क्र.	पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाईयों या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका नाम, पता आदि	सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों), (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण
1	11-03-2023	11,55,240.49	गंढ़घोरा प्राथमिक विद्यालय, गंढ़घोरा, ब्रजराजनगर - 768216	गंढ़घोरा प्राइमरी स्कूल,गंढ़घोरा, ब्रजराजनगर, झारसुगुड़ा में 2 कक्षाएँ
2	05-01-2021	7,54,000.00	प्रधानाध्यापक जुनानिमुंडा प्राथमिक विद्यालय ब्रजराजनगर नगर पालिका झारसुगुड़ा	जूनानीमुंडा प्राइमरी स्कूल, ब्रजराजनगर नगरपालिका, झारसुगुड़ा में एक कक्षा और चाहरदीवारी का निर्माण
3	20-10-2022	10,04,266.48	बंधबहाल ग्राम पंचायत, बंधबहाल, झारसुगुड़ा - 768211, ओडिशा, भारत	बंधबहाल ग्राम पंचायत के सा पाड़ा में सामुदायिक केंद्र
4	12-09-2022	14,17,909.98	रामचंडी पीठ प्रबंध समिति, कडेलपिटा, पिपलीमाल	रामचन्द्र पीठ, पिपलीमल जीपी, झारसुगुड़ा के पास चारदीवारी और विश्राम कक्ष का निर्माण
5	20-01-2023	13,76,467.68	एसएमसी, फाटा यूपी स्कूल, सारंदामाल, झारसुगुड़ा - 768211	सरंदामल जीपी, झारसुगुड़ा में फाटा यूपी स्कूल भवन
6	30-06-2022	8,66,400.00	प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिंक नगर	बसुंधरा क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय, जिंक नगर, सुंदरगढ़ को 20 कंप्यूटर सेट की आपूर्ति
7	29-03-2023	13,90,855.26	अध्यक्ष- त्रिशक्ति यूथ क्लब, ग्राम - बड़ाजोराडा, जीपी - बड़ाजोराडा, ब्लॉक - तालचेर, जिला - अंगुल, ओडिशा	बदाजोराडा जीपी, अंगुल का सामुदायिक केंद्र सुबरनापुर साही है।
8	29-11-2022	3,99,198.65	अध्यक्ष- नतादा ग्राम्य समिति, ग्राम - नतादा, ग्राम पंचायत - नतादा, ब्लॉक - छेंदीपाड़ा, जिला - अंगुल, ओडिशा	नटदा गांव, तालचेर, अंगुल का डोलमंडप
9	30-10-2022	20,92,936.00	सरपंच जरासिंघा, गांव - जरासिंघा, जीपी - जरासिंघा, ब्लॉक - बनारपाल, जिला - अंगुल, ओडिशा	जरासिंघा गांव में 04 पेयजल परियोजनाएँ
10	20-03-2022	9,83,061.25	सरपंच जरासिंघा, गांव - जरासिंघा, जीपी - जरासिंघा, ब्लॉक - बनारपाल, जिला - अंगुल, ओडिशा	जरासिंघा गांव, अंगुल के हरिजनसाही में सामुदायिक केंद्र
11	21-04-2021	1,29,41,557.61	अध्यक्ष - दानारा ग्राम्य समिति, ग्राम - दानारा, ग्राम पंचायत - दानारा, ब्लॉक - तालचेर, जिला - अंगुल, ओडिशा	अंगुल के दानारा गांव में कल्याण मंडप
12	30-01-2020	13,25,460.04	सरपंच जमुनाली, गांव- जमुनाली, जीपी - जमुनाली, ब्लॉक- बनारपाल, जिला - अंगुल, ओडिशा	कालीमंदिर, जमुनाली, अंगुल के सामने गोथासाही में रहसबाड़ी
13	30-12-2022	3,88,835.92	अध्यक्ष ग्राम समिति, नतेडी, तालचेर, अंगुल, पिन759103	नतेडी गांव, अंगुल में डोला मंडप
14	13-10-2021	6,300.52	सरपंच, कांधल, अंगुल	डोलो मंडप गांव: तालाबेड़ा, अंगुल
15	16-12-2020	2,66,958.57	लांगीजोड़ा ग्राम समिति, तालचेर, अंगुल	लिंगराज क्षेत्र के ग्राम तालबेराना में पथघरा
16	15-01-2022	42,108.22	सरपंच, कांधल, तालचेर, अंगुल	प्रोमोड प्रसाद, तालचेर, अंगुल में विद्युतीकरण के साथ कोठाघरा
17	11-03-2022	4,85,769.98	अंबामुंडा ग्राम समिति, तालचेर, अंगुल	सैमसनघाट, तालचेर, अंगुल में विश्राम आश्रय
18	22-01-2023	12,22,794.44	हेड मास्टर, नुआ साही, स्कूल, कांकिली, तालचेर, अंगुल	सीएसआर कार्य लिंगराज क्षेत्र के तहत नुआ साही स्कूल, कांकिली की चारदीवारी।

क्र.	पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	इकाईयों या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका नाम, पता आदि	सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों), (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण
19	19-06-2022	1,70,164.64	बालुंगा ग्राम समिति, तालचेर, अंगुल	धरमपुर ग्राम पंचायत, तालचेर, अंगुल के सेरेइलो गांव में सामुदायिक केंद्र
20	30-08-2022	10,21,83,774.47	कलेक्टर, जाजपुर	जाजपुर में बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम
21	25-03-2022	92,70,929.98	अध्यक्ष, मारवाड़ी युवा मंच, बरगढ़ तथा अध्यक्ष, उत्सर्ग, संबलपुर	मारवाड़ी युवा मंच, बरगढ़ और उत्सरंगा, संबलपुर को 5 एम्बुलेंस
22	16-08-2021	16,55,456.00	अद्भुता चिल्ड्रन होम, अंगुल	एडुटा चिल्ड्रन होम, अंगुल के परिसर में पानी की टंकी और बिजली की सुविधा
23	04-01-2023	40,00,000.00	जिला शिक्षा अधिकारी, संबलपुर	संबलपुर जिले के विभिन्न स्कूल
24	30-08-2022	7,35,945.00	कलेक्टर, संबलपुर	गौडपाली, बुर्ला में योग मंडप
25	30-08-2022	33,19,000.00	सीडीएमओ, संबलपुर	एएलएस एम्बुलेंस डीएचएच संबलपुर
26	28-11-2022	9,05,500.00	कलेक्टर, संबलपुर	सांस्कृतिक समाज, संबलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना
27	15-09-2022	10,71,95,626.00	कलेक्टर, झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा में सामुदायिक भवन और चारदीवारी
28	15-01-2020	13,77,979.00	आशा किरण चैरिटेबल सोसायटी, झारसुगुड़ा के निदेशक	आशा किरण चैरिटेबल सोसायटी, झारसुगुड़ा के लिए स्कूल बस
29	20-01-2023	3,41,58,675.38	कलेक्टर, अंगुल	अंगुल जिले के तालचेर में जलापूर्ति योजना के तहत 4 पाइप लगना
30	24-11-2022	3,00,00,000.00	निदेशक, नंदन कानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर	नंदनकानन चिड़ियाघर में ट्वाएं ट्रेन
31	02-03-2023	10,00,00,000.00	संबलपुर, सोनपुर और गंजम जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी	संबलपुर, सोनपुर और गंजम जिलों के विभिन्न स्कूल
32	04-11-2022	21,27,151.00	कलेक्टर, बरगढ़	लोककाबी हलधर अवसिक बाणविद्यालय, कुडोपाली, बरगढ़ में छात्रावास भवन
33	20-01-2023	14,70,974.00	कलेक्टर, अंगुल	बाजीरौट छत्रबास में भवन/बेसहारा बच्चों के लिए घर/ हाकिमपाड़ा, अंगुल में अनाथालय

अनुलग्नक–II

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
प्रपत्र सं. एमआर- 3
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियमावली संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

जागृति विहार, बुर्ला,

संबलपुर-768020

ओड़िशा, भारत

हमने मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (CIN:U10102OR1992GOI003038) (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया)। द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सचिवीय ऑडिट पर जारी सीएसएएस-4-ऑडिटिंग मानक के अनुसार किया गया था, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, सूक्ष्म पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसके पश्चात बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार नियम बने है;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध विनियम) 2015, यथा संशोधित;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश को ओएम सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दी गई है:,

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर और सभी लागू की गई नियमों पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
9. खान क्रेच नियम, 1961

10. खान बचाव नियम, 1985

11. कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1946

12. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963

13. विस्फोटक नियम, 2008

14. खनिज परिहार नियम, 1960

15. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948

16. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

17. असंवितरित मजदूरी (खान) नियम, 1989 का भुगतान

18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956

19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

20. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016

21. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत बनाए गए नियम

22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

23. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक केन्द्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के संबंध में सीपीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए डिजाइन किया गया है। वार्षिक के आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अनुबंध में निर्दिष्ट टिप्पणियों और योग्यताओं के आधार पर किया गया है। समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को विधिवत दर्ज किया गया और कंपनी द्ववारा अधिनियम औऱ उसके तहत नियमों के प्रावधानों की अनुपालन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

(ख) बोर्ड और उनकी समिति की बैठकों का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को सूचना प्रेषित किया गया था। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले भेजे जा चुके थे। बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बैठकों से पहले रखी गई मदों की कार्यसूची पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवृत्त दर्ज की गई।

(ग) वार्षिक आम बैठक का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 25.07.2022 को आयोजित की गई।

वार्षिक आम बैठक को अल्प समय के नोटिस पर आयोजित किया गया था और कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(घ) सांविधिक रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टरों में की गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ बनाया गया था।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सांविधिक प्रपत्र और विवरणी दाखिल करना

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न फॉर्म और रिटर्न एमसीए/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर या अपेक्षित शुल्क के साथ विस्तारित समय में विधिवत दाखिल किए गए थे।

(च) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और स्पष्टीकरण के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं। कानून और विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समीक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

(छ) बोर्ड के निर्णयों की लेखापरीक्षा और प्रमाणन:

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों की भी तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है और इस आशय का प्रमाण पत्र निहित डीओपी के दायरे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के साथ तिमाही आधार पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किया जाता है।

(ज) लाभांश की घोषणा:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-2022 के संबंध में जून 2022 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इक्विटी शेयरों के 66,18,363 इक्विटी शेयरों पर 5000 करोड़ रुपये (यानी 7,554.74 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की राशि का पहला अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में सितंबर 2022 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इक्विटी शेयरों के 66,18,363 नंबर पर 2400.00 करोड़ रुपये (यानी 3,626.27 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की राशि का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है।

(झ) एमसीएल बोर्ड की उप-समितियों का पुनर्गठन

कंपनी के पास बोर्ड की निम्नलिखित सांविधिक समितियां हैं।

i. लेखा परीक्षा समिति

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व विकास (CSRSD) उप-समिति

iii. नामांकन और पारिश्रमिक उप समिति-

iv. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर एंड एसडी उप-समिति का पुनर्गठन किया गया था और लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार नहीं है।

पुनर्गठित समिति के निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियमावली, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ डीपीई दिशानिर्देशों और क्रमशः उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संबंधित विभाग की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा पर, हमारी राय में, पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं और लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आकार और संचालन के अनुरूप नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करने सहित विभिन्न सांविधिक/ नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त और भरोसा किए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना / कार्य नहीं हुई थी।

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 20.05.2022
UDIN: F009393D000309165

कृते जे.के.दास और सहभागी
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Kolkata ★ Company Secretaries

स्थानःकोलकाता
दिनांकः 20 मई, 2022

ह./-
सीएस जे.के. दास, सी. पी. संख्या 4250
सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268
यूडीआईएन: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे उसी समय के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक ए और अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

'अनुलग्नक क'

प्रति

सदस्यगण

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

जागृति विहार, बुर्ला

संबलपुर-768020

ओड़िशा , भारत

महोदय,

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैः

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि जिन पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ जिनका हमने अनुसरण किया है, वे हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।

   या पुस्तकों और लेखापुस्तकों के अलावा किसी भी किताबों, सूचना या बयानों की जांच नहीं की है।
4. हमने उपरोक्त वर्णित विवरणों के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।
5. जहां भी आवश्यक हो, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट कानूनों और अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20 मई, 2022

कृते जे.के.दास और सहभागी

कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Company Secretaries ★ Kolkata

सीएस जे.के. दास, सी. पी. संख्या 4250

सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268

यूडीआईएन: F007268E000344110

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

'अनुलग्नक -ख'

सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन

क्र.सं.	अधिनियम के प्रावधान	अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 होनी चाहिए।	प्रारंभिक वित्तीय वर्ष में, बोर्ड में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक के साथ बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या आठ (8) थी। वित्तीय वर्ष के अंत में, बोर्ड में एक (01) स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड के कुल सदस्यों की कुल संख्या सात (7) थी। तदनुसार, बोर्ड की संरचना डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी।	एमसीएल सीआईएल की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसलिए जहां तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और लेखा परीक्षा समिति के गठन का सवाल है, इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और धारा 177 सहपठित कंपनी (नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4 और कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के प्रधान इस पर लागू नहीं होते। अत: निदेशक मंडल की "संरचना" पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। हालाँकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार।	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप नहीं है।	

स्थानः कोलकाता
दिनांक : 20 मई, 2022

कृते जे.के.दास और सहभागी
कंपनी सचिव

J. K. Das & Associates ★ Company Secretaries ★ Kolkata

सीएस जे.के. दास, सी. पी. संख्या 4250
सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268
यूडीआईएन: F007268E000344110
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

अनुलग्नक - III

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

1. ऊर्जा संरक्षण

1 (A). विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य विवरण नीचे तुलनात्मक कथन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

i. बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए) 2021-22 में 2.02 किलोवाट/टन की तुलना में 22-23 के दौरान 1.77 किलोवाट/टन है यानी 12.37% की कमी।

ii. बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (यानी कोयला + ओबी निष्कासन) 2021-22 के लिए 1.10 किलोवाट/क्यूएम की तुलना में 2022-23 के दौरान 0.95 किलोवाट/क्यूएम है यानी 13.63% की % कमी।

iii. 2022-23 के दौरान टीपीडब्ल्यूओडीएल (पूर्व में वेस्को) और टीपीसीओडीएल (पूर्व में सीईएसयू) से प्रत्येक महीने की छूट तिथि के भीतर सभी आपूर्ति स्थलों के मासिक बिजली बिलों के शीघ्र भुगतान के लिए कुल 215.60 लाख रुपये की छूट प्राप्त की गई थी।

1. (ख) नवीकरणीय ऊर्जा विकास (सौर ऊर्जा)

I. 2 एमडबल्यूपी सोलर प्लांट दिनांक 13/10/2014 को सफलतापूर्वक चालू किया गया था। दिनांक 31.03.2023 तक संयंत्र ने 1,41,46,605 किलोवाट यूनिट बिजली उत्पन्न की है और कार्बन ऑफसेट के रूप में 1,16,00,134 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (kgCO2e) कम किया है।

II. एमसीएल द्वारा 13/05/2022 तक 10 गैर आवासीय भवन में 1.21 MWp रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को शुरू किया गया। दिनांक 31.03.2023 तक, संयंत्र ने 15,77,261 किलोवाट यूनिट विद्युत बिजली उत्पन्न की है और कार्बन ऑफसेट के रूप में 12,93,354 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (kgCO2e) कम किया है।

III. 50 MWp ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट: :

- ओडिशा में निकासी अवसंरचना सहित 50 मेगावाट (एसी)/75 मेगावाट (डीसी) क्षमता के सोलर फोटोवोल्टिक ग्रिड से जुड़े पावर प्लांट के लिए "भूमि का अधिग्रहण और सुपुर्दगी, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और खरीद, निर्माण, स्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव का कार्य नवंबर, 2021 से ईपीसी ठेकेदार को दिया गया।
- 126.24 एकड़ जमीन एमसीएल के नाम ट्रांसफर की गई।
- 19 मेगावाट सौर पीवी मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं और निर्माण के लिए साइट पर 45 मेगावाट सौर पीवी मॉड्यूल संग्रहीत किए गए हैं।
- काम प्रगति पर है और अक्टूबर 23 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।.

iv. 2.50 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र :

- एमसीएल के विभिन्न आवासीय और गैर आवासीय भवनों में 24,500 वर्ग मीटर क्षेत्र की पहचान की गई है।
- दिनांक 12/12/2022 को प्रथम निविदा निकाली गई थी। हालांकि, सभी बोलीदाताओं की तकनीकी अस्वीकृति के कारण निविदा रद्द कर दी गई थी। निविदा को अंतिम रूप देने के बाद, पुनः निविदा आमंत्रित की गई है, वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 2.5 मेगावाट पूरा होने की उम्मीद है।

v. 20 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र:

- ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए जगन्नाथ क्षेत्र (20 हेक्टेयर) और लखनपुर क्षेत्र (20 हेक्टेयर) में कुल 40 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है।
- सीआईएल और सीएनयूएल की एक टीम ने स्थानों का दौरा किया था और मार्च'23 में पीएफआर और डीपीआर का पहला ड्राफ्ट जमा किया था।

शुद्ध शून्य ऊर्जा कंपनी बनने के लिए एमसीएल को दिया गया कुल लक्ष्य 182 मेगावॉट है, जिसमें से 3.21 मेगावॉट सौर संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं और 50 मेगावॉट क्षमता निष्पादन के अधीन है और 22.5 मेगावॉट पाइपलाइन में है (जैसा कि ऊपर i, ii, iii , iv तथा v में वर्णित है।)

1 (ग). ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में संभावित / संभव कमी के लिए उठाए गए कदम बिजली कारक को सामंजस्य के लिए बनाए रखना :

I. वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान एमसीएल के खानों, टाउनशिप और कार्यालयों को विभिन्न सब-स्टेशन फीडिंग पावर का समग्र औसत पावर फैक्टर 0.98 था।

II. केवल उच्च स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर की खरीद : खरीदे जा रहे सभी नए विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर बीईई फाइव स्टार रेटिंग के हैं। वित्त वर्ष 22-23 में कुल 312 फाइव स्टार रेटेड एयर कंडीशनर खरीदे गए और 597 खरीद प्रक्रिया में हैं।

III. 5 स्टार रेटेड बीएलडीसी पंखों की खरीद।.वित्त वर्ष 22-23 में एमसीएल में 6195 5 स्टार रेटेड बीएलडीसी पंखे लगाए गए और 4086 खरीद के अधीन हैं।

IV. वित्तीय वर्ष 22-23 में, एमसीएल के विभिन्न खानों और स्थानों पर 23663 एलईडी लाइटें लगाई गई हैं और एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रेटिंग हेतु

6033 एलईडी लाइटों के आपूर्ति आदेश दिए गए हैं।

V. ऊर्जा कुशल विद्युत मोटरों की खरीद की जा रही है। खरीद विवरण नीचे उल्लिखित है:

- वित्त वर्ष 22-23 में एमसीएल में 28 ऊर्जा कुशल मोटर्स की खरीद और स्थापना की गई है।
- वित्तीय वर्ष 22-23 में 20 ऊर्जा कुशल मोटरों के लिए आदेश दिया गया।
- 70 ऊर्जा कुशल मोटरों की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

VI. ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर की खरीद।

वित्त वर्ष 22-23 में एमसीएल में 99 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर स्थापित किए गए थे, और 63 खरीद के अधीन हैं।

VII. बिजली की बर्बादी रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट और लाइटिंग टावर में ऑटो टाइमर लगाना।

वित्त वर्ष 22-23 में एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 91 ऑटो टाइमर लगाए गए थे।

VIII. पम्पिंग में ऊर्जा दक्षता।

- खानों की जलापूर्ति और जल निकासी में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइनों में रिसाव को रोका जाता है।
- पंपों के डिजाइन के अनुसार सक्शन और डिलीवरी लाइनों का आकार का ठीक से रखरखाव करना।
- वित्तीय वर्ष 22-23 में उच्च क्षमता वाले पंप जैसे 305 एलपीएस X 200 एमएच, 305 एलपीएस 150 एलपीएस आदि की खरीद करके स्टेज पंपिंग / इंटरमीडिएट पंपिंग में कमी को बनाए रखना ।
- बिजली की अधिकतम मांग को कम करने और टीओडी (दिन का समय) प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए नियमित पंपिंग जैसे कार्य ऑफ-पीक घंटों में संचालित किए जा रहे हैं।

IX. 60% लोड फैक्टर से ऊपर खपत की प्रत्येक इकाई के लिए 1.10 रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 22-23 के दौरान एमसीएल में औद्योगिक संयोजनों का समग्र लोड फैक्टर~66% यानी 60% से ऊपर बनाए रखा गया था। वित्त वर्ष 22-23 में लोड फैक्टर इंसेंटिव के रूप में रु. 4.31 करोड़ का लाभ उठाया गया।

X. ऊर्जा लेखा परीक्षा - वित्तीय वर्ष 22-23 में भरतपुर ओसीपी, कुलदा ओसीपी, अनंत ओसीपी और बेलपहाड़ ओसीएम में ऊर्जा लेखा परीक्षा किया गया है।

XI. ई-वाहन :

वर्तमान में एमसीएल में 4 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।

XII. ऊर्जा कुशल उपायों के कारण कुल ऊर्जा बचत 34346320 किलोवाट/वर्ष और 28163982 किग्रा CO_2e का परिणामी कार्बन ऑफसेट है।

2. A. ईंधन और लुब्रिकैंट्सः

ईंधन और लुब्रिकैंट्स की खपत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए है:

1. इंजन, ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक संचालित प्रणालियों की समय-समय पर मरम्मत की जा रही है।
2. डीजल की प्राप्ति, भंडारण, जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) क्षेत्रों में परिचालित की गई है। डीजल चालित उपकरणों की निगरानी के लिए सुविधाजनक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ।
3. विशिष्ट डीजल खपत सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंदर रखने हेतु नियमित निगरानी की जाती है। बेंचमार्क एसडीसी की तुलना में अधिक विशिष्ट डीजल खपत वाली परियोजनाओं को संवेदनशील बनाया जाता है। परियोजनाओं को उन एचईएमएम की जांच करने की सलाह दी जाती है जिसमें मानक विशिष्ट ईंधन खपत से अधिक एचएसडी खपत होती है।
4. उपकरणों के हाइड्रोलिक तेल के रिसाव को कम करने के लिए होज़ और उनके अनुमार्गों की आवधिक जांच की जा रही है।
5. टायर्स में हवा के दबाव की नियमित रूप से उचित जांच की जाती है।
5. सेल्फ स्टार्टर्स, अल्टरनेटर और बैटरियों की नियमित जाँच की जाती है।
7. उपकरणों की निष्क्रियता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
8. उपकरणों को सेल्फ स्टार्ट रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बैटरियों की व्यवस्था की जा रही है।
9. एचएसडी खपत की बेहतर निगरानी और एचएसडी की चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से परियोजनाओं में आरएफआईडी सिस्टम और ईंधन स्तर सेंसर स्थापित किए जा रहे हैं।

10. जले हुए तेल की रिकवरी में वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 3.31% सुधार हुआ है (जले हुए तेल की रिकवरी: वित्तीय वर्ष- 2022-23: 40.25% और वित्तीय वर्ष- 2021-22: 36.34%) जो एचईएमएम के बेहतर बने रहने और अच्छे रखरखाव का संकेत देते हैं।

2. B. ऊर्जा की खपत के लिए (क) के उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामी प्रभाव

विवरण		2022-23	2021-22	पिछले वर्ष की तुलना में% परिवर्तन
विद्युतीय ऊर्जा				
(i)	बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले के लिए), किलो वाट/टन	1.77	2.02	-12.37%(F)
(ii)	किलो वाट/क्यूबिक मीटर में बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओबी रिमूवल)	0.95	1.10	-13.63%(F)
ईंधन और स्नेहक				
(i)	विभागीय उत्पादन के लिए एचएसडी की खपत, लीटर/क्यूबिक मीटर में।	1.05	1.02	2.94% (A)
(ii)	विभागीय उत्पादन के लिए लुब्रीकेंट की खपत, लीटर/क्यूबिक मीटर में।	0.0236	0.0276	- 14.6% (F)
(iii)	कोयला उत्पादन में एचएसडी की खपत, लीटर/टन में	1.215	1.182	2.8% (A)
(iv)	कोयला उत्पादन स्नेहक की खपत लीटर/टन में।	0.0273	0.0322	- 15.1% (F)

F – अनुकूल **A – प्रतिकुल**

2. C. विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजारों निर्यात गतिविधियाँ सेवाएँ और निर्यात योजनाओं का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में शामिल नहीं है

(ii) उपयोग की गई एवं अर्जित विदेशी मुद्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क)	उपयोग की गई विदेशी मुद्रा :		
	(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
	ए) घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	0.00	0.00
	बी) पूंजीगत सामान	0.00	75.34
	(ii) यात्रा	0.06	0.00
	(iii) ब्याज	0.04	0.05
	(iv) अन्य	0.63	0.64
(b)	अर्जित विदेशी मुद्रा :	0.00	0.00

अनुलग्नक-IV

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

मैंने निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, मैं प्रमाणित करती हूं कि कंपनी ने "**अनुलग्नक-1**" में उल्लिखित निरीक्षण के आधार पर उपर्युक्त लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

मैं पुन: घोषणा करती हूं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते निशा उपाध्याय

(कंपनी सचिव)

.....

ह/-

सी.एस. निशा उपाध्याय, ए.सी.एस.

प्रोपराइटर

एम नं. 52744, सीपी नं. 19692

स्थान:संबलपुर

दिनांक: 24.05.2023

यूडीआईएन: A052744E000364110

अनुलग्नक-1

क. निदेशक मंडल की संरचना:-

एमसीएल के निदेशक मंडल के गठन में 05 कार्यकारी निदेशक, 02 आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (01 सरकारी नामित और 01 सीआईएल नामित निदेशक), 04 स्वतंत्र निदेशक और पूर्व तट रेलवे से 01 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। 04 स्वतंत्र निदेशकों में से, कंपनी के पास केवल 01 (एक) स्वतंत्र निदेशक हं और स्वतंत्र निदेशकों के अन्य 03 (तीन) पद मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में खाली पड़े हैं। मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के 05(पांच) कार्यकारी निदेशकों में से 04 (चार) कार्यकारी निदेशक हैं और 01 (एक) कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त है।

ख. लेखा परीक्षा समिति की संरचना :-

पिछले वर्ष के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के 02 (दो) पद 31.03.2023 तक रिक्त पड़े हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा भरे नहीं जा सके हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है, क्योंकि लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए (लेखा परीक्षा समिति के बोर्ड में कम से कम 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक हर समय उपस्थित होने चाहिए)।

कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि एक बार 02 (दो) स्वतंत्र निदेशकों और 01 (एक) कार्यकारी निदेशक को कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा शामिल किया जाता है, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को अतिरिक्त 02 (दो) स्वतंत्र निदेशकों के रूप में लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल करके फिर से गठित किया जाएगा। इससे कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन हो सकेगा।

कृते निशा उपाध्याय

(कंपनी सचिव)

.....

ह/-

सी.एस. निशा उपाध्याय, ए.सी.एस.

प्रोपराइटर

एम नं. 52744, सीपी नं. 19692

स्थान:संबलपुर

दिनांक: 24.05.2023

निगमित शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की संगठनात्मक प्रणाली में व्यवसाय दर्शन के रूप में निगमित शासन को और अधिक दृढ़ता से एकीकृत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, अधिक संगठनात्मक न्याय और निगमित स्थिरता सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2010-11 से निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के साथ, दिशानिर्देशों का नए परिप्रेक्ष्य और समुचित अध्यवसाय के साथ पुनरावलोकन किया गया है।

समता, न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि को सुशासन की कसौटी पर स्वीकार किया गया है, जिसे एमसीएल से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग के लिए आधार मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है।

निदेशक मंडल-

बोर्ड में कार्यकारी, नामित और स्वतंत्र निदेशकों के सर्वोत्तम संयोजन के सिद्धांत के अनुपालन में, एमसीएल के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2023 को 07 (सात) निदेशक शामिल हैं, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है -

a) 04 (चार) कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक सहित)।

b) 01 (एक) स्वतंत्र निदेशक।

c) 02 (दो) कार्यकारी अंशकालीन निदेशक (नामांकित)।

इसके अलावा मुख्य प्रचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वबर को भी बोर्ड के स्थाजयी आमंत्रित के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक- 25.04.2022, 10.05.2022, 23.05.2022, 05.07.2022, 25.07.2022, 01.08.2022, 08.09.2022, 23.09.2022, 28.10.2022, 14.11.2022 तथा 25.01.2023 को बौर्ड की ग्यारह(11) बैठकें हुई जिसमें सभी निदेशकों (बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र) की 100% उपस्थिति रही।

बोर्ड की संरचना, बोर्ड की बैठक तथा पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या के विवरण के साथ एक तालिका तैयार की जाती है।.

नाम तथा पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक			अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर	पिछले एजीएम में उपस्थित	अन्य समितियों में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित	%			लेखा परीक्षा समिति में उपस्थिति	अन्य समिति में सदस्य
श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष	%	11	100%	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ	05	04
श्री के.आर. वासुदेवन (31-07-2022 तक)	कार्यकारी	5	5	100%	शून्य	हाँ		02
श्री केशव राव	कार्यकारी	11	11	100%	(i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (ii) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ		02
श्री एस.एन. तिवारी (30-04-2022 तक)	सीआईएल नामित	01	00	0%	शून्य	नहीं		01
श्री नागराजू माडीरला (22-02-2023 तक)	सरकार नामित	11	11	100%	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) त्रिपुरा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	हाँ	06	01

श्री. एस. मोहन (09-07-2022 तक)	स्वतंत्र	04	04	100%	(i) यूनिकॉर्प एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) यूनिकॉप बिज़ेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Iii) रेलायॉन सॉफ्टेक लिमिटेड (Iv) सुजीत फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड (v) गोल्फ लेदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (vi) बेजिल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	02	02
डॉ. आशा लकरा	स्वतंत्र	11	11	100%	शून्य	हाँ	03	01
श्री जे.के. बोरा	कार्यकारी	11	11	100%	(i) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	हाँ	01	04
श्री विनय रंजन (23-08-2022 तक)	सरकार नामित	04	04	100%	(i) कोल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड (ii) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (iii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (iv) सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (v) सीआईएल नवकर्निया ऊर्जा लिमिटेड	नहीं	02	00
श्री देबाशीष नंदा (27.01.2023 तक)	सरकार नामित	05	05	100%	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (iii) हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (iv) तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं	03	00
श्री ए.के. बेहुरा	कार्यकारी	05	05	100%	(i) एमजेएसजे कोल लिमिटेड		00	03
श्री मुकेश चौधरी	सरकार नामित	00	00		(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (iii) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड		00	00
श्री संजीव कस्सी	सरकार नामित	00	00		शून्य		00	00

शासन की कुछ मदें जैसे वार्षिक लेखा, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशकगणों का पारिश्रमिक :

क) पूर्णकालिक निदेशक

क्रमांक	नाम	अन्य निदेशकगण के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध यदि कोई हो	वर्ष 2022-23 के लिए पारिश्रमिक
				पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व यानी वेतन, कार्य निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, पीएफ, पेंशन योगदान आदि (रु.)
1	श्री ओ.पी. सिंह	शून्य	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	64,66,914.70
2	श्री के.आर. बासुदेवन	शून्य	निदेशक (वित्त)	22,73,555.75
3	श्री केशव राव	शून्य	निदेशक(कार्मिक)	55,46,679.70
4	श्री ए.के. बेहुरा	शून्य	निदेशक(वित्त)	36,62,385.75
5	श्री जे.के. बोरा	शून्य	निदेशक संचालन/परियोजना एवं योजना)	51,80,650.88
6	श्री एस. परिडा	शून्य	कंपनी सचिव	24,68,801.20

ख) आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग) **गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक**

गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

घ) सेवा अनुबंध, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्क :

कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह के सूचना पर अथवा उसके एवज में 03 माह के वेतन के भुगतान पर समाप्त किया जा सकता है।

बोर्ड समितियाँ :

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए उचित स्वायत्तता के साथ उचित प्रकार से गठित लेखा परीक्षा समिति तथा निर्धारित कार्यक्षेत्र कुशल साधन हो सकते है। समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और यथाशीघ्र मुद्दों का समाधान करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित कार्यसूची के साथ आयोजित होती है और कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति की एमसीएल के वित्तीय और अन्य डेटा / जानकारी तक पहुंच है। समिति द्वारा किए गए अवलोकन की सूचना एमसीएल बोर्ड को दी जाती है। समिति जितनी बार चाहे बैठक कर सकती है लेकिन यह आशा की जाती है कि तिमाही में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

कार्य क्षेत्र

लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार है।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना और बैठक का विवरण :

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की छह बैठकें दिनांक 10.05.2022, 05.07.2022, 25.07.2022, 23.09.2022, 28.10.2022, तथा 25.01.2023 को हुई, बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एम. नागाराजू (22.02.2023 तक)	अध्यक्ष	06	06
2.	श्री एस. मोहन (09.07.2022 तक)	अध्यक्ष	02	02
3.	श्री ओ. पी. सिंह	सदस्य	05	04
4.	श्री देबासिस नंदा (27.01.2023 तक)	सदस्य	03	03
5.	डॉ आशा लाकरा	सदस्य	03	03
6.	श्री जे. के. बोरह	सदस्य	01	01
7.	श्री विनय रंजन (23.08.2022)	सदस्य	02	02

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में, निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित हैं, वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखापरीक्षा समिति के अलावा, 2011-12 के दौरान बोर्ड की 134 वीं और 135 वीं बैठक में कंपनी की रणनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत करने, कॉर्पोरेट प्रशासन का सही ढंग से पालन करने, मानव संसाधन के माध्यम से मूल्यवर्धन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया गया है।

ii) तकनीकी उप-समिति :

कार्यक्षेत्र :

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश। उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

iii) सीएसआर तथा सतत विकास उप समिति (सी.एस.आर. एंड एस.डी.):

कार्यक्षेत्र :

पुनर्गठित समिति का कार्य क्षेत्र और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर एमसीएल बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण :

वर्ष के दौरान दिनांक **11.04.2022, 23.05.2022, 18.07.2022, 31.08.2022, 14.10.2022,** तथा **17.01.2023** को सीएसआर एसडी उप-समिति की 06 (छह) बैठकें हुई,जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री केशव राव	अध्यक्ष	06	06
2.	श्री के. आर. वासुदेवन	अध्यक्ष	03	03
3.	डॉ आशा लाकरा	सदस्य	06	06
4.	श्री जे. के. बोरह	सदस्य	05	05
5.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	03	03
6.	श्री एस. एन. तिवारी	सदस्य	01	00
7.	श्री एस. मोहन	सदस्य	02	02

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र :

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण :

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन उप-समिति की बैठक 01 (एक) बार हुई जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री जे. के. बोरह निदेशक (संचालन)	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री जे. के. बोरह निदेशक (यो. एवं परि.)	सदस्य	01	01
3.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	01	01

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति:

कार्यक्षेत्र :

के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार होगा।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

vi) भू-विस्थापित मामले के लिए उप-समिति:

कार्यक्षेत्र :

कंपनी द्वारा अपनाई जा रही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के मौजूदा मानदंडों के अनुसार रोजगार, नकद मुआवजा आदि के सभी मामलों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 26 (छब्बीस) बैठकें दिनांक 06.04.2022,02.05.2022,19.05.2022,25.05.2022,08.06.2022,14.06.2022,22.06.2022,11.07.2022,20.07.2022,28.07.2022,03.08.2022,12.08.2022,23.08.2022,31.08.2022,15.09.2022,21.09.2022,04.10.2022,13.10.2022,22.10.2022,07.11.2022,19.11.2022,21.12.2022,11.01.2023,01.02.2023, 03.03.2023 तथा 23.03.2023 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :

क्रमांक	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	26	26
2.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	10	10
3.	श्री केशव राव	सदस्य	26	26
4.	श्री एस. के. पाल	सदस्य	01	01
5.	श्री जे. के. बोरह	सदस्य	25	25
6.	श्री ए. के. बेहुरा	सदस्य	16	16

vii) कार्यकारी निदेशकों की अधिकार प्राप्त। समिति:

एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 11.07.2019 को आयोजित अपनी 216 वीं बैठक में सीआईएल द्वारा जारी संशोधित डीओपी के अनुपालन में 'कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति' (ईसीएफडी) का गठन किया।

कार्य क्षेत्र :

जैसा कि सीआईएल द्वारा परिचालित संशोधित डीओपी में परिभाषित किया गया है।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

viii) निदेशकों की अधिकार प्राप्तब समिति :

सीआईएल द्वारा जारी संशोधित डीओपी के अनुपालन में एमसीएल बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 20 (2019-20) दिनांक 02/12/2019 के माध्यम से निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीडी) का गठन किया है।

कार्य क्षेत्र :

जैसा कि सीआईएल द्वारा परिचालित संशोधित डीओपी में परिभाषित किया गया है।

उप-समिति की संरचना और बैठक का विवरण:

वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

सांविधिक लेखा परीक्षक -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक/शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक:	शाखा लेखा परीक्षक:
1. मेसर्स लालदाश एंड कंपनी केयर ऑफ – पी. के. प्रधान, वरुण रेसीडेंसी के पास, प्रधानपड़ा, बुढ़ाराजा सम्बलपुर - 768004, ओड़िशा	**2. मेसर्स बी एन मिश्रा एंड कंपनी** एस -29, मैत्री विहार, फेज - II टेक महिन्द्रा के सामने, भूबनेश्वर - 751023, ओड़िशा

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक (रु.)	टिप्पणी
वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	रु.42,41,313.00 (जीएसटी सहित) (प्रधान लेखा परीक्षक को 27,16,765.00 रुपये और शाखा लेखा परीक्षक को 15,24,548.00 रुपये)	वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति/भुगतान वास्तविक रूप से लेखा परीक्षा शुल्क के 50% तक सीमित है। (प्रधान लेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा शुल्क में एमसीएल के चार अनुषंगियों के साथ खातों के समेकन की समीक्षा के लिए शुल्क शामिल है।)
कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन	रु. 30,000.00	सभी समावेशी।

शेयरधारकों की सामान्य बैठक :

पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है :

वार्षिक सामान्य बैठकें :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2020-21	19.08.2020	प्रात: 10:30 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2021-22	13.08.2021	प्रात: 10:30 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य
2022-23	25.07.2022	प्रात: 10:00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	शून्य

विशेष सामान्य बैठक : पिछली विशेष सामान्य बैठक दिनांक 21.03.2018 को आयोजित की गई थी और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई विशेष सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई है।

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है जिसे कंपनी की वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट :

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखापरीक्षकों ने एमसीएल की प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सभी लेखा परीक्षकों का मत है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (परिचालन नियंत्रण सहित) निर्धारित किए हैं तथा ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्वव देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्येक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, भूमि विस्थापितों की समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है। कंपनी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक कारकों जैसे मशीनरी, सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों आदि के निवारक रखरखाव को भी उचित महत्व दिया जाता है। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष 2011-12 में शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक अलग उप-समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) की आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुपालन के लिए, उक्त समिति को दिनांक 09.02.2016 को एमसीएल बोर्ड द्वारा "जोखिम प्रबंधन समिति" (आरएमसी) के रूप में नामित किया गया है। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों के समन्वय और अनुपालन के लिए महाप्रबंधक (एस एंड आर), एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), एमसीएल के आरएमसी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) एवं (10) और सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 22 के अनुसार, कंपनी में अवैध और अनैतिक अभ्यासों के संबंध में अपने सरोकारों पर स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों को सक्षम करने हेतु कंपनी को व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करनी पड़ी। सीआईएल की नीति के अनुरूप एक नीति बनाई गई है जिसका पालन किया जा रहा है।

इस नीति को 12 अगस्त, 2011 को आयोजित 222वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था और यह सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू है। सेबी (निषेध और अंदरूनी व्यापार) (संशोधन) विनियम 2018 के तहत आवश्यकतानुसार, कंपनी ने नीति को संशोधित किया और संगठन में पारदर्शिता लाने, विश्वास की संस्कृति बनाने और उसे मजबूत करने तथा कर्मचारियों को अनुचित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा/प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से इसे 13 अगस्त, 2019 को आयोजित 390वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। सीआईएल ने निदेशकों और कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे (निदेशकगण और कर्मचारीगण, जो स्वेच्छा से और गोपनीय रूप से संगठन में अनैतिक व्यवहारों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी लेनदेन को संगठन और राष्ट्र के अधिक हित के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहते हैं)। इसने उन्हें (व्हिसल ब्लोअर्स) किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए ढांचे के भीतर एक बहुत मजबूत तंत्र भी सुनिश्चित किया है। एतद द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है।

लेखांकन कार्य :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

संचार-साधन :

कंपनी के परिचालन और वित्तीय कार्य निष्पादन को प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट में दर्शाये जाते हैं।

लेखा परीक्षा योग्यताएं :

कंपनी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशकों के रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत एमसीएल के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ भी संलग्न हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशक, अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के कारण, कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफ़ाइल से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक कंपनी के व्यवसाय मॉडल से पूरी तरह अवगत हैं। हालांकि, कॉरपोरेट शासन अभ्यास से बेहतर ढंग से परिचित कराने के उद्देश्य से, स्वतंत्र निदेशकों को शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है। कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण नीति भी लागू की गई है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन का अनुपालन

आपकी कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-वित्त, दिनांक 28.06.2011 के अनुसार दिशानिर्देशों को लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उसे सीईओ द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए कॉरपोरेट शासन में 92% का वार्षिक अंक हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक -V

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

A. उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है। वैश्विक रूप से, वर्ष 1950 के बाद से वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण है पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता। हालाँकि, भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है, यहां देश के भीतर सीमित तेल के भंडार के साथ कोयला प्रचुर मात्रा में होने एवं आसानी से उपलब्ध होने के कारण बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला मौजूद है। 01.04.2022 तक राष्ट्रीय कोयला इन्वेंटरी ने 361.411 बिलियन टन (बीटी) ठोस कोयला संसाधनों को 1200 मीटर की गहराई तक 69 अलग-अलग कोलफील्ड्स में रखा है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बि.टन)	भारत का %
1	झारखंड	12	86.660	23.98
2	ओड़िशा	2	88.105	24.38
3	छत्तीसगढ़	13	74.192	20.53
4	पश्चिम बंगाल	4	33.871	9.37
5	मध्यप्रदेश	8	30.917	8.55
6	तेलंगाना	1	23.034	6.37
7	महाराष्ट्र	5	13.221	3.66
8	पूर्वोत्तर राज्य	21	1.771	0.49
9	आंध्रप्रदेश	1	4.142	1.15
10	उत्तरप्रदेश	1	1.062	0.29
11	बिहार	1	4.437	1.23
कुल		**68**	**361.411**	**100**

ओडिशा भारत में आरक्षित स्थिति में प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2022 तक ओडिशा का कुल कोयला भंडार 88.105 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.38% है। ओडिशा के दो कोयला क्षेत्र, अर्थात् तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत हैं; तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र (54.122 बिलियन टन) है और ईब-वैली तीसरा सबसे बड़ा (33.982 बिलियन टन) कोयला क्षेत्र है। 88.105 बिलियन टन कोयला भंडार में से 48.573 बिलियन टन (55.13%) मापे गए कोयला भंडार है।

ओडिशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयला के भंडार हैं, जिनमें सबसे अनुकूल उत्खनन की संभावनाएं हैं। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के मौजूदा थर्मल संयंत्रों और आने वाले संयंत्रों के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयला निष्कासन और प्रेषण:

वर्ष 2023-24 में एमसीएल ने 204.00 मिलियन टन के कोयला निष्कातसन की योजना बनाई है।

वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक पिछले 10 वर्षों में एमसीएल का सेक्टर-वार वास्तविक कोयला निष्कासन और 2023-24 के लिए अनुमान :

क्षेत्र	वर्ष (आंकड़े मिलियन टन में)										
	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बीई
उर्जा	78.223	87.717	91.173	98.550	99.274	102.527	92.679	98.20	127.22	170.379	163.00
सीमेंट	0.340	0.432	0.24	0.257	0.186	0.221	0.206	0.17	0.09	0.115	0.257
उर्वरक	0.0367	0.024	0.004	0.00	0.052	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	00
अन्य	35.742	34.828	48.797	44.204	38.750	39.505	41.131	47.64	48.85	22.261	40.743
कुल	**114.342**	**123.001**	**140.214**	**143.011**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.16**	**192.755**	**204**

एमसीएल के पिछले 10 वर्षों का मोड-वार वास्तविक कोयला आवाजाही और 2023-24 के लिए अनुमान

कोयला उठाने का माध्यम	वर्ष										(आंकड़े मिलियन टन में)
	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बीई
रेल	72.2246	81.260	89.079	90.776	89.442	87.384	76.809	96.25	115.6	117.826	140.981
रोड	24.506	25.152	34.515	38.210	34.816	42.780	43.261	33.39	47.4	62.875	48.419
एमजीआर	15.745	15.166	15.231	12.611	12.588	10.567	12.432	15.15	13.2	12.054	14.6
अन्य	1.866	1.423	1.389	1.410	1.416	1.575	1.514	1.21	0.00	00	00
कुल	**114.342**	**123.001**	**140.214**	**143.007**	**138.262**	**142.306**	**134.016**	**146.01**	**176.2**	**192.755**	**204.00**

कोयले की उपलब्धता:

2012-13 से 2021-22 तक का वास्तविक कोयला उत्पादन और वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा खदानों, पूर्ण की गई परियोजनाएं एवं एमसीएल में चालू परियोजनाओं का उत्पादन अनुमान नीचे दिया गया है:

परियोजनाएं	वर्ष										(आंकड़े मिलियन टन में)
	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 बीई
मौजूदा खदान	0.778	1.127	0.981	0.8936	0.91	0.764	0.751	0.459	0.44	0.38	0.40
पूर्ण परियोजनाएं	59.988	70.906	76.220	77.5699	68.817	59.381	51.872	55.319	60.49	65.96	67.16
चालू एवं नई परियोजनाएं	49.674	49.346	60.70	60.7549	73.331	84.006	87.734	92.232	107.23	126.92	136.44
कुल	110.440	121.379	137.901	139.2084	143.058	144.151	140.357	148.01	168.17	193.262	204.00

उत्पादकता :

एमसीएल में कोयला उत्पादन और खुली खदान से ओवरबर्डन निष्काससन का कार्य संविदात्मक और विभागीय रूप से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओबी निष्कानसन को बाहरी ठेका देकर भी किया गया है। एमसीएल की ओएमएस स्थिति इस प्रकार है:

	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 अस्थाई	2023-24 बीई
भूमिगत खदान	0.97	0.84	0.77	0.67	0.65	0.74	0.73	0.86	0.60	0.57	0.59	0.65
खुली खदान	21.34	22.16	22.11	24.24	25.72	31.52	29.45	26.71	32.30	39.41	41.20	42.43
कुल	16.07	16.69	17.10	18.88	20.08	24.22	23.71	22.67	27.15	32.76	35.65	37.05

स्वॉट विश्लेषण

बल:

- सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन, उत्पादकता और राजस्व के मामले में वृद्धि का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य संस्कृति- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की प्रबल क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।
- सीआईएल में एसएपी के कार्यान्वयन के ध्वजवाहक।

कमजोरी:

- भूमिगत खनन संचालन से नुकसान।
- कोयला की निकासी बड़े पैमाने पर बाहरी एजेंसियों पर निर्भर करती है और बढ़ते कोयला क्षेत्रों में निकासी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में निम्न स्तर के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की बड़ी भारी क्षमता।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- एक स्वस्थ विपणन रणनीति तैयार करने के लिए और उपभोक्ताओं,रेलवे और वाहकों के साथ दीर्घकालिक समझौता तैयार करने के लिए।
- मौजूदा 30 एमटीवाई क्षमता को दोगुना करके पारादीप बंदरगाह पर 30 एमटीवाई क्षमता को बढ़ाना
- एफएमसी परियोजना की स्थापना के लिए
- विद्युत उत्पादन में विविधीकरण
- कोयला गैसीकरण और कोयले से रसायनों के लिए संयुक्त उद्यम

चुनौती :

- कोयला खुली खदान के लिए उत्तरदायी है, इस प्रकार अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप अकुशल कार्यबल (पीडीएफ) का रोजगार भी होता है।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुन:स्थापना मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान की विशिष्टता।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात रेल भाड़े में वृद्धि का मतलब है उपभोक्ताओं के लिए उच्च भूमि लागत।
- तटीय आधारित ताप विद्युत संयंत्र के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने हेतु विकल्प हैं।
- कैप्टिव खनन/वाणिज्यिक - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

B. कार्य निष्पादन:

मुख्य रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

C. दृष्टिकोण

सदस्यों को ज्ञात है कि वर्तमान में, एमसीएल में 75.78 मिलियन टन की क्षमता के साथ 39 पूर्ण परियोजनाएँ हैं (समाप्त खानों की क्षमता सहित), जिसमें से 1.95 मिलियन टन की क्षमता वाली 03 परियोजनाएँ XI योजना अवधि के दौरान समाप्त हो गई हैं। कार्यान्वयन के तहत (मार्च 2023 तक) 245.00 मिलियन टन की क्षमता के साथ 13 चालू परियोजनाएं हैं। 2022-23 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से 126.92 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है।

बसुंधरा क्षेत्र के ईब-वैली कोलफील्ड्स (गोपालपुर ट्रैक्ट के रूप में ज्ञात) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन एकमात्र अड़चन कोयला निकासी व्यवस्था है। कंपनी ने कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए बसुंधरा क्षेत्र (सरदेगा साइडिंग) से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पूरी की है। कंपनी ने बसुंधरा क्षेत्र से कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ निकासी क्षमता स्थापित करने के लिए चार आरएलएस और तीन साइलो के साथ बरपाली बल्बन के साथ उपरोक्त रेल लाइन का दोहरीकरण भी किया है।

इसी तरह तालचेर कोलफील्ड में बलराम-अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे अंगुल की ओर से खाली रेल रेकों की एक दिशा में आवाजाही में सुविधा होगी और लोडेड रेकों को तालचेर की ओर से निकाला जाएगा। इससे तालचेर कोयला क्षेत्र की रेक संचलन क्षमता में वृद्धि होगी, इस प्रकार कोयले की निकासी में 20 से 25 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। एमसीएल ने खाली और लोडेड रेक की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तालचेर कोलफील्ड में आंतरिक स्पर लाइन के दोहरीकरण का भी जिम्मा लिया है।

D. जोखिम और चिंता :

- वानिकी मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- भूमि विस्थापितों द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग के परिणामस्वरूप बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं और खनन तथा कोयला परिवहन संचालन में उत्पन्न बाधा।
- एचईएमएम और अन्य वि. एवं यां. मदों की खरीद के लिए लंबा समय।

E. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

- मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

F. परिचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

G. कार्यरत लोगों के साथ मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

H. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण।

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

I. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक VI

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2023 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा नहीं किया। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना और कंपनी के कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की व्यक्तिगत और चयनात्मक जांच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है।

अपने पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

A. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

1. तुलनपत्र

परिसंपत्ति

चालू परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-13): रु 1636.92 करोड़

उपरोक्त में 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु सतही परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्त रु 62.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एनटीपीसी के साथ फरवरी 2018 से पहले का समझौता, 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एचटीसी से शुल्क लेने की अनुमति देता है। हालाँकि महानदी लिमिटेड ने फरवरी 2018 से 0-3 किलोमीटर के लिए एचटीसी पर एकतरफा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है।

0-3 किमी की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता एनटीपीसी के साथ अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संशोधन हस्ताक्षर की तारीख अर्थात अगस्त 2020 से लागू होगा। एनटीपीसी ने 2 अगस्त 2020 की अवधि से संबंधित 0-3 किमी के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फरवरी 2018 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के 0-3 किमी के लिए एसटीसी शुल्क करने के लिए किसी समझौते के अभाव में रु 62.29 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना बहुत कम है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। अत: प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियों (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का कुल) और लाभ को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी कुछ हद तक अपर्याप्त है।

B. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

1. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी-11)

इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: रु. 1499.74 करोड़

भारतीय लेखांकन मानक 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियां की वहन राशि में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं, जिनके संबंध में उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी का विवरण अधिसूचित किया, जहां इनपुट पर कर की दर ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है। उपरोक्त सूची में कोयला शामिल नहीं था।

जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट को जमा कर लिया गया है सिवाय इसके कि जहां वस्तुओं या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है वहाँ अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 9/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक 5/2017 केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया गया और कोयला को शामिल किया गया, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रिफंड नहीं दिया जाना था।

मार्च 2023 तक एमसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रु 1499.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि दिखाई है। एमसीएल द्वारा प्रदान की गई कार्यप्रणाली के अनुसार किसी विशेष वर्ष के अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग अगले वर्ष में किया गया था। एमसीएल ने बताया है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग के लिए फीफो पद्धति का उपयोग कर रहा है क्योंकि उपयोग के आदेश के संबंध में जीएसटी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। अत: जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित खातों में रु 1499.74 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जिस पर एमसीएल धन वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। एमसीएल ने यह भी बताया कि उसने मार्च/जून 2021 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 280.03 करोड़ की रिफंड राशि के लिए आवेदन किया है, लेकिन रिफंड आवेदन साथ ही वार्षिक रिटर्न के आंकड़ों में विसंगतियों का हवाला देते हुए इसे कर अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया है। एमसीएल द्वारा रिफंड के लिए कोई और दावा दर्ज नहीं किया गया।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5% है, जबकि इनपुट पर 18% टैक्स लगता है, जिसके परिणामस्वरूप कर क्रेडिट में प्राप्य जमा हो जाता है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, एमसीएल पिछले वर्षों के टेक्स्ट क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड/संचय का मामला आगे एमसीएल द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया है।

न तो एमसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए और लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरण/ रिपोर्ट में उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का खुलासा किया है जो कि भारतीय लेखांकन मानक 01 का उल्लंघन है। तथ्यों का प्रकटीकरण न होने से, जो कि वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने की समझ का अभिन्न अंग है, उसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण की आवश्यकता में कमी हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

.....

(अतुल प्रकाश)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 30 जून 2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
क-1.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी** तुलन पत्र संपत्तियां चालू संपत्तियां व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-13): ₹1636.92 करोड़ उपरोक्त में 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्त होने वाली ₹62.29 करोड़ की राशि शामिल है। फरवरी 2018 से पहले, एनटीपीसी के साथ समझौता के अनुसार 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी चार्ज करने की अनुमति देता है। हालाँकि, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने फरवरी 2018 से 0-3 किलोमीटर तक एकतरफा एसटीसी बिछाना शुरू कर दिया। 0-3 किलोमीटर की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता एनटीपीसी के साथ अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संशोधन हस्ताक्षर करने की तारीख यानी अगस्त 2020 से लागू होगा। अगस्त 2020 से पहले की अवधि तक एनटीपीसी ने 0-3 किलोमीटर से संबंधित दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। फरवरी 2018 और 02 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी समझौते के अभाव में ₹.62.29 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है एवं इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियों (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का शुद्ध) और मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी अपर्याप्त है।	0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्तियों का मामला एएमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है, जहां प्रबंधन अनुकूल परिणाम की उम्मीद करता है। इसके अलावा, कंपनी भारतीय मानक लेखांकन 109, वित्तीय साधन के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित क्रेडिट हानि की पहचान करती है। चूंकि मामला एएमआरसीडी में निर्णय के लिए लंबित है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई संकेत नहीं है इसलिए, कोई क्रेडिट हानि मान्यता प्राप्त नहीं है। लेखापरीक्षा अवलोकन में यह निष्कर्ष शामिल है कि एनटीपीसी से वसूली की संभावना बहुत कम है। हालाँकि, यह पहले से ही ज्ञात है कि इस विषय पर एनटीपीसी और सीआईएल के बीच विवाद का निर्णय एएमआरसीडी में लंबित है। पूरक लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की टिप्पणियाँ भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुरुप नहीं है एवं प्रबंधन का आकलन है कि इस मामले में एएमआरसीडी द्वारा समाधान संभव है।
ख-1.	प्रकटीकरण पर टिप्पणी अन्य चालू संपत्तियां (टिप्पणी-11) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: ₹1499.74 करोड़ भारतीय लेखांकन मानक-01 के अनुसार,एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है,लेकिन समझ के लिए प्रासंगिक हो। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान, अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के जानकारी का खुलासा करना होगा,जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है। वित्त मंत्रालय,भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं के विवरण को अधिसूचित किया गया है जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी,जहां क्रेडिट ऐसे सामानों की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा हुआ है। उपरोक्त सूची में 'कोयला' का नाम नहीं था। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है,जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है,सिवाय इसके कि जहां माल हो या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।	जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया है। प्राप्त जीएसटी आईटीसी की राशि का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित करता हो। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कई कारक हैं जैसे मूल्य संशोधन,कोयले पर जीएसटी दर में बदलाव आदि,जिन पर जीएसटी आईटीसी का उपयोग भविष्य में भिन्न हो सकता है और वर्तमान में इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए,कि जीएसटी आईटीसी के उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है और जीएसटी दरों में मूल्य संशोधन/परिवर्तन की संभावना है,कंपनी संचित आईटीसी को आगे बढ़ा रही है। हालाँकि, अवलोकन के मद्देनजर, प्रबंधन बाद के वित्तीय विवरणों में सटीक और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए,प्रकटीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
B-1.	वित्त मंत्रालय,भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/20l7-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया एवं कोयला का नाम डाला,जिस पर कोई अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जानी थी। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने मार्च 2023 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹1499.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि प्रदर्शित की है। एमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए कामकाज के अनुसार,किसी विशेष वर्ष के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग अगले वर्ष में किया गया था। एमसीएल ने कहा है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग के लिए फीफो पद्धति का उपयोग कर रहा है क्योंकि उपयोग के आदेश के संबंध में जीएसटी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस प्रकार,₹1499.74 करोड़ जैसा कि किताबों में दिखाया गया है,जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है,जिस पर एमसीएल रिफंड का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। एमसीएल ने यह भी कहा कि उसने मार्च/जून 2021 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए ₹280.03 करोड़ की रिफंड राशि के लिए आवेदन किया है,लेकिन कर अधिकारियों ने वार्षिक रिटर्न की तुलना में रिफंड आवेदन के आंकड़ों में विसंगतियों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है। एमसीएल द्वारा रिफंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया। आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है।हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, एमसीएल पिछले वर्षों के टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और टैक्स क्रेडिट समय के साथ बढ़ रहा है।इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड/संचय का मामला एमसीएल द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया है। न तो एमसीएल और न ही वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का खुलासा किया है और वित्तीय विवरण/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्य बताए गए हैं,जो कि भारतीय लेखांकन मानक -01 का उल्लंघन है। उन तथ्यों का खुलासा न करने के कारण जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में समझ का अभिन्न अंग हैं, परिणामस्वरूप आवश्यकताओं के प्रकटीकरण में कमी हुई।	

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2023 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा नहीं किया। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना और कंपनी के कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की व्यक्तिगत और चयनात्मक जांच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है।

अपने पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

A. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलनपत्र
परिसंपत्ति
चालू परिसंपत्ति
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-13): रु 1636.92 करोड़
उपरोक्त में 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु सतही परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्त रु 62.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एनटीपीसी के साथ फरवरी 2018 से पहले का समझौता, 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एचटीसी से शुल्क लेने की अनुमति देता है। हालाँकि महानदी लिमिटेड ने फरवरी 2018 से 0-3 किलोमीटर के लिए एचटीसी पर एकतरफा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है।

0-3 किमी की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता एनटीपीसी के साथ अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संशोधन हस्ताक्षर की तारीख अर्थात अगस्त 2020 से लागू होगा। एनटीपीसी ने 2 अगस्त 2020 की अवधि से संबंधित 0-3 किमी के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फरवरी 2018 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के 0-3 किमी के लिए एसटीसी शुल्क करने के लिए किसी समझौते के अभाव में रु 62.29 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना बहुत कम है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। अत: प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियों (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का कुल) और लाभ को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी कुछ हद तक अपर्याप्त है।.

B. प्रकटीकरण पर टिप्पणी
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी-11)
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: रु. 1499.74 करोड़

भारतीय लेखांकन मानक 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियां की वहन राशि में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं, जिनके संबंध में उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी का विवरण अधिसूचित किया, जहां इनपुट पर कर की दर ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है। उपरोक्त सूची में कोयला शामिल नहीं था।

जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट को जमा कर लिया गया है सिवाय इसके कि जहां वस्तुओं या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है वहाँ अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3)

के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 9/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक 5/2017 केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया गया और कोयला को शामिल किया गया, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रिफंड नहीं दिया जाना था।

मार्च 2023 तक एमसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रु 1499.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि दिखाई है। एमसीएल द्वारा प्रदान की गई कार्यप्रणाली के अनुसार किसी विशेष वर्ष के अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग अगले वर्ष में किया गया था। एमसीएल ने बताया है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग के लिए फीफो पद्धति का उपयोग कर रहा है क्योंकि उपयोग के आदेश के संबंध में जीएसटी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। अत: जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित खातों में रु 1499.74 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जिस पर एमसीएल धन वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। एमसीएल ने यह भी बताया कि उसने मार्च/जून 2021 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 280.03 करोड़ की रिफंड राशि के लिए आवेदन किया है, लेकिन रिफंड आवेदन साथ ही वार्षिक रिटर्न के आंकड़ों में विसंगतियों का हवाला देते हुए इसे कर अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया है। एमसीएल द्वारा रिफंड के लिए कोई और दावा दर्ज नहीं किया गया।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5% है, जबकि इनपुट पर 18% टैक्स लगता है, जिसके परिणामस्वरूप कर क्रेडिट में प्राप्य जमा हो जाता है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, एमसीएल पिछले वर्षों के टेक्स्ट क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड/संचय का मामला आगे एमसीएल द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया है।

न तो एमसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए और लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरण/रिपोर्ट में उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का खुलासा किया है जो कि भारतीय लेखांकन मानक 01 का उल्लंघन है। तथ्यों का प्रकटीकरण न होने से, जो कि वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने की समझ का अभिन्न अंग है, उसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण की आवश्यकता में कमी हुई है।

कृते और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

.....

अतुल प्रकाश
प्रधान निदेधक लेखापरीक्षा(कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 30 जून 2023

अनुलग्नक

अनुषंगी कंपनी का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा का विवरण
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	टिप्पणी रहित प्रमाणपत्र जारी
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	टिप्पणी रहित प्रमाणपत्र जारी
महानदी कोल रेलवे	लिमिटेड टिप्पणी रहित प्रमाणपत्र जारी
महानदी बेसिन रेलवे	लिमिटेड टिप्पणी रहित प्रमाणपत्र जारी

उप निदेशक

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षककी टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
क-1.	वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी तुलन पत्र परिसंपत्ति चालू परिसंपत्ति व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-13): ₹1636.92 करोड़ उपरोक्त में 0-3 किलोमीटर की दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्त होने वाली ₹62.29 करोड़ की राशि शामिल है। फरवरी 2018 से पहले एनटीपीसी के साथ समझौते में 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी चार्ज करने की अनुमति थी, हालांकि, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने फरवरी 2018 से 0-3 किलोमीटर के लिए एकतरफा एसटीसी बिछाना शुरू कर दिया था। 0-3 किलोमीटर की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता एनटीपीसी के साथ अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संशोधन अगस्त 2020 पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लागू होगा।एनटीपीसी ने अगस्त 2020 से पहले की अवधि से संबंधित 0-3 किलोमीटर के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। किसी भी समझौते के अभाव में, 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने हेतु फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए ₹.62.29 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियों (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का शुद्ध) और मुनाफे को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी उस हद तक अपर्याप्त है।	0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण फरवरी 2018 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्तियों का मामला एएमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 109, वित्तीय साधन के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित क्रेडिट हानि की पहचान का पालन करती है।चूंकि मामला एएमआरसीडी में निर्णय के लिए लंबित है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, कोई क्रेडिट हानि मान्यता प्राप्त नहीं है। लेखा परीक्षा अवलोकन में यह निष्कर्ष शामिल है कि एनटीपीसी से वसूली की संभावना बहुत कम है। हालाँकि, यह पहले से ही ज्ञात है कि इस विषय पर एनटीपीसी और सीआईएल के बीच विवाद का निर्णय एएमआरसीडी में लंबित है। पूरक लेखा परीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षककी टिप्पणियाँ भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुरूप नहीं हैं और प्रबंधन का आकलन है कि इस मामले में एएमआरसीडीसे अनुकूल समाधान संभव है।
ख-1.	प्रकटीकरण पर टिप्पणी अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी-11) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: ₹1499.74 करोड़ भारतीय लेखांकन मानक-01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की जाती है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए उपयुक्त	जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया है। प्राप्त जीएसटी आईटीसी की राशि का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय-सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित करता हो।

ख-1.	है।इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में की गई धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं का विवरण अधिसूचित किया जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां इनपुट पर कर की दर ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारणक्रेडिट जमा हो गया है। 'कोयला' उपरोक्त सूची में शामिल नहीं था। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार वापसी के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, सिवाय इसके कि जहां वस्तुओं या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया औरकोयला डाला, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जानी थी। एमसीएल ने मार्च 2023 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹1499.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि दिखाई है। एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए कामकाज के अनुसार, किसी विशेष वर्ष के अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग अगले वर्ष में किया गया था।एमसीएल ने कहा है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग के लिए एफआईएफओ पद्धति का उपयोग कर रहा है क्योंकि उपयोग के क्रम के संबंध में जीएसटी अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।इस प्रकार ₹1499.74 करोड़ जैसा कि बहियों में दिखाया गया है, जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है, जिस पर एमसीएल वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।एमसीएल ने यह भी कहा कि उसने मार्च/जून 2021 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए ₹280.03 करोड़ की वापसी राशि के लिए आवेदन किया है, लेकिन कर अधिकारियों द्वारा वार्षिक रिटर्न की तुलना में वापसी आवेदन के आंकड़ों में विसंगतियों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया गया है। एमसीएल द्वारा वापसी के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया था। कोयले की बिक्री यानी आउटपुट पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है। हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, एमसीएल पिछले वर्षों के टैक्सक्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है।इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी/संचय का मामला एमसीएल द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया है। न तो एमसीएल और न ही वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों का खुलासा किया है और न ही लेखापरीक्षकों की वित्तीय विवरण/रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्य बताए गए हैं, जो कि भारतीय लेखांकन मानक-01 का उल्लंघन है। वे तथ्य जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं की जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में समझ का अभिन्न अंग हैं, परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।	आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कई कारक हैं जैसे मूल्य संशोधन, कोयले पर जीएसटी दर में बदलाव आदि, जिन पर जीएसटी आईटीसी का उपयोग भविष्य में भिन्न हो सकता है और वर्तमान में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए, कि जीएसटी आईटीसी के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा नहीं है और जीएसटी दरों में मूल्य संशोधन/परिवर्तन की संभावना है, कंपनी संचित आईटीसी को आगे बढ़ा रही है। हालाँकि, अवलोकन के मद्देनजर, प्रबंधन बाद के वित्तीय विवरणों में सटीक और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए, प्रकटीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी एवं नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरुप 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, तथा लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्त्व:

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. एनसीडब्लू- XI के अनुसार गैर-कार्यकारी का वेतन संशोधन 01.07.2021 से देय था और एमसीएल ने 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के लिए प्रति कर्मचारी रु 19,100/- प्रति का प्रावधान रखा है और बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक लाभों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति, एनसीडब्ल्यूए समझौते और अन्य कारकों जैसे कारक पर विचार करते हुए दीर्घकालिक धारणा के रूप में 6.25% की दर से गैर-कार्यकारियों के वेतन मुद्रास्फीति के लिए प्रावधान बनाया है। (नोट 38.8 (एच) और (i) देखें।)।

2. संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट- 38.8 (के) के संदर्भ में, एनटीपीसी, कनिहा ने अगस्त, 2020 से पहले की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड रेंज के भाग के लिए परिवहन शुल्क के दावे पर विवाद किया है, जिसकी राशि रु. 62.29 करोड़ है, एमसीएल और एनटीपीसी, कनिहा के बीच ईंधन आपूर्ति समझौते के खंड 8.2 की दलील लेते हुए और उक्त मामले को एएमआरसीडी के समक्ष विवाद के समाधान के लिए सीआईएल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, वसूली की संभावना अनिश्चित होने के कारण कंपनी ने उक्त राशि के खिलाफ न तो कोई प्रावधान किया है और न ही एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा विवाद को वापस लेने को साबित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रदान किया है।

3. जैसा कि नोट- 38.1.(ए)(आई) में संदर्भित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, 01.01.2022 से रेलवे, ओपीडब्ल्यूडी, सीएएमपी, ओडिशा के वन विभाग और तहसीलदार से प्राप्त सेवाओं पर आरसीएम के तहत जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में मतभेद है।

4. जैसा कि नोट-38.8.(1) में संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, जमा आधार पर ओपीडब्ल्यूडी द्वारा बांकीबहल से कनिका रेलवे साइडिंग तक मौजूदा सड़क के 2 लेन को 4 लेन तक चौड़ा करने के लिए काम का पूंजीकरण है।

5. जैसा कि नोट-38.8.(जे) में संदर्भित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा मांगे गए पुराने जल शुल्क के लिए प्रावधान किया है।

6. झारसुगुड़ा-बारपाली-सरडेगा रेलवे लाइन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 27.02.2023 को स्वीकृत बढ़े हुए माइलेज के रूप में कंपनी ने किसी भी आय को मान्यता नहीं दी है क्योंकि दर अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। (नोट संख्या-38.8(पी) देखें।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार राजस्व और अन्य संबंधित शेषों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की शुद्धता।	हमने राजस्व लेखा मानक भारतीय लेखांकन मानक 115 के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल थे, जो इस प्रकार है: i. प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त प्रदर्शन और क्षतिपूर्ति आय से राजस्व का सत्यापन। ii. पार्टियों के साथ सुलह पर सत्यापन क्योंकि एमसीएल की वार्षिक सुलह की नीति है जिसे लंबित पार्टियों के मामले में पूरा करने की आवश्यकता है
2	प्राप्तियों की मान्यता, मूल्यांकन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की शुद्धता	हमने व्यापार प्राप्य शीर्ष के तहत बुक की जाने वाली प्राप्तियों की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल था: (i) बिक्री, प्राप्तियों/समायोजन की पहचान/मान्यता और गैर-प्राप्य/के लिए सृजित प्रावधानों और पुस्तकों में उनके समायोजन के लिए बनाए गए प्रावधान। (ii) कंपनी की नीति से परे कुछ पार्टियों के मामले में सुलह के रूप में खातों में दर्शाये गए शेष राशि पर निर्भर है।
3	एसएपी का कार्यान्वयन और कोलनेट से एसएपी में डेटा का स्थानांतरण।	एमसीएल ने 31 मार्च, 2021 को शेष राशि लेकर 01 अप्रैल, 2021 को एसएपी लागू किया था। हमने कोलनेट से एसएपी में शेष राशि के स्थानांतरण हेतु एफआई मॉड्यूल के लिए कंपनी द्वारा किए गए लीगेसी लेखा परीक्षा पर भरोसा किया है।
4	आकस्मिक देयताएं: कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर मामलों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.21 के साथ पठित नोट संख्या 38(1) में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को स्थापित करने के लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, इससे जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों को उचित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	एमसीएल ने 31 मार्च, 2021 को शेष राशि लेकर 01 अप्रैल, 2021 को एसएपी लागू किया था। हमने कोलनेट से एसएपी में शेष राशि के स्थानांतरण हेतु एफआई मॉड्यूल के लिए कंपनी द्वारा किए गए लीगेसी लेखा परीक्षा पर भरोसा किया है। मुकदमों और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हमने कंपनी/इकाई की कानूनी और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ते हैं। हम कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह, जहां लागू हो, पढ़ते हैं। हमने कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में नोट किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की, जो कंपनी के किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के आकलन को निर्धारित करने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। उपरोक्त के आलोक में, हमने आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई राशि की समीक्षा की और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट उन लोगों को करने की आवश्यकता है जो शासन के साथ आरोपित हैं।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ आरोपित

संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन पर सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, उपयुक्तानुसार प्रकटीकरण, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और इसके आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। यह भी कि :

- स्टैंडलोन वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के परिणामों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू समुत्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।
- हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

शासन के प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य मामले:

i. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल आठ शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2023 तक के कुल 24,592.99 करोड़ रुपये एवं कुल 18,413.75 करोड़ की कुल आय तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ 9,370.83 करोड़ रुपये दर्शाते हैं।इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। हमारे द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

ii. तुलनपत्र की तारीख को प्रदर्शित शेष राशि के लिए देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों से शेष राशि की पुष्टि प्रगति पर है।

iii. एचईएमएम उपकरणों के उपयोगी जीवन पर तकनीकी मूल्यांकन समय-समय पर नियंत्रक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

iv. कंपनी ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए स्ट्राइक ऑफ कंपनियों के साथ शेष राशि/लेनदेन की पहचान नहीं की है।

v. कंपनी ने 31.03.2023 तक एमएसएमई लेनदारों के लिए रु. 2.23 करोड़ बकाया राशि की पहचान की है। ।

vi. कंपनी के पास 102.36 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि है और उसी के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) कंपनी के नाम पर हैं, लेकिन कहा गया है कि संपत्ति कंपनी के खाते की किताबों में उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए जिसके लिए सुलह की प्रक्रिया चल रही है।

vii. कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों (कुछ संपत्तियों जैसे एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर), आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोयले के भंडार और पुर्जे और समाप्त स्टॉक जैसी परिसंपत्तियों पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

viii. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के पास शेष राशि और दिनांक 31.03.2023 को खातों की पुस्तकों में दर्शाए जाने का मिलान किया जाना बाकी है।

ix. कंपनी ने अनुमानित आधार पर इमारत एवं अन्य निर्माण कार्मिक उपकर (बीओसीडब्ल्यू) मुहैया कराया है और अंतिम देनदारी अभी निकलनी बाकी है।

x. छूट प्राप्त आपूर्तियों के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का विपर्य अर्थात परिनिर्धारित नुकसान से आय, मुआवजा आय, बीजी/ईएमडी की जब्ती से आय नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे सरकार द्वारा छूट प्राप्त आपूर्ति के रूप में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

xi. यदि वर्तमान में राशि को पूरा करने का कानूनी अधिकार है तो एमसीएल की लेखांकन नीति के अनुच्छेद 2.14.5 के अनुसार, वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को पूरा किया जाएगा है और तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है।

2. हमने निम्न पर भरोसा किया है :

क. प्रबंधन द्वारा एडवांस स्ट्रिपिंग, कोल एक्सपोज्ड, औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात विचरण आदि में तकनीकी डाटा प्रस्तुत किया जाता है। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले में विचरण मानक अनुपात और ओबीआर लागत के वर्तमान अनुपात का समायोजन शामिल है।

ख. खदान बंदी योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई है और खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के अनुछेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले, जहां तक लागू हो, पर अनुबंध -1 में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुबंध-1 में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम जैसा अपेक्षित है रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं।

ग. शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी की शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार के मामले को हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है।

घ. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खातों की पुस्तकों और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं।

ङ. हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जिसे इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (भा॰लेखा॰मा॰) का अनुपालन करते हैं ।

च. लेखापरीक्षक की टिप्पणी का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ. अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित रूप में कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

ज. कंपनी के पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता नहीं है।

झ. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध - 2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ञ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमें और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा कि इस रिपोर्ट में कहीं और संदर्भित किया गया है:

i. कंपनी ने टिप्पणी -38(1) में अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानक के तहत, सामग्री के लिए संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है;

iii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2021-22 के दौरान 1.76 करोड़ एवं 17.37 करोड़ रुपये की पुरानी बेदावा ईएमडी, एसडी, ग्राहक से अग्रिम आदि को वापस लिखा था, जो कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत परिपक्व जमा की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जैसा कि उक्त नियमों के पैरा 2 (सी)(xii) (सी) के तहत निर्दिष्ट के अनुसार, या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। उक्त राशि अभी तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत आवश्यक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई है। कंपनी इस पर विशेषज्ञ की राय ले रही है।

iv.

1. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं किया गया है। इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा।

2. प्रबंधन ने वर्णन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं किया गया है। इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा।

3. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त (1) और (2) के तहत प्रदान किया गया नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट संख्या-17 में वर्णित है :

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

ग. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित रूप में, हमने अनुबंध-3 और 3ए में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

कृते लालदाश एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 311147 ई

हस्ताक्षर का स्थान: बुर्ला

दिनांक: 28.04.2023

LAL D. & CO. Chartered Accountants FRN-311147 E ABSR

सनदी लेखाकार एस एस ब्रह्म

साझेदार

एम.सं.066706

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में लेखा बहियों और हमारे द्वारा जांचे गए अन्य अभिलेखों और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) क. क. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालांकि, कुछ संपत्तियों की स्थिति/स्थान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है और नई संपत्तियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ी जा रही है।

ख. कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है;

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर किसी भी भौतिक विसंगतियों को लेखा खाते में ठीक से निपटाया गया है। चौथी तिमाही के लिए अचल संपत्ति लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की फ्रीहोल्ड संपत्तियों का स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर है। अन्य भूमि के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उद्देश्य के लिए अधिग्रहित फ्रीहोल्ड संपत्तियों को बुक किया गया है, जिनमें से स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। मुख्यालय वाणिज्यिक के पास आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ पट्टा भूमि है, जिसके लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया जाना बाकी है। हालांकि, वित्तीय विवरण में सक्षम संपत्तियां थीं जिनके शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं। कंपनी के पास सक्षम संपत्ति के विवरण की अनुपलब्धता के कारण हम आदेश के खंड (i)(c) में निर्धारित प्रारूप में इसकी रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं। हालांकि राजपत्र अधिसूचना के बावजूद सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि कंपनी के नाम पर है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) क. प्रबंधन द्वारा त्रैमासिक आधार पर उचित अंतराल पर कोयले का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है और वर्ष के अंत में कोयले के अलावा अन्य इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है एवं और हमारी राय में इसके कवरेज और प्रक्रिया पर्याप्त पाई गई। वर्ष के दौरान सूची के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक में कोई विसंगति नहीं देखी गई।

ख. वर्ष के दौरान किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है; इसलिए, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ त्रैमासिक रिटर्न या विवरण भरना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी में निवेश किया है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण दिया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य संस्था को ऋण और गारंटी के रूप में अग्रिम प्रदान किया है:

(A) वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों को 84.92 करोड़ रुपये के ऋण की प्रकृति की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था, और सहायक कंपनियों को ऋण की प्रकृति में इस तरह के अग्रिमों के संबंध में तुलन पत्र की तारीख में 282.11 करोड़ रुपये की बकाया राशि;

(B) वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की कुल राशि रु.10.38 करोड़, और तुलन पत्र की तारीख पर शेष राशि रु. 614.32 करोड़ है, जो सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा पार्टियों को गारंटी के संबंध में है;

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार, सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर ऋण की अवधि के निकटतम सरकारी सुरक्षा की प्रचलित लाभ से अधिक होनी चाहिए। हालांकि, कंपनी ने तिमाही आधार पर सीआईएल द्वारा सूचित अल्पकालिक जमा की औसत लाभ की दर पर ब्याज लगाया है जिसे दिनांक. 25.09.2012 को आयोजित 142 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। ।

ग. ऋण के रुप में अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की कोई चुकौती अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए चुकौती की नियमितता उत्पन्न नहीं होती है।

घ. चूंकि ऋण के रुप् में अग्रिमों की कोई चुकौती अनुसूची नहीं है, इसलिए अतिदेय का प्रश्न ही नहीं उठता।

ङ. अति-देय राशि के पुनर्व्यवस्थापन के लिए वर्ष के दौरान ऐसा कोई और अग्रिम नहीं दिया जाता है।

च. कंपनी ने बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऊपर बताए अनुसार ऋण के रुप में अग्रिम प्रदान किया है। ऋण की कुल राशि रु. 84.92 करोड़ है जो कि दिए गए ऋण में कुल अग्रिम का 100% प्रतिशत है।

(iv) कंपनी द्वारा चालू खाते के माध्यम से सहायक को ऋण के रुप में अग्रिम के अलावा कोई निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन, उपरोक्त खंड (iii) (ख) में निर्दिष्ट ब्याज दर को छोड़कर कंपनी पर लागू नहीं है ।

(v) जैसा कि कंपनी द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया है या राशि जिसे जमा माना जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी के लिए लागू नहीं हैं। अनुबंध की प्रदर्शन अवधि

पूरी होने के बाद दावा न किए गए सुरक्षा जमा और ईएमडी के लिए और जिसके लिए कंपनी विशेषज्ञ राय मांग रही है, कंपनी ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार जमा की परिभाषा के तहत कवर की गई परिपक्व जमा की पहचान नहीं की है।

(vi) कंपनी द्वारा एक स्वतंत्र लागत लेखा परीक्षा किया जा रहा है एवं कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) और कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार हमने कंपनी द्वारा बनाए गए लागत लेखा परीक्षा की व्यापक रूप से समीक्षा की है।

(vii)

क. कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित है और उपयुक्त प्राधिकारियों को 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया कोई अन्य सांविधिक प्राप्य, नीचे दिए गए ब्यौरों को छोड़कर देय होगा:

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रुपये में)	राशि से संबंधित अवधि	भुगतान की तिथि	टिप्पणियां
बीओसीडबल्यू अधिनियम, 1996	बीओसीडबल्यू उपकर	23.53	2008-23	-	राशि का आंकलन अनुमानित आधार पर किया गया है

उपरोक्त राशि में से, कंपनी ने उनके देय होने की तारीख से छह महीने से कम समय से संबंधित निर्विवाद बीओसीडब्ल्यू उपकर की पहचान नहीं की है।

ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विवाद के कारण निम्नलिखित सांविधिक बकाया जमा नहीं किया गया है:-

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
लिंगराज						
4.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	0.52		1999-2000	सहायक आयुक्त, अनगुल
5.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	0.05		2003-2004	उच्च न्यायालय, ओडिशा
6.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	0.05		2004-2005	उच्च न्यायालय, ओडिशा
7.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.01		2007-08 से 2014-15	सहायक आयुक्त, अनगुल
8.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.05	0.43	2012-13	सहायक आयुक्त, अनगुल
9.	सीएसटी अधिनियम 1956	सीएसटी	0.01		1998-99	एसीसीटी, कटक II रेंज
10.	सीएसटी अधिनियम 1956	सीएसटी	0.00		2001-2002	आयुक्त कटक
11.	सीएसटी अधिनियम 1956	सीएसटी	0.16	0.03	2000-2001	आयुक्त कटक
12.	सीएसटी अधिनियम 1956	सीएसटी	0.01		2004-2005	एसीसीटी, कटक II रेंज
हिंगुला						
13.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,	Central Excise	161.63	0.46	10/03/2011 से 31/03/2015	उच्च न्यायालय, कटक
14.	1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	165.90		10/03/2011 से 31/03/2015	ट्रिब्यूनल, कोलकाता
15.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.31	0.25	2014-15 से 2015-16	आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर
16.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.15	0.02	2013 से 2016	आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर
17.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.19			सहायक आयुक्त, राउरकेला मंडल
18.	सीएसटी अधिनियम 1956	Sales Tax	0.58	0.55	1993-94	ट्रिब्यूनल

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
19.	सीएसटी अधिनियम 1956	Sales Tax	0.01		1995-96	अतिरिक्त अपील आयुक्त, कटक
20.	सीएसटी अधिनियम 1956	Sales Tax	0.04		2001-02	अतिरिक्त अपील आयुक्त, कटक
21.	सीएसटी अधिनियम 1956	Sales Tax	0.04		2003-04	अतिरिक्त अपील आयुक्त, कटक
22.	ओईटी अधिनियम 1999	Entry Tax	1.35		2003-04	अतिरिक्त अपील आयुक्त, कटक
23.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	23.73			पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
24.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2.88		2010	डीडीएमएस
25.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	17.53		अप्रैल 2020 से मार्च 2021	पुनरीक्षण प्राधिकरण,
कणिहा						
26.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	3.84		2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण,
27.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	8.37		2017-18	पुनरीक्षण प्राधिकरण,
28.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	11.02		2018-19	Revisional Authority,
29.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	11.21		2019-20	पुनरीक्षण प्राधिकरण,
30.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.02		2016-17 एवं 2017-18	सहायक आयुक्त, अनगुल
तालचेर						
31.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.16		2013-14, 2014-15	सहायक आयुक्त, अनगुल
32.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.06		2013-14, 2014-15	सहायक आयुक्त, अनगुल
33.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.73		March 2011 to Feb 2015	माननीय उच्च न्यायालय ओडिशा
34.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.01		2020	आयुक्त, भुवनेश्वर
35.	ओडिशा बिक्री कर	बिक्री कर	0.01		1998-99	सहायक आयुक्त बिक्री कर, कटक
36.	ओडिशा बिक्री कर	बिक्री कर	0.01		1993-94	एसटीओ, ढेंकनाल
37.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.05		19.03.2020	आयुक्त (लेखा परीक्षा), जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय
38.	ओडिशा बिक्री कर	ओडिशा बिक्री कर	0.001		2000-01	सहायक आयुक्त बिक्री कर, कटक
39.	ओडिशा बिक्री कर	ओडिशा बिक्री कर	0.18		1995-96	अपर आयुक्त, कटक
40.	एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियम	रॉयल्टी	0.25		2015-16	कोल ट्रिब्यूनल नई दिल्ली
41.	एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियम	डेड रेंट या सरफेस रेंट	0.10		2011-12	कोल ट्रिब्यूनल नई दिल्ली
42.	एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियम	रॉयल्टी	0.03		2009-10	कोल ट्रिब्यूनल नई दिल्ली

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
43.	एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियम	डेड रेंट या सरफेस रेंट	0.11		2009-10	कोल ट्रिब्यूनल नई दिल्ली
भरतपुर						
44.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.27	0.09	अप्रैल 11 से मार्च 15	आयुक्त अपील, भुवनेश्वर
45.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.18		अप्रैल 2016 से जून 2017	सहायक आयुक्त, अनगुल
46.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1.67		अप्रैल 11 से मार्च 15	माननीय उच्च न्यायालय ओडिशा
47.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.11		जून 2007 से मार्च 2012	सहायक आयुक्त, अनगुल
48.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	94.03		अप्रैल 2006 से फरवरी 2011	माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता
49.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.06		अप्रैल 2016 से जून 2017	सहायक आयुक्त, अनगुल
50.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.16		अप्रैल 2016 से जून 2017	उप निदेशक, डीजीसीआई, राउरकेला
51.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	80.29		2015-2021	पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय
52.	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	1.15		2021	उप निदेशक, खान
ईब-वैली						
53.	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	1.24	0.05	1.4.2005 से 30.11.2006	पुनर्मूल्यांकन झारसुगुडा में लंबित है
54.	ओडिशा वैट अधिनियम 2004	बिक्री कर	6.83		1.4.2006 से 30.6.2006	आयुक्त बिक्री कर कटक
55.	सीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	0.03	0.03	2009-10 एवं 2010-11	आयुक्त बिक्री कर कटक
56.	सीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	0.86	0.86	2013-14	आयुक्त बिक्री कर कटक
57.	सीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2.32	8.52	2014-15	आयुक्त बिक्री कर कटक
58.	सीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2.57	0.26	01-04-16 से 30-06-17	एसटीओ, झारसुगुड़ा
59.	ओडिशा वैट अधिनियम 2004	बिक्री कर	0.56	0.06	01-04-16 से 30-06-17	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त (अपील), प्रादेशिक रेंज, एसबीपी
60.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	8.43		मार्च'11 से मार्च'12	सीईएसटीएटी, कोलकाता
61.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	10.15		अप्रैल'12 से फरवरी'13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
62.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	7.94		मार्च'13 से दिसम्बर'13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
63.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	11.46		जनवरी'14 से दिसम्बर'14	सीईएसटीएटी, कोलकाता
64.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	2.44	0.02	जनवरी'15 से मार्च'15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
65.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	0.30	0.03	2013-14 एवं 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
66.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.02		2008-09	सीईएसटीएटी, कोलकाता

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
67.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.18		2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
68.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.03		2016-17 एवं 2017-18	आयुक्त अपील, भुवनेश्वर
लखनपुर						
69.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	49.76		2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
70.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	46.09		2011-12 से 2014-15	ओडिशा उच्च न्यायालय
71.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.90	0.07	2016-2017	सीईएसटीएटी, कोलकाता
72.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	119.83	0.00	2007-08 से 2016-17	कोल ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली
73.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.08	0.08	2016-2017, 2017-18	सीईएसटीएटी, कोलकाता
74.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.26	0.02	2022-23	सीईएसटीएटी, कोलकाता
ओरियंट						
75.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	10.13	0.25	2021	सीईएसटीएटी, कोलकाता
76.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.09	0.01	2014-15 & 2015-16	सेवा कर विभाग
77.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.01	0.01	2007-08	सेवा कर विभाग
78.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.08	0.01	01.01.13-31.03.15	सेवा कर विभाग
79.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.29		2015	कोयला न्यायाधिकरण
80.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.18		2015	कोयला न्यायाधिकरण
81.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.14		2019	कोयला न्यायाधिकरण
82.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.43		2020-21	कोयला न्यायाधिकरण
83.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण निकासी	696.21		2018	कोयला न्यायाधिकरण
बसुंधरा						
84.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	6.54	0.51	मार्च 2011 से मार्च 2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
85.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.03		वित्तीय वर्ष 2009-2012	आयुक्त (अपील)
86.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.31	0.03	2016-17	कोल ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली
87.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण निकासी	872.01		2014-15	कोल ट्रिब्यूनल
88.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	डेड रेंट या सरफेस रेंट	2.31		1998-2006	कोल ट्रिब्यूनल
89.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	25.09		2014-15	कोल ट्रिब्यूनल
90.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	11.20		2017-18	कोल ट्रिब्यूनल
91.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	11.95		2018-19	कोल ट्रिब्यूनल

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
92.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	16.42		2019-20	कोल ट्रिब्यूनल
महालक्ष्मी						
93.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण निकासी	50.97		2018-19	कोल ट्रिब्यूनल
94.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	0.06		2015-16	कोल ट्रिब्यूनल
95.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	4.73		2018-19	कोल ट्रिब्यूनल
96.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2.22		2018-19	कोल ट्रिब्यूनल
97.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2.47		2019-20	कोल ट्रिब्यूनल
जगन्नाथ						
98.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.27	0.22	1985-86	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
99.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.02	0.01	1987-88	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
100.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.01		1990-91	बिक्री कर अधिकारी
101.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.07	0.04	1991-92	बिक्री कर अधिकारी
102.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	1.24	0.25	1992-93	बिक्री कर अधिकारी
103.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	1.90	1.00	1993-94	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
104.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.04	0.03	1994-95	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
105.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.18	0.02	1995-96	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
106.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.08	0.03	1996-97	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
107.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.001		2001-02	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
108.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.15	0.11	2003-04	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
109.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.32		2005-2006	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
110.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	0.05	0.02	2004-05	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
111.	ओएसटी अधिनियम	बिक्री कर / वैट	0.01		1983-84	बिक्री कर अधिकारी
112.	ओएसटी अधिनियम	बिक्री कर / वैट	0.02		1989-90	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
113.	ओएसटी अधिनियम	बिक्री कर / वैट	0.01	0.01	1991-92	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
114.	ओएसटी अधिनियम	बिक्री कर / वैट	0.74	0.65	1992-93	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
115.	ओएसटी अधिनियम	बिक्री कर / वैट	0.01	0.01	2001-02	अतिरिक्त आयुक्त, कटक

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
116.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	1.89	0.20	2008-12	अतिरिक्त आयुक्त (अपील), कटक
117.	ओवीएटी अधिनियम, 2004	बिक्री कर / वैट	0.95	1.05	2009-11	अतिरिक्त आयुक्त (अपील), कटक
118.	ओईटी अधिनियम 1999	प्रवेश कर	1.32	0.09	2012-14	अतिरिक्त आयुक्त (अपील), कटक
119.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.07	0.21	2012-14	अतिरिक्त आयुक्त (अपील), कटक
120.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	5.93	0.32	2015-16	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
121.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.97	0.30	2016-17	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
122.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.06	0.11	2015	अतिरिक्त आयुक्त, अनगुल
123.	सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर / वैट	0.84	1.54	2014-15	अतिरिक्त आयुक्त (अपील), कटक
124.	ओईटी अधिनियम 1999	बिक्री कर / वैट	0.32	0.06	2015-17	जेसीसीटी, अनगुल
125.	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	314.92		2007-09, 2009-10,2012-13,2013-16,2018-19,2020-21	पुनरीक्षण प्राधिकरण
126.	आबकारी अधिनियम, 1985	उत्पाद शुल्क	70.82	1.10	2010-11 to 2014-15	सीसीई, भुवनेश्वर से पहले पहली अपील
127.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	91.18		2010-11 to 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
Commercial						
128.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	196.47	10.00	2017-18	माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता
129.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	31.64	2.37	जुलाई 2012 से 2016-17	माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता
130.	आयकर अधिनियम	आयकर	3824.94	1128.84	वार्षिक वर्ष 2019-20, वार्षिक वर्ष 2018-19, वार्षिक वर्ष 2017-18, वार्षिक वर्ष 2016-17, वार्षिक वर्ष 2015-16, वार्षिक वर्ष 2012-13	सीआईटी (ए), संबलपुर

क्र.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	लंबित राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
131.	आयकर अधिनियम	आयकर	3898.99	459.38	वार्षिक वर्ष 08-09, वार्षिक वर्ष 09-10, वार्षिक वर्ष 10-11, वार्षिक वर्ष 11-12, वार्षिक वर्ष 12-13, वार्षिक वर्ष 13-14, वार्षिक वर्ष 14-15, वार्षिक वर्ष 2015-16	उच्च न्यायालय, उड़ीसा
132.	सीजीएसटी अधिनियम 2017	ट्रान-1 क्रेडिट	0.55		जुलाई 2017 से मार्च 2018	आयुक्त जी.एस.टी

viii. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है।

ix. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23के दौरान ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड (ix) के तहत उप खंड (क) से (च) की आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन जुटाया है और न ही वर्ष के दौरान शेयरों/ऋणपत्र का कोई तरजीही आवंटन/निजी स्थानन किया है। इसलिए आदेश के खंड (x) के तहत उप खंड (क) और (ख) की आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi.

क. कंपनी ने 01.04.2008 से 31.03.2019 की अवधि के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) योजना के तहत विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के लिए एमसीएल की कोयले की बिक्री प्राप्ति का फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए 20 सितंबर, 2021 को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म नियुक्त की है। फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत उप खंड (क) से (ग) की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जिन्हें लागू लेखांकन मानकों के अनुसार उचित रूप से प्रकट किए गए हैं।

xiv.

क. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और यह इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

ख. हां, दिसंबर 2022 तक की लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया था;

xv. कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi.

क. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ख. कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है;

ग. कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है,

घ. चूंकि कंपनी सीआईसी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xvi) का उप खंड (घ) लागू नहीं होता है।

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला नहीं था।

xix. वित्तीय अनुपात के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता प्राप्त अपेक्षित प्राप्ति तिथि और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय

विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, हमारी राय है कि लेखा परीक्षा की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों;

xx.

क. उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग, वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के तहत अव्ययित कोई राशि शेष नहीं है जिसके लिए कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि को अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के तहत अपेक्षित एक विशेष खाते में उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर स्थानांतरित करना आवश्यक है।

कृते लालदाश एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 311147 ई

हस्ताक्षर का स्थान: बुर्ला
दिनांक: 28.04.2023





सनदी लेखाकार एस एस ब्रह्म
साझेदार
एम.सं.066706
UDIN: 23066706BGWJYK6600

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के साथ, हमने उस तिथि के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में की है।

मत

हमारी राय में, 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो कि "भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी प्रबंधन, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित ओवरराइड संचालन, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों का गलत विवरणों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है।

कृते लालडाश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN 311147E

हस्ताक्षर का स्थान:बुर्ला
दिनांक : 28.04.2023

सी.ए. एस. एस ब्रह्मा
सांझेदार
एम सं. 066706
UDIN: 23066706BGWJYK6600

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 3

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट ।

1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी ने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी को लागू किया है। कार्यनिष्पादनआय, मुआवजा आय और विलंबित भुगतान पर ब्याज आय की गणना प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय लेनदेन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, इसका खातों की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का वर्णन करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	कंपनी में छूट-पत्र/ उधार के बट्टे खाता /ऋण/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) को इसकी शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। 31.03.2023 तक बकाया राशि रु. 139.05 करोड़ है। उपरोक्त में से रु. 125.15 करोड़ आस्थगित आय के तहत दर्शाए गए हैं (नोट-22) एवं रु. 13.90 करोड़ के वर्तमान हिस्से को नोट-23 के 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के तहत दर्शाए गए हैं।

कृते लालडाश एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

FRN 311147E

हस्ताक्षर का स्थान:बुर्ला

दिनांक : 28.04.2023

सी.ए. एस. एस ब्रह्मा

सांझेदार

एम सं. 066706

UDIN: 23066706BGWJYK6600

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 3क

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट ।

1	क्या कोयले के स्टॉक की माप येलो बुक के आधार पर की गई थी। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था?	हाँ, येलो बुक के आधार पर किया गया है। भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में कंटूर मानचित्र/3डी टीएलएस के साथ किया गया है । वर्ष के दौरान सृजित नई हिप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने कंपनी के विलय/विभाजन/पुनर्संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के तहत हमें दी गई जानकारी के अनुसार भुवनेश्वरी क्षेत्र को जगन्नाथ क्षेत्र में मिला दिया गया है। विलय की तिथि को भुवनेश्वरी क्षेत्र से हस्तांतरित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन का लेखा परीक्षा प्रबंधन द्वारा किया जा चुका है। प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा संपत्ति का भौतिक सत्यापन भी कंपनी द्वारा किया जाता है।
3	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। खाते की निधि के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी खान-वार एस्क्रो खातों का रख-रखाव कर रही है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खान बंदी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹11.56 करोड़ की निकासी की थी।
4	क्या अवैध खनन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए दंड के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और इसका हिसाब लगाया गया है?	उप निदेशक खान के कार्यालय ने अनुमोदित पर्यावरण मंजूरी से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। यह दावा ₹11212.81 करोड़ का था। कंपनी ने इस तरह के दावे के खिलाफ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने ₹8297.77 करोड़ का दावा किया है और ₹2915.04 करोड़ की शेष राशि कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई है ।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	वित्त मॉड्यूल (मुख्यालय) के लिए कोलनेट से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा कोलनेट से एसएपी में वेंडर मास्टर के माइग्रेशन ऑडिट के लिए एक आंतरिक ऑडिटर नियुक्त किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है और एसएपी में अन्य मॉड्यूल की माइग्रेशन प्रक्रिया का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

कृते लालडाश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN 311147E

हस्ताक्षर का स्थान:बुर्ला
दिनांक : 28.04.2023

सी.ए. एस. एस ब्रह्मा
सांझेदार
एम सं. 066706
UDIN: 23066706BGWJYK6600

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") और उसकी अनुषंगी कंपनियों (कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलनपत्र में समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य समेकित आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (यहां "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) के सारांश सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के तहत पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा दिये गए आवश्यक जानकारी एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं जिसमें भारतीय लेखांकन मानक ('भा.ले.मा.') शामिल हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों के साथ पठित है तथा जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की समेकित स्थिति और समेकित लाभ (अन्य समेकित व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह के विवरण को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व :

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. गैर-कार्यकारियों का वेतन संशोधन NCWA-XI के अनुसार दिनांक 01.07.2021 से देय था तथा एमसीएल ने दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के प्रभाव हेतु प्रति कर्मचारी @ 19,100/ - प्रति माह प्रावधान किया है और वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति एनसीडब्ल्यूए समझौते और अन्य कारक पर विचार करते हुए गैर-कार्यकारियों के वेतन मुद्रास्फीति को 6.25% की दर से मान कर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रोजगार पश्चात लाभों और अन्य दीर्घकालिक लाभों के लिए भी प्रावधान किया गया है। (नोट 38.9 (आई) और (जे) देखें।
2. संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट- 38.9 (ओ) में संदर्भित के अनुसार एनटीपीसी, कनिहा ने अगस्त, 2020 से पहले की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड रेंज के भाग के लिए परिवहन शुल्क के 62.29 करोड़ रुपये के दावे पर विवाद किया है। एमसीएल और एनटीपीसी, कनिहा के बीच ईंधन आपूर्ति समझौते के खंड 8.2 की दलील लेते हुए उक्त मामले को एएमआरसीडी के समक्ष विवाद के समाधान के लिए सीआईएल द्वारा उठाया जाता है। हालांकि, वसूली की संभावना अनिश्चित होने के कारण कंपनी ने उक्त राशि के खिलाफ न तो कोई प्रावधान किया है और न ही एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा विवाद को वापस लेने की पुष्टि के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रदान किए हैं।
3. नोट- 38.2 (क)(i) में उल्लेखित रूप में इसके साथ दिए गए एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार, दिनांक 01.01.2022 से रेलवे, ओपीडब्ल्यूडी, सीएएमपीए, ओडिशा वन विभाग और तहसीलदार से प्राप्त सेवाओं पर आरसीएम के तहत जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में मतभेद है।
4. नोट- 38.9.(1) में संदर्भित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, जमा आधार पर ओपीडब्ल्यूडी द्वारा बांकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक मौजूदा सड़क के 2 लेन को 4 लेन तक चौड़ा करने के लिए काम का पूंजीकरण।
5. नोट-38.9.(के) में संदर्भित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा मांगे गए पुराने जल शुल्क के लिए प्रावधान किया है।
6. झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेलवे लाइन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 27.02.2023 को स्वीकृत बढ़े हुए माइलेज के रूप में कंपनी ने किसी भी आय को मान्यता नहीं दी है क्योंकि दर अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। (नोट संख्या -38.9 (पी) देखें)

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय देने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व के प्रकटीकरण और अन्य संबंधित शेष राशि की शुद्धता	हमने राजस्व लेखांकन मानक 115 के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल था जो निम्नानुसार हैः (i) अर्जित आधार पर मान्यता प्राप्त प्रदर्शन और मुआवजा आय से राजस्व का सत्यापन। (ii) पार्टियों के साथ सुलह पर सत्यापन क्योंकि एमसीएल की वार्षिक सुलह की नीति है जिसे लंबित पार्टियों के मामले में पूरा करने की आवश्यकता है।
2	प्राप्तियों की मान्यता, मूल्यांकन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की शुद्धता	हमने व्यापार प्राप्य शीर्ष के तहत बुक की जाने वाली प्राप्तियों की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण शामिल था जो निम्नानुसार हैः (i) बिक्री, प्राप्तियों/समायोजन और गैर-प्राप्तियों के लिए बनाए गए प्रावधानों/ और बहियों में उनके समायोजन की पहचान/मान्यता। (ii) खातों में दिखाई गई शेष राशि पर निर्भर क्योंकि कंपनी की नीति से परे कुछ पार्टियों के मामले में सुलह लंबित है।
3	एसएपी का कार्यान्वयन और कोलनेट से एसएपी में डेटा का स्थानांतरण।	एमसीएल ने 31 मार्च, 2021 की शेष राशि लेकर 01 अप्रैल, 2021 को एसएपी लागू किया था। हमने कोलनेट से एसएपी में शेष राशि के स्थानांतरण हेतु एफआई मॉड्यूल के लिए कंपनी द्वारा किए गए लीगेसी (परंपरागत) लेखापरीक्षा पर भरोसा किया है।
4	आकस्मिक देयताएं: कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिसके लिए अंतिम परिणाम का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण देनदारियां हो सकती हैं। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के प्रकटीकरण को समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.22 के साथ पठित नोट संख्या 38(2) में प्रस्तुत किया गया है। मुकदमों से जुडे2 जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को स्थापित करने हेतु निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों को उचित रूप से प्रदान नहीं करने पर जोखिम बढ़ सकता है या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	मुकदमों और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा लागू पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हम कंपनी/ इकाई की विधि और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह कहां लागू होती है। हमने कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में नोट किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की, ताकि कंपनी के किसी भी दायित्व की संभावना, परिमाण और लेखांकन के आकलन का निर्धारण किया जा सके। उपरोक्त के आलोक में, हमने आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई राशि की समीक्षा की और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने वृत्तिक निर्णय का प्रयोग किया है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हुए इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण विवरण गलत है; हमें उस तथ्य की सूचना शासन के प्रभारित को देने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ प्रभारित व्यक्ति और प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया गया है। कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन को दर्शाता है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव; संपत्ति की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि वे चालू संस्था के रूप में चल रहे एक लाभकारी कारोबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों का खुलासा करने एवं लेखांकन के आधार पर संस्थान का उपयोग करने, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखते हैं, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भी समूह की कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण सामग्री के गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करने के लिए हो, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगी जब यह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जाती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यवसाय संबंधी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान व्यवसाय संबंधी संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित घोषणाओं की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन की उपयुक्तता और लेखांकन के सतत मुद्दो के उपयोग के आधार पर तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के तहत यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के सतत मुद्दों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं,तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- घोषणा सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशों, पर्यवेक्षण और कार्य-निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

- हम अन्य मामलों के अलावा, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, के बारे में शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम शासन के प्रभारित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने के लिए सोचा जा सकता है।

शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कानून या विनियमन मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण न होने पर इन मामलों का वर्णन करते हैं या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले की चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों के प्रतिकूल परिणाम होने की अपेक्षा होगी।

अन्य मामले :

i. हमने चार अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक 560.12 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, 1.80 करोड़ की शुद्ध आय और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु (-)2.37 करोड़ की शुद्ध नकदी प्रवाह, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, को दर्शाती है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के 0.22 करोड़ रुपये के लाभ का हिस्सा भी शामिल है (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित के रूप में) जिसका हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों और घोषणाओं से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारे रिपोर्ट, जो उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ii. तुलनपत्र की तिथि में प्रदर्शित होने वाले शेष के लिए देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों से शेष राशि की पुष्टि प्रक्रियाधीन है।

iii. एचईएमएम उपकरणों के जीवंत उपयोग का तकनीकी मूल्यांकन समय-समय पर धारक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

iv. कंपनी ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के लिए परित्यक्त कंपनियों के साथ शेष राशि/लेन-देन की पहचान नहीं की है।

v. कंपनी ने दिनांक 31.03.2022 तक एमएसएमई लेनदारों के लिए रु. 2.23 करोड़ की बकाया राशि की पहचान की है।

vi. कंपनी के पास 102.36 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि है और उसका अधिकार-अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) कंपनी के नाम पर है, लेकिन उक्त संपत्ति कंपनी के खाते की बहियों में उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए सुलह की प्रक्रिया प्रगति चल रही है।

vii. कंपनी ने अचल संपत्तियों (कुछ संपत्तियों जैसे एचईएमएम और सड़क पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर), स्टोर और पुर्जों और आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए कोयले के अंतिम स्टॉक जैसी अपनी संपत्तियों पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है। हालांकि, कंपनी ने होल्डिंग कंपनी से बीमा के लिए एक नीति तैयार करने का अनुरोध करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के साथ बात की गई है।

viii. जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र की शेष राशि और 31.03.2023 को खातों की बहीयों में दर्शायी गई राशि का मिलान किया जाना बाकी है।

ix. कंपनी ने अनुमानित आधार पर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) उपकर प्रदान किया है और अंतिम देयता प्राप्त करना अभी बाकी है।

x. छूट प्राप्त आपूर्ति अर्थात् क्षतिपूर्ति से आय, मुआवजा आय, बीजी/ईएमडी की जब्ती से आय के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है क्योंकि इसे सरकार द्वारा अभी तक छूट प्राप्त आपूर्ति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

xi. एमसीएल की लेखा नीति के पैरा 2.14.5 के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है और यदि राशि की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है तो शुद्ध राशि को तुलनपत्र में रिपोर्ट किया जाता है। हालांकि, कंपनी ने उसी खदान के लिए बनाए गए फंड के साथ खदान बंदी देयता की भरपाई नहीं की है।

2. हमने भरोसा किया है:

क) एडवांस स्ट्रिपिंग, कोल एक्सपोज्ड, औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात विचरण आदि में प्रबंधन द्वारा तकनीकी डाटा प्रस्तुत किया जाता है। ओवरबर्डन लेखांकन के मामले मंत विचरण मानक अनुपात और ओबीआर लागत के वर्तमान अनुपात का समायोजन शामिल है।

ख) खदान बंदी योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गई है और खदान बंदी व्यय के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम विस्तार तक रिपोर्ट करते हैं:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का समेकित विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खातों की प्रासंगिक बहीयों के साथ अनुबंध के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं, जो इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

ड़) लेखा परीक्षकों की टिप्पणी का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

च) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित रूप में कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

छ) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **अनुलग्नक -1** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समेकित वित्तीय विवरण अपने नोट्स- 38(2) में समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं।

ii. समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण हानियों यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत आवश्यक रूप में प्रावधान किया गया है।

iii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान ग्राहकों से पुराने बेदावा ईएमडी, एसडी, एडवांस आदि के 1.76 करोड़ रुपये और 17.37 करोड़ रुपये वापस कर दिए थे, जो कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के तहत परिपक्व जमा की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उक्त नियमों के पैरा 2 (ग)(xii)(ग) के तहत निर्दिष्ट के अनुसार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए अब नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत आवश्यक राशि को अभी तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया है। कंपनी इस पर विशेषज्ञ की राय ले रही है।

iv.

1. कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम से) या इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करें ;

2. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि कंपनी द्वारा विदेशी संस्था("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

3. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऊपर (1) और (2) के तहत दिए गए नियम 11 (e) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई वास्तविक गलत विवरण शामिल है।

V. वित्तीय विवरण के नोट संख्या-17 में वर्णित रूप में :

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कंपनियों के लिए अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को शामिल किया जाना है, जिन पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्ट में सहायक कंपनियों एमसीआरएल और एमबीपीएल द्वारा किए गए नकद नुकसान को छोड़कर कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जो आदेश के खंड (xvii) के तहत रिपोर्ट की गई है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित रूप में, हमने कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक -2 और 2 क में एक विवरण दिया है।

कृते लालदाश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 311147ई

हस्ताक्षर का स्थान : बुर्ला
दिनांक: 28.04.2023

LAL D.A. & CO. Chartered Accountants FRN.311147 E ABSR

सीए एस एस ब्रह्मा
साझेदार
सदस्यता सं 066706
UDIN: 23066706BGWJYL3732

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने एमसीएल लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

मत

हमारी राय में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो "भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड के आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और स्थापित करने की धारक कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के संबंधित निदेशक मण्डल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव और कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित और अनुकूल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, आशंका और त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम और लेखापरीक्षा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर समयबद्ध प्रस्तुतीकरण शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करें। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों और लेखापरीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के बनावट और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रयोजन

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन देना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं: और

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन देना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण,नियंत्रण की अभिसंधि या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों में गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

कृते लालदाश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 311147ई

हस्ताक्षर का स्थान : बुर्ला
दिनांक: 28.04.2023

LAL D. & CO. Chartered Accountants FRN-311147 E BBSR

सीए एस एस ब्रह्मा
साझेदार
सदस्यता सं 066706
UDIN: 23066706BGWJYL3732

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताया जा सकता है।	आय और विलंबित भुगतान पर ब्याज आय की गणना के प्रसंस्करण को छोड़कर वित्तीय लेनदेन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, इसका खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एमसीआरएल को छोड़कर तीन सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कि लेखांकन लेनदेन अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं और एमसीआरएल के लिए कोई आईटी प्रणाली नहीं है और यह खातों की अखंडता को प्रभावित नहीं करेगी।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋण/उधार/ ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते मंह डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी में उधारों/ऋणों/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन और छूट/बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता) का उसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सड़कों और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि 139.05 करोड़ रुपये है। उपर्युक्त में से 125.15 करोड़ रुपये आस्थगित आय (नोट-22) के तहत दिखाए गए हैं और 13.90 करोड़ रुपये का वर्तमान हिस्सा नोट 23 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के तहत दिखाया गया है।

कृते लालदाश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 311147ई

हस्ताक्षर का स्थान : बुर्लाँ
दिनांक: 28.04.2023

सीए एस एस ब्रह्मा
साझेदार
सदस्यता सं 066706
UDIN: 23066706BGWJYL3732

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2ए

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

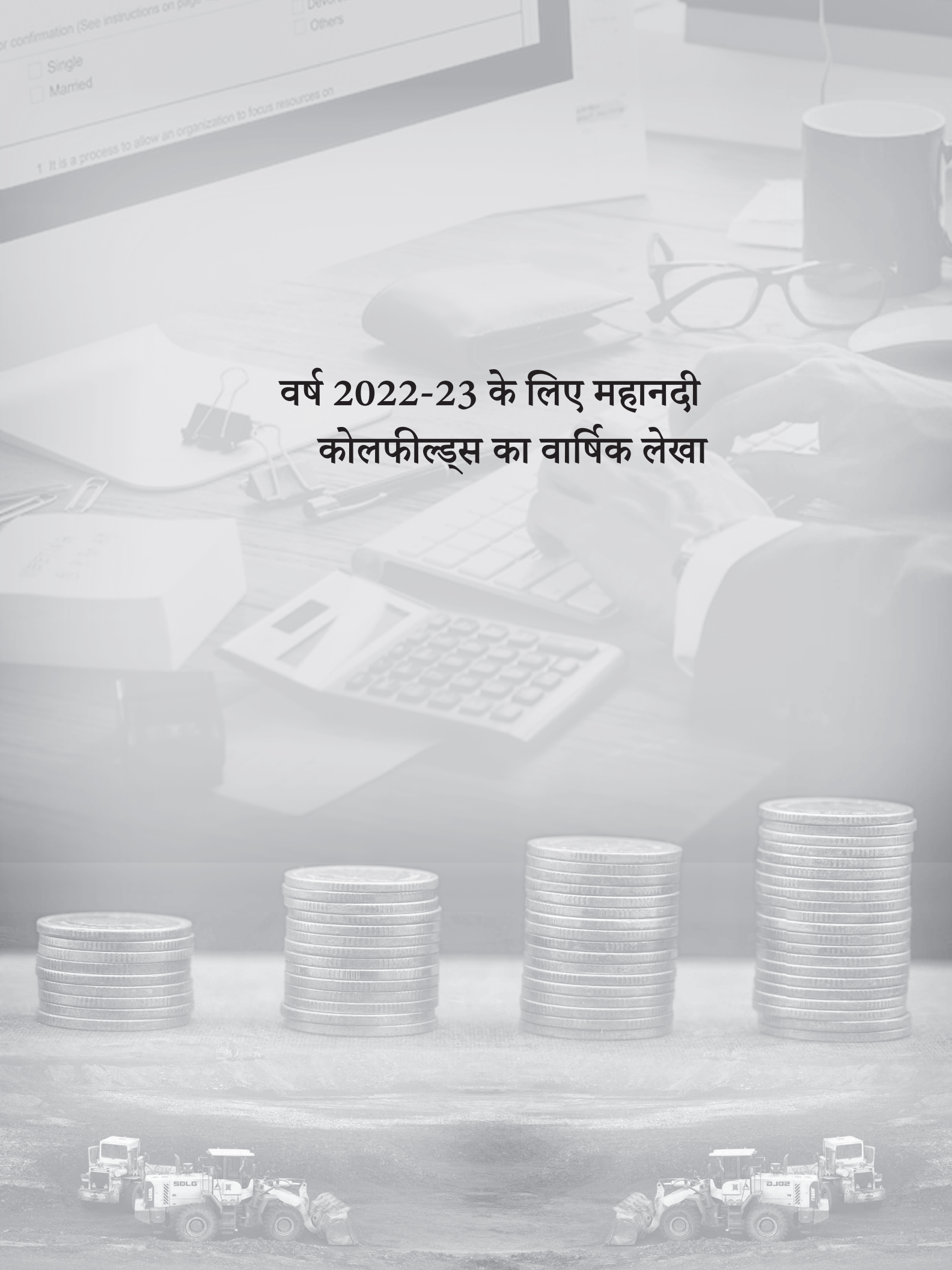
1	क्या कोयले के स्टॉक का माप यलो बुक के आधार पर किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	हां, यलो बुक के आधार पर किया गया है। भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र / 3 डी टीएलएस के साथ होती है। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान भुवनेश्वरी क्षेत्र को जगन्नाथ क्षेत्र में मिला दिया गया है। विलय की तिथि को भुवनेश्वरी क्षेत्र से हस्तांतरित संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का लेखा परीक्षा प्रबंधन द्वारा किया जा चुका है। प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा संपत्ति का भौतिक सत्यापन करने की भी कंपनी की प्रथा है।
3	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते रखे गए हैं। साथ ही खाते की निधि के उपयोग की जांच करें।	कंपनी खान-वार एस्क्रो खाता बनाए रखी है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खान बंदी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹11.56 करोड़ का आहरण किया था।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका लेखा-जोखा रखा गया है।	उप निदेशक खान के कार्यालय ने अनुमोदित पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। यह दावा ₹11212.81 करोड़ का था। कंपनी ने इस तरह के दावे के खिलाफ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने ₹8297.77 करोड़ के दावे को अलग कर दिया है और ₹ 2915.04 करोड़ की शेष राशि कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है।
5	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है?	वित्त मॉड्यूल के लिए कोलनेट से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा कोलनेट से एसएपी में वेंडर मास्टर के माइग्रेशन ऑडिट के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है और एसएपी में अन्य मॉड्यूल की माइग्रेशन प्रक्रिया का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

कृते लालदाश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 311147ई

हस्ताक्षर का स्थान : बुर्ला
दिनांक: 28.04.2023

LAL D. & CO. Chartered Accountants FRN-311147 E ABSR

सीए एस एस ब्रह्मा
साझेदार
सदस्यता सं 066706
UDIN: 23066706BGWJYL3732



वर्ष 2022-23 के लिए महानदी कोलफील्ड्स का वार्षिक लेखा

31.032023 तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं	दिनांक को 31.03.2023	31.03.2022
आस्तियां			
गैर चालू आस्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	11,174.81	9,938.35
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	4,302.10	3,244.24
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियां	5	132.05	101.88
(घ) अमूर्त आस्तियां	6.1	22.76	6.37
(ड़) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	6.2	-	6.35
(च) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	145.68	145.68
(ii) ऋण	8	1.20	1.20
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	1,456.47	1,295.29
(छ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		-	-
(i) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	1,660.89	969.15
कुल गैर चालू आस्तियां (क)		**18,895.96**	**15,708.50**
चालू आस्तियां			
(क) वस्तू सूची	12	985.10	988.20
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	1,069.88	3,476.73
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	1,636.92	1,040.90
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	71.49	983.11
(iv) अन्य बैंक शेष	15	18,005.08	11,776.50
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	642.86	707.30
(ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)		3,639.39	2,423.02
(घ) अन्य चालू आस्तियां	11	3,631.04	3,286.37
कुल चालू आस्तियां (ख)		**29,681.76**	**24,682.13**
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**48,577.72**	**40,390.63**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्वीटी शेयर पूँजी	16	661.84	661.84
ख) अन्य इक्विटी	17	12,646.18	7,550.71
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी		**13,308.02**	**8,212.55**
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्वीटी (क)		**13,308.02**	**8,212.55**

31.032023 तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं	दिनांक को 31.03.2023	31.03.2022
देयताएं :			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	3.92	4.31
(ii) पट्टा देयताएँ		2.35	2.29
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	842.16	654.35
(ख) प्रावधान	21	18,477.73	18,764.50
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		913.66	539.46
(घ) अन्य गैर चालू दायिताएँ	22	125.71	139.58
कुल गैर चालू दायिताएं (ख)		**20,365.53**	**20,104.50**
चालू देयताएं :			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	0.66	0.62
(ii) पट्टा देयताएँ		-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.23	1.55
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,589.08	1,464.78
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	4,182.11	2,930.70
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	7,620.49	7,206.12
(ग) प्रावधान	21	1,509.60	469.80
(घ) चालू कर देयताएं(निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		**14,904.17**	**12,073.58**
कुल इक्वीटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**48,577.72**	**40,390.63**

साथ में दी गई टिप्पणियां 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

कृते लालदास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 311147E

(सनदी लेखाकार एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

सजीव कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09712877

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन : 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : सम्बलपुर

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व			
क. विक्रय (निवल अन्य उगाही)	24	27,824.55	19,165.50
ख. अन्य संचालन राजस्व(निवल अन्य उगाही)		3,252.33	2,648.61
(I)संचालनों से राजस्व (क+ख)		**31,076.88**	**21,814.11**
(II) अन्य आय	25	1,599.23	1,161.40
(III) कुल आय (I+II)		**32,676.11**	**22,975.50**
(IV) व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	1,394.82	991.80
ब्यापार के लिए माल की खरीद		-	103.56
तैयार माल के बस्तुसूची में परिवर्तन/कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	27	43.57	181.53
कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	28	4,513.19	3,598.20
बिजली पर व्यय		164.60	163.27
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	195.68	181.62
मरम्मत	30	205.49	172.21
संविदात्मक व्यय	31	5,420.01	4,520.53
वित्तीय लागत	32	81.12	61.13
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि पर व्यय		860.93	723.86
प्रावधान	33	25.15	6.67
बट्टे खाते डालना	34	0.67	11.50
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(359.55)	(289.29)
अन्य व्यय	35	1,637.41	1,086.50
कुल व्यय (IV)		**14,183.09**	**11,513.08**
(V) संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV) के शेयर से पहले लाभ		**18,493.02**	**11,462.42**
(VI) संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) का हिस्सा			
(VI) अपवादात्मक मदें		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V-VI)		**18,493.02**	**11,462.42**
(VIII) कर संबंधी व्यय	36		
चालू कर		4,643.61	2,972.03
आस्थगित कर		374.20	9.89
कुल कर व्यय (VIII)		**5,017.81**	**2,981.92**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(IX) सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**13,475.21**	**8,480.50**
(X) संचालन अवरुद्ध होने से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) संचालन अवरुद्ध होने पर कर व्यय		-	-
(XII) संचालन अवरुद्ध होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		**13,475.21**	**8,480.50**
(XIV)अन्य व्यापक आय			
क (i) मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	60.48	(1.32)
(ii) I उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(15.22)	0.33
ख (i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		**45.26**	**(0.99)**
(XVI) वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (जिनमें अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**13,520.47**	**8,479.51**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		13,475.21	8,480.50
अनियंत्रित ब्याज		-	
		13,475.21	**8,480.50**
अन्य व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		**45.26**	**(0.99)**
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		45.26	**(0.99)**
कुल व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		13,520.47	8,479.51
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		13,520.47	**8,479.51**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी संचालन के लिए)):			
(1) मूलभूत		20,428.72	12,812.10
(2) तरलीकृत		20,428.72	12,812.10
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए):			
(1) मूलभूत		-	-
(2) तरलीकृत		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और सतत संचालन के लिए)::			
(1) मूलभूत		20,428.72	12,812.10
(2) तरलीकृत		20,428.72	12,812.10

संलग्न टिप्पणी 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते लालदास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 311147E

(सनदी लेखाकार एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

बोर्ड की ओर से

संजीब कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:
09712877

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन :
07627471

दिनांक : 28.04.2023

स्थान : सम्बलपुर

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2022 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 01.04.2022 तक पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2023 तक
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 66,18,363 इक्विटी शेयर	661.84	-	661.84	-	661.84

31 मार्च 2022 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2021 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 01.04.2021 तक पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2022 तक
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 66,18,363 इक्विटी शेयर	661.84	-	661.84	-	661.84

ख.अन्य इक्विटी

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01.04.2022 तक शेष	**44.29**	**3,036.32**	**4,568.59**	**(98.49)**	**7,550.71**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	13,475.21	45.26	13,520.47
अन्तरिम लाभांश	-	-	(7,400.00)	-	(7,400.00)
वित्तीय वर्ष 21-22 के अन्तरिम लाभांश	-	-	(1,025.00)	-	(1,025.00)
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	673.76	(673.76)	-	-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	**44.29**	**3,710.08**	**8,945.04**	**(53.23)**	**12,646.18**

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01.04.2021 तक शेष	**44.29**	**2,612.29**	**2,312.12**	**(97.50)**	**4,871.20**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	8,480.50	(0.99)	8,479.51
अन्तरिम लाभांश	-	-	(5,000.00)	-	(5,000.00)
वित्तीय वर्ष 20-21 के अन्तरिम लाभांश	-	-	(800.00)	-	(800.00)
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	424.03	(424.03)	-	-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	**44.29**	**3,036.32**	**4,568.59**	**(98.49)**	**7,550.71**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (जारी)

*वर्ष के दौरान लाभ में म्यूचुअल फंड में निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन शामिल है जो प्रकृति में काल्पनिक / अप्राप्त है और लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभ का विवरण नीचे दिया गया है:

	₹ करोड़
01.04.2021 तक शेष	6.21
वर्ष 2021-22 के दौरान योग	41.87
31.03.2022 तक शेष	48.08
वर्ष 2022-23 के दौरान योग	(43.92)
31.03.2023 तक शेष	4.16

पूँजी प्रतिदान रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष
इक्विटी शेयर का बायबैक	44.29	वित्तीय वर्ष 2018-19
कुल	**44.29**	

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी प्रतिदान रिजर्व में शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते लालदास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 311147E

(सनदी लेखाकार एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

बोर्ड की ओर से

संजीब कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09712877

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन : 07627471

दिनांक : 28.04.2023

स्थान : सम्बलपुर

नगद प्रवाह विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

		"31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए "	"31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए "
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ		18,493.02	11,462.42
के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) का शेयर		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		860.93	723.86
निवेश से आय		(1,199.16)	(633.38)
लाभांश आय		-	-
उचित मूल्य परिवर्तन		43.92	(41.87)
वित्तीय लागत		81.12	61.13
संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ (हानि)		(4.80)	(29.75)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया		(115.10)	(159.50)
बट्टे खाते डालना		-	11.42
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता		22.36	-
अन्य प्रावधान		2.79	6.67
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(359.55)	(289.29)
चालू/गैर चालू आस्तियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**17,825.53**	**11,111.71**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्य (प्रावधान का शुद्ध)		(596.02)	251.73
वस्तु सूची		3.10	115.32
ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय संपत्ति		(998.71)	(496.51)
वित्तीय और अन्य देयताएं		2,221.42	3,800.02
व्यापार देय		124.98	452.10
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**18,580.30**	**15,234.37**
आयकर (भुगतान किया गया)/ धनवापसी		(5,875.20)	(2,766.68)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(A)**	**12,705.10**	**12,467.69**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(2,523.79)	(2,921.15)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय		9.40	33.17
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में वृद्धि		(11.86)	(10.59)
बैंक जमा में आय/(निवेश)		(6,377.03)	(4,659.85)
म्युचुअल फंड, बांड आदि में आय / (निवेश)		2,362.93	271.12
शेयरों आदि में आय/(निवेश)		-	(28.97)
संयुक्त उद्यमों में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश से ब्याज		1,186.24	538.51
म्यूचुअल फंड से ब्याज / लाभांश		162.78	83.41
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(B)**	**(5,191.32)**	**(6,694.35)**

नगद प्रवाह विवरण (जारी)

		"31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए "	"31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए "
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
उधार में पुनर्भुगतान / वृद्धि		(0.36)	(0.73)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(0.04)	(0.05)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(8,425.00)	(5,800.00)
इक्विटी शेयरों में लाभांश पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(C)**	**(8,425.40)**	**(5,800.78)**
नकद और नकद समकक्ष (A +B +C) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		**(911.62)**	**(27.44)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		**983.11**	**1,010.55**
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**71.49**	**983.11**
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-14)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**71.49**	**983.11**
नकद और नकद समकक्ष (नकद और नकद समकक्ष के घटकों के लिए टिप्पणी- 14 देखें)		71.49	983.11
बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी-18) से		-	-

(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं।)

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते लालदास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 311147E

(सनदी लेखाकार एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

बोर्ड की ओर से

संजीब कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09712877

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन : 07627471

दिनांक : 28.04.2023

स्थान : सम्बलपुर

वित्तीय विवरण (स्टैंयडएलोन) के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर, ओडिशा में है, जिसे 3 अप्रैल, 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति और देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेल हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट-भट्ठे आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 2:महत्पूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

i. भारतीय लेखांकन मानक नियमावली, 2015, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भा. लेखा.मा.) के अनुसार, कंपनी (एसमीएल) का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

ii. मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है,सिवाय इसके कि

- कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें(
- परिभाषित लाभ योजना- संपत्ति योजना को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वस्तुसूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो)अनुच्छेद 2.21 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 2.2 चालू एवं गैर- चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है ,जब:

(क) अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

(ख) सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

(घ) आस्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को चालू में स्वीकार किया जाएगा, जब :

क) अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख) सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है ;

घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज हेतु हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कंपनी ने आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि यह आमतौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है :

चरण 1: अनुबंध की पहचान :

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है :

क) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं ;

ख) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है ;

ग) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ङ) यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है,यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है :

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान की जाने वाली तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय की गई वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: कार्य –निष्पादन दायित्वों की पहचान :

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रत्येक प्रतिबद्धता ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है कि :

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय आचरण व अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकल की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन- देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है :

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता ;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व ;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोष कों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है, अनुबंध के आरंभ में यदि वह अपेक्षा करती हो, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुएं या सेवाएं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के लिए भुगतान की जाती है ।

यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है तो कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण4: लेन-देन मूल्य का आवंटन :

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्सयचेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख) कंपनी का निष्पादन संपत्ति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है ;

ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है।जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं होता, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर

ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन केवल यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है ;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को हस्तांहतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा का स्वामित्व होता हैं
ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति:

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

एक प्राप्य राशि कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, जो शर्तहीन है (यानी, भुगतान से पूर्व केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)।

अनुबंध देयताऐं :

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते हैं (विचार की राशि बकाया है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय (जो भी पहले हो) होने पर एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब प्राप्ति निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप में मापन किया जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी तथा यह निश्चित हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की समन्वायोजन करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि को विवरणारुप में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य होते है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष" से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

यदि अनुबंध क्षतिपूर्ति के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है तो संविदा एक पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है ।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति (राइट-टू-यूज़ एसेट) और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जिसका उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम की या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात् राइट-टू-यूज़ एसेट को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को, पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद के विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रुप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - यदि पेटर्न का एक अन्य व्यवस्थित आधार अधिक प्रतिनिधिक नहीं होता जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है, तब परिचालन पट्टे से प्राप्त परिचालन भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

वित्तीय पट्टा एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्रय हेतु गैर-चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं उसे बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है।
- एक क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा

इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्न लिखित तथ्योंत का होना वांछित है।

क) व्याापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्यख जिसमें निर्यात शुल्कन तथा गैर-वापसी क्रय शुल्कय शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यनय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यापवश्योक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यावहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्यअ में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तकर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेंद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक मद को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऐसे अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित)	:	परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इंवेलिंग एसेट के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने हेतु चयन किया है

2.8 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसनिंग बाध्यताएँ –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तररोत्तर बढ़ोत्तारी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल खनन बंदी के प्रगामी खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियां में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार और वित्त अध्ययन का आयोजन ;

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत आस्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त आस्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन(उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त सम्पत्ति को पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चितकाल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है एवं लाभ तथा हानि के रूप में उसे मान्यता दी जाती है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) -

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पन्न करनेवाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)-

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पन्न करनेवाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) उत्पादन में उपयोग करने या वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए या व्यवसायों के सामान्य क्रम में विक्रय के बजाय किराये अर्जन या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए है, जिसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में संबंधित लेनदेन लागत सहित इसकी लागत पर, और जहां उधार लागत लागू हो, के अनुसार मापा जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी- रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति एवं वित्तीय देयता और किसी अन्य इकाई की इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपतियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्यो व्याणपक आय के माध्यम से उचित मूल्यर पर ऋणसाधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्य म से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- अन्यत व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं।

क) परिसंपत्तियों को व्यामपार मॉडल के अंतर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मंक नगदी प्रवाह का संग्रह करना है और

ख) परिसंपत्तियों के संविदात्मनक शर्तों के तहत नगदी प्रवाह की निर्दिष्टन तिथि पर भुगतान किए गए मूल एवं ब्या्ज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याकज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीहय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वी कार किया गया है।

2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्टु इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्ये क रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पीएंडएल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पीएंडएल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट कोई आईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्टह इंस्ट्रूमेंट :

डेब्टी इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर पीएंडएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन(ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्यृ पर मापा जाता है।

अन्यी सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तु त करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्टुमेंट दर इंस्टुतमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्टुगमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्टुमेंट पर सभी उचित मूल्यच में परिवर्तन हो जाता है। ओसीआई से पीएंडएल में, यहां तक कि निवेश की राशि में भी, कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थारनांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को पीएण्डकएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्यं पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को अंतरित कर दिया है या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है या तो :
  - (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या
  - (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को अंतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्टे इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के आधार पर इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्या पार तथा अन्य प्राप्य, ऋण और उधारसहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीउय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है,जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। व्यापार के लिए आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिव्स को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पीएंडएल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है ।प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्ती.य देयता की मान्यतता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व् का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। एक वित्तीय देयता (या एक वित्तीय दायित्व का हिस्सा) की अग्रणी राशि के बीच का अंतर समाप्त हो गया या किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया गया और भुगतान की गई किसी भी गैर-नकद संपत्ति को हस्तांतरित या ग्रहण की गई देनदारियों सहित, लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण :

कंपनी प्रारंभिक मान्यंता पर वित्तीाय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण साधन हैं, का पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में कम बदलाव होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी या तो ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है,जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं:-

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकनविधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।

एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पीएंडएल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना :

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समेकित तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14.6 नगद एवं नगद समकक्ष

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.15. उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यवय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ'' आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्योय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से अस्थाई अंतर उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे इस हद तक कम कर दिया गया है कि यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पा वधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) वे है जो वार्षिक प्रतिवेदन के अंत में बारह महीने से पूर्व निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें संबंधित कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं।

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्योता प्राप्तह होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं :

एक परिभाषित योगदान योजना एक पोस्ट-रोजगार लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 पारिभाषित योगदान योजनाएं :

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे कम भी किया जा सकता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियों के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनःमाप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओँ में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे वस्तुएं शामिल हैं जिसके निपटान की उम्मीाद वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है, के बारह महीने के पूर्व नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: मापन

2.18 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान खनन के मामलों में, खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। इस कचरे को हटाने की गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए खानों को राजस्व खाते में लाये जाने के बाद एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है -

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमेय सीमाएं (%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयला भंडार :

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना औसत भार पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। ऐसे स्टॉहक का मूल्यआशुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, माना जाएगा। कोक को कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला, कोक-फाइन कोयला के मूल्यस को कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर लगाया जाता हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) वाशरी के मिडलिंग्सू और उनके उत्पाद का मूल्य शुद्ध वसूली मूल्य पर लगाया जाता हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें अव्य वस्थित उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉ क की कीमत स्टोगर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/ड्रीलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3 अन्य वस्तुभ सूची

कार्य की प्रगति सहित कार्यशाला के कार्यों को लागत पर महत्व दिया जाता है॥ प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.22 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डाइल्यू टिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय- समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.23.1 निर्णय :

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्न फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता

1. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
2. न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाती है वरन लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाती है
3. तटस्थक है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
4. मितव्ययी, तथा
5. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. ढांचे में संपत्ति, देयताऐं, आय तथा व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

यदि कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं हैं तो दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों / चूक को महत्वहीन माना जाता है और उसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों के आधार पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव जब घटित होते हैं तब मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैरवित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो यह हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युहटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार विकास के तहत एक परियोजना के लिए अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.23.2.6 खान बंदी, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खान बंदी, साइट पुन: स्थापना और डीकमिशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करने हेतु छूट दरों, साइट पुन: स्थापना और निराकरण की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खान के जीवन के आधार पर डीसीएफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का अनुमान लगाती है:

- अनुमानित लागत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो कि समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	ठ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	ड.	बीसीसीएल	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड़.	जीएएपीई	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त	त.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	भा.लेखा.मा.	भारतीय लेखांकन मानक	थ.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	द.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज़.	पी एंड एल	लाभ एवं हानि	ध.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टिट्यूड लिमिटेड
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	न.	एनईसी	नॉर्दर्न ईस्टर्नकोलफील्ड्स
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प.	आईआईसीएम	इंडियन इन्स्टीट्यूड ऑफ कोल मेनेजमेंट
ट.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	फ.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	अन्य (सौर)	कुल
सकल वहन राशि :															
1 अप्रैल 2021 तक	30.36	5,606.19	353.33	869.21	2,000.91	32.08	299.67	28.08	26.51	25.29	261.62	36.49	1,124.36	-	10,694.10
जोड़	-	1,300.13	61.78	103.54	700.34	7.53	95.11	2.77	8.18	6.30	46.91	10.69	-	0.52	2,343.80
घटाव /समायोजन	(27.93)	19.18	(32.33)	7.00	(206.30)	(0.06)	-	(1.01)	(3.10)	(1.77)	7.44	(8.55)	-		(247.43)
31 मार्च 2022 तक	**2.43**	**6,925.50**	**382.78**	**979.75**	**2,494.95**	**39.55**	**394.78**	**29.84**	**31.59**	**29.82**	**315.97**	**38.63**	**1,124.36**	**0.52**	**12,790.47**
1 अप्रैल 2022 तक	2.43	6,925.50	382.78	979.75	2,494.95	39.55	394.78	29.84	31.59	29.82	315.97	38.63	1,124.36	0.52	12,790.47
जोड़	4.66	1,296.48	25.37	244.28	160.11	3.10	17.60	6.56	10.93	6.60	370.79	5.28			2,151.76
घटाव /समायोजन		(34.97)	(1.09)	(0.35)	(79.69)	(0.01)		(0.05)	(2.11)	(0.02)		(6.28)			(124.57)
31 मार्च 2023 तक	**7.09**	**8,187.01**	**407.06**	**1,223.68**	**2,575.37**	**42.64**	**412.38**	**36.35**	**40.41**	**36.40**	**686.76**	**37.63**	**1,124.36**	**0.52**	**14,817.66**
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल 2021 तक	-	903.79	168.45	173.46	741.88	24.83	97.31	12.10	12.09	14.54	76.11	18.17	224.06	-	2,466.79
वर्ष के लिए प्रभार	-	182.23	17.39	66.58	197.85	1.85	21.30	2.39	6.61	2.65	20.31	-	76.28	0.02	595.46
हानि	-	-	-	0.17	-	-	-	-	0.01		1.09	6.36	-		7.63
घटाव /समायोजन	-	(2.97)	-	-	(203.73)	-	-	(1.03)	(2.91)	(1.99)	-	(5.13)	-		(217.76)
31 मार्च 2022 तक	**-**	**1,083.05**	**185.84**	**240.21**	**736.00**	**26.68**	**118.61**	**13.46**	**15.80**	**15.20**	**97.51**	**19.40**	**300.34**	**0.02**	**2,852.12**
1 अप्रैल 2022 तक	-	1,083.05	185.84	240.21	736.00	26.68	118.61	13.46	15.80	15.20	97.51	19.40	300.34	0.02	2,852.12
वर्ष के लिए प्रभार		217.34	19.08	93.44	227.95	2.28	27.81	4.46	8.32	3.01	189.17		73.53	0.05	866.44
हानि				1.17	(0.11)					(0.01)	(0.04)	1.64			2.65
घटाव /समायोजन					(74.34)		2.75		(2.34)			(1.68)	(2.75)		(78.36)
31 मार्च 2023 तक	**-**	**1,300.39**	**204.92**	**334.82**	**889.50**	**28.96**	**149.17**	**17.92**	**21.78**	**18.20**	**286.64**	**19.36**	**371.12**	**0.07**	**3,642.85**

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरीडोर	अन्य (सौर)	कुल
सकल वहन राशि :															
31 मार्च 2023 तक	7.09	6,886.62	202.14	888.86	1,685.87	13.68	263.21	18.43	18.63	18.20	400.12	18.27	753.24	0.45	11,174.81
31 मार्च 2022 तक	2.43	5,842.45	196.94	739.54	1,758.95	12.87	276.17	16.38	15.79	14.62	218.46	19.23	824.02	0.50	9,938.35

1. कंपनी के नाम अचल संपत्तियों के शीर्ष कार्य शामिल नहीं हैं

संपत्ति की मदों का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर अधिकार में किए गए शीर्ष कार्य	क्या शीश कार्य धारक प्रमोटर, निर्देशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी या प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम में शामिल न करने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.09	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तिथियाँ	फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर, अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व विलेख कब्जे में हैं और जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं।
अन्य भूमि	8,187.01	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तिथियाँ	कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों को छोड़कर जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी शीर्ष कार्य अधिकार में हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं।

2. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि व्यवस्थापन अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं। कोयला धारक क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि को भूमि के स्वामित्व को उस सीमा तक स्थानांतरित करने की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, ओड़िशा सरकार भूमि व्यवस्थापन अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित अधिकार के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3. नोट 2.7 में उल्लिखित उपयोगी समय के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी समय के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

4. भूमि सुधार / स्थान पुनर्स्थापन लागत में विधिवत रूप से खदान बंद होने के कारण अनुमानित लागत शामिल होती है, जो मुद्रास्फीति के लिए (5% प्रतिवर्ष) तत्पश्चात 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

5. एकाउंट्स के लिए अतिरिक्त नोट्स नोट-38 के बिन्दु सं. 4(i) पर एकाउंट्स के लिए अतिरिक्त नोट्स में सक्षम संपत्तियों की सूची दी गई है।

6. सीआईएल से दिनांक 17.04.2017 को परिचालित समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

7. कंपनी ने इस अवधि के लिए ₹3.64 करोड़ मूल्यह्रास से परियोजना सियारमल ओसीपी में, सुभद्रा ओसीपी परियोजना में ₹14.14 करोड़ पूंजीकरण किया है और इस अवधि के दौरान एमसीआरएल की परियोजना विकास के चरण में हैं। खदान बंद करने के लिए उपयोग की गई संपत्तियों से संबंधित ₹ 7.1 करोड़ की मूल्यह्रास राशि को खदान बंद करने की प्राप्य राशि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :								
1 अप्रैल 2021 तक	310.72	699.54	200.55	891.38	0.52		-	2,102.71
जोड़	164.66	469.90	24.11	581.36	343.05	1.41		1,584.49
पूंजीकरण/विलोपन	(47.98)	(37.03)	(86.06)	(261.54)	87.06			(345.55)
31 मार्च 2022 तक	**427.40**	**1,132.41**	**138.60**	**1,211.20**	**430.63**	**1.41**	**-**	**3,341.65**
1 अप्रैल 2022 तक	427.40	1,132.41	138.60	1,211.20	430.63	1.41	-	3,341.65
जोड़	100.05	553.38	137.46	486.91	203.92	184.91	-	1,666.63
पूंजीकरण/विलोपन	(213.09)	(51.96)	(16.77)	(311.59)	(0.52)	(1.88)	-	(595.81)
31 मार्च 2023 तक	**314.36**	**1,633.83**	**259.29**	**1,386.52**	**634.03**	**184.44**	**-**	**4,412.47**
संचित हानि								
1 अप्रैल 2021 तक	3.41	12.75	0.12	1.19	-		-	17.47
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-		-	-
हानि	-	0.13	-	79.82	-		-	79.95
विलोपन /समायोजन	-	-	-	(0.01)	-		-	(0.01)
31 मार्च 2022 तक	**3.41**	**12.88**	**0.12**	**81.00**	**-**	**-**	**-**	**97.41**
1 अप्रैल 2022 तक	3.41	12.88	0.12	81.00	-		-	97.41
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-		-	-
हानि	12.72			0.24	-		-	12.96
विलोपन /समायोजन	-				-		-	-
31 मार्च 2023 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**81.24**	**-**	**-**	**-**	**110.37**
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च 2023 तक	**298.23**	**1,620.95**	**259.17**	**1,305.28**	**634.03**	**184.44**	**-**	**4,302.10**
31 मार्च 2022 तक	**423.99**	**1,119.53**	**138.48**	**1,130.20**	**430.63**	**1.41**	**-**	**3,244.24**

कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)
(a) कार्यशील पूंजी के लिए समय अनुसूची :

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	125.11	40.06	16.91	132.28	314.36
संयंत्र और उपकरण	334.81	537.69	97.60	663.73	1,633.83
रेलवे साइडिंग	96.43	18.24	72.39	72.23	259.29
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	677.94	461.70	77.95	88.07	1,305.66
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	-	612.36	21.67	-	634.03
सौर परियोजना	183.44	1.00	-	-	184.44
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।					
अन्य खनन अवसंरचना/विकास (जगन्नाथ भूमिगत, तलचर (पश्चिम) भूमिगत और नटराज भूमिगत)				80.86	80.86
कुल	**1,417.73**	**1,671.05**	**286.52**	**1,037.17**	**4,412.47**

(b) अतिदेय प्रगतिशील कार्य पूंजी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

	के भीतर पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष		2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं :					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					
बसुंधरा में आरसीसी स्वागत द्वार	0.11	-	-	-	
गर्जनबहाल में ई एंड एम कार्यशाला	2.05	-	-	-	
गर्जनबहाली में एचईएमएम कार्यशाला	0.01	-	-	-	
928 क्वार्टरों का निर्माण	65.01	-	-	-	
कुलदा वर्कशॉप से लालमा चौक तक ब्लैक टॉपिंग रोड	0.01	-	-	-	
928 क्वार्टरों का निर्माण	23.85	-	-	-	
1 नं ब्रिज का निर्माण	4.42	-	-	-	
श्रमिक छात्रावास का निर्माण	-	-	-	-	0.50
तामांडो (MICM) में प्रस्तावित MINREM के लिए भवन का निर्माण	-	125.26	-	-	
संयंत्र और उपकरण	**0.82**	**-**	**-**	**-**	**-**
वेस्को ओएच लाइन को 33/11 सबस्टेशन से पुलिस फांडी में स्थानांतरण		-	-	-	-
व्हील वाशिंग सिस्टम कुलडा		-	-	-	-
व्हील वाशिंग सिस्टम कुलडा		-	-	-	-
15 नो वेब्रिज		-	-	-	-
दुदुका चौक में स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था		-	-	-	-
रैपिड लोडिंग सिस्टम		-	-	-	-
SILO AOCP के लिए रेल कनेक्टिविटी के लिए FSR और DPR तैयार करना		1.03	-	3.43	-
ई-एनआईटी की तैयारी और जेओसीपी के 132/33केवी एस/एस का लागत अनुमान		-		-	261.96
भुवनेश्वरी सीएचपी/साइलो फेज-1		0.24			
रेलवे साइडिंग					
प्रस्तावित 02 नग आरएलएस के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास		55.68			
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
कोयला स्टॉक केओसी के साथ विंड बैरियर सिस्टम	1.46	-		-	
06 डब्ल्यूबी की स्थापना के लिए सिविल कार्य	0.86	-		-	
कुल्दा खदान, कोल स्टॉक के अंदर पीक्यूसी रोड	3.24	-		-	
बांकीबहाल से भेड़ाबहल तक फोर लेन कोल कॉरिडोर का निर्माण	-	432.50		-	
1 नो ब्रिज का कास्ट	3.51	-		-	
2 नो ब्रिज का कास्ट	16.01	-		-	
दुदुका से सुंदरगढ़ तक सड़क की मरम्मत।	9.01	-		-	-
तालचेर से पारादीप पोर्ट के बीच स्वचालित सिग्नलिंग	-	-		16.90	
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				-	-
झारसुगुड़ा से सरडेगा तक डबल लाइन	-			331.20	-
अन्य				-	-
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
नटराज भूमिगत :					
एयूसी -ओएमआई-पीएस	1.34				
एयूसी -ओएमआई	45.55				
ओएमआई	0.80				
अमूर्त संपत्ति (संशोधित परियोजना योजना की तैयारी)	0.22	-		-	-
	-	-		-	-
कुल	**183.13**	**614.47**		**351.53**	**262.46**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

नोट 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 तक	137.79
जोड़	10.59
पूंजीकरण/विलोपन	(46.50)
31 मार्च 2022 तक	**101.88**
1 अप्रैल 2022 तक	101.88
जोड़	11.86
विलोपन/समायोजन	18.31
31 मार्च 2023 तक	**132.05**
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
सकल वहन राशि:	
31 मार्च 2023 तक	**132.05**
31 मार्च 2022 तक	101.88

(a)अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के लिए समय वृद्धि अनुसूची

	... अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगतिशील :	22.40	35.73	4.74	69.19	132.05
ई एंड ई परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित :					
परियोजना का नाम					
कुल	**22.40**	**35.73**	**4.74**	**69.19**	**132.05**

(b) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति					
		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम year	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगतिशील :					
हिमगीर सेक्टर-1					5.79
मधुपुर					5.22
प्रजापरा					2.02
बैतरनी					0.01
गौतमधारा					0.01
कुल		-	-	-	**13.05**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

नोट 6.1: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त समनवेशी परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
शुद्ध वहन राशि				
1 अप्रैल 2021 तक	0.77	4.56	-	5.33
जोड़	1.76	-	-	1.76
पूंजीकरण/विलोपन	-	0.01	-	0.01
31 मार्च 2022 तक	**2.53**	**4.57**	**-**	**7.10**
1 अप्रैल 2022 तक	2.53	4.57	-	7.10
जोड़	20.15		-	20.15
विलोपन/समायोजन			-	-
31 मार्च 2023 तक	**22.68**	**4.57**	**-**	**27.25**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2021 तक	0.49	-	-	0.49
वर्ष के लिए शुल्क	0.24	-	-	0.24
हानि	-	-	-	-
हटाना/समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2022 तक	**0.73**	**-**	**-**	**0.73**
1 अप्रैल 2022 तक	0.73	-	-	0.73
वर्ष के लिए प्रभार	3.76			3.76
हानि				-
हटाना/समायोजन				-
31 मार्च 2023 तक	**4.49**	**-**	**-**	**4.49**
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2023 तक	**18.19**	**4.57**	**-**	**22.76**
31 मार्च 2022 तक	**1.80**	**4.57**	**-**	**6.37**

टिप्पणी 6.2 : विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 तक	-
जोड़	0.97
पूंजीकरण/विलोपन	5.38
31 मार्च 2022 तक	**6.35**
1 अप्रैल 2022 तक	6.35
जोड़	13.46
विलोपन/समायोजन	(19.81)
31 मार्च 2023 तक	**-**
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 6.2 : विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

1 अप्रैल 2022 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	-
31 मार्च 2022 तक	**6.35**

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(a) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए समय वृद्धि अनुसूची

	की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजना का नाम:					
विकास के तहत ईआरपी		-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
(शीर्ष (अर्थात कंप्यूटर आदि) नाम का उल्लेख	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम:					
कुल	-	-	-	-	-

(b) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
विकास के तहत ईआरपी		-	-	-	-
कुल		-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

गैर चालू निवेश	% धारिता	गैर चालू निवेश	
		31.03.2023	31.03.2022
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर			
"महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 64000000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 64000000 के शेयर)"	71.11% (71.11%)	64.00	64.00
""""महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 50000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 50000 के शेयर) """"	100% (100%)	0.05	0.05
"एमजेएसजे कोल लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 57060000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 57060000 के शेयर) "	60% (60%)	57.06	57.06
"""" एमएनएच शक्ति लिमिटेड ₹ 10 के शेयर के भुगतान से 24570000 शेयर (₹ 10 के शेयर के भुगतान से 24570000 के शेयर) """"	70% (70%)	24.57	24.57
कुल (A)		**145.68**	**145.68**
निवेश अन्य			
अन्य		-	-
कुल (B)		-	-
कुल योग(A)		145.68	145.68
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:		145.68	145.68
उद्धृत निवेश की कुल राशि:		-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य		-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:		-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 7 : निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

चालू	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	दिनांक को 1.03.2023	दिनांक को 31.03.2022
म्यूचुअल फंड निवेश				
एसबीआई म्यूचुअल-अल्ट्रा मैग्नम	1645893.141/ (1957737.14)	5158.42/ (4897.07)	849.02	958.72
एसबीआई म्यूचुअल - लिक्विड फंड	521659.375/ (5603251.94)	3523.30/ (3333.09)	183.80	1,867.61
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	32116.777/ (500.32)	2696.71/ 2527.90	8.66	0.13
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	26531.082/ (671.78)	2169.45/ 2032.67	5.76	0.14
बड़ौदा म्यूचुअल फंड	87221.661/ (733.48)	2595.47/ 2430.76	22.64	0.18
सुरक्षित बांड (उल्लेखित)में निवेश				
7.22 % सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त	0/ (4999)	1000100	-	499.95
7.22 % सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आरईसी कर मुक्त	**0/ (1500000)**	**1000**	-	150.00
कुल :			**1,069.88**	**3,476.73**
गैर-उद्धृत निवेशों का योग:			-	-
उद्धृत निवेश का कुल:			1,069.88	3,476.73
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			1,069.88	3,483.97
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी - 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब क्रेडिट	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 8 : ऋण (जारी)

	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	1.20	1.20
- असुरक्षित, अच्छा गया	-	
- खराब क्रेडिट	-	-
	1.20	1.20
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**1.20**	**1.20**

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
ऋणियों का प्रकार	**सकल राशि बकाया**	**कुल सकल ऋण का %**	**सकल राशि बकाया**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्षगण	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, अच्छा गया	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब क्रेडिट	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.01	-
- असुरक्षित, अच्छा गया	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब क्रेडिट	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
ऋणियों के प्रकार	**सकल राशि बकाया**	**कुल सकल ऋण का %**	**सकल राशि बकाया**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए नोट-समेकित

नोट - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
गैर चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	1.82	1.39
माइन क्लोजर प्लान के तहत बैंक में जमा	1,399.01	1,250.98
सुरक्षा जमा राशि	44.33	42.91
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	44.33	42.91
अन्य जमा और प्राप्तियां	11.47	0.16
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	0.16	0.16
	11.31	-
कुल	**1,456.47**	**1,295.29**

नोट :

खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के तहत बैंक जमा

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। इस तरह के एस्क्रो खाते पर ₹ 61.84 करोड़ (₹35.03 करोड़) के लिए अर्जित/उपार्जित ब्याज नोट -25 में प्रदर्शित बैंकों के पास जमा ब्याज आय में शामिल है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक प्रत्येक पांच वर्षों के बाद दिशानिर्देश के अनुसार समापन अवधि की आवधिक जांच के अनुरूप जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 21 देखें)।

एस्क्रो खाता शेष का समाधान	**31.03.2023**	**31.03.2022**
एस्क्रो अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस	1250.98	1119.04
जोड़ें: वर्तमान अवधि के दौरान जमा की गई शेष राशि	103.83	98.36
जोड़ें: अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	55.76	33.58
घटा: वर्तमान अवधि के दौरान निकाली गई राशि	11.56	-
अंतिम तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	**1399.01**	**1250.98**

वर्तमान		
होल्डिंग कंपनी/अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	282.11	186.19
घटाव : अनुषंगियों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	282.11	186.19
अर्जित ब्याज	65.74	215.60
अन्य जमा और प्राप्तियां	295.01	305.51
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
	295.01	305.51
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**642.86**	**707.31**

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें।
2. उपरोक्त अन्य जमा और प्राप्य राशि में उपदान के लिए ₹6.55 करोड़ की राशि शामिल है, जो बीमांकिक देयता से अधिक में वित्तपोषित है।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(i) पूंजीगत अग्रिम	**1,218.30**	**683.10**
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.60	0.60
	1,217.70	**682.50**
(ii) पूँजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	0.30	0.96
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
	0.30	0.96
(ग) प्रगतिशील खदान बंदी पर किया गया व्यय	442.89	285.68
कुल	**1,660.89**	**969.15**

नोट : सीसीओ द्वारा अनुमोदन के बाद इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले प्रगतिशील खान बंद का व्यय ।

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तीयां

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(a) वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	36.87	75.32
घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय राशि के लिए भत्ता	-	-
	36.87	75.32
(b) संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
(c) अन्य जमा और अग्रिम 1	2,002.51	2,040.27
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता	6.09	6.10
	1,996.42	2,034.17
(d) प्रगतिशील खान बंद करने का किया गया व्यय	98.01	33.00
(e) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	1,499.74	1,143.88
कुल	**3,631.04**	**3,286.37**

1. अन्य जमा और अग्रिम में विरोध के तहत जमा शामिल हैं :-आयकर ₹1588.23 करोड़ (₹ 1588.23 करोड़), बिक्री कर ₹ 17.23 करोड़ (₹ 17.06 करोड़), सेवा कर ₹ 3.27 करोड़ (₹ 3.02 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 2.98 करोड़ (₹ 2.98 करोड़), स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ 10.00 करोड़ (₹ 10.00 करोड़) .

2. अन्य अग्रिमों और जमाओं में ₹ 119.33 करोड़ (₹ 107.04 करोड़) अतिरिक्त सीएसआर राशि को आगे ले जाना भी शामिल है। [नोट 29 के तहत सीएसआर पर नोट देखें: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय] ।

3. सीसीओ द्वारा अनुमोदन के बाद इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले प्रगतिशी खान बंद का व्यय ।

4. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट - 12 : वस्तुसूची

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(a) कोयले का स्टॉक	757.55	806.98
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक	757.55	806.98
(b) स्टोर और स्पेयर का स्टॉक (निवल)	191.87	151.29
जोड़ें: स्टोर-इन-ट्रांजिट	-	-
स्टोर और स्पेयर का निवल भंडार	191.87	151.29
(c) केंद्रीय अस्पताल में औषधि भंडार	0.80	0.91
(d) कार्यशाला एवं पत्रकारिता के कार्य	34.88	29.02
कुल	**985.10**	**988.20**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या- 2.20 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।

टिप्पणी -13 : व्यापार से प्राप्य

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
चालू		
व्यापार से प्राप्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	1,636.92	1,040.90
क्रेडिट हानि	42.80	22.90
	1,679.72	1,063.80
घटाव : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	42.80	22.90
कुल	1,636.92	1,040.90

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें।
2. कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान और ₹17.40 करोड़ के कोयले पर नमी के लिए प्रावधान (पिछले वर्ष ₹110.63 करोड़ करोड़ की वृद्धि) द्वारा उपरोक्त व्यापार प्राप्तियों को घटाया गया है।

व्यापार प्राप्य बढ़ाने की अनुसूची

31.03.2023 के रूप में

विवरण	**लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
	6 माह से कम	**6 माह से 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया।	1,458.77	107.31	3.57	49.71	15.47	1,634.83
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि						-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया।	-	-	2.86	26.00	33.43	62.29
(v) कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता	106.86	18.77	(6.92)	(2.20)	(133.91)	(17.40)
(vi) अनुमानित पीआई / मुआवजा						-
कुल	1,565.63	126.08	(0.49)	73.51	(85.01)	1,679.72
बिल न चुकाया देय						
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता				12.80	30.00	42.80
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	0%	0%	0%	17%	-35.29%	2.55%

31.03.2022 के रूप में

विवरण	**लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
	6 माह से कम	**6 माह से 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया ।	822.31	34.62	49.8	0.55	22.99	930.27
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	-				22.90	22.90
(v) कोयला गुणवत्ता भिन्नता	145.58	60.57	(13.25)	(16.55)	(65.72)	110.63
कुल	967.89	95.19	36.55	(16.00)	(19.83)	1,063.80
बिल न चुकाया देय						

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी -13 : व्यापार से प्राप्य (जारी)

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						22.90	22.90
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%		0%	0%	0%	0%	-115%	2.15%

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समाधान		
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक संतुलन,सतह नमी प्रावधान	(110.63)	50.71
अवधि के दौरान जोड़	17.40	(110.63)
अवधि के दौरान उत्क्रमण	(110.63)	50.71
कोयले की गुणवत्ता विचरण का अंतिम संतुलन, सतह नमी प्रावधान	17.40	(110.63)

* कोयला गुणवत्ता नकारात्मक प्रसरण का अर्थ है शुद्ध प्राप्य।

अनुलग्नक - 12 के लिए नोट

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ लाख में)

(₹ करोड़ में)

तालिका:A

अवधि के अंत में बही स्टॉक के साथ खाते में अपनाए गए क्लोजिंग स्टॉक का मिलान

	सकल स्टॉक		नन वेंडेवल स्टॉक		वेंडेवल स्टॉक	
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
1. 01.04.22 को आरभिंक स्टॉक	163.39	80,698.28	-	-	163.39	80,698.28
2. अवधि में उत्पादन	1,932.62	27,77,522.92	-	-	1,932.62	27,77,522.92
3. उप कुल (1क+2)	2,096.01	28,58,221.20	-	-	2,096.01	28,58,221.20
4. अवधि के लिए ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,927.54	27,82,455.00	-	-	1,927.54	27,82,455.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) स्व खपत	0.01	10.84	-	-	0.01	10.84
कुल (क)	1,927.55	27,82,465.84	-	-	1,927.55	27,82,465.84
5. उत्पन्न स्टॉक	168.46	75,755.36	-	-	168.46	75,755.36
6. मापा गया स्टॉक	168.57	75,923.44	-	-	168.57	75,923.44
7. अंतर (5-6)	(0.11)	(168.08)	-	-	(0.11)	-168.08
8. अंतर का ब्रेक-अप :						
(क) 5% के अंदर अधिक	1.77	889.94	-	-	1.77	889.94
(ख) 5% के अंदर कमी	1.66	721.86	-	-	1.66	721.86
(ग) 5% से अधिक	-		-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी			-	-	-	-
9. अपनाया गया क्लोजिंग स्टॉक (6-8क+8ख)	168.46	75,755.36	-	-	168.46	75,755.36

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

अनुलग्नक - 12 के लिए नोट (जारी)

तालिका : B

अंतिम कोयला स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				नन वेंडेवल स्टॉक				Other Products		वेंडेवल स्टॉक	
	कोकिंग		नान -कोकिंग		कोकिंग		नान -कोकिंग					
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	163.39	80,698.28	-	-	-	-	-	-	163.39	80,698.28
5% से अधिक की कमी			-	-							-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (वेंडेवल)	-	-	163.39	80,698.28	-	-	-	-	-	-	163.39	80,698.28
उत्पादन	-	-	1,932.62	27,77,522.92	-	-	-	-	-	-	1,932.62	27,77,522.92
कोयले का क्रय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आफटेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,927.54	27,82,455.00	-	-	-	-	-	-	1,927.54	27,82,455.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्व खपत	-	-	0.01	10.84	-	-	-	-	-	-	0.01	10.84
(घ) क्रय किए गए कोयले का प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पन्न अंतिम स्टाक	-	-	168.46	75,755.36	-	-	-	-	-	-	168.46	75,755.36
घटाव : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त			-	-							-	-
अंतिम स्टॉक	-	-	168.46	75,755.36	-	-	-	-	-	-	168.46	75,755.36

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले का भौतिक रूप से स्टॉक का सत्यापित किया है। कुछ क्षेत्रों में भी बाहरी टीमों द्वारा सत्यापित किया गया है। बुक स्टॉक (खान / कोलियरीवार) पर +/- 5% के भीतर कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर मिली कमी / वृद्धि को लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है।

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(a) बैंक में जमा		
जमा खाते में	37.49	308.00
चालू खाते में		
-(सीएलटीडी खाता इत्यादि) सहित ब्याज	24.02	25.42
- गैर ब्याज वहन	9.82	23.55
नगद क्रेडिट खातों में	-	-
(b) भारत से बाहर बैंक खाता में शेष	-	-
(c)प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी	-	626.00
(d) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(e) उपलब्ध नगद	-	-
(f) अन्यई- प्रोक्योरमेंट खाता/जेम खाता/अदायगी राशि	**0.16**	**0.14**
कुल नकद और नकद समतुलय	71.49	983.11

1. नकद और नकद समकक्ष में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ नगद और बैंक में नकद जमा, स्वीप खाते और सावधि जमा शामिल हैं।
2.प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी 7 से 15 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-निगम जमा हैं।

इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) में निवेश का विवरण	31.03.2023	31.03.2022
एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	-	248.00
पीएनबी जीआईएलटीएस लिमिटेड	-	90.00
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज	-	288.00
	-	626.00

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट - 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	31.03.2022
बैंकों में जमा शेष राशि		
जमा	17,991.57	11,757.62
अन्य जमा - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए	13.51	18.88
कुल	18,005.08	11,776.50

रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर विशिष्ट उद्देश्यों और बैंक जमा के लिए जो नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है,अन्य बैंक बैलेंस में जमा शामिल हैं।

1. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा, न्यायालय के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धारणाधिकार के तहत रखी गई बैंक जमा राशियां हैं। - संदर्भ पं.4(e) का नोट 38

टिप्पणी- 16 : इक्वीटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	As at	
प्राधिकृत	**31.03.2023**	**31.03.2022**
प्रत्येक ₹1000 का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
(प्रत्येक ₹1000 का 77,58,200 इक्विटी शेयर)	775.82	775.82
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर	661.84	661.84
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर	**661.84**	661.84

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर

शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1000)	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्ति	6618363.00	100.00	-

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:-

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
31.03.2018 को शेष राशि	70,61,330	706.13
जोड़/(घटाव):इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद	(442967.00)	(44.30)
31.03.2019 को शेष राशि	66,18,363	661.84
जोड़/(घटाव):	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	66,18,363	661.84
जोड़/(घटाव):	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	66,18,363	661.84
जोड़/(घटाव):	-	-
31.03.2022 को शेष राशि	66,18,363	661.84
जोड़/(घटाव):	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	66,18,363	661.84

3. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी- 17 : अन्य इक्वीटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 के अनुसार शेष राशि	44.29	3036.32	4568.59	(98.49)	7550.71
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			13,475.21	45.26	13520.47
अंतरिम लाभांश			(7,400.00)		(7400.00)
वित्तीय वर्ष 21-22 का अंतिम लाभांश			(1,025.00)		(1025.00)
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		673.76	(673.76)		0.00
अवधि के दौरान समायोजन					0.00
31.03.2023 तक शेष राशि	44.29	3710.08	8945.04	(53.23)	12646.18
Balance as at 31.03.2022	**44.29**	**3036.32**	**4568.59**	**(98.49)**	**7550.71**

(₹ करोड़ में)

विवरण	"कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व"	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 के अनुसार शेष राशि	44.29	2612.29	2312.12	(97.50)	4871.20
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			8480.50	(0.99)	8479.51
अंतरिम लाभांश			(5000.00)		(5000.00)
वित्तीय वर्ष 20-21 का अंतिम लाभांश			(800.00)		(800.00)
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		424.03	(424.03)		-
अवधि के दौरान समायोजन					
31.03.2022 तक शेष राशि	**44.29**	**3036.32**	**4568.59**	**(98.49)**	**7550.71**

*वर्ष के दौरान लाभ में म्यूचुअल फंड में निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन शामिल है जो प्रकृति में काल्पनिक / अप्राप्त है और लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभ का विवरण नीचे दिया गया है:

	(₹ करोड़)
01.04.2021 तक शेष राशि	6.21
वित्त वर्ष 2021-20 के दौरान अतिरिक्त	41.87
31.03.2022 तक शेष राशि	48.08
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त	(43.92)
31.03.2023 तक शेष राशि	**4.16**

कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹करोड़ में))	वर्ष
इक्विटी शेयर का बायबैक	44.29	वित्त वर्ष 2018-19
कुल	**44.29**	

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी 18: उधार

(₹ करोड़ में)

	को 31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	3.92	4.31
कुल	**3.92**	**4.31**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	3.92	4.31
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से		
-बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
-बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	0.66	0.62
कुल	**0.66**	**0.62**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	0.66	0.62

टिप्पणी :

1. लिबहर, फ्रांस से 4 नग हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए बैंके नेशनेल डी पेरिस और नेटेक्सिस बांके के साथ क्रेडिट समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान परिपक्वता सहित 31.03.2023 (पुनर्भुगतान के बाद शुद्ध) पर बकाया ऋण ₹4.58 करोड़ है। (31.03.2021 के अनुसार ₹ 4.93 करोड़)।

शेष राशि का विवरण इस प्रकार है:-

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2022 को शेष राशि	5,86,170.06	4.93
अवधि के दौरान चुकौती	74113.58	0.63
ट्रांसलेशन अंतर		0.28
31.03.2023 को शेष राशि	5,12,056.48	4.58

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि ₹ करोड़ में	गारंटी का प्रकार
बैंक नेशनेल डी पेरिस और नेटेक्सिस बैंक, फ्रांस	3.92	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की है।

बैंके नेशनेल डी पेरिस और नेटेक्सिस बांके, फ्रांस, फ्रांस के संबंध में ₹ 0.66 करोड़ के लिए दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता की गारंटी भी ऊपर दी गई है।

पुनः भुगतान कार्यक्रम :

इस ऋण सुविधा के तहत 30 सितंबर, 2030 को पुन: भुगतान किया जाएगा ।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट- 19 :व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	को 31.03.2023	31.03.2022
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2.23	1.55
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अलावा	1,589.08	1,464.78
कुल	**1,591.31**	**1,466.33**

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि

a)	मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया है लेकिन वर्ष के अंत तक बकाया नहीं है	2.23	1.55
b)	वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
c)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि से परे) ।	-	-
d)	**वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष भुगतान**	-	-
e)	जब उपर्युक्त के रूप में शेष ब्याज का वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया गया हो उस तिथि तक आगामी वर्षों में भी देय और देय ब्याज।	-	-

व्यापाय देय की समय वृद्धि अनुसूची

31.03.2023 को

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 years**	**3 वर्ष से अधिक**		**कुल**
(i) एमएसएमई	2.23					2.23
(ii) अन्य	1,362.37	182.84	24.44	19.43		1,589.08
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई						-
(iv)विवादित बकाया - अन्य						-
कुल	1,364.60	182.84	24.44	19.43	-	1,591.31

बिना बिल का देय

31.03.2023 को

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 years**	**3 वर्ष से अधिक**		**कुल**
(i) एमएसएमई	1.55	-	-	-		1.55
(ii) अन्य	1,414.23	11.93	17.34	21.28		1,464.78
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-		-
(iv)विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-		-
कुल	1,415.78	11.93	17.34	21.28	-	1,466.33
बिना बिल का देय	-	-	-	-		-

नोट - 20 : अन्य वित्तीय दायित्व

गैर वर्तमान		
सुरक्षा जमा	842.16	654.35
अन्य	-	0.01
	842.16	**654.35**
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	19.73	-
सुरक्षा जमा	153.64	251.38
अग्रिम धन	64.48	56.83
पूंजीगत व्यय के लिए देय	3,332.82	2,133.21
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व	294.74	246.30
अन्य	316.70	242.98
कुल	**4,182.11**	**2,930.70**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को	
	31.03.2023	31.03.2022
गैर वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	0.00	-
अवकाश नकदीकरण	16.68	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	58.97	72.69
अन्य कर्मचारी लाभ	26.94	27.94
	102.59	**100.64**
अन्य प्रावधान		
साइट की बहाली/खान बंद करना[1]	1,028.35	957.52
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	17,346.79	17,706.34
अन्य	-	-
कुल	**18,477.73**	**18,764.50**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	2.55
अवकाश नकदीकरण	40.51	10.20
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	11.58	9.49
अनुदान	155.38	169.70
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	245.47	182.09
अन्य कर्मचारी लाभ	815.25	77.69
	1,268.19	**451.73**
अन्य प्रावधान		
अन्य	241.41	18.07
कुल	**1,509.60**	**469.80**

1.साइट के जीर्णोद्धार/खान बंद करने का प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान को बंद करने, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान। अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार खान बंद करने का खर्च प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट के प्रभाव में कमी ; वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय होता है । खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 9 देखें)

भूमि के पुनरूद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंद करने का मिलान :

	31.03.2023	31.03.2022
प्रारम्भिक तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	957.52	878.56
अन्य साइट बहाली प्रावधान को जोड़ना	13.26	14.02
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान को समाप्त करना	69.13	64.94
घटाव : अवधि के दौरान निकासी	11.56	0.00
खान बंद करने का प्रावधान	**1,028.35**	**957.52**

2. नोट 9 में अन्य जमा और प्राप्य शीर्ष के तहत ₹6.55 करोड़ की बीमांकिक देयता से अधिक उपदान निधि का खुलासा किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

नोट - 22 :अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	को 31.03.2023	31.03.2022
आस्थगित आय	125.15	139.06
अन्य	0.56	0.52
कुल	**125.71**	**139.58**

नोट: ₹13.90 करोड़ (₹13.90 करोड़) की आस्थगित आय का वर्तमान भाग नोट 23 (अन्य) में शामिल किया गया है।

नोट - 23 : अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ करोड़)

	को 31.03.2023	31.03.2022
वैधानिक शेष	1,409.19	1,430.95
ग्राहकों / अन्यों से अग्रिम	6,197.40	5,760.69
अन्य देनदारियां	13.90	14.48
कुल	**7,620.49**	**7,206.12**

नोट - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
A. विक्रय	41,918.77	30,557.39
घटाव : वैधानिक कर (लेवी)	14,094.22	11,391.89
बिक्री (निवल) (ए)	27,824.55	19,165.50
B.अन्य परिचालन राजस्व		
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,200.11	1,741.98
घटाव : वैधानिक कर(लेवी)	104.77	82.95
	2,095.34	1,659.03
निकासी सुविधा शुल्क	1,214.47	1,037.05
घटाव : वैधानिक कर(लेवी)	57.83	49.38
	1,156.63	987.67
सेवाओं से राजस्व	0.42	2.27
घटाव : वैधानिक कर(लेवी)	0.06	0.35
	0.36	1.92
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (बी)	**3,252.33**	**2,648.61**
संचालन से राजस्व (ए + बी)	**31,076.88**	**21,814.11**

1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत कार्य निसपादन प्रोत्साहन और प्रतिपूर्ति आय के रूप में ₹ 509.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 102.14 करोड़) शामिल हैं।
2. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और कोयले पर नमी के प्रावधान (रिवर्सल का शुद्ध) की राशि ₹ 130.62 करोड़ (PY ₹163.76 करोड़) तक बढ़ा दी गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी - 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय	1,036.38	782.54
म्युच्युअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	4.92	29.86
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	0.10
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	162.78	83.41
पट्टा किराया	8.13	5.87
दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया	115.10	159.50
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	(43.92)	41.87
विविध आय	315.84	58.24
कुल	**1,599.23**	**1,161.40**

1. ब्याज आय में आयकर रिफंड पर ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष ₹232.57 करोड़ तक) ब्याज शामिल है

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

विस्फोटक	657.19	384.80
लकड़ी	0.32	0.44
तेल और स्नेहक	540.32	446.11
एचईएमएम स्पेयर्स	115.15	95.66
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	81.84	64.79
कुल	**1,394.82**	**991.80**

टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगतिशील कार्य और व्यापार भंडार

कोयले का प्रारम्भिक भंडार	806.98	990.76
कोयले का अंतिम भंडार	757.55	806.98
A.कोयले की सूची में परिवर्तन	**49.43**	**183.78**
वर्कशॉप से तैयार माल का प्रारम्भिक भंडार, प्रगतिशील कार्य और प्रेस जॉब्स	29.02	26.77
वर्कशॉप से तैयार माल का अंतिम भंडार, प्रगतिशील कार्य और प्रेस जॉब्स	34.88	29.02
B. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	**(5.86)**	**(2.25)**
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ए+बी) { गिरावट / (अभिवृद्धि)}	**43.57**	**181.53**

टिप्पणी 28: कर्मचारी लाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ते और बोनस आदि सहित)	3,426.83	2,594.61
पीएफ में योगदान और अन्य फंड	811.10	807.49
कर्मचारी कल्याण व्यय	275.26	196.10
कुल	**4,513.19**	**3,598.21**

टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

सीएसआर व्यय	195.68	181.62
कुल	**195.68**	**181.62**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सीएसआर से संबंधित नोट्स

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
A. सीएसआर व्यय का गतिविधीवार विवरण(अतिरिक्त खर्च सहित):-	74.79	209.95
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	74.79	209.95
विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	55.77	12.66
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.90	0.61
पर्यावरण स्थिरता	4.30	6.56
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	10.78	1.50
सशस्त्र बलों के सिपाहियों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का हितलाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	11.40	0.11
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान विकास परियोजनाओं में योगदान	0.18	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	48.38	18.80
गंदी बस्ती का विकास	0.01	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1.46	1.57
कुल	**207.97**	**251.76**

B. सीएसआर खर्च करने की आवश्यकता और सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
(a) अवधि के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि	195.68	181.62
(b) अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय किए जाने वाली राशि	207.97	251.76
अवधि/वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	150.73	47.99
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	57.24	203.77
कुल	**207.97**	**251.76**

C. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और खर्च किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**2022-23**	**2021-22**
सीएसआर (व्यय सहित)	207.97	251.76
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त ले जाया गया/(उपयोग किया गया)।	12.29	70.14
जोड़ें: चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय		-
जोड़ें: चालू के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	-
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राशि	**195.68**	**181.62**

D. चल रही परियोजना के अलावा अन्य अव्ययित राशि [धारा 135(5)]		
	2022-23	**2021-22**
प्रारंभिक जमा	-	-
6 महीने के भीतर अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में जमा की गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-
जमा शेष	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सीएसआर से संबंधित नोट्स (जारी)

E.खर्च की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
2020-21	-	168.44	205.34	36.90
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33

नोट -11 के तहत अन्य अग्रिमों और जमाराशियों के लिए फुटनोट देखें: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

E. सतत परियोजना [धारा 135(6)] (वर्ष-वार)

वर्षवार विवरण		2022-23	2021-22
प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि		-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-
जमा शेष	कंपनी के साथ	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	-	-

सीएसआर व्यय की देयता का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	2022-23	2021-22
अवधि के दौरान जोड़	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
जमा शेष	0	0

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 30 : मरम्मतें		
भवन	149.98	108.98
संयंत्र एवं मशीनरी	54.00	61.29
अन्य	1.51	1.95
कुल	**205.49**	**172.21**
टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय		
परिवहन शुल्क:	2,233.43	1,816.75
वैगन लदाई	92.88	98.57
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	2,970.71	2,533.26
अन्य संविदात्मक कार्य	122.99	71.95
कुल	**5,420.01**	**4,520.53**
टिप्पणी- 32 : वित्तीय लागत		
ब्याज पर व्यय		
छूट की समाप्ति	81.08	61.08
अन्य उधार लागत	0.04	0.05
	81.12	**61.13**
टिप्पणी 33 : प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	22.36	-
संदिग्ध अग्रिम और दावे	-	-
स्टोर और स्पेयर	2.79	6.67
अन्य	-	-
कुल	**25.15**	**6.67**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निवल)

संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव :- पहले प्रदान किया गया	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	0.67	0.08
घटाव :- पहले प्रदान किया गया	-	-
	0.67	0.08
अन्य	-	11.42
घटाव :- पहले प्रदान किया गया	-	-
	-	11.42
कुल	**0.67**	**11.50**

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	25.20	12.36
प्रशिक्षण व्यय	8.30	3.16
टेलीफोन और इंटरनेट	24.86	25.09
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	7.95	4.85
भाड़ा प्रभार	-	0.01
विलंब शुल्क	6.83	6.09
सुरक्षा व्यय	122.02	108.02
सीआईएल का सेवा प्रभार	386.52	336.34
सीएमपीडीआईएल का परामर्श प्रभार	27.83	26.78
विधिक व्यय	6.24	6.47
परामर्श शुल्क	2.69	2.40
लदान शुल्क के तहत	86.81	110.24
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.12	0.11
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.19	0.19
कराधान मामलों के लिए	0.02	0.00
अन्य सेवाओं के लिए	0.17	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.02	0.13
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	2.85	2.68
पुनर्वास शुल्क	115.63	105.70
लीज रेंट और हायरिंग चार्ज	86.25	78.24
दरें और कर	428.72	31.22
बीमा	0.68	0.75
विनिमय दर विचरण पर हानि	0.28	-
बचाव/सुरक्षा हेतु अन्य व्यय	4.99	3.26
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	50.93	42.35
आर एंड डी व्यय	-0.19	0.35
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	39.35	33.22
दान, पुरस्कार और अनुदान	70.89	9.69
विविध व्यय	131.26	136.63
कुल	**1,637.41**	**1,086.50**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी 36: कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	4,643.61	2,972.03
स्थगित कर	374.20	9.89
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	**5,017.81**	**2,981.92**
भारत की घरेलू कर दर से गुणा कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	18,493.02	11,462.42
भारत की वैधानिक आयकर दर	4,654.32	2,884.86
घटाव : आय कर से छूट	13.39	16.08
घटाव: कर उद्देश्यों के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय	329.24	369.37
जोड़: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	331.91	472.62
जोड़: पिछले वर्ष के लिए समायोजन	-	-
जोड़: मैट प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
समायोजन: आस्थगित कर	374.20	9.89
लाभ और हानि के विवरण में सूचित आयकर व्यय	**5,017.81**	**2,981.92**
प्रभावी आयकर दर:	27.13%	26.01%
आस्थगित कर देयता निम्नलिखित से संबंधित है:		
A. आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	13.04	13.04
कर्मचारी लाभ	22.06	10.88
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	27.52	3.81
का कुल(A)	**62.62**	**27.73**
B. आस्थगित कर देयता:		
अचल परिसंपत्तियों से संबंधित	976.28	567.19
अन्य		0.00
का कुल (B)	**976.28**	**567.19**
C. निवल (A-B)	**(913.66)**	**(539.46)**
D.परिभाषित लाभ योजना का मापन		
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C+D)	**(913.66)**	**(539.46)**

टिप्पणी 37: अन्य व्यापक आय

(A) (i)मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	60.48	(1.32)
	60.48	(1.32)
(ii)उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	(15.22)	0.33
	(15.22)	0.33
कुल (A)	**45.26**	**(0.99)**
(B) (i)आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	
	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	-
	-	-
कुल (B)	-	-
कुल (A+B)	**45.26**	**(0.99)**

1.उपरोक्त ओसीआई में ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (15.50) करोड़), सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए ₹ 4.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.18 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

टिप्पणी -38 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अपरिचित मदें

a) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2021 के अनुसार प्रारम्भिक शेष	8,656.78	4,695.98	1.13	286.02	13,639.91
अवधि के दौरान जोड़	3,235.92	79.51	-	20.89	3336.32
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
a. प्रारम्भिक शेष से	2,814.27	234.54	1.13	100.52	3,150.46
b. अवधि के दौरान अतिरिक्त	0.13	-	-	4.07	4.20
31.03.2023 के अनुसार अंतिम जमा शेष	**9,078.30**	**4,540.95**	**-**	**202.32**	**13,821.57**

आकस्मिक देयता			
क्र.	**विवरण**	**31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	7,723.93	7,678.63
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	328.14	328.07
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	505.04	504.96
	केंद्रीय बिक्री कर		-
	सेवा कर	141.86	137.41
	अन्य	379.33	7.71
	उप कुल	**9,078.30**	**8,656.78**
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी	868.61	1,016.83
	पर्यावरण मंजूरी	2,915.04	2,914.96
	बिक्री कर/वैट	30.26	28.33
	प्रवेश कर	5.23	5.23
	बिजली शुल्क		-
	अन्य	721.81	730.63
	उप कुल	**4,540.95**	**4,695.98**
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	1.13
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है	-	-
	अन्य	-	-
	उप कुल	**-**	**1.13**
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि और अन्य	36.89	30.15
	कर्मचारी संबंधित और इत्यादि	165.43	255.87
	उप कुल	**202.32**	**286.02**
	कुल योग	**13,821.57**	**13,639.91**

नोट: सांविधिक लेखा परीक्षकों ने रेल कॉरिडोर के निर्माण और रेलवे साइडिंग के रखरखाव के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को किए गए भुगतान, सड़क के निर्माण के लिए ओपीडब्ल्यूडी को भुगतान, वन विभाग को ₹366.36 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि वृक्षारोपण के लिए भुगतान पर आरसीएम पर देय जीएसटी के संबंध में एक अवलोकन किया है। । ग्रुप ने स्वतंत्र जीएसटी विशेषज्ञों से राय ली है, जिसके अनुसार आरसीएम पर जीएसटी देय नहीं है। हालांकि वैधानिक लेखापरीक्षकों का विचार स्वतंत्र जीएसटी विशेषज्ञों से प्राप्त राय से मेल नहीं खाता है। समूह को जीएसटी अधिकारियों से उपरोक्त मामले के खिलाफ कोई मांग नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि वैधानिक लेखा परीक्षक के अवलोकन पर विचार करते हुए, ₹366.36 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) को उपरोक्त आकस्मिक देयता के तहत प्रदर्शित किया गया है क्योंकि पिछली घटनाओं के लिए एक संभावित दायित्व हो सकता है।

II. गारंटी

'31.03.2023 तक जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 614.33 करोड़ (₹ 608.55 करोड़) है

III.साख पत्र एवं आश्वासन पत्र

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार अनुसार बकाया साख पत्र ₹ शून्य (₹ शून्य करोड़) है और आश्वासन पत्र ₹ शून्य (शून्य) है।

(b) प्रतिबद्धताओं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए ₹ 5608.57 करोड़ (₹ 2386.07 करोड़) का प्रावधान नहीं किया गया ।

अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ 8334.49 करोड़ (₹ 3799.60 करोड़)।

(C) आकस्मिक संपत्तियां

(1) विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि की किस्तों के भुगतान में विलम्ब हेतु ₹367.94 करोड़ की ब्याज राशि (जीएसटी को छोड़कर) का सरकार से दावा किया गया। हालांकि, उपभोक्ताओं द्वारा ब्याज की गणना के तौर-तरीकों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

2) वर्ष 2011-2014 के लिए 7.56 करोड़ रुपये का प्रदर्शन प्रोत्साहन उन उपभोक्ताओं के लिए कम राशि के लिए लिया जा रहा है जो वर्तमान में व्यापार संवाद में नहीं हैं। उक्त उपभोक्ता जब भी एमसीएल के साथ व्यापार में आएंगे उनसे इसकी वसूली की जाएगी।

2. अधिकृत पूंजी

	31.03.2023	31.03.2022
₹1000/- प्रत्येक के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
10% संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक के 20,41,800 शेयर(शीघ्रातिशीघ्र मोचन की शर्तों के अनुसार भुनाया गया)	204.18	204.18

3. संबंधित पार्टी की जानकारी

A. समूह सूचना

i)	अनुषंगी कंपनियां	अनुषंगी कंपनियां	निगम का स्थान	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2023	31.03.2022
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला उत्पादन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला उत्पादन	भारत	60.00%	60.00%
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

ii) पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड और अन्य ट्रस्ट

1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड

2) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

3) कोल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ निधि ट्रस्ट

4) गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना संशोधित

5) सीआईएल कार्यकारी निर्धारित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री ओ. पी. सिंह	सीएमडी	01.01.2022
	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.09.2016 - 22.08.2022
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018 - 31.07.2022
श्री ए के बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022
श्री जुगल बोरह	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	19.04.2022
	निदेशक (तकनीकी-ओपी)	23.11.2022
श्री एस के पल	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	01.12.2021 - 19.04.2022
श्री के.राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री एस के बेहेरा	कंपनी सचिव	15.11.2021 - 25.04.2022
श्री सोभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री एस.एन तिवारी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.12.2019 - 30.04.2022
श्री विनय रंजन	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	12.05.2022 - 23.08.2022
श्री नागराजु मड्डीराला	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	17.03.2020 - 22.02.2023
श्री एस मोहन	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्री देबाशीष नंदा	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.08.2022 - 27.01.2023
डॉ. आशा लकड़ा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	27.01.2023

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़)

क्र.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	2.72	1.93
	रोजगार पश्चात लाभ	0.00	0.24
	अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00
	समाप्ति लाभ	0.45	0.14
ii)	शेयर आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुल	**3.17**	**2.31**

टिप्पणी :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर के भुगतान पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़)

क्र.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठने की फीस	0.06	0.06

(vi) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पास बकाया शेष राशि

(₹ करोड़)

क्र.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	देय राशि	निरंक	निरंक
ii)	प्राप्य राशि	निरंक	निरंक

(vii)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। और न ही कोई फर्मों या निजी कंपनियों से व्यापार या अन्य प्राप्य देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

B. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, अनुषंगी कंपनियों द्वारा निर्धारित निधि पर ब्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय मानक लेखांकन 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित घोषणा हैं:

i) अनुषंगी कंपनियाँ

31.03.2023 के अनुसार शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	भुगतान किया गया लाभांश	परिसंपत्ति / स्टोर सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा निर्धारित निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्तियां	शेष राशि (देय)/ प्राप्तियां
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.07)		0.27		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				0.02				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.55				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.01				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				2.13		(0.36)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.36)				
सीएमपीडीआईएल								(45.27)
कोल इंडिया लिमिटेड	386.52	115.63	8,425.00				(19.73)	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(1.54)		29.78	

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	भुगतान किया गया लाभांश	परिसंपत्ति / स्टोर सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा निर्धारित निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्तियां	शेष राशि (देय)/ प्राप्तियां
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड					(10.91)		245.70	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड					(0.07)		1.40	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.27)		5.23	
कुल	**386.52**	**115.63**	**8,425.00**	**2.28**	**(12.79)**	**(0.09)**	**262.38**	**(45.27)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या क्रेडिट बैलेंस को दर्शाते हैं।

अन्य में एसईसीएल - वर्कशॉप मरम्मत शुल्क और ईसीएल के लिए - एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्क शामिल हैं

31.03.2022 को बकाया राशि और उसके बाद की अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	भुगतान किया गया लाभांश	परिसंपत्ति / स्टोर सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा निर्धारित निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्तियां	शेष राशि (देय)/प्राप्तियां
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				-		0.23		
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				(0.03)				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				-				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.19)				
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.30)		(1.92)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.51)				
सीएमपीडीआईएल				-				(33.00)
कोल इंडिया लिमिटेड	336.34	105.70	5,800.00				0.95	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(0.99)		28.02	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड				(54.13)	(4.63)		151.34	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड					(0.17)		1.08	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.03)		4.93	
कुल	**336.34**	**105.70**	**5,800.00**	**(55.16)**	**(5.82)**	**(1.69)**	**186.32**	**(33.00)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

* एमसीआरएल को संपत्तियों के हस्तांतरण में भूमि की बिक्री के लिए ₹32.07 करोड़ और बलराम-अंगुल रेल लाइनों पर राइट्स द्वारा निष्पादित कार्यों के हस्तांतरण के लिए ₹22.06 करोड़ शामिल हैं।

*एमसीएल ने चालू खाता शेष राशि से स्थानांतरित करके एमसीआरएल के आगे के इक्विटी शेयरों में ₹ 63.97 करोड़ का निवेश किया है और शेयरों को तदनुसार आवंटित किया गया है।

** एमएनएच शक्ति लिमिटेड ने ₹85.10 करोड़ की मौजूदा शेयर पूंजी से ₹50 करोड़ की पूंजी घटाकर ₹35.10 करोड़ कर दी है। तदनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड में धारित इक्विटी पूंजी के प्रतिशत के आधार पर एमसीएल को ₹ 35.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

अन्य में एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्कों के लिए ईसीएल के डेबिट मेमो के लिए 0.23 करोड़ रुपये और एसईसीएल को वर्कशॉप डेबिट के लिए 1.92 करोड़ रुपये शामिल हैं।

c. सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन

क्रमांक.	विवरण	टिप्पणी संख्या	रूपये (₹ करोड़ में)
	लाभ और हानि का विवरण		
1	पूंजीगत व्यय	3	23.85
2		4	45.56
3		5	-
4		6.1	-
5		6.2	-
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	35	29.83
7	पर्यावरण व्यय	35	39.51
8	आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	35	0.10
	तुलन पत्र		
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय	20	13.96
2	व्यापार देनदारियां	19	31.31
3	तुलन पत्र के अन्य प्रमुख		

d. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश शेयर रखती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सामान्य घोषणा आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है और नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज हैं।

4. विविध जानकारी

(a) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(b) Recent accounting pronouncements

नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, MCA ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। संशोधन निम्नानुसार हैं:"

भारतीय लेखांकन मानक 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखा नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। समूह को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखांकन मानक 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को अलग करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 8 में संशोधन शामिल किए हैं। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखांकन मानक 12 -आय कर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को कम कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेट अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। समूह को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(c) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम) का निर्माण

"कंपनी ठेकेदार एम/एस एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अनुमानित कुल मूल्य के साथ एक संस्थान 'एमसीएल प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था। हालांकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति दे दी है। एमओयू को 09.01.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए फिर से वैध किया गया है और उपरोक्त काम 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। सचिव, एमओसी द्वारा 04.08.2021 को दी गई समय-सीमा के अनुसार एनबीसीसी ने 15 दिनों में काम फिर से शुरू नहीं किया था। कई पत्रों के बाद, एनबीसीसी को पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर यानी

12.10.2021 को काम शुरू करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन की समाप्ति की सूचना एनबीसीसी को 05.01.2022 को दी गई है।

शेष कार्य के लिए पीएमसी का कार्य सीएमपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 द्वारा सौंपा गया है।

कंपनी ने 31.03.2023 तक संस्थान के निर्माण पर ₹121.27 करोड़ खर्च किए हैं।

कंपनी ने फानी चक्रवात और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के लिए ₹ 12.72 करोड़ की हानि का आरोप लगाया है। इसके अलावा मामला विवाद के अधीन है, 11वां और 12वां आरए बिल मौजूदा मोबिलाइजेशन अग्रिम के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित है।"

(d) **भूमि बलियापंडा मौजा, पुरी**

बलियापंडा मौजा, पुरी में ₹0.94 करोड़ की 5 एकड़ जमीन (चारदीवारी के लिए जमा सहित) पुरी नगर पालिका से 99 साल की लीज अवधि के साथ लीज के रूप में ली गई है। 01.04.1996 हालांकि, तहसीलदार पुरी ने अपने कार्यालय मेमो नं, 7206 दिनांक 21.08.2004 को एमसीएल, भुवनेश्वर को एक प्रति के साथ कलेक्टर पुरी को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त क्षेत्र "स्वेट वाटर ज़ोन" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार द्वारा आवास और शहरी विकास विभाग में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उक्त भूमि स्वेट वाटर जोन के अंतर्गत आती है, तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक भू-किराया उपकर के साथ स्वीकार किया है। आगे डी (पी), एमसीएल ने पत्र सं. 4707 दिनांक 08.01.2019, ने कलेक्टर, पुरी से स्टॉल परियोजना शुरू करने के लिए वैकल्पिक भूमि जल्द सौंपने का अनुरोध किया। भूमि के वैकल्पिक पैच आवंटन के लिए दिनांक 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को पत्र लिखा गया है। इसके बाद, उप महाप्रबंधक एमसीएल और सीएम (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने राय दी कि भूमि नगर पालिका द्वारा गलत तरीके से एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और पूर्व में नगर पालिका, पुरी के पास जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने धनवापसी या नगर पालिका, पुरी के साथ वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

(e) न्यायालय, विभिन्न सरकार के निर्देश के अनुसार ₹ 15.33 करोड़ (गत वर्ष- ₹ 20.27 करोड़) का जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) बनाया गया है। प्राधिकारी और टिप्पणी -15 और टिप्पणी -9 के तहत दिखाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए। विवरण नीचे दिए गए हैं:

टिप्पणी-15- ₹13.51 करोड़

i. अदालत के आदेश के अनुसार, सावधि जमा में वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के विरुद्ध वसूले गए मूल्य अंतर के विरुद्ध किए गए ₹ 7.21 करोड़ शामिल हैं।

ii. सावधि जमा में मैसर्स आईआरसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ किए गए ₹ 0.26 करोड़ शामिल हैं।

iii. मी/एस श्री महावीर फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार 2015 की रिट याचिका संख्या 3109 के अंतिम परिणाम तक।

iv. सावधि जमा में माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश के खिलाफ किए गए ₹1.47 करोड़ शामिल हैं, अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना है।

v. बैंक के पास क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ की बैंक जमाराशि रखी गई है, जिसे हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते के विरुद्ध जल बांध प्रभाग के पक्ष में गिरवी रखा गया है।

vi. लिलारी नाले से निकासी के लिए समझौते के निष्पादन के लिए टीडीआर के रूप में बैंक जमा ₹ 0.02 करोड़।

vii. ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मैसर्स उत्कल राजमार्गों के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 1.32 करोड़ की बैंक जमा राशि

viii. अधिशासी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रमंडल, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 0.10 करोड़ की बैंक जमा राशि।

ix. अधिशासी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रमंडल, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 1.42 करोड़ की बैंक जमा राशि।

x. एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टी ए एम बी ए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक जमा में ₹ 1.07 करोड़ शामिल हैं।

टिप्पणी-9- ₹1.82 करोड़

i. कार्यपालक अभियंता, मुख्य बांध प्रमंडल, बुर्ला के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में रू0 0.37 करोड़ जमा किये गये
ii. मैसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर की बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में ₹1.00 करोड़ जमा किए गए
iii. ₹0.05 करोड़ अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रमंडल, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में जमा
iv. ₹ 0.02 करोड़ अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई खण्ड के पक्ष में FDR के रूप में जमा कराया गया।
v. ₹0.16 करोड़ अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रमंडल, बुर्ला के पक्ष में एफडीआर के रूप में जमा कराए गए
vi. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.02 करोड़ जमा किए गए
vii. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.02 करोड़ जमा
viii. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.02 करोड़ जमा
ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.09 करोड़ जमा
ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.02 करोड़ जमा
ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.03 करोड़ जमा
ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में एफ़डीआर के रूप में ₹0.02 करोड़ जमा

(f) एमसीएल में, 23 खुली खदानें और 13 भूमिगत खदानें हैं, जिनमें से 4 खुली खदानें और 9 भूमिगत खदानें गैर-उत्पादक हैं और 4 खुली खदानें विकास के अधीन हैं:-

गैर-उत्पादक खदानों की सूची:-

क्र सं	खदानों का नाम	गैर-उत्पादक न होने के कारण
1	छेंदीपदा ओसीपी	खदान बंद होने के कारण ।
2	लिलारी ओसीपी	संचालन की अनुमति 31.03.2018 तक थी
3	दक्षिण बलंदा ओसीपी	कोयला भंडार के समाप्त होने के कारण
4	बसुंधरा पूर्व ओसीपी	सभी कोयले की निकासी के कारण खदान बंद है।
5	हिमगीर रामपुर कोलियरी भूमिगत	यह खदान 27.05.2013 से बंद है और परित्याग का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन परित्याग के लिए डीजीएमएस की मंजूरी आज तक नहीं मिली है।
6	ओरिएंट भूमिगत खदान संख्या -04	विकास पैच की अनुपलब्धता के कारण 02.07.2017 से उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II वन मंजूरी की कमी के कारण कोई डिपिलरिंग अनुमति नहीं है।
7	ओरिएंट भूमिगत खदान संख्या -03	गिरे हुए कोयले की सफाई का कार्य पूरा होने के कारण दिनांक 01.04.2021 से उत्पादन बंद कर दिया गया है।
8	तालचेर खुलि खदान	डीएमएस, भुवनेश्वर द्वारा नोटिस संख्या- 010686/बीबीआर-डीएच/सीओ-6/नोटिस-22ए (1)/2015/4562 द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 22ए (1) का अनुपालन न करने के कारण कोयले का खनन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान कार्यकारी जिला) में तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और सीएमआर-2017 के प्रावधान के अनुसार, पंजीकरण संख्या - 158(3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
9	देउलबेरा भूमिगत	अधीक्षण अभियंता के नोटिस के रूप में उत्पादन बंद करना पड़ा, कि पानी नहर के दाहिनी तट में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे दिनांक 19.07.2006 से खनन कार्य चल रहा था |
10	हुंडीधुआ भूमिगत	16.09.1998 से भारी नुकसान के कारण उत्पादन बंद हो गया है।
11	तालचेर पश्चिम भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में यूजी प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है
12	जगन्नाथ भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में यूजी प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है
13	नटराज भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में यूजी प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है

विकसित खदाने की सूची:-

क्र.	विकसित खदाने
1	सियारमल ओ.सी.पी
2	बसुंधरा पश्चिम (विस्तार) ओसीपी
3	सुभद्रा ओ.सी.पी
4	बलभद्र ओसीपी

(g) खान निदेशक, उड़ीसा ने आदेश क्रमांक. एमएक्सएल(जी)-01/2022 6002/डीएम दिनांक 16.07.2022 और एमसीएल को रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी पर अर्जित संबंधित देय राशि के साथ चालू माह के लेनदेन से ग्रेड स्लिपेज के लिए क्रेडिट नोट्स में रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के समायोजन के लिए अनुमति दी है। जुलाई 2022 के महीने से महीने दर महीने के आधार पर। संबंधित डीई के साथ सुलह की प्रक्रिया चल रही है। खान निदेशक दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2022 की अवधि हेतु। सुलह प्रक्रिया पूरी होने के बाद रॉयल्टी, एनएमईटी और डीएमएफ पर क्रेडिट नोट जारी करने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के लिए ₹312.79 करोड़ (एमसीएल द्वारा राज्य प्राधिकरण के साथ प्रस्तुत) क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जारी किया जाए।

(h) वित्त वर्ष 22-23 से प्रभावी कुछ अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन शुल्क में ₹1.85 करोड़ की वृद्धि की गई है।

(i) सक्षम संपत्तियां

क्र सं	संपत्ति का विवरण	संपत्ति का वर्ग	टिप्पणी	राशि (₹ करोड़ में)
1	बरपाली से झारसुगुड़ा तक रेलवे लाइन	रेल कॉरीडोर	3	1,122.54
2	बांकीबहल से कनिका तक 4 लेन कोल कॉरिडोर	अन्य खनन अवसंरचना	3	235.47
3	बांकीबहाल से भेड़ाबहल तक कोल कॉरिडोर रोड	अन्य खनन अवसंरचना	4	432.50
4	ट्रांसफार्मर लाइन सीईओ, वेस्को	संयंत्र और उपकरण	3	2.31
5	ट्रांसफार्मर लाइन सीईओ, वेस्को	संयंत्र और उपकरण	3	0.43
6	33 केवी सबस्टेशन का निर्माण	संयंत्र और उपकरण	3	0.51
7	01 NO (100/5)एएमपी मीटिंग यूनिट की स्थापना	संयंत्र और उपकरण	3	0.02
8	तालचर से पारादीप बंदरगाह तक ऑटो-सिग्नलिंग प्रणाली	रेलवे साइडिंग	4	66.8
9	बलंदा में केवी के सामने के हिस्से का फेस लिफ्टिंग	इमारतों	3	1.86

(j) अन्य

i. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक समझे गए, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ii. नोट – 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23 31.03.2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा है और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा है नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

5. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

(a) श्रेणी के द्वारा वित्तीय साधन

	31.03.2023		31.03.2022	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीपीएल
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		-		649.95
म्युचुअल फंड	1,069.88		2,826.78	
ऋण		1.20		1.20
जमा और प्राप्य		2,099.33		2,002.59
व्यापार प्राप्तियां* *		1,636.92		1,040.90
नकद और नकद समकक्ष		71.49		983.11
अन्य बैंक बैलेंस		18,005.08		11,776.50
वित्तीय देनदारियों				
उधारी		4.58		4.93
व्यापार देनदारियां		1,591.31		1,466.33
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		1,060.28		962.55
लीज देयताएं		2.35		2.29
अन्य देनदारियां		3,963.99		2,622.50

* व्यापार प्राप्य से कम की गई कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता।

** ** अनुषंगियों की इक्विटी शेयरों में निवेश को उस लागत पर मापा जाता है जो 31-03-2023 (₹145.68 करोड़ 31-03-2022) को ₹145.68 करोड़ है जो ऊपर शामिल नहीं है।

(b) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (ए) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (बी) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियां	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ़वीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश:				
म्युचुअल फंड/आईसीडी	1069.88	-	2,826.78	-

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य 31.03.2023 को प्रकट किए गए हैं	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश :		-		649.95
सुरक्षित बांड		1.20		1.20
ऋण		2,099.33		2002.59
जमा और प्राप्य		1,636.92		1,040.90
व्यापार प्राप्तियां*		71.49		983.11
नकद और नकद समकक्ष		18,005.08		11776.50
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देनदारियों		4.58		4.93
उधारी		1,591.31		1466.33
व्यापार प्राप्तियां		1,060.28		962.552
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		2.35		2.29
लीज देयताएं		3,963.99		2622.504
अन्य देनदारियां				

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार अंतिम निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जिसका एक सक्रिय बाजार में व्यवसाय नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करता है और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करता है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(c) उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(e) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध को वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदार से प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक का उद्देश्य कंपनी के हित की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और नकद जोखिम के लिए संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी

के वरिष्ठ प्रबंधक को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देते है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई उजागर होती है और वित्तीय विवरणों में इकाई जोखिम प्रबंधन के तरीको को तथा उसके निवारण को उजागर करती है ।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है	"समय अभिवृद्धि का विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग"	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियां
नकग जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो आईएनआर में मूल्यवर्गित नहीं हैं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रवृत्त की गई है । बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त नकद निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

मुख्य रूप से प्राप्तियां कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ग्राहकों या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए के साथ कार्य करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य बिजली उपयोगिता क्षेत्र सहित निजी बिजली, बिजली उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक ("आईपीपीएस");
- गैर-ऊर्जा उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपीएस") सहित); तथा
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, उनके पूर्ण आवंटन से कम के कारण एनसीडीपी के तहत मानक आवश्यकता, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। प्रत्याशित क्रेडिड हानि के लिए प्रावधान: कंपनी आजीवन प्रत्याशित क्रेडिड हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ऋण बाधित आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्तियां का संदर्भ देखे।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण आकलन और निर्णय

उपरोक्त उद्धृत वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के संबंध में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, वर्तमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय करती है।

B. नकद जोखिम

मितव्ययी नकद जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है । अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकद स्थिति (अनारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथाओं और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार ज़ोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम, भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की नीति होती है कि जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

b) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर, जोखिम ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकद प्रवाह ब्याज दर जोखिम को प्रकट करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

D) पूंजी प्रबंधन

एक सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	661.84
लंबी अवधि के ऋण	3.92	4.31

7 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय मानक लेखांकन -19)

निर्धारित लाभ योजनाएं

a) ग्रेच्युटी

कंपनी योग्य कर्मचारियों को कवर करते हुए ग्रेच्युटी, रोजगार के बाद निश्चित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटा है। परिभाषित लाभ दायित्व कीगणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। अवलोकन समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

b) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनीकी सीआईएलऔरउसकी अनुषंगीकंपनियों(सीपीआरएमएसई)केअधिकारियोंऔरउनकेजीवनसाथीकोकंपनीअस्पताल/पैनलमेंशामिलअस्पतालों या आउट पेशेंट / भारत में अधिवासी अस्पतालों में मेडिकेयर प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना है जिसे अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा निकाल देने पर या सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है। सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है, कुछ निर्दिष्ट बीमारियों में कोई ऊपरी सीमा नहीं है । इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित किया जाता है।

C) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

मजदूरी समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों और उनके पति/पत्नी और कंपनी अस्पताल में दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यपालकों के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है। / पैनलबद्ध अस्पताल या आउट पेशेंट / डॉमिसिलरी केवल भारत में अधिकतम सीमा के अधीन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग हो गए हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति और समय-समय पर लागू या इस्तीफा दे दिया गया है कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों, पति/पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को संयुक्त रूप से या अलग-अलग लेने पर पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, जिसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

निश्चित योगदान योजनाएं

a) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान अर्थात मूल वेतन का क्रमशः 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए महंगाई भत्ता का भुगतान करती है । इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

b) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व है कि वह मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से कम , भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान को घटाकर ट्रस्ट में योगदान करे। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

a) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है।सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए विचार किया जाता है , जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-अधिकारियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

b) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी की जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को घटना होने पर चिन्हित किया जाता है जिससे योजना के तहत देय लाभ प्राप्त होता है ।

c) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-अधिकारी कैडर के कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

d) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को शामिल करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। जीपीएआईएस 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर(शामिल) करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

e) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण " के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत ब्राह्मण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 / - और 12000 / - रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

f) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब दुर्घटना के बाद चिन्हित किया जाता है जिससे योजना के तहत देय लाभ प्राप्त होता है।

निश्चित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएस)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) निधिरहित

- o जीवन बीमा योजना
- o निपटान भत्ता
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o अवकाश यात्रा रियायत
- o खदान दुर्घटना लाभ पर निर्भर को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2023को कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	आरंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील दायित्व/(समायोजन)	अंतिम बीमांकिक देयता
	01.04.2022		31.03.2023
ग्रेच्युटी	1,369.18	(40.69)	1,328.49
अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश	481.22	56.22	537.44
निपटान भत्ता -अधिकारी	10.28	(1.01)	9.27
निपटान भत्ता-गैर-अधिकारी	6.33	(0.25)	6.08
अवकाश यात्रा रियायत	21.07	0.42	21.49
चिकित्सा लाभ अधिकारी	124.26	(7.09)	117.17
चिकित्सा लाभ गैर-अधिकारी	168.35	12.99	181.34
कुल	**2,180.69**	**20.59**	**2,201.28**

बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्त पोषित) के लिए कर्मचारी लाभ के लिए बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: -

भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार 31.03.2023 प्रमाण पत्र के रूप में ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	तालिका-1		
A	**लाभ और हानि (पी एंड एल)**		
1	वर्तमान सेवा लागत	77.97	49.05
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	77.97	49.05
6	निवल निर्धारित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	(1.70)	0.08
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	पी एंड एल में चिन्हित प्राप्त लागत	76.27	49.13

			(₹करोड़ में)
B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव से बीमांकिक (लाभ) / हानि	18.92	9.81
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ) / हानि	5.02	(49.14)
3	बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	23.94	-39.33
4	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	-8.44	(16.36)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में चिन्हित हानियां	15.50	55.68

			(₹करोड़ में)
C	**चिन्हित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	77.97	49.04
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	(1.70)	0.09
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में चिन्हित हानियां	15.50	(55.68)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	निश्चित लाभ लागत	91.77	(65.52)

तालिका-2

	31 मार्च 2022 तक निवल बैलेंस शीट की स्थिति	**31.03.2022** को समाप्त वर्ष	**(₹करोड़ में)** **31.03.2023** को समाप्त वर्ष
A	**निवल बैलेंस शीट स्थिति का विकास**		
1	निश्चित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(1,369.18)	(1,328.49)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीए)	1,366.61	1,335.05
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(2.57)	6.55
4	अधिकतम परिसंपत्ति का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(2.57)	6.55

			(₹करोड़ में)
B	**निवल बैलेंस शीट की स्थिति का मिलान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	(39.44)	(2.57)
2	सेवा लागत	(77.97)	(49.05)
3	निवल निश्चित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	1.70	(0.87)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(15.50)	55.68
5	नियोक्ता योगदान	128.64	2.57
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	अनावरण	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत	-	
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	(2.57)	6.55

तालिका-3 **(₹करोड़ में)**

	लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
A	निश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1,318.80	1,369.18
2	वर्तमान सेवा लागत	77.97	49.05
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	85.64	88.39
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	18.92	9.81
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	5.02	(49.14)
11	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(137.18)	(138.79)
12	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	**1,369.18**	**1,328.49**

			(₹ in Crore)
B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1,279.37	1,366.61
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	87.34	88.30
4	नियोक्ता योगदान	128.64	2.57
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	8.44	16.36

6	भुगतान किया गया लाभ	(137.18)	(138.79)
7	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1,366.61	1,335.05

तालिका-4
अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		31.03.2023	(₹ करोड़ में)
A	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**को समाप्त वर्ष**	
1	31 मार्च 2024	134.24	
2	31 मार्च 2025	133.89	
3	31मार्च 2026	141.36	
4	31 मार्च 2027	142.03	
5	31 मार्च 2028	135.78	
6	31 मार्च 2029 से 31 मार्च , 2033	571.94	
7	10 साल से अधिक	1,413.32	
B	**31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**46.02**	
C	**निश्चित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**9 वर्ष**	
D	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	**1,000.20**	
E	**31 मार्च 2023 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशत**	
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%	
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%	
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%	
	संपत्ति	0.00%	
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%	
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%	
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%	
	अन्य	0.00%	
	कुल	**100.00%**	

नोट: यह रिपोर्ट योजना परिसंपत्ति के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय मानक लेखांकन 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता हो सकती है

		(₹ करोड़ में)
F	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**	**कुल भारतीय मुद्रा में**
1	वित्त पोषित वर्तमान देयता	129.59
2	गैर-वर्तमान देयता	1,198.90
3	**31 मार्च 2023 तक देयता**	**1,328.49**

तलिका -5
संवेदनशील विश्लेषण:

	31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	1328.49
A	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	7.30%
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण DBO पर प्रभाव	-45.73
	प्रतिशत पर प्रभाव	-3%
	DBO पर डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी का असर	49.14
	प्रतिशत पर प्रभाव	4%
B	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी : 9%; गैर - अधिकारी : 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण DBO पर प्रभाव	26.53
	प्रतिशत पर प्रभाव	2%
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव	(27.11)
	प्रतिशत पर प्रभाव	-2%

C	**मान्यताएँ**	**31.03.2022**	**31.03.2023**
	छूट की दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	अधिकारी : 9%; गैर-अधिकारी: 6.25%	अधिकारी : 9%; गैर-अधिकारी: 6.25%

वापसी दर		0.30%	0.30%
मृत्यु दर		भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
नमूना मृत्यु दर			
आयु	**दर**	**आयु**	**दर**
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भा॰लेखा॰मा॰) 19 के तहत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
	तालिका-1		
A	लाभ तथा हानि (पी एंड एल)		
1	चालू सेवा लागत	32.01	78.42
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	32.01	78.42
6	निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	3.36	-1.66
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	40.62	38.44
8	पी एंड एल . में मान्यता प्राप्त लागत	76.00	115.21
			(₹ करोड़)
B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	39.53	67.08
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.26	(26.04)
3	बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	41.80	41.03
4	योजना परिसंपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(1.17)	(2.59)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में स्वीकृत हानियां	-	-
			(₹ करोड़)
C	परिभाषित लाभ लागत		
1	सेवा लागत	32.01	78.42
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	3.36	(1.66)
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	40.62	38.44
5	निश्चित लाभ लागत	76.00	115.21

तालिका-2

(₹ करोड़)

	31 मार्च 2023 तक निवल बैलेंस शीट की स्थिति	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
A	नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास		
1	निश्चित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(481.22)	(537.44)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	471.01	481.13
3	**वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]**	**(10.21)**	**(56.31)**
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	**शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(10.21)**	**(56.31)**
			(₹ in Crore)
B	**नेट बैलेंस शीट की स्थिति का मिलान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	(163.92)	(10.21)
2	सेवा लागत	(32.01)	(78.42)
3	निवल निश्चितलाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(3.36)	1.66
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(40.62)	(38.44)

5	नियोक्ता योगदान	229.71	69.11
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	अनावरण	-	-
9	**समाप्ति लाभ की लागत**	-	-
10	**वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध निश्चित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)**	**(10.21)**	**(56.31)**

तालिका -3

	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	449.46	481.22
2	चालू सेवा लागत	32.01	78.42
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	28.38	29.57
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	39.53	67.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	2.26	(26.04)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(70.42)	(92.81)
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**481.22**	**573.44**

			(₹ in Crore)
B	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	285.53	471.01
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	25.01	31.23
4	नियोक्ता योगदान	229.71	69.11
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर रिटर्न	1.17	2.59
6	भुगतान किया गया लाभ	(70.42)	(92.81)
7	**चालू अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**471.01**	**481.13**

तालिका-4
अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		31.03.2023	**(₹ करोड़ में)**
A	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	को समाप्त वर्ष	
1	31, मार्च 2024	41.96	
2	31, मार्च 2025	45.34	
3	31, मार्च 2026	48.43	
4	31, मार्च 2027	48.90	
5	31, मार्च 2028	50.61	
6	31, मार्च 2029 से 31, मार्च 2033	212.21	
7	10 वर्ष से अधिक	916.28	
B	**31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**82.57**	
C	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**10 वर्ष**	
D	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ बाध्यता**	**315.93**	
E	**31 मार्च 2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी**	**Percentage**	
	भारत सरकार प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%	
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%	
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%	
	संपत्ति	0.00%	
	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%	
	बीमा की योजनाएं - परंपरागत उत्पाद	100.00%	
	बीमा की योजनाएं - यूएलआईपी उत्पाद	0.00%	
	अन्य	0.00%	
	कुल	**100.00%**	

नोट: यह रिपोर्ट योजना परिसंपत्ति के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय मानक लेखांकन 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता हो सकती है

F	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**	**कुल आईएनआर**	(₹ करोड़ में)
1	वर्तमान में देयता	40.51	
2	गैर-वर्तमान देयता	496.93	
3	31 मार्च 2023 तक देयता	537.44	
	तालिका-5		
	31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	537.44	
A	**छूट की दर**		
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	7.30%	
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(23.87)	
	प्रतिशत पर प्रभाव	-4%	
	`	26.04	
	प्रतिशत पर प्रभाव	5%	
B	**वेतन वृद्धि दर**		
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी 9% गैर-अधिकारी	
	1वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण DBO पर प्रभाव	25.93	
	प्रतिशत पर प्रभाव	5%	
	2वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव	(23.99)	
	प्रतिशत पर प्रभाव	-4%	

C	**मान्यताओं**	**31.03.2022**	**31.03.2023**
	छूट दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	"अधिकारी: 9%; गैर-अधिकारी: 6.25%"	"अधिकारी: 9%; गैर-अधिकारी: 6.25%"
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	"भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम "	"भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम "

नमूना मृत्यु दर

आयु	**दर**	**आयु**	**दर**
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भा॰लेखा॰मा॰) 19 के तहत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
A	**लाभ तथा हानि (पी एंड एल)**		
1	चालू सेवा लागत	9.23	9.86
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	137.66	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	146.89	9.86
6	निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	6.82	4.56
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
8	**पी एंड एल . में मान्यता प्राप्त लागत**	**153.71**	**14.42**

B	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**	**(₹ करोड़ में)**	
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(18.04)	122.76
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	15.25	(19.49)
3	बीमांकिक अवधि के दौरान होने वाली हानि/(लाभ)	(2.75)	(7.22)
4	छूट दर से कम /(अधिक) योजना संपत्ति पर वापसी	(11.43)	2.41
5	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां**	**(14.18)**	**(4.80)**

C	**परिभाषित लाभ लागत**	**(₹ करोड़ में)**	
1	सेवा लागत	146.89	9.86
2	निवल परिभाषित लाभ देयता/ (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	6.82	4.56
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां	(14.18)	(4.80)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**139.53**	**9.61**

		(₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2023 तक निवल तुलन-पत्र की स्थिति	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
A	**निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(292.61)	(298.51)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	219.51	227.96
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(73.10)	(70.54)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	**निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(73.10)**	**(70.54)**

B	**निवल तुलन-पत्र की स्थिति का मिलान**	**(₹ करोड़ में)**	
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	(59.00)	(73.10)
2	सेवा लागत	(146.89)	(9.86)
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(6.82)	(4.56)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	14.18	4.8
5	नियोक्ता योगदान	125.42	12.17
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	अनावरण	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	**चालू अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**(73.10)**	**(70.54)**

तालिका-3

		(₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
A	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	136.29	292.61
2	चालू सेवा लागत	9.23	9.86
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	16.27	19.35
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	137.66	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(18.00)	12.28
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	13.33	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	1.92	(19.49)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	नियोजित संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(4.09)	(16.10)
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**292.61**	**298.51**

C	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**(₹ करोड़ में)**	
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	77.30	219.51
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	9.45	14.79
4	नियोक्ता योगदान	125.42	12.17

5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर रिटर्न	11.43	(2.41)
6	भुगतान किया गया लाभ	(4.09)	(16.10)
7	**चालू अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**219.51**	**227.96**

तालिका -4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष
A	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	31, मार्च 2024	11.99
2	31, मार्च 2025	14.03
3	31, मार्च 2026	15.60
4	31, मार्च 2027	17.65
5	31, मार्च 2028	19.43
6	31, मार्च 2029 से 31, मार्च 2033	115.56
7	10 वर्ष से अधिक	719.58
B	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**13 वर्ष**
C	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	**298.51**

तालिका-5

	31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	298.51	
A	**छूट की दर**		
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	7.30%	
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(17.62)	
	प्रतिशत पर प्रभाव	-6.00%	
	डीबीओ पर डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी का असर	19.49	
	प्रतिशत पर प्रभाव	7.00%	
B	**मान्यताएँ**	**31.03.2022**	**31.03.2023**
	छूट दर	6.80%	7.30%
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%**
	मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ -आईएनआर36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ -आईएनआर 35,000 प्रति वर्ष। गैर कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त -आईएनआर 18,000 प्रति माह	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ -आईएनआर36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ -आईएनआर 35,000 प्रति वर्ष। गैर कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त -आईएनआर 18,000 प्रति माह
	जीवनसाथी की उम्र का अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
	निकासी दर	0.30%	0.30%

** कंपनी के साथ सहमति के अनुसार, चिकित्सा मुद्रास्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा नियंत्रित होती है।

नमूना मृत्यु दर

भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	**दर**	**आयु**	**दर**
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दर
60	0.0063490
65	0.0100700
70	0.0163930
75	0.0273790
80	0.0467300

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

समूह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना द्वारा शामिल की गई है। दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कारिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ की योजना अलग से "कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी पश्चात सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना" के माध्यम से प्रशासित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चिकित्सा लाभों के लिए देयता की पहचान की जाती है।

8 अन्य जानकारी

(a) प्रावधान

31.03.2022 को बीमांकिक रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ एएस-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

टिप्पणी 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :	**01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष**	**वर्ष के दौरान योग**	**वर्ष के दौरान वापस / समायोजित/भुगतान किया गया**	**31.03.2023 को अंतिम शेषराशि**
परिसंपत्तियों की हानि:				
टिप्पणी 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: :	58.13	2.81	(1.84)	59.10
सीडब्ल्यूआईपी के तहत: :				
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन:	17.47	12.96	-	30.43
प्रावधान एवं हानि :				
टिप्पणी 8:- ऋण :	-	-	-	-
अन्य ऋण :				
टिप्पणी 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों :	-	-	-	-
अन्य जमा एवं प्राप्य				
सुरक्षा जमा	0.16	-	-	0.16
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-	-	-
टिप्पणी 10:- अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ ::	-	-	-	-
पूंजीगत अग्रिम				
सुरक्षा जमा	0.60	-	-	0.60
अन्य जमा एवं प्राप्य	-	-	-	-
टिप्पणी 11:- अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ: :	-	-	-	-
वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान				
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा	-	-	-	-
टिप्पणी 13:- व्यापार प्राप्य:	6.10	-	(0.01)	6.09
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : : :				
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :	22.90	22.36	(2.46)	42.80
अनुग्रहपूर्वक				
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	169.70	155.38	(169.70)	155.38
अन्य कर्मचारी लाभ	182.09	245.47	(182.09)	245.47
साइट बहाली /खान बंदी	105.64	736.55	-	842.19
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	957.52	82.39	(11.56)	1,028.35
Stripping Activity Adjustment	17,706.34	-	(359.55)	17,346.79

(b) प्रति शेयर आय

क्र.	**विवरण**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ करोड़ में	13475.21	8480.50
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर की संख्या	6618363	6618363
iii)	कर के बाद शुद्ध लाभ पर विचार करते हुए रुपये में मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर)	₹ 20,360.34	₹ 12,813.59

(c) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

(d) खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(e) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

(f) चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

(g) पृथक राजस्व जानकारी :

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से पृथक राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

पृथक राजस्व जानकारी:	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सामग्री या सेवा के प्रकार		
- कोयला	27,824.55	19,165.50
- अन्य	-	-
बिक्री से कुल राजस्व	**27,824.55**	**19,165.50**
ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र	16,580.63	11,568.29
- गैर-विद्युत क्षेत्र	11,243.92	7,597.21
- अन्य या सेवाएं	-	-
बिक्री से कुल राजस्व	**27,824.55**	**19,165.50**
संविदा के प्रकार		
- एफ.एस.ए.	18,485.02	12,432.03
- ई-नीलामी	9,339.53	6,733.47
- अन्य	-	
बिक्री से कुल राजस्व	**27,824.55**	**19,165.50**
सामग्री या सेवा का समय		
- एक समय में वस्तु का हस्तांतरण	27,824.55	19,165.50
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया वस्तु	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गईं सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
बिक्री से कुल राजस्व	**27,824.55**	**19,165.50**

(h) सीएजी ने एमसीएल के पूरक लेखापरीक्षा के दौरान गैर-अधिकारियों के अपेक्षित वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वित्त वर्ष 21-22 के लिए बीमांकिक देयता के आकलन के संबंध में एक अवलोकन किया है। प्रबंधन ने उत्तर प्रस्तुत किया है क्योंकि गैर-अधिकारियों के वेतन मुद्रास्फीति की 6.25% की धारणा वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति, एनसीडब्ल्यूए समझौतों और भारतीय मानक लेखा 19 में आवश्यक अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे कारकों पर विचार करते हुए एक दीर्घकालिक धारणा है। उपरोक्त उत्तर के अनुसार बीमांकिक देयता के आकलन के लिए सीआईएल द्वारा गैर-अधिकारियों के वेतन मुद्रास्फीति के लिए धारणा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(i) वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए गैर-अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडबल्यूए -XI) को अंतिम रूप देने के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-अधिकारियों) ₹19,100/- की दर से ₹804.60 करोड़ का अनुमानित प्रावधान) प्रति माह 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

(j) समूह को सिंचाई विभाग से पानी के शुल्क के लिए मासिक मांग नोटिस प्राप्त हुए थे, जिसमें मूलधन, जुर्माना और ब्याज की पुरानी बकाया मांग शामिल है। समूह ने 29.03.2017 को किए गए एकमुश्त निपटान का हवाला देते हुए पहले कोई प्रावधान नहीं बनाया था या आकस्मिक देयता के तहत खुलासा नहीं किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के अधिकारियों - जल संसाधन विभाग के साथ बैठकें हुई हैं, जहाँ इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह सामने आया है कि समूह को कुछ निश्चित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। हालाँकि अभी तक राज्य के अधिकारियों-जल संसाधन विभाग और समूह

के बीच सामंजस्य और अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। देय राशि को अंतिम रूप देने के लिए, समूह ने नवीनतम मासिक मांग पत्रों में परिलक्षित बकाया राशि के लिए बही खाता में ₹405.02 करोड़ की राशि के लिए जल शुल्क का प्रावधान किया है।

(k) एनटीपीसी ने फरवरी 2018 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि का विवाद किया है। विवाद एएमआरसीडी के पास लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। कंपनी भारतीय मानक लेखांकन 109, वित्तीय साधन के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित क्रेडिट हानि को चिन्हित किया है चूंकि मामला एएमआरसीडी में निर्णय के लिए लंबित है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए कोई क्रेडिट हानि मान्य नहीं है।

(l) कंपनी क्लॉज 2.20 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के अनुपात की गणना में माना जाता है, जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच का अंतर पूर्वमेय उक्त खंड सीमाएँ में वर्णित है । हालांकि वित्त वर्ष 22-23 के लिए ओबी माप रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित है, ओबीआर समायोजन लेखांकन के उद्देश्य के लिए ओबी की रिपोर्ट की गई मात्रा पर विचार किया गया है।

(m)कंपनी के क्लॉज 2.19 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के अनुपात की गणना में माना जाता है, जहां रिपोर्ट की गई मात्रा उक्त खंड में वर्णित सीमाओं और मापी गई मात्रा के बीच का अंतर निर्धारित मात्रा में है। हालांकि वित्त वर्ष 22-23 के लिए ओबी माप रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित है, ओबीआर समायोजन लेखांकन के उद्देश्य के लिए ओबी की रिपोर्ट की गई मात्रा पर विचार किया गया है।

(n) एमसीएल की अनुषंगी कंपनी एमजेएसजे कोल लिमिटेड को पहले आवंटित कोयला ब्लॉक उत्कल ए और गोपालप्रसाद पश्चिम (पश्चिम) को अब एमसीएल को आवंटित किया गया है। नामांकित प्राधिकारी, एमओसी के माध्यम से पिछले आवंटियों को भूमि की लागत देय है। हालांकि अभी तक मुआवजे की राशि का दावा नहीं किया गया है, इसलिए भूमि की लागत पूंजीकृत नहीं है।

(o) कंपनी ने एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पुरानी देनदारियों और ₹1.76 करोड़ की राशि की प्रावधानों को जोड़ लिया है और पुराने अग्रिमों और ₹0.69 करोड़ की राशि के प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाला है।

(p) रेलवे बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। हालांकि दर अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और इसलिए न तो बढ़ा हुआ माइलेज प्राप्त हुआ है और न ही लेखा पुस्तकों में इसे चिन्हित नहीं किया गया है ।

(q) अनुपात

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता	25% से अधिक भिन्नता के कारण
(क) चालू अनुपात: वर्तमान अनुपात एक समूह की समग्र नगदी स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।				
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात एक समूह के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। इन दोनों नंबरों को समूह की तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।				
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की चालू ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान "कर पश्चात शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि"" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।"				शुद्ध लाभ (पीएटी) में लगभग 59% की वृद्धि के कारण ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय में लगभग 56% की वृद्धि हुई है। हालाँकि, ऋण सेवा अर्थात ब्याज और मूलधन का भुगतान वही रहता है। इसलिए भिन्नता में 49% की वृद्धि हुई है।

(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी: यह समूह में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि समूह द्वारा इक्विटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इक्विटी-धारकों को उत्पन्न प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना : (कर पश्चात शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है।				
(ड.) वस्तु-सूची आवर्त अनुपात : इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक समूह अपनी सूची का उपयोग या प्रबंधन करता है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या औसत वस्तु-सूची से विभाजित बिक्री के रूप में की जाती है। औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।"				प्रेषण और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण बेची गई वस्तुओं की लागत में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। हालांकि इन्वेंट्री का औसत मूल्य लगभग 13% कम हो गया है। इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर का अनुपात 42% से बढ़ गया है।
च) व्यापार प्राप्य आवर्तअनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते निवल क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री घटा बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारम्भिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष को कुल बिक्री से विभाजित करके की जा सकती है।				
(छ) व्यापार देय आवर्त अनुपात: यह दर्शाता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा निवल ऋण खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय निवल क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद घटा खरीद रिटर्न शामिल है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो अनुपात की गणना व्यापार लेनदारों के समापन शेष से कुल खरीद को विभाजित करके की जाती है।				
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में समूह की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों को घटाकर चालू देनदारियों के रूप में की जाएगी।				
(झ) निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। निवल लाभ अनुपात =निवल लाभ / निवल बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद का होगा निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।				

(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए समूह के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, समूह द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर से पूर्व आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता				
(ट) निवेश पर प्रतिलाभ (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग समूह द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात , उतना अधिक लाभ अर्जित किया				
(i) गैर-सूचीबद्ध अनुषंगियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: अनुषंगियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.00%	0.00%	0%	
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभांश/संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में औसत निवेश			0%	
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर इत्यादि) पर आरओआई =ब्याज आय/औसत निवेश			-2%	
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश			53%	चालू वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, म्युचुअल फंड ने पीवाई की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान किया है।
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी) = ब्याज आय/औसत निवेश	6.63%	3.97%	67%	चालू वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, बैंकों ने सावधि जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर उद्धृत की है, जिसके परिणामस्वरूप भिन्नता में वृद्धि हुई है।

Signature to Note 1 to 38
हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते लालदाश एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी संख्या. 311147ई

सनदी लेखा कार एसएस ब्रह्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

बोर्ड की ओर से

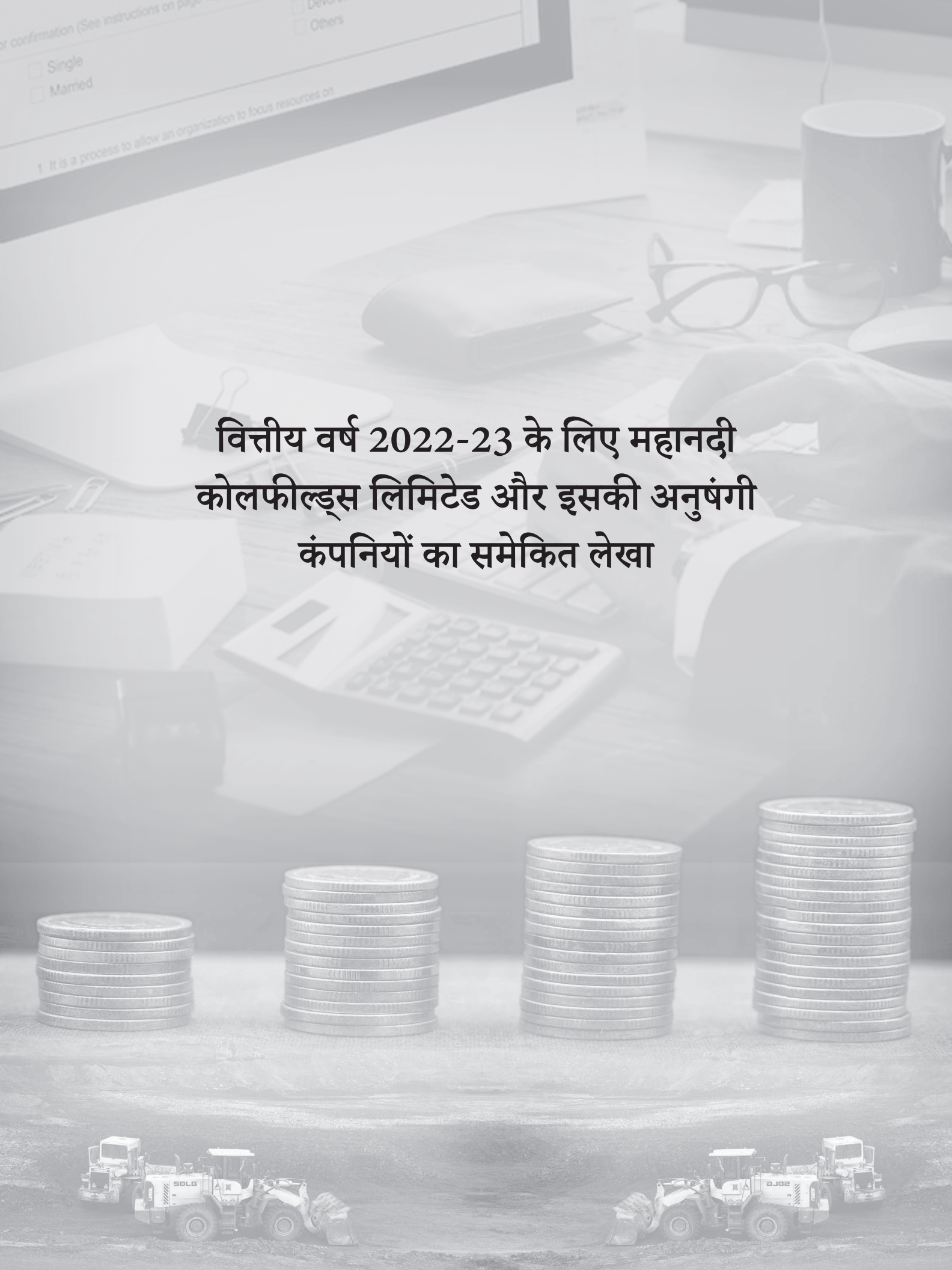
संजीब कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक (वित्त)

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 09712877

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध -निदेशक
डीआईएन : 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : सम्बलपुर



वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों का समेकित लेखा

बैलेंस शीट के रूप में 31.03.2023

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	दिनांक को 31.03.2023	31.03.2022
संपत्ति			
गैर चालू परिसंपत्ति			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	11,180.07	9,943.65
(b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	4,600.44	3,424.59
(c) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति	5	132.05	101.88
(d) अमूर्त संपत्ति	6.1	22.76	6.37
(e) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	6.2	-	6.35
(f) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	7	-	0
(ii) ऋण	8	1.20	1.20
(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	9	1,457.22	1,296.04
(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
(h) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	10	1,729.60	1,006.46
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (ए)		**19,123.34**	**15,786.54**
वर्तमान संपत्ति			
सूची	12	985.10	988.20
(b) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	7	1,069.88	3,476.73
(ii) व्यापार प्राप्य	13	1,636.92	1,040.90
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	107.10	1,021.09
(iv) अन्य बैंक शेष	15	18,005.08	11,776.50
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय संपत्तियां	9	442.63	603.39
(c) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)		3,642.99	2,426.47
(d) अन्य वर्तमान संपत्ति	11	3,634.47	3,290.02
कुल वर्तमान संपत्ति (बी)		**29,524.18**	**24,623.29**
कुल संपत्ति (ए+बी)		**48,647.52**	**40,409.83**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	16	661.84	661.84
(b) अन्य इक्विटी	17	12,568.53	7,485.29
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी		**13,230.37**	**8,147.13**
गैर नियंत्रित व्याज		68.62	68.42
कुल इक्विटी (ए)		**13,298.99**	**8,215.55**
देनदारिया			
गैर मौजूदा देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	3.92	4.31

	टिप्पणी संख्या	दिनांक को 31.03.2023	31.03.2022
(ii) पट्टा देयताएं		2.35	2.29
(ii) व्यापार देय		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	842.16	654.35
(b) प्रावधान	21	18,477.73	18,764.50
(c) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		913.66	539.46
(d) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	125.71	139.58
कुल गैर-चालू देयताएं (बी)		**20,365.53**	**20,104.50**
वर्तमान देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	0.66	0.62
(ii) लीज देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय	19		
(I) माइक्रो और छोटे उद्यम"" की कुल बकाया राशि		2.23	1.55
(II) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,589.38	1,464.88
	20	4,260.23	2,946.62
(b) अन्य वर्तमान देयताएं	23	7,620.90	7,206.31
(c) प्रावधान	21	1,509.60	469.80
(d) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल वर्तमान देयताएं (सी)		**14,983.00**	**12,089.78**
कुल इक्विटी और देयताएं (ए+बी+सी)		**48,647.52**	**40,409.83**

साथ में दिए गए नोट नंबर 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

लालदाश एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 311147ई

(सीए एस एस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 066706

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : संबलपुर

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व			
A. बिक्री (वैधानिक कर का शुद्ध)	24	27,824.55	19,165.50
B. अन्य परिचालन राजस्व ((वैधानिक कर का शुद्ध)		3,252.33	2,648.61
(I) संचालन से राजस्व (ए + बी)		**31,076.88**	**21,814.11**
(II)अन्य कमाई	25	1,588.24	1,131.06
(III) कुल आय (I+II)		**32,665.12**	**22,945.17**
(IV) व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	1,394.82	991.80
बिक्री के लिए माल की खरीद		-	103.56
तैयार माल के वस्तुसूची में परिवर्तन / कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	27	43.57	181.53
कर्मचारी लाभ व्यय	28	4,513.55	3,598.80
बिजली व्यय		164.60	163.27
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	195.68	181.62
मरम्मत	30	205.50	172.22
संविदात्मक व्यय	31	5,420.01	4,520.53
वित्तीय लागत	32	81.12	61.13
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय		860.93	723.86
प्रावधान	33	25.15	6.67
बट्टे खाते में डालना	34	0.67	11.50
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(359.55)	(289.29)
अन्य व्यय	35	1,638.01	1,086.96
कुल व्यय (IV)		**14,184.06**	**11,514.16**
(V) संयुक्त उद्यम / सहयोगी के लाभ/ (हानि) के शेयर से पूर्व लाभ (III-IV)		**18,481.06**	**11,431.01**
(VI) संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) का शेयर			
(VI) असाधारण मदें		-	-
(VII)कर पूर्व लाभ (V+VI)		**18,481.06**	**11,431.01**
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		4,643.67	2,972.32
आस्थगित कर		374.20	9.89
कुल कर व्यय (VIII)		**5,017.87**	**2,982.21**
(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**13,463.19**	**8,448.80**
(X) बंद परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद परिचालन का कर व्यय		-	-
(XII) बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		**13,463.19**	**8,448.80**
(XIV)अन्य व्यापक आय			
क (i) मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	60.48	(1.32)
(ii) I उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(15.22)	0.33
ख (i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		**45.26**	**(0.99)**

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(XVI) वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (जिनमें अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		**13,508.45**	**8,447.81**
लाभ का कारण:			
कंपनी के मालिक		13,462.98	8,448.51
अनियंत्रित ब्याज		0.21	0.29
		13,463.19	**8,448.80**
अन्य व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		45.26	(0.99)
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		45.26	**(0.99)**
कुल व्यापक आय का कारण :			
कंपनी के मालिक		13,508.24	8,447.52
अनियंत्रित ब्याज		0.21	0.29
		13,508.45	**8,447.81**
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी संचालन के लिए)):			
(1) मूलभूत		20,410.24	12,763.76
(2) तरलीकृत		20,410.24	12,763.76
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए):			
(1) मूलभूत		-	-
(2) तरलीकृत		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और सतत संचालन के लिए)::			
(1) मूलभूत		20,410.24	12,763.76
(2) तरलीकृत		20,410.24	12,763.76

संलग्न टिप्पणी 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

लालदाश एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 311147ई

(सीए एस एस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 066706

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : संबलपुर

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2022 (₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2022 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 01.04.2022 तक पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2023 तक
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 66,18,363 इक्विटी शेयर	661.84	-	661.84	-	661.84

31 मार्च 2021 तक **(₹ करोड़ में)**

विवरण	01-04-2022 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 01.04.2021 तक पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2022 तक
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 66,18,363 इक्विटी शेयर	661.84	-	661.84	-	661.84

ख.अन्य इक्विटी

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01.04.2022 तक शेष	**44.29**	**3,036.32**	**4,503.17**	**(98.49)**	**7,485.29**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	13,462.98	45.26	13,508.24
अन्तरिम लाभांश	-	-	(7,400.00)	-	(7,400.00)
वित्तीय वर्ष 21-22 के अन्तरिम लाभांश	-	-	(1,025.00)	-	(1,025.00)
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	673.76	(673.76)	-	-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	**44.29**	**3,710.08**	**8,867.39**	**(53.23)**	**12,568.53**

विवरण	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)- (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 तक शेष	**44.29**	**2,612.29**	**2,278.75**	**(97.50)**	**4,837.83**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	8,448.51	(0.99)	8,447.52
अन्तरिम लाभांश	-	-	(5,000.00)	-	(5,000.00)
अंतिम लाभांश 20-21	-	-	(800.00)	-	-800.00
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	424.03	(424.03)	-	-
अवधि के दौरान संयोजन	-	-	(0.06)	-	-0.06
31.03.2022 तक शेष	**44.29**	**3,036.32**	**4,503.17**	**(98.49)**	**7,485.29**

***वर्ष के दौरान लाभ में म्यूचुअल फंड में निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन शामिल है जो प्रकृति में काल्पनिक / अप्राप्त है और लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभ का विवरण नीचे दिया गया है:

	(₹करोड़ में)
01.04.2021 तक शेष	6.21
वर्ष 2021 -22 के दौरान योग	41.87
31.03.2022 तक शेष	48.08
वर्ष 2022 -23 के दौरान योग	(43.92)
31.03.2023 तक शेष	4.16

पूँजी प्रतिदान रिजर्व का विवरण

विवरण	**राशि (₹ करोड़ में)**	**अर्श**
इक्विटी शेयर का बायबैक	44.29	वित्तीय वर्ष 2018-19
कुल	**44.29**	

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी प्रतिदान रिजर्व में शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

लालदाश एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 311147ई

(सीए एस एस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 066706

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : संबलपुर

समेकित नगद प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ		18,481.06	11,431.01
के लिए समायोजन :			
संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) का शेयर		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		860.93	723.86
निवेश से आय		(1,188.17)	(629.98)
लाभांश आय		-	-
उचित मूल्य परिवर्तन		43.92	(41.87)
वित्तीय लागत		81.12	61.13
संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ (हानि)		(4.80)	(2.76)
दायित्व और प्रावधान वापस लिखा गया		(115.10)	(159.50)
बट्टे खाते डालना		-	11.42
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता		22.36	-
अन्य प्रावधान		2.79	6.67
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		(359.55)	(289.29)
चालू/गैर चालू आस्तियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**17,824.56**	**11,110.69**
के लिए समायोजन :			
व्यापार प्राप्य (प्रावधान का शुद्ध)		(596.02)	251.73
वस्तु सूची		3.10	115.32
ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय संपत्ति		(901.83)	(449.64)
वित्तीय और अन्य देयताएं		2,282.95	3,811.16
व्यापार देय		125.18	452.12
प्रचालन से उत्पन्न नकद		**18,737.94**	**15,291.39**
आयकर (भुगतान किया गया)/ धनवापसी		(5,875.41)	(2,767.00)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(क)**	**12,862.53**	**12,524.39**

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(2,672.18)	(3,020.83)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय		9.40	6.18
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में परिवर्तन		(11.86)	(10.59)
बैंक जमा में आय/(निवेश)		(6,377.03)	(4,659.85)
म्युचुअल फंड, बांड आदि में आय / (निवेश)		2,362.93	271.12
निवेश से ब्याज		1,174.83	534.90
म्यूचुअल फंड से ब्याज / लाभांश		162.78	83.41
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(ख)**	**(5,351.13)**	**(6,795.66)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
उधार में पुनर्भुगतान / वृद्धि		(0.36)	(0.73)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(0.04)	(0.05)
इक्विटि शेयर पर लाभांश		(8,425.00)	(5,800.00)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(ग)**	**(8,425.40)**	**(5,800.78)**
नकद और नकद समकक्ष (ए + बी + सी) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		**(913.99)**	**(72.05)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		**1,021.09**	**1,093.14**
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**107.10**	**1,021.09**
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-14)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**107.10**	**1,021.09**
नकद और नकद समकक्ष (नकद और नकद समकक्ष के घटकों के लिए टिप्पणी- 14 देखें)		107.10	1,021.09
बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी-18) से		-	-

(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं।)

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

लालदाश एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 311147ई

(सीए एस एस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 066706

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : संबलपुर
Place : Sambalpur

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी (समेकित)

टिप्पणी: 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता ऊर्जा और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट,उर्वरक, ईंट-भट्ठे आदि सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण (एमसीएल समेकित) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii. वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक अंकन लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय आस्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें(
- परिभाषित लाभ योजना को आस्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी, इनमें से जो भी कम हो)अनुच्छेद 2.21 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक "रुपए करोड़ में" दो दशमलव अंको तक राउंड ऑफ किए जाएंगे।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगियां

अनुषंगी कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। एक इकाई पर कंपनी तब तक नियंत्रण करता है, जब तक कंपनी को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या लाभ पर इनका अधिकार हो तथा इकाई की गतिविधियों को निर्देशित कर उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता हो। कंपनी को नियंत्रण ह्स्तांतरित होने की तिथि से इसकी अनुषंगियों को समेकित किया जाता है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उन्हें डिकॉन्सॉलिडेट कर दिया जाता है।

कंपनी द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

कंपनी आस्ति, देयताओं ,इक्विटी, नकदी प्रवाह, आय एवं व्यलय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। इंटर कंपनी लेन-देन, शेष राशि और समूह कंपनियों के बीच लेन-देन पर अप्राप्त अभिलाभ को समाप्त कर दिया जाता हैं। समूह कंपनियों के मध्य अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया गया है, जब तक अंतरित आस्तियों की क्षति का प्रमाण नहीं मिलता है। सीआईएल के समेकित सभी कंपनियाँ समरूप अंतरण तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए आमतौर पर सीआईएल द्वारा अपनाई गयी नीतियों का पालन करती है। सीआईएल के समेकित एक सहायक कंपनी विशेष के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में सीआईएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित को पृथक रूप से क्रमशः लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण एवं तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता। यह वह मामला है जहां कंपनी के पास 20% से 50% तक का मताधिकार होता है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

कंपनी अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां कंपनी एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है, जहां प्रासंगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देयताओं के लिए आस्तियों और देयताओं के अधिकार मिले हैं।

कंपनी आस्तियों, देयताओं, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए आस्तियों, देयताओ, राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

कंपनी को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

कंपनी अपनी संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा कंपनी शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब कंपनी के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान, जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है,तो कंपनी अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक कि अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

कंपनी और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेन देन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, कंपनी द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता है।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

कंपनी इक्विटी स्वामित्व के साथ लेन देन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब कंपनी नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी में संबंधित संपत्ति या देयताओं का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यसय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर आस्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी आस्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में आस्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।;

ख. यह आस्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है;

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर आस्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

घ. आस्ति नकद व नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है।;

(ख) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है; अथवा

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आमतौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करता है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

क. अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ख. कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ. अनुबंध में वाणिज्यिक विषय वस्तु है (अर्थात कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा

ङ. यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा,यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है।

क. एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक मुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;

ख. अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग. अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल कार्य निष्पादन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क. अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख. अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण2: कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है।

क. वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख. विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक कार्यों पर विचार करती है । लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके संबंध में कंपनी आशा करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत के निर्धारण के समय, एक कंपनी निम्नलिखित सभी प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलट फेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनशील प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हो।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाएं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और, इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक कार्यनिष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेन-देन मूल्य आवंटित करना है जो इस में कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक कार्यनिष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को दर्शाना:

कंपनी राजस्व को तब दर्शाती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को अंतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है,यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क. ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख. कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।

ग. कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक कार्यप्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को पहचानने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में ऐसे तरीके शामिल हैं जैसे कि आजतक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय औरउत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस कार्यनिष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि कार्यनिष्पादन कर्तव्यम समय पर पूरा नहीं हो, तो कंपनी एक निर्धारित समय में कार्यनिष्पादन पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;

ख. ग्राहक के पास माल या सेवा का कानूनी हक होता है;

ग. कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ. ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और माल या सेवा का स्वामित्व होता है।

ङ. ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने कार्यनिष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के कार्यनिष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन-पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी प्राप्य के रूप में अलग से विचार करने के लिए कोई भी बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध आस्ति:

एक अनुबंध संपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में, निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य:

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त होते है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो) तब अनुबंध देयता को दर्शाया जाता है।

ब्याज

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को दर्शाया जाता है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को दर्शाया जाता है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है, जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तथा विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और उचित निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयर धारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

यदि एक अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गयी आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह अनुबंध पट्टा है, या पट्टे को सम्मिलित करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज देयता को लीज देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, लीज भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके और तथा पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु वहन राशि को पुनरांकित कर आँका जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से अंतरित नहीं करता है

परिचालन पट्टे - परिचालन पट्टों से पट्टे पर भुगतान को या तो सीधी से आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्वक न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्तीय पट्टे -एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई आस्ति को शुरू में इसकी तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को आँकने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बेचने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल होता है, जब एक्सचेंज में वाणिज्यिक पदार्थ होता है। बिक्री वर्गीकरण के लिए मानदंड तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावना है; और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो,
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी, तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी आस्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नतलिखित तथ्यों का होना वांछित है:

क. व्याउपार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्कि तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यकक्ष व्यहय/सामयिक व्यिय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यानवश्यसक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यीवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्यस में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसका व्यावहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येउक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। न पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के रुप में पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी तरीके साईं लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	:	परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़क	:	3-10 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सरचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस सर्वोत्कृचष्टि अवधि को दर्शाता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा,पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जोकि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांचकर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने के लिए चुना है (इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन के तारीक पर जीएएपी के अनुसार मापा गया है।

2.9 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित हैं। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च

की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देय धन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/ खदान के जीवन काल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंबनिधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू मंक निलंबखाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन;

उपर्युक्त संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/ परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित किए जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क. अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है, या

ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन,या

ग. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त आस्तियाँ

अर्जित अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यावसायिक संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो,पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/ अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त आस्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त आस्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त आस्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं आस्ति की वर्तमान राशि मंग अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अन्वेकषण और मूल्यांकन आस्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.13 आस्तियों की हानि (वित्तीय आस्तियों के अलावा):

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। आस्तियों से प्राप्त राशि, आस्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत आस्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक आस्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई आस्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि आस्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान आस्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराये या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए धारित है, न कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इस से संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्यह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 वित्तीय साधन

वित्ती य साधन एक अनुबंध है जो कि आस्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय आस्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक स्वीकृति और माप

वित्तीय आस्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय आस्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्ती य आस्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीदारी या वित्तीय आस्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर आस्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापिार तिथि पर मान्यतता प्राप्तक है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय आस्तियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्यप व्योपक आय के माध्यम से उचित मूल्यस पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्याम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्येम से अन्य व्याधपक आय। (एफ़वीटीओसीआई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं:

क. आस्तियों को व्याकपार मॉडल के अंतर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्यए आस्तियों के संविदात्मयक नगद प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर आस्तियों के संविदात्माक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याकज (एसपीपीआई) की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याशज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय आस्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीतकार किया गया है।

2.15.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी. आई में ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों को प्राप्त किया जाता है, और

ख. आस्ति संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर प्रत्ये क रिपोर्टिंग तिथि पर आरम्भ में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। आस्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए हैं, को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई ऋण साधन को ब्याज में जिस ईआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एक 'ऋण साधन' को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों को प्राप्त किया जाता है, और

ख. आस्ति संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर प्रत्ये क रिपोर्टिंग तिथि पर आरम्भ में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। आस्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए हैं, को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई ऋण साधन को ब्याज में जिस ईआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्ये इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्यल पर मापा जाता है।

अन्या सभी इक्विटी साधनों में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य् में प्रस्तुात करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव साधन-से-साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर साधन पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एंड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थाशनांतरित कर सकती है।

पीएंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्यं पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) प्राथमिक रूप से अमान्य हो जाती है (यानी तुलन पत्र से हटा दी जाती है) जब:

- आस्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या
- कंपनी ने आस्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या (ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन आस्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कपंनी ने आस्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम, हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क. वित्तीय आस्तियां जो कि ऋण साधन है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय आस्ति जो ऋण साधन है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि की गुजाइश की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया:-

- व्यपार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर मूल्यह्रास भत्ता को मान्यता देता है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यांपार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेष कर लेन देन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीँय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड संतुष्टजनक होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देयताओं के लिए, उचित मूल्य लाभ/हानि को स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। ये लाभ/हानि बाद में पी एंड एल को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आमतौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यिता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्वय का निर्वहन रद्द या समाप्त् हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋण दाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेन देन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित आस्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4वित्तीय देयताओं का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्य ता पर वित्तीीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीरय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणाम स्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय आस्ति को पुनः पेश करती है या पुन: वर्गीकृत करती है ,जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी गई है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधन लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। नतीजतन, परिसंपत्ति को मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधन लागत पर मापा गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई अग्रणीत राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है

2.15.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध है क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत को खर्च किए जाने या खर्च किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां वे सीधे तौर पर अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं यानी ऐसी संपत्ति जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है, जिस स्थिति में उन्हें भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक अर्हक आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

2.17कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर संपत्ति को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है। यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के

अंत में, अपनी संपत्ति और देयताओं की वहन राशि को पुनर्प्राप्त या व्यवस्थित करने की उम्मीद है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया है। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हित लाभ

2.18.1 अल्पाावधि हित लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ ऐसे कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) है जो वार्षिक प्रतिवेदन के अंत में, जिसमें संबंधित कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, बारह महीने से पूर्व निपटाए जाने की उम्मीद है ।

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चाधत लाभ एवं अन्यि कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना एक रोजगारोत्तपर लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन कर के गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनःमाप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याोज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओँ में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे वस्तुएं शामिल हैं जिसके निपटान की उम्मीाद वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है, के बारह महीने के पूर्व नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में स्वी कार किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: मापन

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेन देन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्नर विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् आस्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/ अन्य गैर वर्तमान आस्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं(%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालंकि, जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तुसूची

2.21.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना औसत भार पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य् मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। ऐसे स्टॉपक का मूल्य+शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, माना जाएगा। कोक को कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला, कोक-फाइन कोयला के मूल्य को कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर लगाया जाता हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) वाशरी के मिडलिंग्स् और उनके उत्पाद का मूल्य शुद्ध वसूली मूल्य पर लगाया जाता हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार स्टॉक और कल पुर्जे (जिसमें अव्य वस्थित उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य भंडार लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-भंडार/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े भंडार और कल पुर्जे की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित भंडार के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों, रेत ,दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभावना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.23 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के लागू करने को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्ति पर निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय- समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तेव्योंन में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें वे प्रयुक्तय हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क. उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख. वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। (ii) आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है। (iii) तटस्थर, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त है (iv) विवेकी, तथा (v) सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं ,और

(ख). परिभाषित मानदंड और आस्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन ,उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है ,जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्री युक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूल चूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

01.04.2019 से पूर्व की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को महत्वहीन माना जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं हैं। ।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी आस्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जोकि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलनपत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आमतौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभावना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आमतौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/ खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.25 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई	झ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नगद प्रवाह	ट.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ठ.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य)	ड.	एसईसीएल	साउथ इस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड
ङ.	जीएएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	ढ.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	भारतीय लेखांकन मानक	भारतीय लेखांकन मानक	त..	एनसीएल	नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	थ.	ड्ब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	पी एंड एल	लाभ और हानि	द.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
झ.	पीपीई	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	ध.	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	न.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	प.	कोल इंडिया लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों औरसंयंत्र एवं उपकरण पुल सहित)		दूरसंचाररेलवे साईडिंग		फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	अन्य खनन आधार संरचना	सर्वे आफ की गई आस्तियां	रेल कॉरीडोर	अन्य (सौर)	कुल
सकल वहन राशि :															
1 अप्रैल 2021 तक	**30.36**	**5,606.19**	**353.33**	**869.21**	**2,000.91**	**32.08**	**299.67**	**28.56**	**26.67**	**25.29**	**261.62**	**36.49**	**1,124.36**	**-**	**10,694.74**
जोड़	-	1,300.13	61.78	103.54	700.34	7.53	95.11	2.77	8.19	6.30	46.91	10.69	-	0.52	2,343.81
विलोपन /समायोजन	(27.93)	27.02	(32.33)	7.00	(206.30)	(0.06)	-	(1.01)	(3.10)	(1.77)	7.44	(8.55)	-		(239.59)
31 मार्च 2022 तक	**2.43**	**6,933.34**	**382.78**	**979.75**	**2,494.95**	**39.55**	**394.78**	**30.32**	**31.76**	**29.82**	**315.97**	**38.63**	**1,124.36**	**0.52**	**12,798.96**
1 अप्रैल 2022 के तक	**2.43**	**6,933.34**	**382.78**	**979.75**	**2,494.95**	**39.55**	**394.78**	**30.32**	**31.76**	**29.82**	**315.97**	**38.63**	**1,124.36**	**0.52**	**12,798.96**
जोड़	4.66	1,296.48	25.37	244.28	160.11	3.10	17.60	6.56	10.95	6.60	370.79	5.28			2,151.78
विलोपन /समायोजन		(34.97)	(1.09)	(0.35)	(79.69)	(0.01)		(0.05)	(2.11)	(0.02)		(6.28)			(124.57)
31 मार्च 2023 तक	**7.09**	**8,194.85**	**407.06**	**1,223.68**	**2,575.37**	**42.64**	**412.38**	**36.83**	**40.60**	**36.40**	**686.76**	**37.63**	**1,124.36**	**0.52**	**14,826.17**
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल 2021 तक	**-**	**903.79**	**168.45**	**173.46**	**741.88**	**24.83**	**97.31**	**12.34**	**12.24**	**14.54**	**76.11**	**18.17**	**224.06**	**-**	**2,467.18**
वर्ष के लिए प्रभार	-	182.23	17.39	66.58	197.85	1.85	21.30	2.43	6.61	2.65	20.31	-	76.28	0.02	595.50
ह्रानि	-	-	-	0.17	-	-	-	-	0.01		1.09	6.36	-		7.63
विलोपन /समायोजन	-	(0.21)	-	-	(203.73)	-	-	(1.03)	(2.91)	(1.99)	-	(5.13)	-		(215.00)
31 मार्च 2022 तक	**-**	**1,085.81**	**185.84**	**240.21**	**736.00**	**26.68**	**118.61**	**13.74**	**15.95**	**15.20**	**97.51**	**19.40**	**300.34**	**0.02**	**2,855.31**
1 अप्रैल 2022 के तक	**-**	**1,085.81**	**185.84**	**240.21**	**736.00**	**26.68**	**118.61**	**13.74**	**15.95**	**15.20**	**97.51**	**19.40**	**300.34**	**0.02**	**2,855.31**
अवधि के लिए प्रभार		217.34	19.08	93.44	227.95	2.28	27.81	4.51	8.33	3.01	189.17		73.53	0.05	866.50
ह्रानि				1.17	(0.11)					(0.01)	(0.04)	1.64			2.65
विलोपन /समायोजन					(74.34)		2.75		(2.34)			(1.68)	(2.75)		(78.36)
31 मार्च 2023 तक	**-**	**1,303.15**	**204.92**	**334.82**	**889.50**	**28.96**	**149.17**	**18.25**	**21.94**	**18.20**	**286.64**	**19.36**	**371.12**	**0.07**	**3,646.10**
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2023 तक	7.09	6,891.70	202.14	888.86	1,685.87	13.68	263.21	18.58	18.66	18.20	400.12	18.27	753.24	0.45	11,180.07
31 मार्च 2022 तक	2.43	5,847.53	196.94	739.54	1,758.95	12.87	276.17	16.58	15.81	14.62	218.46	19.23	824.02	0.50	9,943.65

1. अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (टाइटल डीड) कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	"क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निर्देशक या प्रमोटर*/निदेशक के रिश्तेदार# या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है।"	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.09	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तारीख	"फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने तक यह प्रगति पर है, अधिग्रहीत भूमि के लिए शीर्षक विलेख कब्जे में हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं।
अन्य भूमि	8,194.85	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तारीख	कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों को छोड़कर जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी शीर्षक विलेख कब्जे में हैं और कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं।
Other land	6,933.34	Not Applicable	Not Applicable	Misc. Dates	Land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and Land Acquisition Act, 1894 acquired under does not requied title deed. All other title deeds for land acquired are in possession and are mutated in favour of Group except in few cases where same is under progress pending legal formalities.

2. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा रोल निर्धारित किया गया है और मंजूरी आदेश के बाद पूंजीकरण को समायोजित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कब्जे के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

3. टिप्पणी 2.8 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कतिपय परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर संपत्तियों के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

4. भूमि सुधार/साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

5. सहायक संपत्तियों की सूची बिंदु संख्या 5(i) ' पर खातों के लिए अतिरिक्त नोट में दी गई है।

6. सीआईएल से परिचालित समिति की अनुशंसा दिनांक 17.04.2017 के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

7. समूह ने इस अवधि के लिए ₹3.64 करोड़ मूल्यह्रास से परियोजना सियारमल ओसीपी में पूंजीकरण किया है, , सुभद्रा ओसीपी परियोजना में ₹14.14 करोड़ और इस अवधि के दौरान एमसीआरएल की परियोजना में ₹0.06 करोड़, जो विकास के चरण में हैं। खदान बंद करने के लिए उपयोग की गई संपत्तियों से संबंधित ₹ 7.1 करोड़ की मूल्यह्रास राशि को खदान बंद करने की प्राप्य राशि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 :पूँजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि								
1 अप्रैल 2021 तक	310.71	699.54	200.55	925.87	99.01		-	2,235.68
योग	164.66	469.90	24.11	582.92	384.19	1.41		1,627.19
पूंजीकरण /विलोपन	(47.98)	(37.03)	(86.06)	(261.54)	109.11			(323.50)
31 मार्च 2022 तक	**427.39**	**1,132.41**	**138.60**	**1,247.25**	**592.31**	**1.41**	**-**	**3,539.37**
1 अप्रैल 2022 के तक	427.39	1,132.41	138.60	1,247.25	592.31	1.41	-	3,539.37
योग	100.05	553.38	137.46	489.00	319.82	184.91	-	1,784.62
पूंजीकरण /विलोपन	(213.09)	(51.96)	(16.77)	(311.59)	(0.52)	(1.88)	-	(595.81)
31 मार्च 2023 तक	**314.35**	**1,633.83**	**259.29**	**1,424.66**	**911.61**	**184.44**	**-**	**4,728.18**
संचित हानि								
1 अप्रैल 2021 तक	3.41	12.75	0.12	18.55	-		-	34.83
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-		-	-
हानि	-	0.13	-	79.82	-		-	79.95
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-		-	-
31 मार्च 2022 तक	**3.41**	**12.88**	**0.12**	**98.37**	**-**	**-**	**-**	**114.78**
1 अप्रैल 2022 के तक	3.41	12.88	0.12	98.37	-		-	114.78
अवधि के लिए प्रभार	-	-	-	-	-		-	-
हानि	12.72			0.24	-		-	12.96
विलोपन / समायोजन	-				-		-	-
31 मार्च 2023 तक	**16.13**	**12.88**	**0.12**	**98.61**	**-**	**-**	**-**	**127.74**
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च 2023 तक	298.22	1,620.95	259.17	1,326.05	911.61	184.44	-	4,600.44
31 मार्च 2022 तक	423.98	1,119.53	138.48	1,148.88	592.31	1.41	-	3,424.59

पूंजीगत कार्य - प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)
(क) पूंजीगत कार्य हेतु समय-सीमा अनुसूची :

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि					
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**		**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति पर :						
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	125.11	40.06	16.91		132.27	314.35
संयंत्र और उपकरण	334.81	537.69	97.60		663.73	1,633.83
रेलवे साइडिंग	96.43	18.24	72.39		72.23	259.29
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	680.03	468.88	83.42		94.09	1,326.42
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	115.89	675.56	67.71		52.45	911.61
सौर परियोजना	183.44	1.00	-		-	184.44
अन्य						-
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:						
अन्य खनन अवसंरचना						
अन्य खनन अवसंरचना/विकास (जगन्नाथ यूजी, तालचेर (डब्ल्यू) यूजी और नटराज यूजी और एमजेएसजे)					98.24	98.24
	-	-	-			
कुल	**1,535.71**	**1,741.43**	**338.03**		**1,113.01**	**4,728.18**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 :पूँजीगत कार्य प्रगति पर (जारी)

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति

	में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**		**2-3 वर्षों**	**3 वर्ष से अधिक**
चल रही परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)					
बसुंधरा में आरसीसी स्वागत द्वार	0.11				
गर्जनबहाल में ई एंड एम कार्यशाला	2.05				
एचईएमएम कार्यशाला जीओसीपी में बुनियादी ढांचा	0.01				
928 क्वार्टर का निर्माण	65.01				
कुल्दा वर्कशॉप से लालमा चौक तक ब्लैक टॉपिंग रोड	0.01				
928 क्वार्टर का निर्माण	23.85				
1 नंबर पुल का निर्माण	4.42				
श्रमिक होस्टल का निर्माण	-	-	-	-	0.50
तामांडो (एमआईसीएम) में प्रस्तावित मिनरेम के लिए भवन का निर्माण	-	125.26	-	-	
संयंत्र और उपकरण					
वेस्को ओएच लाइन को 33/11 सबस्टेशन से पुलिस फांड़ी में स्थानांतरित करना	0.82	-	-	-	-
व्हील वाशिंग सिस्टम कुल्दा	0.70	-	-	-	-
व्हील वाशिंग सिस्टम कुल्दा	0.42	-	-	-	-
15 नं वे ब्रिज	3.06	-	-	-	-
डुडुका चौक में स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था	0.67	-	-	-	-
रैपिड लोडिंग सिस्टम	-	-	-	-	-
सिलो एओसीपी को रेल कनेक्टिविटी के लिए एफएसआर और डीपीआर तैयार करना	-	-	-	-	-
जेओसीपी के 132/33केवी एस/एस के ई-एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना	-	1.03	-	3.43	-
भुवनेश्वरी सीएचपी/साइलो फेज-1	-	-		-	261.96
रेलवे साइडिंग					
प्रस्तावित 02 आरएलएस के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास		55.68			
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
कोयला स्टॉक केओसी के साथ विंड बैरियर सिस्टम	1.46	-		-	
06 वे-ब्रिज की स्थापना के लिए सिविल कार्य	0.86	-		-	
कुल्दा खदान, कोल स्टॉक के अंदर पीक्यूसी रोड	3.24	-		-	
बांकीबहाल से भेड़ाबहल तक फोर लेन कोल कॉरिडोर का निर्माण	-	432.50		-	
1 ब्रिज का निर्माण	3.51	-		-	
2 ब्रिज का निर्माण	16.01	-		-	
डुडुका से सुंदरगढ़ तक सड़क की मरम्मत।	9.01	-		-	-
तालचेर से पारादीप पोर्ट के बीच स्वचालित सिग्नलिंग	-	-		16.90	
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				-	-
झारसुगुड़ा से सरडेगा डबल लाइन				331.20	
				-	-
अन्य				-	-
				-	-
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
एयूसी-ओएमआई-पीएस	1.34				
एयूसी-ओएमआई	45.55				
ओएमआई	0.80				
अमूर्त संपत्ति (संशोधित परियोजना योजना की तैयारी)	0.22	0		-	-
कुल	**183.13**	**614.47**		**351.53**	**262.46**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

	(₹ करोड़ में) अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि::	
1 अप्रैल 2021 तक	137.79
योग	10.59
पूंजीकरण /विलोपन	(46.50)
31 मार्च 2022 तक	**101.88**
1 अप्रैल 2022 के तक	101.88
योग	11.86
पूंजीकरण /विलोपन	18.31
31 मार्च 2023 तक	**132.05**
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 के तक	-
अवधि के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	**132.05**
31 मार्च 2022 तक	**101.88**

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों के लिए समय-सीमा अनुसूची

	की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्षों से अधिक**	**कुल**
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर :	22.40	35.73	4.74	69.19	132.05
ई एंड ई परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित :					
परियोजना का नाम					
कुल	**22.40**	**35.73**	**4.74**	**69.19**	**132.05**

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति					
		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्षों से अधिक**
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर :					
हेमगिरी सेक्टर-1					5.79
मधुपुर					5.22
प्रजापारा					2.02
बैतरणी					0.01
गौतमधारा					0.01
कुल		-	-	-	**13.05**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अन्वेषनीय अमूर्त परिसंपतियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
1 अप्रैल 2021 तक	0.77	4.56	-	5.33
योग	1.76	-	-	1.76
पूंजीकरण / विलोपन	-	0.01	-	0.01
31 मार्च 2022 तक	**2.53**	**4.57**	**-**	**7.10**
1 अप्रैल 2022 के तक	2.53	4.57	-	7.10
योग	20.15		-	20.15
विलोपन / समायोजन			-	-
31 मार्च 2023 तक	**22.68**	**4.57**	**-**	**27.25**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2021 तक	0.49	-	-	0.49
अवधि के लिए प्रभार	0.24	-	-	0.24
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2022 तक	**0.73**	**-**	**-**	**0.73**
1 अप्रैल 2022 के तक	0.73	-	-	0.73
अवधि के लिए प्रभार	3.76			3.76
हानि				0.00
विलोपन / समायोजन				-
31 मार्च 2023 तक	**4.49**	**-**	**-**	**4.49**
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2023 तक	18.19	4.57	-	22.76
31 मार्च 2022 तक	1.80	4.57	-	6.37

टिप्पणी : कंपनी ने 01.04.2021 से (ईआरपी) एसएपी सॉफ्टवेयर लागू किया है। उक्त तिथि से लेखा सॉफ्टवेयर कोलनेट से स्थानांतरण किया गया है। एसएपी -ईआरपी सॉफ्टवेयर को स्थिर होने के बाद 01.05.2022 से अंतिम संपत्ति में पूंजीकृत किया गया है।

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 तक	-
योग	0.97
पूंजीकरण / विलोपन	5.38
31 मार्च 2022 तक	**6.35**
1 अप्रैल 2022 के तक	6.35
योग	13.46
विलोपन / समायोजन	(19.81)
31 मार्च 2023 तक	-

	विकास के तहत ईआरपी
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	-
अवधि के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 के तक	-
अवधि के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	-
31 मार्च 2022 तक	6.35

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए समय-सीमा अनुसूची

	की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर :					
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
(प्रमुख का नाम (अर्थात कंप्यूटर आदि) का उल्लेख करें।.)	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
विकास के तहत ईआरपी		-	-	-	-
कुल		-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

गैर-चालू निवेश	होल्डिंग का % शेयरों/इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	दिनांक को 31.03.2023	दिनांक को 31.03.2022
अन्य निवेश				
अन्य			-	-
कुल (बी)			-	-
कुल योग (ए)			-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि::			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि :			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि :			-	-

निवेश	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	दिनांक को 31.03.2023	दिनांक को 31.03.2022
म्यूचुअल फंड निवेश				
एसबीआई म्युचुअल फंड - अल्ट्रा मैग्नम	1645893.141/ (1957737.14)	5158.42/ (4897.07)	849.02	958.72
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड फंड	521659.375/ (5603251.94)	3523.30/ (3333.09)	183.8	1867.61
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	32116.777/ (500.32)	2696.71/ 2527.90	8.66	0.13
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	26531.082/ (671.78)	2169.45/ 2032.67	5.76	0.14
बड़ौदा म्यूचुअल फंड	87221.661/ (733.48)	2595.47/ 2430.76	22.64	0.18
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				
7.22% सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड टैक्स फ्री	0/ (4999)	1000100	0	499.95
7.22% सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी बांड कर मुक्त	0/ (1500000)	1000	0	150
कुल :			**1069.88**	**3476.73**
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि :			0	
उद्धृत निवेश की कुल राशि :			1069.88	3476.73
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			1069.88	3483.97
निवेश मूल्य में हानि की कुल राशि:			0	0

टिप्पणी - 8 : ऋण

गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-

- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.2	1.2
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-	
- क्रेडिट हानि	-	-
	1.2	1.2
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	0
कुल	**1.2**	**1.2**

संबंधित पक्षों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
उधारकर्ता का प्रकार	**सकल बकाया राशि**	**सकल ऋण का कुल %**	**सकल बकाया राशि**	**सकल ऋण का कुल %**
निदेशकगण	-	-	-	-
मुख्य कार्मिक प्रबन्धकगण	-	-	-	-
संबन्धित पार्टी	-	-	-	-
कुल	**-**	-	**-**	-
चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0		0
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		0		0
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि		0		0
- क्रेडिट हानि		0		0
		0		0
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		0		0
		0		0
निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.01		0.01
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		0		0
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि		0		0
- क्रेडिट हानि		0		0
		0		0
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		0		0
कुल		**0**		**0**

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें

संबंधित पक्षों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
उधारकर्ता का प्रकार	**सकल बकाया राशि**	**सकल ऋण का कुल %**	**सकल बकाया राशि**	**सकल ऋण का कुल %**
निदेशकगण	-	-	-	-
मुख्य कार्मिक प्रबन्धकगण	-	-	-	-
संबन्धित पार्टी	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	1.82	1.39
खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	1,399.01	1,250.98
प्रतिभूति जमा	44.33	42.91
घटाएं : संदिग्ध प्रतिभूति जमा राशि के लिए भत्ता	-	-
	44.33	42.91
अन्य जमा और प्राप्य	12.22	0.91
घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	0.16	0.16
	12.06	0.75
कुल	**1,457.22**	**1,296.04**

टिप्पणी :

खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा

खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। इस तरह के एस्क्रो खाते पर ₹ 61.84 करोड़ (₹ 35.03 करोड़) के लिए अर्जित/उपार्जित ब्याज बैंकों के पास जमा से ब्याज आय में शामिल है, जिसका खुलासा टिप्पणी -25 में किया गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक प्रत्येक पांच वर्षों के बाद दिशानिर्देश के अनुसार बंदी योजना की आवधिक जांच के अनुरूप जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खान बंदी प्रावधान के लिए नोट 21 देखें)

एस्क्रो खाता शेष का समाधान	31.03.2023	31.03.2022
एस्क्रो अकाउंट में प्रारम्भिक शेष	1250.98	1119.04
योग: चालू अवधि के दौरान जमा की गई शेष राशि	103.83	98.36
योग: अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	55.76	33.58
घटाव: वर्तमान अवधि के दौरान निकाली गई राशि	11.56	-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	**1399.01**	**1250.98**

चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता शेष	-	0.83
घटाव : सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	-	0.83
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित ब्याज	66.89	216.33
अन्य जमा और प्राप्य	375.74	386.23
घटाव :संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
	375.74	386.23
प्रतिभूति जमा	-	-
घटाव: संदिग्ध प्रतिभूति जमा राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**442.63**	**603.39**

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(3)(vii) देखें।
2. उपरोक्त अन्य जमा और प्राप्य राशि में उपदान के लिए ₹6.55 करोड़ की राशि शामिल है, जो बीमांकिक देयता से अधिक वित्तपोषित है।.

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 :अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(i) पूंजीगत अग्रिम	1,286.93	720.40
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	0.60	0.60
	1,286.33	**719.80**
(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	0.08	0.01
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	0.08	0.01
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	0.30	0.96
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
	0.30	0.96
(ग) प्रगतिशील खदान बंदी पर किया गया व्यय	442.89	285.68
कुल	**1,729.60**	**1,006.46**

टिप्पणी : सीसीओ द्वारा अनुमोदन के बाद इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले प्रगतिशील खदान बंद करने का खर्च देय है।

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(क) सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	36.87	75.32
घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय राशि के लिए भत्ता	-	-
	36.87	75.32
(ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
(ग) अन्य जमा तथा अग्रिम 1	2,005.94	2,043.92
घटाव : संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता	6.09	6.10
	1,999.85	2,037.82
(घ) प्रगतिशील खदान बंदी पर किया गया व्यय	98.01	33.00
(ड.) इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	1,499.74	1,143.88
कुल	**3,634.47**	**3,290.02**

1. अन्य अग्रिम और जमा में विरोध के तहत जमा शामिल हैं: - आयकर ₹1591.66 करोड़ (₹1588.23 करोड़), बिक्री कर ₹17.23 करोड़ (₹17.06 करोड़), सेवा कर ₹3.27 करोड़ (₹3.02 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 2.98 करोड़ (₹ 2.98 करोड़), स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ 10.00 करोड़ (₹ 10.00 करोड़)।

2. अन्य अग्रिमों और जमाओं में ₹ 119.33 करोड़ (₹ 107.04 करोड़) अतिरिक्त सीएसआर राशि को आगे ले जाना भी शामिल है। [नोट 29 के तहत सीएसआर पर नोट देखें: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय]।

3. सीसीओ द्वारा अनुमोदन के बाद किए गए प्रगतिशील खान समापन व्यय एस्क्रो खाते से प्राप्त होने वाले हैं।

4. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(vii) देखें

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 : वस्तु-सूची

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(क) कोयले का स्टॉक	757.55	806.98
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक	**757.55**	**806.98**
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (निवल)	191.87	151.29
योग: मार्गस्थ भंडार	-	-
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक	**191.87**	**151.29**
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.80	0.91
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	34.88	29.02
कुल	**985.10**	**988.20**

मूल्यांकन पद्धति : टिप्पणी संख्या- 2.20 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	1,636.92	1,040.90
क्रेडिट हानि	42.80	22.90
	1,679.72	**1,063.80**
घटाव: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	42.80	22.90
कुल	**1,636.92**	**1,040.90**

1. निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 38(3)(vii) देखें।

2. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियों को कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान और कोयले पर नमी के लिए प्रावधान द्वारा ₹17.40 करोड़ (गत वर्ष ₹ 110.63 करोड़ करोड़) घटाया गया है।

व्यापार प्राप्य समय-सीमा अनुसूची

31.03.2023 तक

विवरण	**लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
	6 महीने से कम	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		107.31	3.57	49.71	15.47	1,634.83
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ						-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है		-	2.86	26.00	33.43	62.29
(v) कोयला गुणवत्ता भिन्नता		18.77	(6.92)	(2.20)	(133.91)	(17.40)
(vi) अनुमानित पीआई/मुआवजा						-
कुल		126.08	-0.49	73.51	(85.01)	1,679.72

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

बिल न किया गया देय						
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता				12.80	30.00	42.8
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%		0%	0%	17%	-35%	2.55%

31.03.2022 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		34.62	49.8	0.55	22.99	930.27
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ					22.90	22.90
(v) कोयला गुणवत्ता भिन्नता		60.57	(13.25)	(16.55)	(65.72)	110.63
कुल		**95.19**	**36.55**	**(16.00)**	**(19.83)**	**1,063.80**
बिल न किया गया देय						
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता					22.90	22.9
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%		0%	0%	0%	-115%	2.15%

कोयला गुणवत्ता भिन्नता, सतह नमी प्रावधान का समाधान	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयला गुणवत्ता भिन्नता, सतह नमी प्रावधान का प्रारंभिक संतुलन	(110.63)	50.71
अवधि के दौरान योग	17.40	(110.63)
अवधि के दौरान उत्क्रमण	(110.63)	50.71
कोयला गुणवत्ता भिन्नता, सतह नमी प्रावधान का समापन संतुलन	17.40	(110.63)

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता नकारात्मक का अर्थ है शुद्ध प्राप्य।

टिप्पणी का अनुबंध - 12

मात्रा लाख टन में) (मूल्य लाख रुपये में)

तालिका:क

अवधि के अंत में बही स्टॉक के साथ खाते में अपनाए गए समापन स्टॉक का मिलान

	कुल स्टॉक		**गैर-विक्रय स्टॉक**		**बिक्रय योग्य स्टॉक**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
1. (क) दिनांक 01.04.22 तक प्रारम्भिक शेष	163.39	80,698.28	-	-	163.39	80,698.28
2. अवधि के लिए उत्पादन	1,932.62	27,77,522.92	-	-	1,932.62	27,77,522.92
3. उप-कुल (1क+2)	2,096.01	28,58,221.20	-	-	2,096.01	28,58,221.20
4. अवधि के दौरान ऑफ-टेक						
(क) बाहरी प्रेषण	1,927.54	27,82,455.00	-	-	1,927.54	27,82,455.00
(ख) वाशरीज को कोयला चारा	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वयं की खपत	0.01	10.84	-	-	0.01	10.84
कुल (क)	1,927.55	27,82,465.84	-	-	1,927.55	27,82,465.84
5. व्युत्पन्न स्टॉक	168.46	75,755.36	-	-	168.46	75,755.36
6. मापा गया स्टॉक	168.57	75,923.44	-	-	168.57	75,923.44
7. भिन्नता (5-6)	(0.11)	(168.08)	-	-	(0.11)	-168.08
8. अंतर का टूटना::						
(क) 5% के भीतर अतिरिक्त	1.77	889.94	-	-	1.77	889.94
(ख) 5% के भीतर कमी	1.66	721.86	-	-	1.66	721.86
(ग) 5% से अधिक	-		-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी			-	-	-	-
9. अपनाया गया अंतिम स्टॉक खाते में (6-8क+8ख)	168.46	75,755.36	-	-	168.46	75,755.36

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी का अनुबंध - 12 (जारी)

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

तालिका : ख

	कच्चा कोयला				धुला/बिखरा हुआ कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नॉन-कोकिंग		कोकिंग		नॉन-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	163.39	80,698.28	-	-	-	-	-	-	163.39	80,698.28
5% से अधिक की कमी			-	-							-	-
"समायोजित प्रारम्भिक स्टॉक (विक्रय योग्य)"	-	-	163.39	80,698.28	-	-	-	-	-	-	163.39	80,698.28
उत्पादन	-	-	1,932.62	27,77,522.92	-	-	-	-	-	-	1,932.62	27,77,522.92
कोयले की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऑफ-टेक												
(क) बाहरी प्रेषण	-	-	1,927.54	27,82,455.00	-	-	-	-	-	-	1,927.54	27,82,455.00
(ख) वाशरीज को कोयला चारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वयं की खपत	-	-	0.01	10.84	-	-	-	-	-	-	0.01	10.84
(घ) खरीदे गए कोयले का प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	168.46	75,755.36	-	-	-	-	-	-	168.46	75,755.36
घटाव: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त			-	-							-	-
अंतिम स्टॉक	-	-	168.46	75,755.36	-	-	-	-	-	-	168.46	75,755.36

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले के समापन स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी टीमों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर +/- 5% बुक स्टॉक (खान/कोलियरी वार) के भीतर पाई गई कमी/अधिशेष को लेखांकन नीति के अनुसार अनदेखा कर दिया जाता है।

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(क)बैंक में शेष		
जमा खातों में	37.49	308.00
चालू खातों में		
- ब्याज वहन (सीएलटीडी)	59.44	59.56
- गैर ब्याज वहन	10.01	27.39
नगद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत से बाहर बैंक खाता में शेष	-	-
(सी) प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी	-	626.00
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टैम्प	-	-
(घ)उपलब्ध नगद	-	-
(च) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जेम खाता/अग्रदाय शेष	0.16	0.14
कुल नकद और नकद समकक्ष	**107.10**	**1,021.09**

1. नकद और नकद समकक्षों में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।
2. प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी 7 से 15 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं।

इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) में निवेश का विवरण	31.03.2023	31.03.2022
एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड		248
पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	0	90
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज	0	288
	0	626

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

	दिनांक को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
(क)बैंक में शेष		
जमा	17,991.57	11,757.62
अन्य जमा - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए	13.51	18.88
कुल	**18,005.08**	**11,776.50**

अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा शामिल हैं, जिसके रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

1. विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा बैंक जमा हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार / निर्धारित और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई हैं। - संदर्भ बिंदु टिप्पणी 38 का 5(e)।

टिप्पणी- 16 : इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	As at	
प्राधिकृत	31.03.2023	31.03.2022
₹ प्रत्येक 1000/- के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
(₹ 1000/- के 77,58,200 इक्विटी शेयर)	775.82	775.82
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000/- के पूर्ण प्रदत्त 66,18,363 इक्विटी शेयर	661.84	661.84
(प्रत्येक ₹ 1000/- के पूर्ण प्रदत्त 66,18,363 इक्विटी शेयर)		
	661.84	**661.84**

1. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखनेवाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1000)**	**कुल शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन का %**
कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) एवं इसकी नामित व्यक्ति	6618363.00	100.00	-

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान-:-

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
31.03.2018 को शेष	70,61,330	706.13
जोड़ें/(कम) : इक्विटी शेयरों की वापस खरीद	(442967.00)	(44.30)
31.03.2019 को शेष	66,18,363	661.84
जोड़ें/(कम):	-	-
31.03.2020 तक शेष	66,18,363	661.84
जोड़ें/(कम):	-	-
31.03.2021 तक शेष	66,18,363	661.84
जोड़ें/(कम):	-	-
31.03.2022 तक शेष	66,18,363	661.84
जोड़ें/(कम):	-	-
31.03.2023 को शेष	66,18,363	661.84

3. कंपनी के पास सिर्फ रु. 1000/प्रति शेयर अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर धारक को समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकार है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 17 : अन्य इक्विटी

(₹करोड़ में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 तक शेष	**44.29**	**3036.32**	**4503.17**	**(98.49)**	**7485.29**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			13,462.98	45.26	13508.24
अंतरिम लाभांश			(7,400.00)		(7400.00)
वित्तीय वर्ष 21-22 का अंतिम लाभांश			(1,025.00)		(1025.00)
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		673.76	(673.76)		0.00
अवधि के दौरान समायोजन					0.00
31.03.2023 तक शेष	**44.29**	**3710.08**	**8867.39**	**(53.23)**	**12568.53**

(₹करोड़ में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 तक शेष	**44.29**	**2612.29**	**2278.75**	**(97.50)**	**4837.83**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			8448.51	(0.99)	8447.52
अंतरिम लाभांश			(5000.00)		(5000.00)
वित्तीय वर्ष 20-21 का अंतिम लाभांश			(800.00)		(800.00)
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		424.03	(424.03)		-
अवधि के दौरान समायोजन			(0.06)		(0.06)
31.03.2022 तक शेष	**44.29**	**3036.32**	**4503.17**	**(98.49)**	**7485.29**

*वर्ष के दौरान लाभ में म्यूचुअल फंड में निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन शामिल है जो प्रकृति में काल्पनिक / अप्राप्त है और लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभ का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

01.04.2021 तक शेष	6.21
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जोड़	41.87
31.03.2022 तक शेष	**48.08**
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जोड़	(43.92)
31.03.2023 तक शेष	**4.16**

पूंजी प्रतिदान रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड में)	वर्ष
इक्विटी शेयर का बायबैक	44.29	वित्तीय वर्ष 2018-19
कुल	**44.29**	

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी प्रतिदान रिजर्व में शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी- 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	को 31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
बैंक से	3.92	4.31
कुल	**3.92**	**4.31**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	3.92	4.31
चालू		
मांग पर चुकाने योग्य ऋण बैंक से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 18 : उधार (जारी)

	को	
	31.03.2023	31.03.2022
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि के उधार की चालू परिपक्वता	**0.66**	**0.62**
कुल	**0.66**	**0.62**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	0.66	0.62

टिप्पणी:

1. लिभर्र, फ्रांस से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान परिपक्वता सहित दिनांक 31.03.2023 (पुनर्भुगतान के बाद शुद्ध) के अनुसार बकाया ऋण ₹4.58 करोड़ है। (31.03.2022 के अनुसार ₹ 4.93 करोड़)।

शेष राशि का विवरण इस प्रकार है:-

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2022 को शेष	5,86,170.06	4.93
अवधि के दौरान पुनर्भुगतान	74113.58	0.63
विनिमय अंतर		0.28
31.03.2023 को शेष	5,12,056.48	4.58

निदेशकों और अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋणों का विवरण	राशि ₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक, फ्रांस	3.92	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में एक अपरिवर्तनीय और शर्तहीन गारंटी प्रदान की है।

नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक, फ्रांस के संबंध में ₹ 0.66 करोड़ के लिए दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता भी उपरोक्त के रूप में गारंटीकृत है।

पुनर्भुगतान अनुसूची :

इन ऋण सुविधाओं के तहत पुनर्भुगतान 30 सितंबर, 2030 को पूरी हो जाएगी।

टिप्पणी - 19 : व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

	को		
	31.03.2023		31.03.2022
चालू			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2.23		1.55
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	1,589.38		1,464.88
कुल	**1,591.61**		**1,466.43**

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक देय नहीं है।	2.23	1.55
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में समूह द्वारा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज और देय (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे जिसका भुगतान किया गया है) ।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत तक बकाया।	-	-
ड.) आगे के वर्षों में भी ब्याज देय और बकाया, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 : व्यापार देय (जारी)

व्यापार देय की समय-सीमा अनुसूची

31.03.2023 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) एमएसएमई	2.23				2.23
(ii) अन्य	1,362.67	182.84	24.44	19.43	1,589.38
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई					-
(iv)विवादित बकाया - अन्य					-
कुल	1,364.90	182.84	24.44	19.43	1,591.61
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-

31.03.2022 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) एमएसएमई	1.55	-	-	-	1.55
(ii) अन्य	1,414.33	11.93	17.34	21.28	1,464.88
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv)विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	1,415.88	11.93	17.34	21.28	1,466.43
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-

टिप्पणी- 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

गैर-चालू		
प्रतिभूति जमा	842.16	654.35
अन्य	-	**0.01**
	842.16	**654.35**
चालू		
सीआईएल के साथ चालू खाता	**19.73**	-
प्रतिभूति जमा	153.71	251.45
बयाना जमा	64.52	56.87
पूंजीगत व्यय के लिए देय	3,342.89	2,142.39
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	295.28	248.05
अन्य	384.10	247.87
कुल	**4,260.23**	**2,946.62**

टिप्पणी- 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
गैर-चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
उपदान	0.00	-
अवकाश नगदीकरण	16.68	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	58.97	72.69
अन्य कर्मचारी हितलाभ	26.94	27.94
	102.59	100.64

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-21 : प्रावधान (जारी)

अन्य प्रावधान		
साइट पुनर्स्थापना / खान बंदी1	1,028.35	957.52
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	17,346.79	17,706.34
अन्य	-	-
कुल	**18,477.73**	**18,764.50**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
उपदान	-	2.55
अवकाश नगदीकरण	40.51	10.20
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	11.58	9.49
अनुग्रह राशि	155.38	169.70
कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	245.47	182.09
अन्य कर्मचारी लाभ	815.25	77.69
	1,268.19	451.73
अन्य प्रावधान		
अन्य	241.41	18.07
कुल	**1,509.60**	**469.80**

1. साइट पुनर्स्थापना /खान बंदी प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि सुधार और ढांचों के डी-कमीशनिंग के लिए कंपनी के दायित्व में सरफेस और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है।. खान बंदी, साइट बहाली और डिकमीशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान आवश्यक कार्य के लिए भविष्य के नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खान बंदी व्यय अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय का अनुमान मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है, जैसे कि प्रावधान की राशि व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है, जिसके दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित होने की उम्मीद है। समय के साथ प्रावधान मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट के प्रभाव से वित्तीय व्यय के रूप में पहचाने गए व्यय का सृजन होता है। खान बंदी योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (टिप्पणी - 9 देखें)

भूमि के पुनरूद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंदी का मिलान :

	31.03.2023	**31.03.2022**
प्रारम्भिक तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	957.52	878.56
बाद में साइट बहाली प्रावधान जोड़ना	13.26	14.02
योग: अवधि के दौरान प्रभारित प्रावधान की अनवाईंडिंग	69.13	64.94
घटाव: अवधि के दौरान निकासी	11.56	0.00
खान बंदी प्रावधान	**1,028.35**	**957.52**

2. टिप्पणी 9 में अन्य जमा और प्राप्य शीर्ष के तहत ₹6.55 करोड़ की बीमांकिक देयता से अधिक अनुदानित अनुदान का खुलासा किया गया है।

टिप्पणी- 22 : अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
आस्थगित आय	125.15	139.06
अन्य	0.56	0.52
कुल	**125.71**	**139.58**

टिप्पणी: ₹13.90 करोड़ (₹13.90 करोड़) की आस्थगित आय के वर्तमान भाग को टिप्पणी 23 (अन्य) में शामिल किया गया है।

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	को	
	31.03.2023	**31.03.2022**
सांविधिक बकाया	1,409.60	1,431.14
ग्राहकों / अन्यों से अग्रिम	6,197.40	5,760.69
अन्य देयताएँ	13.90	14.48
कुल	**7,620.90**	**7,206.31**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 24 :संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. बिक्री	41,918.77	30,557.39
कम वैधानिक लेवी	14,094.22	11,391.89
बिक्री (शुद्ध) (क)	27,824.55	19,165.50
ख.अन्य परिचालन राजस्व		
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	2,200.11	1,741.98
घटाव : वैधानिक लेवी	104.77	82.95
	2,095.34	1,659.03
निकासी सुविधा शुल्क	1,214.47	1,037.05
घटाव : वैधानिक लेवी	57.83	49.38
	1,156.63	987.67
सेवाओं से राजस्व	0.42	2.27
घटाव : वैधानिक लेवी	0.06	0.35
	0.36	1.92
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	3,252.33	2,648.61
संचालन से राजस्व (क+ख़)	**31,076.88**	**21,814.11**

1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत कार्य -निष्पादन प्रोत्साहन और मुआवजा आय के रूप में ₹ 509.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 102.14 करोड़) शामिल हैं।
2. उपर्युक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयले की गुणवत्ता भिन्नता, कोयले पर सतह की नमी के लिए प्रावधान (रिवर्सल का शुद्ध) की राशि ₹ 130.62 करोड़ (₹ 163.76 करोड़ की वार्षिक वृद्धि) से कमी आई है।

टिप्पणी- 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	1,025.39	779.14
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	4.92	2.87
विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ	-	0.10
म्युचूअल फंड की बिक्री पर लाभ	162.78	83.41
पट्टा किराया	8.13	5.87
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैक)	115.10	159.50
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	(43.92)	41.87
विविध आय	315.84	58.30
कुल	**1,588.24**	**1,131.06**

1. ब्याज आय में आयकर रिफंड पर ब्याज शामिल है ₹ शून्य करोड़ (गत वर्ष ₹ 232.57 करोड़)

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	657.19	384.80
लकड़ी	0.32	0.44
तेल एवं लुब्रिकेंट	540.32	446.11
एचईएमएम के पुर्जे	115.15	95.66
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	81.84	64.79
कुल	**1,394.82**	**991.80**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी -27 : तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	806.98	990.76
कोयले का अंतिम स्टॉक	757.55	806.98
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	**49.43**	**183.78**
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का प्रारंभिक स्टॉक	29.02	26.77
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का अंतिम स्टॉक		29.02
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन		**(2.25)**
व्यापार में कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (क+ख) {घटाव/अभिवृद्धि}	**43.57**	**181.53**

टिप्पणी- 28 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	3,427.19	2,595.15
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	811.10	807.54
कर्मचारी कल्याण हेतु व्यय	275.26	196.11
कुल	**4,513.55**	**3,598.80**

टिप्पणी- 29 : सीएसआर संबंधी व्यय

सीएसआर व्यय	195.68	181.62
कुल	**195.68**	**181.62**

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित) :		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	74.79	209.95
विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	55.77	12.66
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के साथ की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.9	0.61
पर्यावरण स्थिरता	4.3	6.56
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	10.78	1.50
सशस्त्र बलों के सिपाहियों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का हितलाभ	0	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	11.4	0.11
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	0	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान विकास परियोजनाओं में योगदान	0.18	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	48.38	18.80
गंदी बस्ती का विकास	0.01	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	1.46	1.57
कुल	**207.97**	**251.76**

ख. सीएसआर खर्च करने की आवश्यकता और सीएसआर व्यय ब्रेक-अप	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) अवधि के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	195.68	181.62
(ख) अवधि के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि	207.97	251.76

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी (जारी)

अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	150.73	47.99
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	57. 24	203.77
कुल	**207.97**	**251.76**

(₹ in Crore)

ग . मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और खर्च किए गए सीएसआर व्यय का समाधान	**2022-23**	**2021-22**
सीएसआर (व्यय सहित)	207.97	251.76
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त ले जाया गया/(उपयोग किया गया)।	12.29	70.14
जोड़ें: चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय		0
जोड़ें: चालू के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय	0	0
लाभ एवं हानी में चिन्हित राशि	195.68	181.62
घ. चल रही परियोजना के अलावा अन्य अव्ययित राशि [धारा 135(5)]		
	2022-23	**2021-22**
प्रारंभिक जमा	0	0
6 महीने के भीतर अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में जमा की गई राशि	0	0
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	0	0
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	0	0
जमा शेष	0	0

ई. खर्च की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
2020-21		168.44	205.34	36.90
2021-22	36.90	181.62	251.76	107.04
2022-23	107.04	195.68	207.97	119.33

टिप्पणी-11 के तहत अन्य अग्रिमों और जमाओं के लिए फुटनोट देखें: अन्य मौजूदा संपत्तियां

ई. चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)

वर्षवार विवरण		**2022-23**	**2021-22**
प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ	0	0
	अलग सीएसआर खाते में	0	0
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि		0	0
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	कंपनियों के बैंक खाते से	0	0
	अलग सीएसआर खाते में	0	0
जमा शेष	कंपनी के साथ	0	0
	अलग सीएसआर खाते में	0	0
सीएसआर व्यय की देयता का प्रावधान		2022-23	2021-22
प्रारंभिक जमा			
अवधि के दौरान जोड़			
वर्ष के दौरान समायोजन			
जमा शेष			

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी		
भवन	149.99	108.99
संयंत्र एवं मशीन	54.00	61.29
अन्य	1.51	1.95
कुल	**205.50**	**172.22**
टिप्पणी- 31 : संविदात्मक व्यय		
परिवहन शुल्क:	2,233.43	1,816.75
वैगन लदाई	92.88	98.57
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	2,970.71	2,533.26
अन्य संविदात्मक कार्य	122.99	71.95
कुल	**5,420.01**	**4,520.53**
टिप्पणी- 32 : वित्तीय लागत		
ब्याज पर व्यय		
छूट की समाप्ति	81.08	61.08
अन्य उधार लागत	0.04	0.05
	81.12	**61.13**
टिप्पणी 33 : प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	22.36	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	2.79	6.67
अन्य	-	-
कुल	**25.15**	**6.67**
टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निवल)		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	0.67	0.08
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	0.67	0.08
अन्य	-	11.42
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	11.42
कुल	**0.67**	**11.50**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 35 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	25.21	12.37
प्रशिक्षण व्यय	8.30	3.16
दूरभाष एवं इंटरनेट	24.86	25.09
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	7.95	4.85
भाड़ा प्रभार	-	0.01
विलंब शुल्क	6.83	6.09
सुरक्षा व्यय	122.03	108.17
सीआईएल का सेवा प्रभार	386.52	336.34
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार	27.83	26.78
विधिक व्यय	6.26	6.53
परामर्श शुल्क	2.80	2.46
लदान शुल्क के तहत	86.81	110.24
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.12	0.11
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.23	0.23
कर संबंधी मामले के लिए	0.02	0.00
अन्य सेवाओं के लिए	0.17	0.17
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.15
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	2.85	2.68
पुनर्वास शुल्क	115.63	105.70
पट्टा किराया	86.43	78.29
दर एवं कर	428.72	31.22
बीमा	0.68	0.75
विनियम दर में अंतर से हानि	0.28	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	4.99	3.26
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	50.93	42.35
आर एंड डी व्यय	-0.19	0.35
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	39.35	33.22
दान, पुरस्कार और अनुदान	70.89	9.69
विविध व्यय	131.46	136.70
कुल	**1,638.01**	**1,086.96**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	4,643.67	2,972.32
स्थगित कर	374.20	9.89
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	**5,017.87**	**2,982.21**
भारतीय आंतरिक कर दर से गुणित व्यय और लेखा लाभ का मिलान		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	18,481.06	11,431.01
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	4,651.31	2,876.96
घटाव : कर से मुक्त आय	13.39	16.08
घटाव : कर उद्देश्यों के लिए अनुमत अतिरिक्त खर्च	329.24	369.37
जोड़: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	334.98	480.82
जोड़: पिछले वर्ष के लिए समायोजन	-	-
जोड़: मैट प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
समायोजन: आस्थगित कर	374.20	9.89
लाभ और हानि के विवरण में सूचित आयकर व्यय	**5,017.87**	**2,982.21**
प्रभावी आयकर दर: :	27.15%	26.09%
आस्थगित कर देयता निम्नलिखित से संबंधित है::		
क. आस्थगित कर परिसंपत्तियां::		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	13.04	13.04
कर्मचारी लाभ	22.06	10.88
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	27.52	3.81
(क) का कुल	**62.62**	**27.73**
ख. स्थगित कर देयता		
अचल संपत्तियों से संबंधित	976.28	567.19
अन्य		0.00
(ख) का कुल	**976.28**	**567.19**
ग. (क-ख) निवल	**(913.66)**	**(539.46)**
घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापण		
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग+घ)	**(913.66)**	**(539.46)**

टिप्पणी- 37 : अन्य व्यापक आय

(क) (i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	60.48	(1.32)
	60.48	(1.32)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(15.22)	0.33
	(15.22)	0.33
कुल (क)	**45.26**	**(0.99)**
(ख) (i) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	
	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	**45.26**	**(0.99)**

1. उपरोक्त अन्य व्यापक आय में ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.68 करोड़ (गत वर्ष ₹(15.50) करोड़), सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए ₹ 4.80 करोड़ (गत वर्ष ₹14.18 करोड़) शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहायक कंपनियों में समेकन और ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांत

i) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन में प्रयुक्त सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, जो मूल कंपनी की थी।

ii) समेकित वित्तीय विवरण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसकी आंशिक/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, अर्थात् एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड से संबंधित हैं।

iii) समूह के वित्तीय विवरणों को इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ समेकित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

31.03.2022 को अनुषंगी कंपनियों की स्थिति इस प्रकार है: -						
अनुषंगियों के नाम	**पता**	**निगमन की तिथि**	**सहायक में हिस्सेदारी (%)**		**गैर-नियंत्रित ब्याज (₹ करोड़ में)**	
			31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड .	आनंद विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	16.07.2008	70.00%	70.00%	30.00%	30.00%
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	हाउस नं. 42,प्रथम तल, आनंद नगर, हाकिम पाड़ा, अनगुल	13.08.2008	60.00%	60.00%	40.00%	40.00%
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	प्लॉट-नं जी-3, मंचेस्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	02.12.2011	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	एमडीएफ रूम, कॉर्पोरेट ऑफिस, एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार बुर्ला सम्बलपुर	31.08.2015	71.11%	71.11%	28.89%	28.89%

उपरोक्त सहायक कंपनी के 31.03.2023 को समाप्त अवधि तक सीमित समीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों को समेकन में माना गया है।

iv) इन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए सूचनात्मक प्रकटीकरण और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेत हैं। इस उद्देश्य को स्वीकार करते हुए, समूह ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल ऐसी नीतियों और टिप्पणियों का खुलासा किया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण को उचित रूप से प्रस्तुत करती हैं।

v) **सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)**

संस्था का नाम	**शुद्ध संपत्ति, यानी कुल संपत्ति घटा कुल देयताएँ**		**लाभ या हानि में शेयर**		**अन्य व्यापक आय में शेयर**		**कुल व्यापक आय में शेयर**	
	समेकित शुद्ध संपत्ति के% के रूप में	**राशि (₹ करोड़ में)**	**समेकित लाभ या हानि के% के रूप में**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**समेकित अन्य व्यापक आय के% के रूप में**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**समेकित आय के % के रूप मेंe**	**राशि (₹ करोड़ में)**
अनुषंगियाँ								
भारतीय								
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड .	0.31	41.73	0.00	0.18	-	-	0.00	0.18
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.56	74.84	0.01	0.71	-	-	0.01	0.71
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.045266592	-6.02	-0.00022283	(0.03)	-	-	-0.000222083	(0.03)
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.67	88.64	-0.003193894	(0.43)	-	-	-0.003183193	(0.43)
कुल (क)	**1.50**	**199.19**	**0.00**	**0.43**	-	-	**0.00**	**0.43**
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)		-	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**1.50**	**199.19**	**0.00**	**0.43**	-	-	**0.00**	**0.43**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

2. अपरिचित मदें

a) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारंभिक शेष	8662.71	4695.98	1.13	286.02	13,645.84
वर्ष के दौरान योग	3235.91	79.51		20.89	3,336.31
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से	2814.27	234.54	1.13	100.52	3,150.46
ख. वर्ष के दौरान योग से	0.13	-	-	4.07	4.20
31.03.2023 तक अंतिम शेष	**9,084.22**	**4,540.95**	-	**202.32**	**13,827.49**

आकस्मिक देयता

क्रमांक.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	7,729.85	7,684.56
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	328.14	328.07
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	505.04	504.96
	केंद्रीय विक्रय कर		-
	सेवा कर	141.86	137.41
	अन्य	379.33	7.71
	उप-योग	**9,084.22**	**8,662.71**
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी	868.61	1,016.83
	पर्यावरण मंजूरी	2,915.04	2,914.96
	विक्रय कर/वैट	30.26	28.33
	प्रवेश कर	5.23	5.23
	विद्युत शुल्क		-
	अन्य	721.81	730.63
	उप-कुल	**4,540.95**	**4,695.98**
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	1.13
	कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा		
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**-**	**1.13**
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि एवं अन्य	36.89	30.15
	कर्मचारी संबंधित और आदि	165.43	255.87
	उप-कुल	**202.32**	**286.02**
	कुल योग	**13,827.49**	**13,645.84**

नोट: सांविधिक लेखा परीक्षकों ने रेल कॉरिडोर के निर्माण और रेलवे साइडिंग के रखरखाव के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को किए गए भुगतान, सड़क के निर्माण के लिए ओपीडब्ल्यूडी के भुगतान, वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए ₹366.36 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि के भुगतान पर आरसीएम पर देय जीएसटी के संबंध में एक अवलोकन किया है। ग्रुप ने स्वतंत्र जीएसटी विशेषज्ञों से राय ली है, जिसके अनुसार आरसीएम पर जीएसटी देय नहीं है। हालांकि सांविधिक लेखापरीक्षकों का दृष्टिकोण स्वतंत्र जीएसटी विशेषज्ञों से प्राप्त राय से मेल नहीं खाता है। समूह को जीएसटी अधिकारियों से उपरोक्त मामले के कोई मांग नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि सांविधिक लेखा परीक्षक के अवलोकन पर विचार करते हुए, ₹366.36 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) को उपरोक्त आकस्मिक देयता के तहत प्रदर्शित किया गया है क्योंकि पिछली घटनाओं के लिए एक संभावित दायित्व हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

II. गारंटी

31.03.2023 तक जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 614.33 करोड़ (₹ 608.55 करोड़) है

III.साख पत्र एवं आश्वासन पत्र

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार अनुसार बकाया साख पत्र ₹ शून्य (₹ शून्य करोड़) है और आश्वासन पत्र ₹ शून्य (शून्य) है।

(ख) प्रतिबद्धताएं

शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: ₹ 5608.57 करोड़ (₹ 2386.07 करोड़)।

अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ 8334.49 करोड़ (₹ 3799.60 करोड़)।

3. आकस्मिक संपत्ति

(1) ₹367.94 करोड़ की ब्याज राशि (जीएसटी को छोड़कर) सरकार से दावा किया गया। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि की किस्तों के भुगतान में विलम्ब हेतु। हालांकि, उपभोक्ताओं द्वारा ब्याज की गणना के तौर-तरीकों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

2) वर्ष 2011-2014 के लिए 7.56 करोड़ रुपये का प्रदर्शन प्रोत्साहन उन उपभोक्ताओं के खिलाफ कम राशि के लिए लिया जा रहा है जो वर्तमान में व्यापार संवाद में नहीं हैं। उक्त उपभोक्ता जब भी एमसीएल के साथ व्यापार में आएंगे उनसे इसकी वसूली की जाएगी।

3. अधिकृत पूंजी

	31.03.2023	31.03.2022
₹ 1000/- प्रत्येक के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
20,41,800 ₹ 1000/- प्रत्येक के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (जल्द से जल्द मोचन की शर्तों के अनुसार रिडीम किया गया)	204.18	204.18

4. संबन्धित पार्टी सूचनाएँ

क समूह सूचना

i) अनुषंगी कंपनियाँ		मुख्य गतिविधियाँ	निगम का स्थान	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2023	31.03.2022
1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोयला उत्पादन	भारत	70.00%	70.00%
2	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोयला उत्पादन	भारत	60.00%	60.00%
3	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	विद्युत उत्पादन	भारत	100.00%	100.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	रेल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण और संचालन	भारत	71.11%	71.11%

ii) रोजगार पूर्व लाभ निधि तथा अन्य

ट्रस्ट

1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड

2)कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

3) कोल इंडिया अधिवर्षिता लाभ निधि ट्रस्ट

4) गैर-कार्यकारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना

5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री ओ पी सिंह	सीएमडी निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.01.2022 01.09.2016 - 22.08.2022
श्री के आर वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018 - 31.07.2022
श्री ए के बेहुरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022
श्री जुगल बोरा	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी) निदेशक (तकनीकी-ओपी)	19.04.2022 23.11.2022

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री एस के पाल	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	01.12.2021 - 19.04.2022
श्री के राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री एस के बेहरा	कंपनी सचिव	15.11.2021 - 25.04.2022
श्री सौभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री एस एन तिवारी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.12.2019 - 30.04.2022
श्री विनय रंजन	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	12.05.2022 - 23.08.2022
श्री नागाराजू मडीराला	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	17.03.2020 - 22.02.2023
श्री एस मोहन	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्री देबाशीष नंदा	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.08.2022 - 27.01.2023
डॉ. आशा लकड़ा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	27.01.2023

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक - एमएनएच शक्ति लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री जे के बोरा	अध्यक्ष	06.12.2021
श्री अनिल मलिक	निदेशक	20.12.2019
श्री. एस सी सुमन	निदेशक	08.06.2022
श्री एस.के. पाल	निदेशक	16.01.2022
श्री ए के सिंह	निदेशक	16.01.2022
श्री एमएस शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	09.01.2023
श्री एस के देबनाथ	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27.10.2022
श्री एम तिवारी	कंपनी सचिव	20.10.2022

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक - एमजेएसजे कोल लिमिटेड

नाम	पद	से प्रभावी
श्री अजीत कुमार बेहुरा	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री संतोष कुमार पाल	निदेशक	16.01.2022
श्री दीपांकर पांडा	निदेशक	22.07.2021
श्री शशिभूषण शोभनाथ उपाध्याय	निदेशक	29.07.2016
श्री चंद्र प्रकाश ताते	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभाजीत सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री अनुपम श्रीवास्तव	निदेशक	16.01.2022
श्री कृपा शंकर सिंह	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	12.12.2022
श्री मानस रंजन मिश्रा	सीएफओ	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिदा	कंपनी सचिव	29.04.2022

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक - महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

नाम	पद	से प्रभावी
श्री केशव राव	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री एके पाण्डेय	निदेशक	01.03.2023
श्री जी महापात्र		01.03.2023
श्री के.एस. सिंह	निदेशक	28.04.2022
श्री एस के भुइयां	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16.03.2021

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

नाम	पद	से प्रभावी
श्री ओ पी सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019
श्री केशव राव	निदेशक	16.12.2020
श्री केके राउल	निदेशक	10.01.2020
श्री मनोरंजन मलिक	निदेशक	01.02.2023
श्रीमती. रागिनी आडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री सुरेंद्र सिंह	निदेशक	20.10.2022
श्री प्रियरंजन पाढ़ी	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	05.12.2021
श्री बी.के. परिडा	सीएफओ	01.04.2022
श्री एस के बेहरा	कंपनी सचिव	28.06.2022

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रमांक.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	2.78	2.01
ii)	रोजगार पश्चात लाभ	0	0.24
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	0	0
iv)	समाप्ति लाभ	0.45	0.14
v)	शेयर आधारित भुगतान	0	0
	कुल	**3.23**	**2.39**

Note:

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 द्वारा तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार रियायती दर के भुगतान पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(v स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रमांक.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	0.06	0.06

(vi) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पास बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्रमांक.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	देय राशि	Nil	Nil
ii)	प्राप्य राशि	Nil	Nil

(vii)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई निधि पर ब्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

i) अनुषंगी कंपनियाँ

31.03.2023 को बकाया राशि और उसके बाद की अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों /भंडार सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.07)		0.27		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				0.02				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.55				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				0.01				

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों /भंडार सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
साउथ ईस्टर्न कोलफ़ील्डस लिमिटेड				2.13		(0.36)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.36)				
सीएमपीडीआईएल								45.27
कोल इंडिया लिमिटेड	386.52	115.63	8,425.00				-19.73	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(1.54)		29.78	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड					(10.91)		245.70	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड **					(0.07)		1.40	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.27)		5.23	
कुल	**386.52**	**115.63**	**8,425.00**	**2.28**	**(12.79)**	**(0.09)**	**262.38**	**45.27**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।
अन्य में एसईसीएल - वर्कशॉप मरम्मत शुल्क और ईसीएल के लिए - एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्क शामिल हैं

31.03.2022 को बकाया राशि और उसके बाद की अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों /भंडार सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				-		0.23		
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड				(0.03)				
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				-				
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.19)				
साउथ ईस्टर्न कोलफ़ील्डस लिमिटेड				(0.30)		(1.92)		
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				(0.51)				
सीएमपीडीआईएल				-				(33.00)
कोल इंडिया लिमिटेड	336.34	105.70	5,800.00				0.95	
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड					(0.99)		28.02	
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड				(54.13)	(4.63)		151.34	
एमएनएच शक्ति लिमिटेड **					(0.17)		1.08	
एमजेएसजे कोल लिमिटेड					(0.03)		4.93	
कुल	**336.34**	**105.70**	**5,800.00**	**(55.16)**	**(5.82)**	**(1.69)**	**186.32**	**(33.00)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

* एमसीआरएल को संपत्तियों के हस्तांतरण में भूमि की बिक्री के लिए ₹32.07 करोड़ और बलराम-अंगुल रेल लाइनों पर राइट्स द्वारा निष्पादित कार्यों के हस्तांतरण के लिए ₹22.06 करोड़ शामिल हैं।

*एमसीएल ने चालू खाता शेष राशि से स्थानांतरित करके एमसीआरएल के आगे के इक्विटी शेयरों में ₹ 63.97 करोड़ का निवेश किया है और शेयरों को तदनुसार आवंटित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

** एमएनएच शक्ति लिमिटेड ने ₹85.10 करोड़ की मौजूदा शेयर पूंजी से ₹50 करोड़ की पूंजी घटाकर ₹35.10 करोड़ कर दी है। तदनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड में धारित इक्विटी पूंजी के प्रतिशत के आधार पर एमसीएल को ₹ 35.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

अन्य में एलडीबीएम और सीआईटीएमसी शुल्कों के लिए ईसीएल के डेबिट मेमो के लिए 0.23 करोड़ रुपये और एसईसीएल को वर्कशॉप डेबिट के लिए 1.92 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ग सीएमपीडीआईएल के साथ लेनदेन

क्रमांक.	विवरण	टिप्पणी संख्या	रूपये (₹ करोड़ में)
	लाभ और हानि का विवरण		
1	पूंजीगत व्यय	3	23.85
2		4	45.56
3		5	0
4		6.1	0
5		6.2	0
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	35	29.83
7	पर्यावरण व्यय	35	39.51
8	आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	35	0.1
	तुलन पत्र		
1	पूंजीगत व्यय के लिए देय	20	13.96
2	व्यापार देनदारियां	19	31.31
3	तुलन पत्र के अन्य प्रमुख		

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं और नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज किए गए हैं।

5. विविध जानकारी

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(b) नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, MCA ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। संशोधन निम्नानुसार हैं:

भारतीय लेखांकन मानक 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखा नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। समूह को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखांकन मानक 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को अलग करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक 8 में संशोधन शामिल किए हैं। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखांकन मानक 12 -आय कर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को कम कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेट अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। समूह को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

(ग) एमसीएल प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम) का निर्माण

ग्रुप ठेकेदार एम/एस एनबीसीसी के माध्यम से 138.83 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अनुमानित कुल मूल्य के साथ एक संस्थान 'एमसीएल प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा प्रबंधन संस्थान (एमआईएनआरईएम), भुवनेश्वर' का निर्माण कर रहा है। निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। हालांकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति दे दी है। एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए फिर से मान्य किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। सचिव, एमओसी द्वारा 04.08.2021 को दी गई समय-सीमा के अनुसार एनबीसीसी ने 15 दिनों में काम फिर से शुरू नहीं किया था। कई पत्रों के बाद, एनबीसीसी को काम शुरू करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है। पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों में यानी 12.10.2021 को, ऐसा न करने पर एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन की समाप्ति की सूचना एनबीसीसी को 05.01.2022 को दी गई है।

शेष कार्य के लिए पीएमसी का कार्य सीएमपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 द्वारा सौंपा गया है।

समूह ने 31.03.2023 तक संस्थान के निर्माण के लिए 121.27 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

समूह ने चक्रवात फानी और चोरी के कारण इमारत को हुए नुकसान के कारण ₹ 12.72 करोड़ की हानि का आरोप लगाया है।

इसके अलावा मामला विवाद के अधीन है, 11वां और 12वां आरए बिल मौजूदा मोबिलाइजेशन अग्रिम के साथ लेखांकन और समायोजन के लिए लंबित है।

(घ) भूमि बलियापंडा मौजा, पुरी में

बलियापंडा मौज़ा, पुरी में ₹ 0.94 करोड़ (चारदीवारी के लिए जमा सहित) की 5 एकड़ भूमि पुरी नगर पालिका से लीज़ के रूप में 99 वर्ष की लीज़ अवधि के साथ 01.04.1996 से लीज़ के रूप में ली गई है। हालांकि, तहसीलदार पुरी ने अपने ऑफिस मेमो नं. 7206 दिनांक 21.08.2004 को एमसीएल, भुवनेश्वर को एक प्रति के साथ कलेक्टर पुरी को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त क्षेत्र ""खारे पानी क्षेत्र "" के अंतर्गत आता है और इसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। आवास और शहरी विकास विभाग में। हालांकि उक्त भूमि खारे पानी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक भू-किराया उपकर के साथ स्वीकार किया है। आगे निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र सं. 4707 दिनांक 08.01.2019, ने कलेक्टर, पुरी से स्टॉल परियोजना शुरू करने के लिए वैकल्पिक भूमि जल्द सौंपने का अनुरोध किया। भूमि के वैकल्पिक पैच आवंटन के लिए दिनांक 05.12.2019 को उप-महाप्रबंधक, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को पत्र लिखा गया है। इसके बाद, उप-महाप्रबंधक , एमसीएल और मुख्य-प्रबन्धक (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर ने राय दी कि भूमि को नगर पालिका द्वारा गलत तरीके से एमसीएल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर पट्टे पर दिया गया था, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और पूर्व में नगर पालिका, पुरी के पास जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने धनवापसी या नगर पालिका, पुरी के साथ वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

ड न्यायालय, विभिन्न सरकार के निर्देश के अनुसार ₹ 15.33 करोड़ (गत वर्ष- ₹ 20.27 करोड़) का जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) बनाया गया है। प्राधिकारी और टिप्पणी -15 और टिप्पणी -9 के तहत दिखाए गए बैंक गारंटी जारी करने के लिए। विवरण नीचे दिए गए हैं:

टिप्पणी-15- ₹13.51 करोड़

i.अदालत के आदेश के अनुसार, सावधि जमा में वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों के विरुद्ध वसूले गए मूल्य अंतर के विरुद्ध किए गए ₹ 7.21 करोड़ शामिल हैं।

ii. सावधि जमा में मैसर्स आईआरसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ किए गए ₹ 0.26 करोड़ शामिल हैं।

iii. मैसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्रा. लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेश के अनुसार रिट याचिका संख्या 2015 का 3109 के अंतिम परिणाम तक।

iv. माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश के अनुसार किए गए सावधि जमा में ₹1.47 करोड़ शामिल हैं, अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना है।

v. बैंक के पास क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ की बैंक जमाराशि रखी गई है, जिसे समझौता ज्ञापन/समझौते के विरुद्ध जल बांध प्रभाग के पक्ष में गिरवी रखा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

vi. लिलारी नाले से निकासी के लिए समझौते के निष्पादन के लिए टीडीआर के आकार में ₹ 0.02 करोड़ की बैंक जमा राशि।

vii. ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर मैसर्स उत्कल राजमार्गों के लिए टीडीआर के आकार में ₹ 1.32 करोड़ की बैंक जमा राशि।

viii. अधिशासी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रमंडल, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 0.10 करोड़ की बैंक जमा राशि।

ix. अधिशासी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रमंडल, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में ₹ 1.42 करोड़ की बैंक जमा राशि।

x. एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए टीएएमडीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक जमा में ₹ 1.07 करोड़ शामिल हैं।

टिप्पणी-9- ₹1.82 करोड़

i. कार्यपालक अभियंता, मुख्य बांध प्रमंडल, बुर्ला के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में रू0 0.37 करोड़ जमा किये गये

ii. मैसर्स हिंदुस्थान डोर ओलिवर के बैंक गारंटी के नकदीकरण के संबंध में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एफडीआर के रूप में ₹ 1.00 करोड़ जमा किए गए

iii. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रमंडल, बुरला के पक्ष में ₹0.05 करोड़ एफडीआर के रूप में जमा किए गए।

iv. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफडीआर के रूप में जमा किए गए।

v. अधीक्षण अभियंता, मुख्य बांध प्रभाग, बुर्ला के पक्ष में ₹0.16 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

vi. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

vii. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

viii. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.09 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.03 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

ix. अधीक्षण अभियंता, अंगुल सिंचाई प्रभाग के पक्ष में ₹0.02 करोड़ एफ़डीआर के रूप में जमा किए गए

च एमसीएल में, 23 खुली खदानें और 13 भूमिगत खदानें हैं, जिनमें से 4 खुली खदानें और 9 भूमिगत खदानें अनुत्पादक हैं और 4 खुली खदानें विकास के अधीन हैं:-

अनुत्पादक खानों की सूची:-

क्र सं	खानों का नाम	अनुत्पादक न होने का कारण
1	छेंदीपाड़ा ओसीपी	खदान बंद होने के कारण
2	लिलारी ओसीपी	संचालन की अनुमति 31.03.2018 तक थी
3	दक्षिण बलंडा ओसीपी	कोयला भंडार के समाप्त होने के कारण।
4	बसुंधरा पूर्व ओसीपी	सभी कोयले की निकासी के कारण खदान बंद है।
5	हिमगीर रामपुर कोलियरी भूमिगत	यह खदान 27.05.2013 से बंद है और खदान बंदी का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन खदान बंदी के लिए डीजीएमएस की मंजूरी आज तक नहीं मिली है।
6	ओरिएंट माइन नंबर -4 भूमिगत	विकास पैच की अनुपलब्धता के कारण 02.07.2017 से उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II वन मंजूरी की कमी के कारण कोई डिपिलरिंग अनुमति नहीं है।
7	ओरिएंट माइन नं. 3 भूमिगत	गिरे हुए कोयले की सफाई का कार्य पूरा होने के कारण दिनांक 01.04.2021 से उत्पादन बंद कर दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

8	तालचेर भूमिगत	डीएमएस, भुवनेश्वर द्वारा नोटिस संख्या - 010686/बीबीआर-डीएच/सीओ-6/नोटिस-22ए (1)/2015/4562 द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 22ए (1) का अनुपालन न करने के कारण कोयले का खनन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान कार्यकारी जिला) में तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और सीएमआर -2017 के प्रावधान के अनुसार, पंजीयन संख्या - 158(3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
9	देउलबेरा भूमिगत	अधीक्षक के नोटिस पर उत्पादन बंद करना पड़ा। इंजीनियर ने कहा कि पानी दाहिनी किनारे की नहर में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे दिनांक 19.07.2006 से खनन कार्य चल रहा था।
10	हंडीधुआ भूमिगत	भारी नुकसान के कारण 16.09.1998 से उत्पादन बंद हो गया है।
11	तालचेर पश्चिम भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में भूमिगत प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है
12	जगन्नाथ भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में भूमिगत प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है
13	नटराज भूमिगत	एमसीएल बोर्ड ने 19.11.2021 को हुई अपनी 241वीं बैठक में भूमिगत प्रोजेक्ट को वापस लेने की मंजूरी दे दी है

विकास खानों की सूची:-

क्र सं	विकास खान
1	सियारमल ओ.सी.पी
2	बसुंधरा पश्चिम (विस्तार) ओसीपी
3	सुभद्रा ओ.सी.पी
4	बलभद्र ओसीपी

छ खान निदेशक, उड़ीसा ने आदेश क्रमांक. एमएक्सएल(जी)-01/2022 6002/डीएम दिनांक 16.07.2022 और एमसीएल को रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी पर अर्जित संबंधित देय राशि के साथ चालू माह के लेनदेन से ग्रेड स्लिपेज के लिए क्रेडिट नोट्स में रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के समायोजन के लिए अनुमति दी है। जुलाई 2022 के महीने से महीने दर महीने के आधार पर। संबंधित डीई के साथ सुलह की प्रक्रिया चल रही है। खान निदेशक दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2022 की अवधि हेतु। सुलह प्रक्रिया पूरी होने के बाद रॉयल्टी, एनएमईटी और डीएमएफ पर क्रेडिट नोट जारी करने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के लिए ₹312.79 करोड़ (एमसीएल द्वारा राज्य प्राधिकरण के साथ प्रस्तुत) क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जारी किया जाए।

ज वित्त वर्ष 22-23 से प्रभावी कुछ अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन शुल्क में ₹1.85 करोड़ की वृद्धि की गई है।

झ संपत्तियों को सक्षम करना

क्र सं	संपत्ति का विवरण	संपत्ति का वर्ग	टिप्पणी	राशि (₹ करोड़ में)
1	बरपाली से झारसुगुड़ा तक रेलवे लाइन	रेल कॉरीडोर	3	1122.54
2	बांकीबहल से कनिका तक 4 लेन कोल कॉरिडोर	अन्य खनन अवसंरचना	3	235.47
3	बांकीबहाल से भेड़ाबहल तक कोल कॉरिडोर रोड	अन्य खनन अवसंरचना	4	432.5
4	ट्रांसफार्मर लाइन सीईओ, वेस्को	संयंत्र और उपकरण	3	2.31
5	ट्रांसफार्मर लाइन सीईओ, वेस्को	संयंत्र और उपकरण	3	0.43
6	33 केवी सबस्टेशन का निर्माण	संयंत्र और उपकरण	3	0.51
7	01 NO (100/5)एएमपी मीटिंग यूनिट की स्थापना	संयंत्र और उपकरण	3	0.02
8	तालचर से पारादीप बंदरगाह तक ऑटो-सिग्नलिंग प्रणाली	रेलवे साइडिंग	4	66.8
9	बलंदा में केवी के सामने के हिस्से का फेस लिफ्टिंग	इमारतों	3	1.86

(ञ)सहायक खातों में अन्य जानकारी

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले

i) 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। तदनुसार समूह के पक्ष में पूर्व में आवंटित उत्कल ए (गोपाल प्रसाद पश्चिम सहित) और तालाबीरा II और III नाम के कोयला ब्लॉक का भी आवंटन रद्द कर दिया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

ii) कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक आवंटित किया है, जैसा कि इसके पत्र दिनांक 17 फरवरी 2016 को सूचित किया गया था। एमएनएच शक्ति लिमिटेड एमसीएल की अनुषंगी कंपनी भूमि अधिग्रहण, प्रगति में पूंजीगत कार्य तथा अमूर्त संपत्ति के लिए उसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए नामित प्राधिकारी, एमओसी के माध्यम से नए आवंटी से मुआवजा पाने की हकदार है। मुआवजा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामांकित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और समूह द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। समूह को वित्तीय वर्ष 2016-17 में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और रेलवे साइडिंग आदि के लिए ₹ 18.55 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

(ट) अन्य

i. पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक समझे गए, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ii. टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक बैलेंस शीट 31.03.2023 तक का हिस्सा है और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

6 उचित मूल्य माप

(क) वर्गवार वित्तीय साधन

	31.03.2023		31.03.2022	
	एफ.वी.टी.पी.एल.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी.एल.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड		-		-
म्युचुअल फंड/आईसीडी			2,826.78	
ऋण		1.20		1.20
जमा एवं प्राप्य		1,899.85		1,899.42
व्यापार प्राप्य		1,636.92		1,040.90
नगद एवं नगद समकक्ष		107.10		1,021.09
अन्य बैंक शेष		18,005.08		11,776.50
वित्तीय देयताऐं				
उधार		4.58		4.93
व्यापार देय		1,591.61		1,466.43
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		1,060.39		962.66
पट्टा देयताऐं		2.35		2.29
अन्य देयताऐं		4,042.00		2,638.31

*कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।

** सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31-03-2023 को ₹145.68 करोड़ (₹145.68 करोड़ 31-03-2022) ऊपर शामिल नहीं है।

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु समूह ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मापा गया	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी		0	2,826.78	0
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य 31.03.2023 को प्रकट किए गए हैं	**31.03.2023**		**31.03.2022**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड		0		0
ऋण		1.20		1.20
जमा एवं प्राप्य		1,899.85		1,899.42
व्यापार प्राप्य		1,636.92		1,040.90
नगद एवं नगद समकक्ष		107.10		1021.09
अन्य बैंक शेष		18,005.08		11776.50
वित्तीय देयताऐं				
उधार		4.58		4.93
व्यापार देय		1,591.61		1466.43
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		1,060.39		962.662
पट्टा देयताऐं		2.35		2.29
अन्य देयताऐं		4,042.00		2638.312

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सकल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों का मामला है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर किसी उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ड) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

7 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय आस्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं। समूह बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण ।
नगदी जोखिम	उधार तथा अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करती है।

क्रेडिट जोखिम:.

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ़एसए)

नई कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.) के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए समूह अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए।

उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादक ("आईपीपी");

- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना–

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है तब क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: समूह आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ऋण बाधित आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करता है। टिप्पणी - 13, व्यापार प्राप्तियां का संदर्भ लें।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय :

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। समूह इन मान्यताओं को बनाने के लिए समूह के पूर्व इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख. नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, समूह कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगद स्थिति (आहारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। समूह भी आयात करता है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। समूह की एक नीति होती है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने के बाद लागू किया जाता है।

ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

समूह का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में परिवर्तन के साथ बैंक जमाओं से उत्पन्न होता है, समूह को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। समूह की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को नियत दर पर बनाए रखने की है।

समूह बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करता है।

घ पूंजी प्रबंधन

समूह एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	661.84
दीर्घावधि ऋण	3.92	4.31

8 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक-19)

परिभाषित लाभ योजना

क ग्रेज्युटी

समूह पात्र कर्मचारियों को शामिल करते हुए ग्रेच्युटी, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करता है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समूह से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये की सेवा के अधीन प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (सेवा के पूर्ण वर्षों में एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता*) । ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटा दिया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

समूह के पास समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत या सामान्य कोयला संवर्ग के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत चिकित्सा आधार पर या सेवानिवृत्ति के आधार पर सेवानिवृत्ति के कारण केवल भारत में समूह अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पतालों या आउट पेशेंट / अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना है, जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के कार्यकारी के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी अधिकतम सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह गैर-कार्यकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या समय-समय पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति पर या चिकित्सा आधार पर समूह द्वारा अलग किए जाने पर या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में समूह से इस्तीफा देने पर या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर केवल भारत में समूह अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पताल या आउट पेशेंट / केवल में अधिकतम सीमा तक दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा योजना योजना प्रदान कर रहा है। सेवानिवृत्त गैर-कार्यकारियों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग 8 लाख रुपये है। इस योजना का वित्तपोषण केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

परिभाषित योगदान योजना

क) भविष्य निधि एवं पेंशन

समूह पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए निश्चित योगदान अर्थात मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% भविष्य निधि के लिए और पेंशन निधि के लिए 7% का भुगतान करता है । इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

ख) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

समूह अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करता है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। समूह का दायित्व मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि तक ट्रस्ट में योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के चालू नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) छुट्टी नगदीकरण

समूह अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करता है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। अधिवर्षिता पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के विनिमय के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगारों को प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता और वीआरएस के कारण सेवा बंद करने पर शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को नगदीकरण की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मार्केट यील्ड का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार समूह द्वारा वहन किया जाता है।

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, समूह के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जीवन बीमा योजना है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन सुरक्षा योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत दिनांक 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी संवर्ग कर्मचारियों को दिनांक 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार समूह द्वारा वहन किया जाता है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

समूह ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ समूह के अधिकारियों को शामिल करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। जीपीएआईएसदुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम समूह द्वारा वहन किया जाता है।

ड.) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने होम टाउन और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 / - और 12000 / - रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खान दुर्घटना पर आश्रितों को मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, समूह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करता है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को दिनांक 07.11.2019 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- उपदान
- छुट्टी नगदीकरण
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) गैर-वित्त पोषित

- जीवन बीमा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिनांक 31.03.2023 को कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2022 को प्रारंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता/ (समायोजन)।	31.03.2023 को समापन बीमांकिक देयता
	01.04.2022		31.03.2023
उपदान	1369.18	-40.69	1328.49
अर्जित अवकाश और आधा वेतन अवकाश	481.22	56.22	537.44
कार्यकारी व्यवस्थापन भत्ता	10.28	-1.01	9.27
निपटान भत्ता-गैर-कार्यकारी	6.33	-0.25	6.08
अवकाश यात्रा रियायत	21.07	0.42	21.49
कार्यकारी चिकित्सा लाभ	124.26	-7.09	117.17
चिकित्सा लाभ गैर-कार्यकारी	168.35	12.99	181.34
कुल	**2180.69**	**20.59**	**2201.28**

एक्चुअरी के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) और छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित) के लिए कर्मचारी लाभ हेतु बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: -

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार 31.03.2023 को प्रमाणपत्रों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता का वास्तविक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	तालिका-1		
क	**लाभ तथा हानि (पी एंड एल)**		
1	चालू सेवा लागत	77.97	49.05
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
5	सेवा लागत	77.97	49.05
6	निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.70	0.08
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
8	**लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	**76.27**	**49.13**

			(₹ in Crore)
ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	18.92	9.81
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	5.02	-49.14
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	23.94	-39.33
4	वापसी	-8.44	-16.36
5	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां**	**15.50**	**55.68**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

ग	परिभाषित लाभ लागत		(₹ करोड़ में)
1	सेवा लागत	77.97	49.04
2	निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-1.70	0.09
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानियां	15.50	-55.68
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**91.77**	**-65.52**

तालिका 2

			(₹ करोड़ में)
	31 मार्च 2023 तक निवल तुलन-पत्र की स्थिति	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
क	**निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-1369.18	-1328.49
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	1366.61	1335.05
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-2.57	6.55
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
5	**निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**-2.57**	**6.55**

ख	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का मिलान		(₹ करोड़ में)
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-39.44	-2.57
2	सेवा लागत	-77.97	-49.05
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	1.70	-0.87
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-15.50	55.68
5	नियोक्ता योगदान	128.64	2.57
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	0.00
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
8	अनावरण	0.00	0.00
9	सेवा-समाप्ति लाभ लागत	0.00	
10	**चालू अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)**	**-2.57**	**6.55**

तालिका 3

			(₹ करोड़ में)
	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
क	**परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	1318.80	1369.18
2	चालू सेवा लागत	77.97	49.05

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

3	डीबीओ पर ब्याज लागत	85.64	88.39
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	18.92	9.81
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	5.02	-49.14
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-137.18	-138.79
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**1369.18**	**1328.49**

ख	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		**(₹ करोड़ में)**
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1279.37	1366.61
2	अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	87.34	88.30
4	नियोक्ता योगदान	128.64	2.57
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर रिटर्न	8.44	16.36
6	भुगतान किया गया लाभ	-137.18	-138.79
7	**चालू अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**1366.61**	**1335.05**

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		31.03.2023	**(₹ करोड़ में)**
क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**को समाप्त वर्ष**	
1	31,मार्च 2024	134.24	
2	मार्च 31, 2025	133.89	
3	मार्च 31, 2026	141.36	
4	मार्च 31, 2027	142.03	
5	मार्च 31, 2028	135.78	
6	31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033 तक	571.94	
7	**10 वर्ष से अधिक**	**1413.32**	
ख	**31 मार्च 2024को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**46.02**	
ग	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**9 Years**	
घ	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	**1000.20**	
ड.	**31 मार्च 2023 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**	**प्रतिशतता**	

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00
संपत्ति	0.00
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00
बीमा योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	1.00
बीमा योजनाएं - यूलिप (यूलिप) उत्पाद	0.00
अन्य	0.00
कुल	**1.00**

टिप्पणी: उनकी रिपोर्ट योजनागत संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। कंपनी द्वारा योजना परिसंपत्ति के संबंध में अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता हो सकती है

भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण

च	**31 मार्च 2023 तक चालू और गैर-चालू देयता ब्रेकअप**	**आईएनआर कुल**
1	चालू देयता	129.59
2	गैर-चालू देयता	1198.9
3	31 मार्च 2023 तक देयता	1328.49

तालिका-5

संवेदनशील विश्लेषण:

31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	**1328.49**

क	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	0.073
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**-45.73**
	प्रतिशत प्रभाव	-0.03
	डीबीओ पर डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी का असर	49.14
	प्रतिशत प्रभाव	0.04

ख	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी : 6.25%
1	**वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव प्रतिशत प्रभाव**	26.53
	प्रतिशत प्रभाव	**0.02**
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-27.11
	प्रतिशत प्रभाव	-0.02

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

ग	मान्यताएँ	31.03.2022	31.03.2023
	छूट दर	0.068	0.073
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी : 9%; गैर-कार्यकारी : 6.25%	कार्यकारी :9%; गैर-कार्यकारी : 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भा॰लेखा॰मा॰) 19 के तहत छुट्टी लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	तालिका -1		
क	**लाभ तथा हानि (पी एंड एल)**		
1	चालू सेवा लागत	32.01	78.42
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
5	सेवा लागत	32.01	78.42
6	निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	3.36	-1.66
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	40.62	38.44
8	**पी एंड एल . में मान्यता प्राप्त लागत**	**76.00**	**115.21**

ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		(₹ करोड़ में)
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	39.53	67.08
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.26	-26.04
3	बीमांकिक अवधि के दौरान होने वाली हानि/(लाभ)	41.80	41.03
4	छूट दर से कम /(अधिक) योजना संपत्ति पर वापसी	-1.17	-2.59
5	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां**	**0.00**	**0.00**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

ग	**परिभाषित लाभ लागत**		(₹ करोड़ में)
1	सेवा लागत	32.01	78.42
2	निवल परिभाषित लाभ देयता/ (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	3.36	-1.66
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां	0.00	0.00
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	40.62	38.44
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**76.00**	**115.21**

तालिका-2

	31 मार्च 2023 तक निवल तुलन-पत्र की स्थिति	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
			(₹ करोड़ में)
क	**निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास**		
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-481.22	-537.44
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	471.01	481.13
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-10.21	-56.31
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-10.21	-56.31
			(₹ करोड़ में)
ख	**निवल तुलन-पत्र की स्थिति का मिलान**		
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-163.92	-10.21
2	सेवा लागत	-32.01	-78.42
3	निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-3.36	1.66
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-40.62	-38.44
5	नियोक्ता योगदान	229.71	69.11
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	0.00
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
8	अनावरण	0.00	0.00
9	सेवा समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
10	**चालू अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)**	**-10.21**	**-56.31**

तालिका-3

	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
			(₹ करोड़ में)
क	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	449.46	481.22
2	चालू सेवा लागत	32.01	78.42
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	28.38	29.57
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	39.53	67.08
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	2.26	-26.04
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
12	भुगतान किया गया लाभ	-70.42	-92.81
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**481.22**	**573.44**

			(₹ in Crore)
ख	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	285.53	471.01
2	अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
3	Iयोजना संपत्ति पर ब्याज आय	25.01	31.23
4	नियोक्ता योगदान	229.71	69.11
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर रिटर्न	1.17	2.59
6	भुगतान किया गया लाभ	-70.42	-92.81
7	**चालू अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**471.01**	**481.13**

तालिका-4
अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**(₹ करोड़ में)**
क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	45016	
1	मार्च 31, 2024	41.96	
2	मार्च 31, 2025	45.34	
3	मार्च 31, 2026	48.43	
4	मार्च 31, 2027	48.9	
5	मार्च 31, 2028	50.61	
6	31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033 तक	212.21	
7	10 वर्ष से अधिक	916.28	
ख	**31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	**82.57**	
ग	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**10 Years**	
घ	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ बाध्यता**	**315.93**	

		प्रतिशतता
ड.	**31 मार्च 2023 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**	
	भारत सरकार (केंद्रीय और राज्य) की प्रतिभूतियां	0
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0
	संपत्ति	0
	नकद (विशेष जमा सहित)	0
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	1
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0
	अन्य	0
	कुल	**1**

टिप्पणी: यह रिपोर्ट योजनागत संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। कंपनी द्वारा योजना परिसंपत्ति के संबंध में अतिरिक्त इनपुट की आवश्यकता हो सकती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण

च	**31 मार्च 2023 तक चालू और गैर-चालू देयता ब्रेकअप**	**आईएनआर कुल**	**(₹ करोड़ में)**
	1 चालू देयता	40.51	
	2 गैर-चालू देयता	496.93	
	3 31 मार्च 2023 तक देयता	**537.44**	

	तालिका-5	
	31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	537.44
क	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	0.073
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-23.87
	प्रतिशत प्रभाव	-0.04
	डीबीओ पर डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी का असर	26.04
	प्रतिशत प्रभाव	0.05
ख	**वेतन वृद्धि दर**	
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9%
		गैर कार्यकारी 6.25%
1	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	25.93
	प्रतिशत प्रभाव	0.05
2	वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-23.99
	प्रतिशत प्रभाव	-0.04

ग	**मान्यताएँ**	**31.03.2022**	**31.03.2023**
	छूट दर	0.068	0.073
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9%	कार्यकारी 9%
	वापसी दर	गैर कार्यकारी 6.25%	गैर कार्यकारी 6.25%
	मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	**दर**	**आयु**	**दर**
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय लेखा मानक (भा॰लेखा॰मा॰) 19 के तहत सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
क	**लाभ तथा हानि (पी एंड एल)**		
	1 चालू सेवा लागत	9.23	9.86
	2 पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	137.66	0
	3 कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

	4 निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0
	5 सेवा लागत	146.89	9.86
	6 निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	6.82	4.56
	7 (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0	0
	8 पी एंड एल . में मान्यता प्राप्त लागत	**153.71**	**14.42**
ख	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		(₹ करोड़ में)
	1 डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-18.04	122.76
	2 डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	15.25	-19.49
	3 बीमांकिक अवधि के दौरान होने वाली हानि/(लाभ)	-2.75	-7.22
	4 छूट दर से कम /(अधिक) योजना संपत्ति पर वापसी	-11.43	2.41
	5 ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां	**-14.18**	**-4.80**
ग	**परिभाषित लाभ लागत**		(₹ करोड़ में)
	1 सेवा लागत	146.89	9.86
	2 निवल परिभाषित लाभ देयता/ (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	6.82	4.56
	3 ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानियां	-14.18	-4.80
	4 (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
	5 परिभाषित लाभ लागत	**139.53**	**9.61**
			(₹ करोड़ में)
	31 मार्च 2023 तक निवल तुलन-पत्र की स्थिति	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
क	**निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास**		
	1 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-292.61	-298.51
	2 योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	219.51	227.96
	3 वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-73.10	-70.54
	4 एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
	5 निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**-73.10**	**-70.54**
ख	**निवल तुलन-पत्र की स्थिति का मिलान**		(₹ करोड़ में)
	1 पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	-59.00	-73.10
	2 सेवा लागत	-146.89	-9.86
	3 निवल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-6.82	-4.56
	4 ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	14.18	4.80
	5 नियोक्ता योगदान	125.42	12.17
	6 कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	0.00
	7 अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
	8 अनावरण	0.00	0.00
	9 सेवा समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
	10 चालू अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**-73.10**	**-70.54**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

तालिका-3

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**
क	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)**		
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	136.29	292.61
2	चालू सेवा लागत	9.23	9.86
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	16.27	19.35
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	137.66	0.00
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	-18.00	12.28
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	13.33	0.00
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	1.92	-19.49
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
12	नियोजित संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-4.09	-16.10
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**292.61**	**298.51**

			(₹ करोड़ में)
ख	**परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	77.30	219.51
2	अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	9.45	14.79
4	नियोक्ता योगदान	125.42	12.17
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर रिटर्न	11.43	-2.41
6	भुगतान किया गया लाभ	-4.09	-16.10
7	**चालू अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**219.51**	**227.96**

तालिका-4

	अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी	**31.03.2023**	(₹ करोड़ में)
क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	**को समाप्त वर्ष**	
1	31, मार्च 2024	11.99	
2	31, मार्च 2025	14.03	
3	31, मार्च 2026	15.6	
4	31, मार्च 2027	17.65	
5	31, मार्च 2028	19.43	

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

6	31, मार्च 2029 से 31, मार्च 2033	115.56
7	**10 वर्ष से अधिक**	**719.58**
ख	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	**13 वर्ष**
ग	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	**298.51**
	तालिका-5	
	31 मार्च 2023 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	298.51
क	**छूट की दर**	
	31 मार्च 2023 तक छूट दर	0.073
	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-17.62
	प्रतिशत प्रभाव	-0.06
	डीबीओ पर डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी का असर	19.49
	प्रतिशत प्रभाव	0.07

ख	**मान्यताएँ**	**31.03.2022**	**31.03.2023**
	छूट दर	0.068	0.073
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0	0.00%**
	मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (आईएनआर)	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ -आईएनआर36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ -आईएनआर 35,000 प्रति वर्ष। गैर कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त -आईएनआर 18,000 प्रति माह	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ -आईएनआर36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ -आईएनआर 35,000 प्रति वर्ष। गैर कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ+अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त -आईएनआर 18,000 प्रति माह
	जीवनसाथी की उम्र का अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
	निकासी दर	0.003	0.003

** कंपनी के साथ सहमति के अनुसार, चिकित्सा मुद्रास्फीति को शून्य माना गया है क्योंकि कंपनी की चिकित्सा लागत भारत सरकार द्वारा घोषित सीएचजीएस दरों द्वारा नियंत्रित होती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (जारी)

नमूना मृत्यु दर

भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दर
60	0.006349
65	0.01007
70	0.016393
75	0.027379
80	0.04673

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

समूह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना द्वारा शामिल की गई है। दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कारिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ की योजना अलग से "कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी पश्चात सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना" के माध्यम से प्रशासित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चिकित्सा लाभों के लिए देयता की पहचान की जाती है।

9 अन्य जानकारी

ए प्रावधान

31.03.2022 को बीमांकिक रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ एएस-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान वापस /समायोजित/ भुगतान किया गया	31.03.2023 को अंतिम शेषराशि
टिप्पणी 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :				
परिसंपत्तियों की हानि:	58.13	2.81	-1.84	59.1
टिप्पणी 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: :				
सीडब्ल्यूआईपी के तहत: :	114.78	12.96	0	127.74
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन:				
प्रावधान एवं हानि :	0	0	0	0
टिप्पणी 8:- ऋण :				
अन्य ऋण :	0	0	0	0
टिप्पणी 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों :				
अन्य जमा एवं प्राप्य	0.16	0	0	0.16

उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	0	0	0	0
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	0	0	0	0
टिप्पणी 10:- अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ ::				
पूंजीगत अग्रिम	0.6	0	0	0.6
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	0	0	0	0
अन्य जमा एवं प्राप्य	0	0	0	0
टिप्पणी 11:- अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ: :				
सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान:	0	0	0	0
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा	6.1	0	-0.01	6.09
टिप्पणी 13:- व्यापार प्राप्य:				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : :	22.9	22.36	-2.46	42.8
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :				
अनुग्रहपूर्वक	169.7	155.38	-169.7	155.38
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	182.094	245.47	-182.094	245.47
अन्य कर्मचारी लाभ	105.638	736.552	0	842.19
साइट बहाली /खान बंदी	957.52	82.39	-11.56	1028.35
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	17706.34	0	-359.55	17346.79

बी प्रति शेयर आय

क्रमांक	**विवरण**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ करोड़ में	13463.19	8448.80
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर की संख्या	6618363	6618363
iii)	कर के बाद शुद्ध लाभ पर विचार करते हुए रुपये में मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति शेयर)	₹ 20,342.18	₹ 12,765.70

सी बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

डी खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ई चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

एफ़ चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

जी पृथक राजस्व जानकारी :

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से पृथक राजस्व प्रस्तुत करती है:

पृथक राजस्व जानकारी:		**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
सामग्री या सेवा के प्रकार			
- कोयला		27,824.55	19,165.50
- अन्य	0	-	-
बिक्री से कुल राजस्व		**27,824.55**	**19,165.50**
ग्राहकों के प्रकार			
- विद्युत क्षेत्र	94.89	16,580.63	11,568.29
- गैर-विद्युत क्षेत्र	25.93	11,243.92	7,597.21
- अन्य या सेवाएं	0	-	-
बिक्री से कुल राजस्व		**27,824.55**	**19,165.50**

संविदा के प्रकार			
- एफ.एस.ए.	99.93	18,485.02	12,432.03
- ई-नीलामी	20.89	9,339.53	6,733.47
- अन्य	0	-	
बिक्री से कुल राजस्व	**120.82**	**27,824.55**	**19,165.50**
सामग्री या सेवा का समय			
- एक समय में वस्तु का हस्तांतरण	120.82	27,824.55	19,165.50
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया वस्तु	0	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गईं सेवाएं	0	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं		-	-
बिक्री से कुल राजस्व		**27,824.55**	**19,165.50**

एच समूह ने एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर ₹1.76 करोड़ की राशि की पुरानी देनदारियों और प्रावधानों को वापस लिखा है औरपुराने अग्रिमों और ₹0.69 करोड़ की राशि के प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाला है।

आई सीएजी ने एमसीएल के पूरक लेखापरीक्षा के दौरान गैर-अधिकारियों के अपेक्षित वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वित्त वर्ष 21-22 के लिए बीमांकिक देयता के आकलन के संबंध में एक अवलोकन किया है। प्रबंधन ने उत्तर प्रस्तुत किया है क्योंकि गैर-अधिकारियों के वेतन मुद्रास्फीति की 6.25% की धारणा वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति, एनसीडब्ल्यूए समझौतों और भारतीय मानक लेखा 19 में आवश्यक अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे कारकों पर विचार करते हुए एक दीर्घकालिक धारणा है।

उपरोक्त उत्तर के अनुसार बीमांकिक देयता के आकलन के लिए सीआईएल द्वारा गैर-अधिकारियों के वेतन मुद्रास्फीति के लिए धारणा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

जे वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए गैर-अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडबल्यूए -XI) को अंतिम रूप देने के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-अधिकारियों) ₹19,100/- की दर से ₹804.60 करोड़ का अनुमानित प्रावधान) प्रति माह 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

के समूह को सिंचाई विभाग से पानी के शुल्क के लिए मासिक मांग नोटिस प्राप्त हुए थे, जिसमें मूलधन, जुर्माना और ब्याज की पुरानी बकाया मांग शामिल है। समूह ने 29.03.2017 को किए गए एकमुश्त निपटान का हवाला देते हुए पहले कोई प्रावधान नहीं बनाया था या आकस्मिक देयता के तहत खुलासा नहीं किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के अधिकारियों - जल संसाधन विभाग के साथ बैठकें हुई हैं, जहाँ इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह सामने आया है कि समूह को कुछ निश्चित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। हालाँकि अभी तक राज्य के अधिकारियों-जल संसाधन विभाग और समूह के बीच सामंजस्य और अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। देय राशि को अंतिम रूप देने के लिए, समूह ने नवीनतम मासिक मांग पत्रों में परिलक्षित बकाया राशि के लिए बही खाता में ₹405.02 करोड़ की राशि के लिए जल शुल्क का प्रावधान किया है।

एल बांकीबहाल से कनिहा रेलवे साइडिंग तक मौजूदा सड़क को 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ा करने का कार्य निक्षेपागार आधार पर लोक निर्माण विभाग सुंदरगढ़ को दिया गया है। पीडब्ल्यूडी, सुंदरगढ़ से अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होना बाकी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, समूह ने पत्र संख्या 139/डबल्यूई दिनांक 12.01.2022 के आधार पर 30.11.2019 से पूंजीकरण की तिथि के साथ प्राप्त यूसी की सीमा तक ₹235.47 करोड़ की राशि के लिए उपरोक्त सड़क का पूंजीकरण किया है। मुख्य निर्माण अभियंता, को क्योंझर सर्कल द्वारा ठेकेदार मेसर्स जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जारी किया गया |

एम कंपनी क्लॉज 2.20 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के अनुपात की गणना में माना जाता है, जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच का अंतर पूर्वमेय उक्त खंड सीमाएँ में वर्णित है । हालांकि वित्त वर्ष 22-23 के लिए ओबी माप रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित है, ओबीआर समायोजन लेखांकन के उद्देश्य के लिए ओबी की रिपोर्ट की गई मात्रा पर विचार किया गया है।

एन एमसीएल की अनुषंगी कंपनी एमजेएसजे कोल लिमिटेड को पहले आवंटित कोयला ब्लॉक उत्कल ए और गोपालप्रसाद (पश्चिम) को अब एमसीएल को आवंटित किया गया है। नामित प्राधिकरण कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि की लागत पिछले आवंटियों को देय है । हालांकि अभी तक मुआवजे की राशि का दावा नहीं किया गया है, इसलिए भूमि की लागत पूंजीकृत नहीं है।

ओ एनटीपीसी ने फरवरी 2018 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 62.29 करोड़ की राशि का विवाद है। विवाद एएमआरसीडी के पास लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। समूह भारतीय मानक लेखांकन 109, वित्तीय साधन के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित क्रेडिट हानि को चिन्हित करता है । चूंकि मामला एएमआरसीडी में निर्णय के लिए लंबित है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए कोई क्रेडिट हानि मान्य नहीं है।

पी रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या के अनुसार झारसुगुड़ा-बरपाली-सरडेगा रेल लाइन के लिए बढ़े हुए माइलेज को मंजूरी दे दी है। 2018/इंफ्रा/12/19 दिनांक 27.02.2023 को कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा-1), रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया। हालांकि दर अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और इसलिए न तो बढ़ा हुआ माइलेज प्राप्त हुआ है और न ही लेखा पुस्तकों में इसे चिन्हित किया गया है ।

क्यू अनुपात

विवरण	**For the year ended 31.03.2023**	**For the year ended 31.03.2022**	**Variance**
(क) चालू अनुपात: वर्तमान अनुपात एक समूह की समग्र नगदी स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	1.97	2.04	-3%
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात एक समूह के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। इन दोनों नंबरों को समूह की तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0.00	0.00	0%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की चालू ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान "कर पश्चात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि"" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	20,579.09	13,781.95	49%
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी: यह समूह में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि समूह द्वारा इक्विटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इक्विटी-धारकों को उत्पन्न प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना : (कर पश्चात शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है।	1.54	1.24	24%
(ड.) वस्तु-सूची आवर्त अनुपात : इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक समूह अपनी सूची का उपयोग या प्रबंधन करता है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या औसत वस्तु-सूची से विभाजित बिक्री के रूप में की जाती है। औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2)जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	18.20	12.84	42%

च) व्यापार प्राप्य आवर्तअनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते निवल क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री घटा बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारम्भिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष को कुल बिक्री से विभाजित करके की जा सकती है।	33.86	28.57	19%
व्यापार देय आवर्त अनुपात: यह दर्शाता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा निवल ऋण खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय निवल क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद घटा खरीद रिटर्न शामिल है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो अनुपात की गणना व्यापार लेनदारों के समापन शेष से कुल खरीद को विभाजित करके की जाती है।	5.77	5.67	2%
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में समूह की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों को घटाकर चालू देनदारियों के रूप में की जाएगी।	1.91	1.53	25%
(झ) निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद का होगा निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	0.48	0.44	10%
(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए समूह के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, समूह द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर से पूर्व आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	131.41%	132.42%	-1%
(ट) निवेश पर प्रतिलाभ (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग समूह द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात , उतना अधिक लाभ अर्जित किया			
(i) गैर-सूचीबद्ध अनुषंगियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: अनुषंगियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.00%	0.00%	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभांश/संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%

(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर इत्यादि) पर आरओआई =ब्याज आय/औसत निवेश	7.22%	7.38%	-2%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/ औसत निवेश	5.28%	3.46%	53%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी) = ब्याज आय/ औसत निवेश	6.63%	3.97%	67%

1 से 38 के लिए हस्ताक्षर
हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते लालदाश एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
संस्था पंजीयन सं. 311147E

(सीए एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

बोर्ड की ओर से

(संजीब कुमार देबनाथ)
महाप्रबंधक (वित्त)

(ए के बेहुरा)
निदेशक (वित्त)
DIN : 09712877

(एस परिडा)
कंपनी सचिव

(ओ पी सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN: 07627471

दिनांक : 28.04.2023
स्थान : संबलपुर

फोरम एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "क": अनुषंगी कंपनियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	अनुषंगी कंपनियों के नाम			
		एमजेएसजे कोल लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	महानदी कोल रेल्वे लिमिटेड	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.22 से 31.03.23 तक	01.04.22 से 31.03.23 तक	01.04.22 से 31.03.23 तक	01.04.22 से 31.03.23 तक
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेअर पूंजी	95.1	35.1	90.01	0.05
4	रिजर्व और अधिशेष	-20.97	6.45	-0.93	-6.04
5	कुल परिसंपत्तियाँ	79.36	42.72	256.12	22.12
6	कुल देयताएँ	79.36	42.72	256.12	22.12
7	निवेश	-	-	-	-
8	टर्न ओवर	-	-	-	-
9	कराधान पूर्व लाभ	-0.09	1.15	-0.02	-0.02
10	कराधान हेतु प्रावधान	-	0.29	-	-
11	कराधान पश्चात लाभ	-0.09	0.86	-0.02	-0.02
12	प्रस्तावित लाभांश	0	0	0	0
13	31.03.2023 को शेयर धारक का %	60	70	71.107	100



भाग"ख" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

क्र सं.	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	-
2	31.03.2023 के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	-
	सं.	-
	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	धारक % का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	-
4	कारण, क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	-
6	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि	-
	i. समेकन में विचारित	-
	ii. समेकन में गैर विचारित	-

बोर्ड की ओर से

संजीव कुमार देबनाथ
महाप्रबंधक(वित्त)

एस. परिडा
कंपनी सचिव

ए.के. बेहुरा
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन : 09712877

ओ.पी. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन -07627471

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
लालदाश एंड कंपनी के लिए एवं उसकी ओर से
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. सं. 311147E

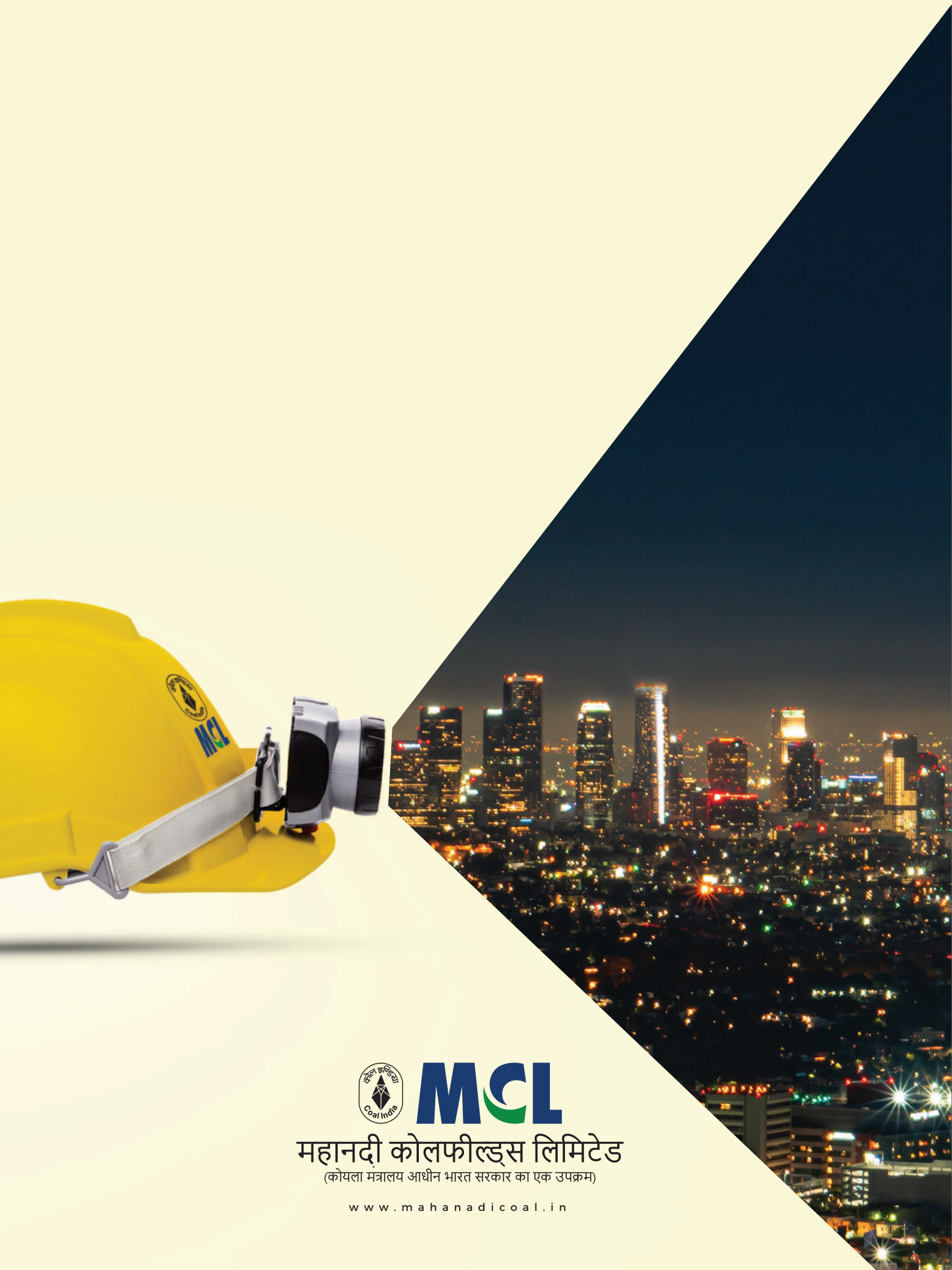
LAL D.A.S & CO Chartered Accountants FRN-311147 E ABSR

(सीए एसएस ब्रह्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 066706

MAHANADI COAL FIELDS LIMITED SAMBALPUR

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक : 28.04.2023





MCL

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोयला मंत्रालय आधीन भारत सरकार का एक उपक्रम)

www.mahanadicoal.in